लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 26, सोमवार, 30 मार्च, 1970/9 चैत्र, 1892 (शक)
No. 26, Monday, March 30, 1970/Chaitra 9, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference ..	1—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTION		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
661. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यकता-आधारित न्यूनतम वेतन	Need—Based minimum wage for Central Government Employees ..	4—9
662. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्र-तट से दूर तेल की खुदाई	Off-shore Drilling by Oil and Natural Gas Commission ..	9—13
663. इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा औषधि नियंत्रण अधिनियम के कार्य-करण में सुधार करने की मांग	Demand by Indian Pharmaceutical Congress Association for Improvement in Working of Drug Control Act ..	13—14
664. दिल्ली में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Delhi ..	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
665. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on urban property ..	17
666. हिप्पियों से चरस और अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Charas and opium from Hippies ..	17—18
667. विभिन्न देशों से आयातित तरल अमोनिया के तुलनात्मक मूल्य	Comparative prices of Liquid Ammonia imported from various countries ..	18—19
668. गुजरात राज्य में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Establishment of Second Oil Refinery in Gujarat State ..	19—

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
669. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जरूरत-मन्द विद्यार्थियों को सहायता	Help to needy students by Nationalised banks	19
670. जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में जीवन बीमा निगम के पदनामित अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of L. I. C. Chairman—Designate regarding change in investment outlook of L. I. C. ..	19—20
671. बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of nationalised banks against the Supreme Court judgement on bank nationalization ..	20—22
672. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा बेचे गये यूनिट	Units sold by Unit Trust of India ..	22
673. जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का शीघ्र निपटारा	Quick settlement of Claims by L. I. C. ..	23—24
674. सेन्ट्रल बैंक द्वारा तैयार की गई स्व-नियोजन योजनाएं	Self-employment schemes drawn up by the Central Bank ..	24—25
675. निगमित-कर से राजस्व प्राप्ति	Revenue from Corporate tax	25
676. कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों का प्राथमिकता क्रम	Order of priority allotted to three coal-based fertilizer plants ..	25—26
677. कोयले से तेल का उत्पादन	Production of oil from coal ..	26
678. हैदराबाद में रिक्शा वालों की एसोसिएशन का ज्ञापन	Memorandum from Rickshawalla's Association Hyderabad ..	26—27
679. केन्द्रीय मंत्रालयों में काम कर रहे विदेशी सलाहकारों पर व्यय	Expenditure on Foreign advisers working in Central Ministries ..	27
680. राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan	27
681. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यसंचालन हेतु उपाय	Measures for working of nationalised banks after Supreme Court judgement ..	28
682. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की जमानत देने के लिए बीमा निगम स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up insurance corporation to stand Security for loans given by nationalised banks ..	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
683. प्रकृति-दृश्य निर्माण पर गोष्ठी	Seminar on landscape Architecture ..	29—30
684. माचिसों पर लगे उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasions of excise duty on match boxes ..	30
685. विस्थापित व्यक्तियों को लाभ-हानि रहित आधार पर मकान देना	Houses to displaced people on no profit and no loss basis ..	30—31
686. अनुसन्धान तथा उद्योग में समन्वय स्थापित करना	Establishment of co-ordination between research and industry ..	31—32
687. जीवन बीमा निगम की किसानों के लिए फसल बीमा योजनायें	LIC's Crop insurance schemes for farmers ..	32
690. भारत की अर्थ व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट	Report of World bank on India's economy ..	32—33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4326. जीवन बीमा निगम तथा बैंकों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Castes/Scheduled Tribes working in L. I. C. and Banks ..	33
4328. हिन्दी और अंग्रेजी टाइप करने में समर्थ सरकारी कर्मचारी	Hindi and English Type knowing Government Employees ..	33—34
4329. फिल्म कम्पनियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income tax by film Companies ..	34—36
4330. पश्चिमी जर्मनी से प्रतिनिधि मंडल	Delegation from West Germany ..	36
4331. मध्य प्रदेश के बाक्साइट के भंडार	Bauxite deposits in Madhya Pradesh ..	36—37
4332. जीवन बीमा निगम द्वारा मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर किया गया खर्च	Amount spent by L. I. C. on printing and stationery ..	37
4333. पुस्तकों का जब्त किया जाना	Seizure of books ..	37—38
4334. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of nationalised banks in U. P. ..	38—39
4335. मध्य प्रदेश में तेल उत्पादन	Oil production in Madhya Pradesh ..	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4336.	मध्य प्रदेश में सरकारी उद्योग	Public sector industries in Madhya Pradesh ..	39
4337.	बैलाडिला लौह अयस्क खान में फ्लोट ओर माइनिंग के लिए ठेका देने में तथाकथित गड़बड़	Alleged Bungling in Grant of Contract for Float-ore Mining at Bailadilla Iron Ore Mines ..	40
4338.	फालतू पुर्जों की सप्लाई में विलम्ब के कारण बैलाडिला तथा किरीबुरु खानों को हुई हानि	Loss suffered by Bailadilla and Kiriburu mines due to delay in supply of spare parts ..	40—41
4339.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की प्रति-नियुक्तियां	Deputation of CPWD Engineers to the Ministry of Railways ..	41—42
4340.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर	Sectional officers in C. P. W. D. ..	42
4341.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष भत्ते का दिया जाना	Payment of special allowance in C. P. W. D. ..	42—43
4342.	बर्तनों के प्रयोग से दूषण का मानव जीवन पर प्रभाव	Effect of contaminations from use of utensils on human life ..	43—44
4343.	1970 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवा निवृत्ति	Retirements in C. P. W. D. during 1970 ..	44
4344.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजी-नियरों की नियुक्ति	Appointment of civil assistant Engineers in C. P. W. D. ..	44—45
4345.	भारतीय तेल निगम, कलकत्ता शाखा द्वारा भारतीय तेल श्रमिक संघ के नेताओं का निलम्बन	Suspension of Leaders of Indian oil workers' union by Calcutta branch of Indian Oil Corporation ..	45
4346.	वोहरा समिति का उत्तर-प्रदेश का दौरा	Vohra Committee's visit to U. P. ..	45—46
4347.	डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता का विदेशों के बैंकों में हिसाब	Bank Account of former chief Engineer, P and T Department in foreign countries ..	46
4348.	महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग की स्मृति में एक सार्वजनिक स्थान बनाना	Plaza dedicated to the memory of Mahatma Gandhi and Martin Luther King ..	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4349. डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व महानिदेशक, श्री एल० सी० जैन के विरुद्ध आरोप	Allegations against Shri L. C. Jain, Ex-Director-General Posts and Telegraphs ..	47—48
4350. चीन में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं की भारत में बिक्री	Sale of Chinese consumer items in India ..	48
4351. पंजाब तथा हरियाणा द्वारा किराया न दिया जाना	Non-payment of Rents of Punjab and Haryana ..	49
4352. मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता देना	Payment of Medical Allowance to employees working under Government of Manipur ..	49—50
4353. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation ..	50
4354. भारत में चोरी छिपे लाया गया माल	Smuggling in India ..	50—51
4355. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को विस्तार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता	Technicians required by ONGC for its expansion programmes ..	51
4356. विशाखापत्तनम में जस्ता प्रद्रावक कारखाने की स्थापना के लिये परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for setting up Zinc smelter unit at Visakhapatnam ..	52
4357. गर्भ निरोधक पदार्थों के बारे में विज्ञापन	Advertisement of contraceptives ..	52
4358. टाटा कैमिकल्स को छोड़कर अन्य कम्पनियों द्वारा सोडा राख कारखाने के लिये आवेदन पत्र देना	Application for soda ash plant by companies other than Tata Chemicals ..	53
4359. भारत में पश्चिमी जर्मनी की विनियोजित पूंजी	West German Investment in India ..	53—54
4360. उड़ीसा के मुख्य मन्त्री का कुष्ट रोग परिभाषण	Speech of Chief Minister of Orissa on Leprosy ..	54
4361. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी	Investment in Public Sector Industries ..	54—55
4362. अधिकतम आय सीमा	Ceiling on income ..	55
4363. मैसर्स साहू जैन की कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-tax due from concerns of Sahu—Jains ..	56—57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4364. मुद्रास्फीति बिना विकास	Growth without Inflation	57
4365. बैंक राष्ट्रीयकरण के मुकदमें की वकालत के लिये सरकार द्वारा नियुक्त वकील	Lawyers engaged by Government to defend Banks Nationalisation case ..	57—78
4366. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड के लिये निदेशकों का चयन	Selection of Directors of Board of Directors of Public Undertakings ..	58
4368. सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण के बारे में श्रम मन्त्री का भाषण	Labour Minister's speech re. Nationalisation of General Insurance ..	58
4369. रामपुर के स्वर्गीय नवाब के आभूषण	Jewellery belonging to the late Nawab of Rampur ..	59
4370. बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं	Valuables belonging to the Begum of Rampur ..	59
4371. प्रतिरक्षा लेखा विभाग में अधिकारियों का तीन वर्ष पश्चात् तबादला	Transfer of officers in Defence Accounts Department after every three years	59—60
4372. भारत में आर्थिक प्रगति की दर	Rate of Growth of Economy in India ..	60
4373. रामपुर के नवाब को धन-कर की अदायगी से छूट	Exemption from payment of Wealth Tax to the Nawab of Rampur ..	60—61
4374. रामपुर के नवाब की मूल्य-वान वस्तुएं	Valuables belonging to the Nawab of Rampur ..	61—62
4375. 'पी' फार्म की समाप्ति	Abolition of 'P' form ..	62
4377. आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा के विकास के लिये वित्तीय सहायता सम्बन्धी ज्ञापन	Memorandum regarding financial assistance for development of Rayalaseema in Andhra Pradesh ..	62—63
4378. राजस्थान में अकाल से राहत के लिये एक केन्द्रीय समिति की नियुक्ति	Appointment of a Central Committee for Famine relief in Rajasthan ..	63
4380. केन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियों को महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता देना	Full neutralisation to Central Government Employees ..	63—64
4381. पी० एल० 480 की निधि का धर्म परिवर्तन के लिये उपयोग करने के बारे में शिकायत	Complaint regarding utilisation of P. L. 480 funds for conversion of religion ..	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4383. भारतीय तांबा आयोग के अध्यक्ष/महाप्रबन्धक की नियुक्ति	Appointment of Chairman/General Manager of Copper Corporation of India ..	64—65
4384. काम्पटी छावनी का दर्जा बढ़ाकर उसे बी-1 करने की मांग	Demand for upgrading of Kamptee Cantt. to B-I Class ..	65
4385. राज्यों को सामूहिक अनुदान	Block grants to states ..	65
4386. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि	Losses to public sector undertakings	66—67
4387. बरौनी तेल शोधक कारखाने के शेड में रेलवे वैगन से निश्चित समय पर फटने वाले तीन बमों का पाया जाना	Detection of three time-bombs in a Railway Wagon in the Barauni Refinery shed ..	67—68
4388. राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के विचार	Views of F. I. C. C. I. regarding Nationalisation ..	68
4389. केले के तने से रेशा तथा स्टार्च तैयार करना	Preparation of Fibre and starch from Banana tree ..	68
4390. उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड द्वारा बी० एच० सी० कारखाने की स्थापना	Setting up of B. H. C. plant by Orissa Cement Ltd. ..	68—69
4391. उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public sector projects in Orissa ..	69—70
4392. सरकारी उपक्रमों में खाली पड़े बड़े पद	Top Posts lying vacant in public undertakings ..	70—71
4393. मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम द्वारा कोरबा में कास्टिक सोडा क्लोरिन कारखाने की स्थापना	Setting up of Caustic Soda Chlorine plant at Korba by M. P. Audyogik Vikas Nigam ..	71
4394. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बारानी भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि योजना के लिये वित्त की व्यवस्था	Financing of Agricultural Schemes by State Bank of India in Dry Farming Areas	71—72
4395. सिंचाई साधनों के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Madhya Pradesh for irrigation facilities ..	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4396.	प्रतिरक्षा लेखा के नियन्त्रक के कार्यालय, पटना में अधिकारियों का एक स्थान पर लम्बी अवधि तक रहना	Long stay of Officers in the office of Controller of Defence Accounts, Patna ..	73
4397.	कृषि योजनाओं के लिये मेरठ जिले में किसानों को ऋण	Loans to farmers in Meerut District, for Agricultural Schemes ..	73—74
4398.	इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा चोरी छिपे सामान लाने की शिकायतें	Complaints re. smuggling by Employees of Indian Airlines and Air India ..	74
4399.	दिल्ली में देशी शराब की बिक्री में अनियमिततायें	Irregularities in the sale of country liquor in Delhi ..	74—75
4400.	सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन	Production of articles by Public undertakings imported at present ..	75
4401.	चौथी योजना में उर्वरक परियोजनाएं	Fertilizer projects under Fourth Plan	75—76
4403.	फिल्म कम्पनियों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of income tax by film companies ..	76—77
4404.	फिल्म कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-tax due from Film Companies ..	77
4405.	'खानदानी मनसूबा बन्दी' नामक पुस्तिका का खरीदना	Purchase of booklet 'Khandani' 'Munsooba Bandi' ..	77—78
4406.	परिवार नियोजन प्रचार के लिये विदेशी विज्ञापन फर्म को ठेका देना	Contract for Family Planning publicity to foreign advertising firm ..	78—79
4407.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता	Conveyance allowance permissible for C. P. W. D. officers ..	79—80
4408.	सरकार के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को वेतन देने के तरीके में परिवर्तन	Change in mode of drawal of salary by class II Officers of Government ..	80—81
4409.	भारतीय संस्थानों, फर्मों, कम्पनियों आदि के विदेशी बैंकों में खाते	Accounts of Indian establishments, firms and companies in foreign banks	81—82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या *U. S. Q. Nos.*		
4410. राज्यों को दिये गये ऋण पर ब्याज	Interest on loans received from States	82
4411. नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में काम बन्द होना	Stoppage of work at Government of India Press, New Delhi ..	82—83
4412. फिल्म अभिनेताओं की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax due from film producers	83
4413. फिल्म निर्माताओं की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income-tax due from film producers	83—84
4414. फिल्म कम्पनियों पर छापे	Raids on film companies	84
4415. फिल्म उद्योगों के लोगों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of wealth tax by Film people	84—85
4416. विकलांगों के बारे में दूसरी मलेशियाई बैठक	Second Malaysian Orthopaedic meeting ..	85
4417. परिवहन संचालकों के लिये बैंक ऋण	Bank loans for transport operators	85—86
4418. इंडोनेशिया को सहायता	Assistance to Indonesia ..	86
4419. मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने में कठिनाई	Difficulties in admission to Medical Colleges	86—87
4420. राजस्थान में सवाई माधोपुर के स्थान पर तेल शोधक कारखाना	Oil refinery at Sawai Madhopur in Rajasthan	87—88
4421. कोरबा स्थित उर्वरक कारखाने को कोयला सप्लाई करने के लिये सुराकाचार कोयला खानों का विकास	Development of Surakachar coal mines for supply of coal to Fertilizer plant at Korba	88—89
4422. कोयला आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये रूस से मशीनरी खरीदना	Purchase af machinery from USSR for setting up coal-based fertilizer plants	89
4423. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा अस्पताल खोलने के लिये राजसहायता	Subsidy for setting up of hospitals by people in Rural Areas	89—90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4424. चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध	Approach to nationalised banks for help for Rural Medical facilities in Fourth Plan ..	90
4425. औषधि उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Tariff Commission Recommendations regarding drug industry ..	91
4426. बड़े रासायनिक कारखानों के विस्तार के लिये उपक्रमों को दिये गये लाइसेंसों का अप्रयोग	Non-implementation of Licences granted to entrepreneurs for Expansion of Big chemical units ..	91—92
4427. तिहाड़ के समीप दिल्ली तथा दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र में विकलांग तथा कान के रोगों के लिये हस्पताल खोलना	Setting up of Orthopaedic and Ear Hospitals near Tihar and Karolbagh areas, of Delhi ..	93
4429. जड़ी बूटियों पर प्रयोग	Experiments on herbs ..	93
4430. पुरानी दिल्ली के नागरिकों को रिहायशी प्लाट	Residential Plots to citizens of old Delhi	94
4431. भारतीय रुपये का मूल्य	Value of Indian Rupee	94—95
4432. मैंगनीज उद्योग के लिये कार्य कारी दल की स्थापना	Setting up of working group for manganese Industry ..	95
4433. भारत में करों का भार	Incidence of taxation in India ..	96
4434. तमिलनाडु के उत्तर अरकाट जिले में लौह अयस्क मिलना	Discovery of deposits of Iron Ore in North Arcot district of Tamil Nadu ..	96—97
4435. सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	Grant of House building loans to Government employees ..	97
4436. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बैलेडिला में छर्रे बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of pelletisation plant at Baila-dilla by N. M. D. C.	97—98
4437. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास	Accommodation for employees of the employees provident fund organisation from General pool	98
4438. उच्च अधिकारियों द्वारा अपने घरों पर किये गये जल-पान व्यय की अपनी कम्पनियों से वसूली	Realisation of refreshment expenditure by Higher Officers made at their Houses from their companies	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4439. 5 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया धनराशि	Arrears of Income-Tax above Rs. 5 Lakhs ..	99
4441. बकाया कर राशि के आंकड़े	Analysis of Arrears demands ..	99
4442. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड के केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी संघ को मान्यता देना	Grant of recognition to Central Office Employees Union of I. D. P. L. ..	99—100
4443. उड़ीसा में मेडिकल कालेजों में प्रसूति विभाग	Department of obstetrics in Medical Colleges in Orissa ..	100—101
4444. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों के लिये की गई, और ड्रैसिंग जांच	Ore dressing investigations done by Indian Bureau of Mines for private parties ..	101—102
4445. भारत में राक फास्फेट के परिष्करण में अमरीकी सहायता मिशन से सहायता	Aid from US aid Mission in beneficiation of Rock Phosphate in India ..	102
4446. आसाम के डुमडुमा तथा अन्य क्षेत्र में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाना	Location of Oil bearing structure in Dumduma and other areas of Assam ..	103
4447. देश की जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम	Country's population control programme ..	103
4448. राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता	Special financial assistance to States ..	104
4449. साउथ ब्लाक के तहखाने में आग लगना	Fire in South Block Basement ..	104
4450. उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa Government ..	104—105
4451. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन की राशि में वृद्धि	Increase in the amount of Pension for Central Government Employees	105
4452. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्राइवेट चिकित्सकों के लिये पुनश्चर्या प्रशिक्षण	Orientation to Private Medical Practitioners for Family Planning Programme ..	105—106
4454. जीवन बीमा निगम को गांधी जन्म शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सुझाव	Suggestion given by Gandhi Centenary international Conferenc to L. I. C. ..	106—107

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4455. खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारी	Persons employed in Khetri Copper Project ..	107—108
4456. राष्ट्रीय खनिज नीति	National Mineral policy ..	108
4457. कुष्ट रोग निवारण दिवस	Anti-Leprosy day	109
4458. शिक्षित बेरोजगारों को सहायता की योजना	Scheme for relief to educated unemployed ..	109—110
4459. दिल्ली में इमारती सामान की लागत में वृद्धि	Increase in cost of building material in Delhi ..	110—111
4460. त्रिपुरा में तेल निक्षेपों की खोज	exploration of oil deposits in Tripura ..	111
4461. विभिन्न मंत्रालयों में संसदीय सहायकों को समयोपरि भत्ता	Overtime allowance to Parliament assistants in various Ministries ..	111—112
4462. जन संख्या अध्ययन केन्द्र, मद्रास को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	Central financial assistance to population study centre, Madras ..	112
4463. उर्वरकों के उत्पादन के लिये नेफ्था की बजाय भारी अपशिष्ट का योग	Substitution of Naphtha by heavy residue for fertilizer production ..	112—113
4464. पेट्रो-रसायनिक कारखानों और उर्वरक कारखानों को तेल शोधक कारखानों के साथ सम्बद्ध करने के बारे में नीति	Policy regarding attachment of Petro chemical plants and Fertilizer Plants with Refineries ..	113
4465. बिजली पैदा करने के लिये ईंधन तेल की खपत	Consumption of fuel oil for power generation ..	113—114
4466. तेल का भण्डार और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग	Oil reserves and demand of Pet roleum products	114—115
4467. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्दमान द्वीप-समूह का सर्वेक्षण	Survey of Andamans by Oil and Natural Gas Commission ..	115
4468. मद्रास हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग में पारी व्यवस्था आरम्भ करना	Introduction of shift system in Customs department of Madras airport	115—116
4469. उड़ीसा में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा	Post-graduate Medical education in Orissa	116
4470. कलाकारों को रियायती दरों पर आवास देने की योजना	Scheme to give accommodation at concessional rates to artists ..	117

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4471. आयकर अधिकारियों को वेतन का संरक्षण	Protection of Pay of Income-Tax Officers ..	117—118
4472. परिवार नियोजन में श्रमजीवी वर्ग को सक्रिय रूप से शामिल करने की योजना	Scheme for effective involvement of the working class in Family Planning	118—119
4473. भारत में मादक वस्तुओं की खपत में वृद्धि	Increase in consumption of intoxicants in India ..	119
4474. दिल्ली प्रशासन से सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना	Public Health Scheme from the Delhi Administration ..	119—120
4475. स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पक्ष में तथाकथित भेदभाव पूर्ण नीतियां अपनाई जाना	Alleged discriminatory policies in favour of State Bank of India ..	120
4476. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों को सीधा ऋण	Direct advances to agriculturists by the Public sector banks ..	120—121
4477. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की मांग	Demands by All-India Bank employees' Association ..	122
4478. सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी आवास से हटाये गये विस्थापित परिवारों की संख्या	Number of displaced families in Delhi/New Delhi evicted from Government accommodation by the Director of Estates, New Delhi ..	122—123
4479 किराये की बकाया राशि/हर्जाने की वसूली के लिये सम्पदा निदेशक द्वारा दिये गये निदेश	Directives issued by Director of Estates for the recovery of arrears of rent damages	123
4480. दिल्ली में विभिन्न स्थानों में सरकारी आवास से विस्थापित व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक आवास का आवंटन	Allotment of alternative accommodation to persons displaced from Government accommodation at various places in Delhi	124
4481. मैसूर राज्य में बन्धीकरण के मामले	Cases of sterlisation in Mysore State ..	124—125
4482. दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों की संख्या	Number of C. G. H. S. Dispensaries in Delhi/New Delhi	125
4484. लाटरी योजना	Lottery Scheme ..	125—126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4485.	स्वनियोजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loan from nationalised Banks for creating self employment ..	126
4486.	बीमा अधिनियम की धारा 40ख को रद्द करने की मांग	Demand for scrapping section 40 B of the Insurance Act	127
4487.	नागपुर में रिजर्व बैंक कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by the reserve Bank employees at Nagpur ..	127
4488.	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीचढ़	Post-Graduate Institute of Medical Science and Research, Chandigarh ..	128
4489.	सचिवों के सरकारी बंगलों का छता तथा न छता क्षेत्र	Covered and uncovered areas of Government accommodation for Secretaries ..	128—129
4491.	आयातित चरबी से साबुन तैयार करना	Manufacture of Soap with imported tallow ..	129—130
4492.	विभिन्न मंत्रालयों में कारें	Cars in various Ministries	130
4493.	गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए अर्जित भूमि का उपयोग	Utilization of Acquired land for slum clearance purposes ..	130—131
4494	बद्राजुहू समुद्र तट बम्बई, में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Badrujuha sea coast, Bombay	131
4495.	ग्वालियर में अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of opium at Gwalior ..	131
4496.	मंत्रियों पर आयकर की बकाया राशि	Outstanding amount of income-tax from Ministries ..	132
4497.	गोरखपुर में स्टेट बैंक आफ इंडिया में मनीटैस्टर के पद पर नियुक्ति	Appointment against post of Moneytester in State Bank of India Gorakhpur ..	132—133
4498.	सूअर के बालों की तस्करी	Smuggling of pig hair ..	133
4499.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का आरक्षण	Reservation of Government accommodation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees ..	134
4500.	डा० भगवान दास स्मारक न्यास, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das memorial trust, Lajpat Nagar, New Delhi ..	134—135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4501.	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में 'बारात घर' बनाना	Setting up of 'Barat Ghar' in Government employees colonies in Delhi	135
4502.	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर का इलाज	Cure of Cancer through ayurvedic treatment	135—136
4503.	बिहार में खान मालिकों की ओर आय-कर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income-Tax against mine-owners in Bihar	136
4504.	बिहार राज्य में खान मालिकों की ओर स्वामित्व की बकाया राशि	Outstanding amount of Royalty against mine owners in Bihar State	136—137
4505.	जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण लोगों हेतु कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति में सहायता	Helping hand in the implementation of Welfare Scheme for rural people by Life Insurance Corporation	137
4506.	केरल तथा पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Kerala and West Bengal	137—138
4507.	अफीम तथा गांजा रखने के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Arrests for possession of Opium and Ganja	138
4508.	सीमा-शुल्क विनियमों का उल्लंघन	Violation of Customs Duty Regulations	138—139
4509.	बम्बई में एक कार से सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold from a car in Bombay	139
4510.	अरब सागर में चलने वाले एक जहाज द्वारा लाये गये तस्करी सोने तथा घड़ियों को पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold and Watches brought by an Arab Dhow	139
4511.	गाजियाबाद के निकट केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य	Construction work on the land acquired by Central Government near Ghaziabad	139—140
4512.	भारतीय नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर नई दिल्ली में सड़कों के नाम बदलना	Renaming of roads in new Delhi after Indian Leaders/Social Workers	140
4514.	मुद्रा स्फीति	Inflation of currency	140—141

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4515. नई दिल्ली नगरपालिका के शिशु कल्याण तथा प्रसूति केन्द्रों आदि द्वारा हिन्दी प्रपत्रों (फार्मों) को स्वीकार करने में इन्कारी	Refusal to accept Hindi forms by the Child Welfare and Maternity Centres etc. of N. D. M. C. ..	141
4516. मनीपुर में जीवन बीमा निगम के कारोबार में प्रगति	Progress of LIC business in Manipur ..	141—142
4517. मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of P.W.D. workers in Manipur ..	142
4518. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की यूनियन	Union of C. P. W. D. Sectional Officers ..	143
4519. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति के लिये पृथक कोटा	Separate quota of promotion for C.P.W.D. sectional officers to assistant engineers ..	143
4520. पूंजीपतियों, मंत्रियों तथा भारत के भूतपूर्व नरेशों का विदेशी बैंकों में जमा धन	Money deposited by capitalists, Minister, and ex-rulers of India in foreign Banks ..	143—144
4521. नेफ्था पर आधारित रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Naptha based chemical fertilizer factories ..	144
4523. विदेशी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाएं	Branches opened by foreign banks	144—145
4524. विदेशी बैंकों के लिए पी० एल० 480 निधि का नियतन	Allocation of PL-480 funds to foreign banks ..	145
4525. जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र बम्बई कार्यालय में कथित कुप्रबन्ध	Alleged mismanagement in the demographic training and research centre, Bombay	146
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना और नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice and Motion under Rule 377 (Query) ..	146—147
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	147—149
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ..	149
समिति के लिये निर्वाचन— केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	Election to Committee— Central Silk Board	149

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पश्चिमी बंगाल के बारे में उद्घोषणा के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत पश्चिमी बंगाल बजट, 1970-71 लेखानुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल) 1970-71, और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल), 1969-70	Statutory Resolution re : Proclamation about West Bengal—Adopted : West Bengal Budget 1970-71 ; Demands for Grants on Account (West Bengal) 1970-71 ; and Demands for Supplementary Grants (West Bengal), 1969-70 ..	150—198
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	150, 189—190
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	157—161
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh ..	161—163
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia ..	163—166
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri ..	166—167
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ..	167—169
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen ..	169—173
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterji ..	173—174
श्रीमती उमा राय	Shrimati Uma Roy ..	174—175
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	175—176
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee .	176—178
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	178—180
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri ..	180—181
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	181
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	181—185
श्री देवन सेन	Shri Deven Sen ..	185—186
श्री जि० मो० विस्वास	Shri J. M. Biswas ..	187
श्री बे० कु० दासचौधरी	Shri B. K. Daschoudhury	187
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee ..	187—188
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitrayee Basu ..	188
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	190—191
पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970—	West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970—	
पुरः स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	199
पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1970 पुरःस्थापित तथा पारित	West Bengal Appropriation Bill, 1970— Introduced and Passed	200

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक	Press Council (Amendment) Bill ..	201
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ..	201
श्री इ० कु० गुजराल	Shri I. K. Gujral ..	201—203, 218—222
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody ..	203—204
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	204
श्री श्रद्धाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	204—205
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	205—206
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	206
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	206—207
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun ..	207—209
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra ..	209—210
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ..	210—211
श्री क० अनिरुधन	Shri K. Anirudhan ..	211—212
श्री विश्वनाथ राय	Shri Vishwanath Roy ..	212—213
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha ..	213
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma ..	214
श्री तेनेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham ..	214—216
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua ..	216—217
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	217—218
खंड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1 ..	222—229
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	229—232
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	229—230
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	230
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu ..	230
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	230
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	231
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Mishra ..	231
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	231
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	231
श्री इ० कु० गुजराल	Shri I K. Gujral ..	231—232

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 30 मार्च, 1970/9 चैत्र, 1892 (शक)
Monday, March 30, 1970/Chaitra 9, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

डा० एन० बी० खरे का निधन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि डा० एन० बी० खरे का 86 वर्ष की अवस्था में 29 मार्च, 1970 को नागपुर में निधन हो गया है।

डा० खरे वर्ष 1935-37 और 1943-46 में केन्द्रीय विधान सभा के और 1947-48 में भारत की संविधान सभा के और 1952-57 में पहली लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1943-46 में वाइसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य रहे, वह तत्कालीन सी० पी० तथा बरार और अलवर राज्यों के प्रधान मंत्री रहे। वह एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा संसद-विज्ञ थे।

हमें उनके निधन पर भारी शोक है और मुझे यकीन है कि शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं भेजने में सभा मेरे साथ शरीक होगी।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : डा० एन० बी० खरे एक प्रख्यात सार्वजनिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भिक चरण में सक्रिय भाग लिया और उस सम्बन्ध में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय की तथा अन्य समाज कल्याण कार्य में सराहनीय सेवा की है।

मैं तथा सभा आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से तथा शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में शरीक हैं।

श्री स० क० पाटिल (बनसकंठा) : मैं भी इस संवेदना अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं। श्री खरे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने सारा जीवन मानव जाति की सेवा में बिताया।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : डा० खरे के बारे में आपने तथा प्रधान मंत्री ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूं। डा० खरे इस सभा में वर्ष 1935 में उस समय आये जब राष्ट्रीय आन्दोलन जोरों से शुरू नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने सोचा था कि वे कांग्रेस को हराने में सफल होंगे। जब हम केन्द्रीय विधान सभा में साथ थे, डा० खरे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। बाद में, जब वह प्रधान मंत्री बने, यह दुर्भाग्य था कि एक तकनीकी गलती पर, जो महात्मा गांधी के अनुसार उनसे हुई थी, बापू के साथ उनका मतभेद हो गया। डा० खरे ने गांधी जी के खिलाफ बहुत भावनापूर्ण ढंग से आन्दोलन किया और बहुत अदम्य राजनैतिक तथा व्यक्तिगत साहस दिखाया। बाद में, वह वाइसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य बन गये, अपनी इस अल्प कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीति के विरोध में दक्षिण अफ्रीका से हमारे उच्च आयुक्त को वापस बुला लिया था, यह भी एक बड़े साहस की बात थी, उनका महात्मा गांधी के साथ झगड़ा हो गया था और ऐसा समझा जाता था कि वह अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन वह न तो कांग्रेस के सामने, जिसके साथ उनका मतभेद हो गया था, झुकते थे और न ही अंग्रेजों के सामने। वह भारत के साथ थे और भारत की प्रतिष्ठा के लिये लड़ते थे। कार्यक्षेत्र से अलग होने पर भी वह शेर की तरह रहे और विदर्भ के लोगों के अधिकारों के लिये शेर की तरह गरजते रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जो पढ़ने लायक है। हम सभी लोग उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं।

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : मैं द्रविण मुन्नेत्र कजगम दल की ओर से डा० खरे के निधन पर शोक प्रकट करता हूं और अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त भावनाओं में शरीक होता हूं। वह एक महान नेता स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख सेनानी तथा बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, इस सभा के प्रत्येक सदस्य को उनके निधन पर दुःख है। मेरा अनुरोध है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तथा निकट सम्बन्धियों को हमारी संवेदनाएं भेज दें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, destiny has taken away Dr. N. B. Khare from our midst. He was not only a renowned Physician but also a great patriot and was well-known throughout the country. He became the Prime Minister of C. P. and Berar when the Congress first acquired power. But when he differed with his own partymen and was asked to resign from the Prime Ministership, he did not only resign but also showed uncommon courage and determination even to defy a leader of the status of Mahatma Gandhi. He was out spoken and a man of firm conviction, courage and determination. That is why some people felt very angry with him. Outwardly he was harsh but inwardly he was soft and sweet. At the time of the Quit India Movement, he became a Member of the Viceroy's Executive Council despite resistence from national leaders. And as a Member of the Council he rendered a great service to the nation which, it is regretted, has not received due recognition so far.

We are sorry that a great patriot and Veteran in our political life has gone from our midst. May God grant his soul peace ! I request you to send our heartfelt condolences to the bereaved family.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : अपने दल की ओर से मैं भी डा० खरे के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में शरीक होता हूं।

श्री वासुदेव नायर (पीरमाडे) : डा० खरे के निधन से हमने स्वतन्त्रता आन्दोलन का पुराना महान सेनानी खो दिया है। मैं भारतीय साम्यवादी दल की ओर से दिवंगत नेता के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I came in contract with Dr. Khare during the Freedom Movement and at times, I had had the privilege to work with him. Later on, as has been stated here, he differed with the Congress and severed his connections with it. But one who knew him from close had to admit that he was a man of firm determination and was always prepared to sacrifice every thing in order to achieve his aim.

I feel that in his death we have lost a man from whom we could learn how to work despite our differences with one another.

On behalf of my Party and myself, I also associate myself with the sentiments you and the Prime Minister has expressed.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपने दल तथा अपनी ओर से डा० खरे के निधन पर अपनी संवेदनाएं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह एक महान देशभक्त तथा हमारे राजनैतिक जीवन में वयोवृद्ध व्यक्ति थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके राजनैतिक विचारों से मत भेद हो सकता है किन्तु यह मानना पड़ेगा कि वह अपने राजनैतिक जीवन पर्यन्त साहसी तथा दृढ़प्रतिज्ञ रहे। जब उनसे मतभेद होने पर सी० पी० तथा बरार के प्रधान मंत्री के पद से त्यागपत्र देने को कहा गया तो उन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया और यहां तक कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की बात को भी ठुकरा दिया। यद्यपि वह उस समय जब कि सारा देश अंग्रेजों विरुद्ध लड़ रहा था और भारत छोड़ो का आन्दोलन जोरों पर था, वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह भारत के लिये स्वतंत्रता की मांग का सदैव समर्थन करते रहे। वह एक महान विद्वान तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमें उनके निधन पर दुख है। आप से निवेदन है कि आप हमारी ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेज दें।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपने दल की ओर से डा० खरे की समृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न हैसियतों में भारत माता की महान सेवा की।

उनका शैक्षिक जीवन देदीप्यमान था। वह एम० बी० परीक्षा में प्रथम आये। और लाहौर में एम० डी० परीक्षा में भी प्रथम आये। इसीलिये वह इतनी अच्छी हिन्दी जानते थे और अकालियों के इतने अधिक मित्र थे।

वह देश बन्धु चितरंजन दास के पक्के अनुयायी थे और स्वराज पाटी में शामिल हो गये। वह सी० पी० विधान सभा के दो बार सदस्य रहे।

वाइसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने पर उनकी बहुत अलोचना हुई किन्तु

वह राष्ट्रमण्डलीय सदस्य की भांति अपने को सफल राजनीतिज्ञ सिद्ध करने में सफल हुए। वह अफ्रीका तथा अमरीका स्थित भारतीयों के लिये लड़े। उनके कहने पर ही दक्षिण अफ्रीका से उच्चायुक्त को वापिस बुलाया गया था।

मुझे उनके साथ हिन्दू महासभा में कार्य करने का अवसर मिला था। डा० खरे मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर इस सभा के सदस्य बने थे। उनका पंडित नेहरू के साथ कुछ मतभेद था। डा० जकरिया की पुस्तक में उन्होंने इस बारे में बड़े रोचक शब्दों में उल्लेख किया है।

वह एक बड़े वक्ता, कवि तथा लेखक थे। उनकी जीवन कथा एक पढ़ने योग्य ग्रंथ है। उनके लिये जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, हम उनमें शरीक होते हैं और उनके संतप्त परिवार को हम अपनी संवेदनाएं भेजते हैं।

इसके पश्चात् सदस्य थोड़े समय के लिये मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : श्रीमान, प्रश्न लेने से पहले मैं सभा का ध्यान दो महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तो डेविस कप टैनिस प्रतियोगिता में पहली बार भारत ने आस्ट्रेलिया को हराया है। श्री प्रेमजीत लाल तथा श्री जयदीप मुकर्जी बधाई के पात्र हैं.....

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : दूसरे, टर्की में बहुत गम्भीर भूकम्प आया है। वहां हजारों व्यक्ति मारे गये हैं। हमें उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता-आधारित न्यूनतम वेतन

*661. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता-आधारित न्यूनतम वेतन की व्यवहार्यता को शामिल करने के लिये इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार का प्रस्ताव है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सभी पहलुओं पर विचार करना भी नये वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल किया जाय।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 सितम्बर, की हड़ताल के समय दिये गये बलिदानों के पश्चात् सरकार ने आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने के प्रश्न को तीसरे वेतन आयोग के निर्देशपदों में शामिल कर लिया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में न्यूनतम मजूरी 207 रुपये 50 पैसे है। हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में यह 195 रुपये और भारी इंजीनियरिंग निगम में 195 रुपये है। यह सभी सरकारी उपक्रम हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जैसे रेलवे, प्रति-रक्षा तथा आयकर विभाग में न्यूनतम मजूरी 141 रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है कि इस कमी को दूर करने के लिये कोई अन्तरिम सहायता दी जाय क्योंकि अन्तर बहुत अधिक है और कीमतें बढ़ गई हैं और क्या इसके किये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीय आयोग ने भी, जिसने अगस्त, 1969 में अपना प्रतिवेदन दिया था, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर विचार किया था। उसकी मुख्य सिफारिश को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"परन्तु हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी नियत करते समय अदा करने की क्षमता पर ध्यान देना सुसंगत होगा।"

आयोग ने इसकी सिफारिश की है। अब वेतन आयोग की स्थापना की जा रही है और यह प्रश्न भी उसे सौंपा जा रहा है। अन्तरिम सहायता देने के बारे में वेतन आयोग ही निर्णय करेगा और फिर उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं गैर-सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा था। मैंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बात की थी, जहां पर कि न्यूनतम मजूरी 195 रुपये से 207 रुपये 50 पैसे तक है, और एक सरकारी कर्मचारी को केवल 141 रुपये ही मिलते हैं। वेतन आयोग को इस पर विचार करना चाहिये। आयोग की अभी तक घोषणा भी नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने अनेक मजूरी बोर्डों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया है और त्रिपक्षीय समझौते किये हैं और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड तथा भारी इंजीनियरिंग निगम के कर्मचारियों को न्यूनतम अन्तरिम मजूरी दे दी गई है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी न देने और वेनत आयोग के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना उन्हें अन्तरिम राहत के रूप में उसके कुछ भाग की अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : वेतन आयोग शीघ्र ही बनाया जायगा। जहां तक एच० एस० एल० तथा एच० ई० एल० आदि का सम्बन्ध है, वे मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं। उनका सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार को पूरी सहानुभूति है और शीघ्र ही वेतन आयोग बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वह इस प्रश्न पर विचार करे और यदि वह चाहे तो वे अन्तरिम सिफारिशें कर सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है—जैसाकि समाचार पत्रों में आया है—कि वेतन आयोग की पहले ही नियुक्ति हो चुकी है और उसके पांच सदस्य हैं ?

उसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ओर से सदस्य कौन है ? श्रमिकों में से सदस्य कौन है ? इन प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन कैसे किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसकी नियुक्ति अभी नहीं की गई है, इसकी नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी । नियुक्ति हो जाने पर इसके सदस्यों के नामों का पता चल जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि भी ले रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम अवश्य ही श्रमिकों की हालत, उनसे सम्बन्धित कानूनों के ज्ञाता और उनकी समस्याओं के जानने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार न्यूनतम मजूरी की वांछनीयता के प्रश्न को वेतन आयोग को सौंप रही है । 1968 में इसीसे इन्कार करने के कारण हड़ताल हुई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस आयोग की सिफारिशों को एक पंचाट नहीं माना जायेगा परन्तु इसकी सिफारिशों पर गम्भीरता से और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए विचार किया जायगा । **(व्यवधान)**

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इस आयोग के निर्देशपदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और तीसरे आयोग की वास्तव में कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह हमारी आशा तथा इच्छा है कि संसद के चालू सत्र में इसकी घोषणा कर दी जाये । निर्देश पद भी साथ साथ ही घोषित कर दिये जायेंगे ।

श्री उमानाथ : माननीय मंत्री ने कहा है कि अन्तरिम सहायता का प्रश्न भी वेतन आयोग पर छोड़ दिया जायेगा । मैं जानना चाहता चाहता हूं कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि वर्तमान वेतनमान 10 वर्ष पूर्व नियत किये गये थे । दूसरे, श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने सिफारिश की थी कि उसकी सिफारिशों की कार्यान्विति के दो वर्षों के बाद मजूरी में संशोधन किया जाये । अब दो वर्ष हो चुके हैं अब सरकार को वेतनमानों का संशोधन करना चाहिये । तमिल नाडु सरकार ने भी वेतन आयोग की नियुक्ति की है । वहां पर इस बीच सरकार ने अन्तरिम सहायता की घोषणा कर दी है । केन्द्रीय सरकार को भी स्वयं ही अपने कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता की घोषणा कर देना चाहिये । क्या केन्द्रीय सरकार से तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है ।

अन्तरिम राहत की घोषणा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री पीलु मोडी : इसका कारण तमिलनाडु में अच्छी सरकार का होना है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा इरादा अन्तरिम सहायता

में रुकावट डालने का नहीं है, परन्तु हम यह चाहते हैं कि तदर्थ निर्णय करने के बजाय हम विशेषज्ञों की राय लें कि कितनी अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये ।

श्री उमानाथ : मैं अन्तरिम राहत की मात्रा नहीं पूछ रहा हूं । जब सरकार आयोग नियुक्त कर सकती है तब सरकार द्वारा राहत की घोषणा किये जाने में क्या अड़चन है । फिर वह मात्रा का निर्णय भी स्वयं कर सकती है । वे स्वयं इस उत्तरदायित्व को न सम्भाल कर वेतन आयोग पर क्यों छोड़ देता है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का निर्णय तदर्थ निर्णय होगा । इसलिये हम वेतन आयोग की विशिष्ट सलाह प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि सरकारी कर्मचारी और विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारी किस हद तक ऋण में दबे हुये हैं । सरकारी कर्मचारियों को विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितनी वेतन वृद्धि मिलती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अन्तर यह कि माननीय सदस्य केवल बात करते हैं जबकि हम काम करते हैं कि वेतन आयोग की नियुक्त से ही पता चलता है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना चाहती है और उनकी वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहती है ।

श्री म० ला० सोंधी : सरकार ने आयोग नियुक्त करने का काम ईस्ट इण्डिया कम्पनी और अंग्रेजों से सीखा है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यह अच्छी बात है कि सरकार ने वेतन आयोग शीघ्र नियुक्त करने का आश्वासन सभा को दिया है जिससे न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की सम्भावना पर विचार किया जा सके । क्या वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ? अन्तरिम सहायता देने का मामला भी महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये ।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वेतन आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उसमें कुछ समय लगेगा परन्तु हम चाहते हैं कि आयोग पहले अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में विचार करे और फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

Shri S. M. Joshi : I want to know the factors to be taken into consideration for fixing need based minimum wage ? The Central Government employees had also demanded full neutralisation of dearness and want to know whether Government is prepared to refer this point to this pay commission ? I would also like to know whether Government would accept the report of the Commission ?

Shri P. C. Sethi : At present there is 90 per cent neutralisation of dearness. The labour Commissioner has recommended that it should be 95 per cent. Now the demand is that it should be 100 per cent. The question of proportion of neutralisation will also be referred to the Pay Commission.

Shri S. M. Joshi : It is in the case of Class IV and not Class III employees. It is 40—60 per cent in case of Class III employees.

Shri P. C. Sethi : It is ninety percent.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether entire matter will be looked into.

Shri P. C. Sethi : The Pay Commission will consider the issue of full neutralisation. In so far as D. A. increase is concerned, there cannot be any change unless the price index increases by 10 points. The pay commission will consider the question of minimum wage also. As Hon'ble Members are aware that some guide lines were provided by the 15th Indian Labour Conference held in 1957.

श्री लोबो प्रभु : देश में 18.7 करोड़ कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग एक करोड़ है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 25 लाख और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या 52 लाख है। यदि सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने जा रही है तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की मजूरी में भी उतनी ही वृद्धि हो ? दूसरे, क्या सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि इस से देश के 18.7 करोड़ कर्मचारियों की आय अथवा मजरी में भी उसी अनुपात से वृद्धि हो जाये।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वेतन आयोग की नियुक्ति का सम्बन्ध है, निश्चय ही यह वेतन आयोग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करेगा और उन्हीं के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा। परन्तु यह भी सच है कि उसके बाद सरकार जो सिफारिशें स्वीकार करेगी, निश्चय ही उसका प्रभाव राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं के तथा अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। परन्तु जहां तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमारा विचार सदा यही रहा है कि इस बारे में राज्य सरकारों को निर्णय करना चाहिये।

श्री स० कुन्दू : मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ी चालाकी से 'अदा करने की क्षमता' वाक्यांश का प्रयोग किया था। उन्होंने फिर उसे आवश्यकता पर आधारित मजूरी के मामले के साथ जोड़ दिया था। शायद मंत्री महोदय को पता होगा कि राष्ट्रीय आयोग ने भी बताया है कि वर्ष 1936-39 की तुलना में वास्तविक मजूरी काफी कम हो गई है जब कि उत्पादकता में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वाक्यांश का प्रयोग पूंजीपति करते हैं जिससे उन्हें कर्मचारियों को उचित मजूरी न देनी पड़े। मंत्री महोदय को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्या आवश्यकता पर आधारित मजूरी का अदा करने की क्षमता के साथ कोई सम्बन्ध है और क्या वह राष्ट्रीय वेतन आयोग को निर्देश देंगे कि सरकार की अदा करने की क्षमता हो या न हो, आवश्यकता पर आधारित मजूरी दी जाये ?

श्री प्र० चं० सेठी : निश्चय ही वेतन आयोग इन सभी समस्याओं और पहलुओं पर विचार करेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमें उद्योगपतियों के वर्ग में नहीं रखेंगे। क्योंकि हम श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में जो कुछ कहें और सरकार के पास जो धन है, वह जनता का है।

Shri Pratap Singh : The Government have not fulfilled their promises. Recently Government had decided about the pay scales of Government employees working in Union Territories but their demand has not been met. I want to know whether the question of pay scales of employees working in Union Territories will be referred to the third Pay Commission ?

Shri P. C. Sethi : The question of employees working in Union Territories will also be referred to the Pay Commission.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्रतट से दूर तेल की खुदाई

+

*662. **श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री अजमल खां :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निकट भविष्य में समुद्र तट से दूर तेल की खुदाई करना आरम्भ करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ; और

(ख) इस कार्य पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है तथा इससे नये कार्य में कितनी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। खम्बात की खाड़ी के तटदूर क्षेत्र में 19 मार्च, 1970 को पहला अतटीय कुआं खोदा गया ।

पहले कुएं से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने पर ही शायद और कुएं खोदे जायें। इसके बाद उसी संरचना पर और अन्वेषी विकास कुंओं और पास के संरचनाओं पर अन्वेषी कुओं के व्यधन पर विचार किया जायेगा ।

(ख) 1969-70 के संशोधित अनुमानों में अतटीय अन्वेषण के लिये 126.85 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 1970-71 के अनुमानों में 145·90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

इस समय कच्चे तेल की उपलब्धि का विश्वासनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि कच्चे तेल की विद्यमानता या अनुपलब्धि का पता केवल अन्वेषी व्यधन पूरा होने के पश्चात ही लगेगा ।

श्री कृ० मा० कौशिक : हम सब जानते हैं कि एलियाबेट एक द्वीप है। वास्तव में यह समुद्र की खुदाई नहीं और हमारी आशा तो 'बम्बई हाई' है। इन परिस्थितियों में 'बम्बई हाई' में खुदाई का कार्य कब आरम्भ हो रहा है ? रूसी लोग वहां किस रूप में कार्य कर रहे हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : 'बाम्बे हाई' का खोज कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इसलिये वहां पर रूसी व्यक्तियों के काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न एलियाबेट द्वीप में समुद्रतट से दूर खुदाई से सम्बन्धित है ।

श्री कृ० मा० कौशिक : मैंने प्रश्न में एलियाबेट द्वीप का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न यह है कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निकट भविष्य में समुद्रतट से दूर तेल की खुदाई करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है। इसमें कम पानी में तथा गहरे पानी में दोनों प्रकार की खुदाई सम्मिलित है। 'बम्बई हाई' में तेल की खोज का कार्य आरम्भ होने में दो या तीन वर्ष लगेंगे।

श्री पीलु मोडी : क्यों ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हम कुछ विदेशी ग्रुपों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो तकनीकी सहायता देंगे। अतः खुदाई का कार्य आरम्भ करने से पूर्व कई प्रकार की आरम्भिक कार्यवाहियां करनी पडेंगी।

श्री पीलु मोडी : इन सात वर्षों में केवल बातचीत चलती रही है।

श्री कृ० मा० कौशिक : क्या सरकार उन फर्मों के साथ अब भी बातचीत कर रही है जिन्होंने बम्बई हाई में खुदाई कार्य किया है ? यदि हां, तो किसके साथ बातचीत चल रही है ? दूसरे, क्या सरकार आश्वासन देगी कि रूस के लोगों को, जिन्हें गहरे समुद्र में खुदाई का कोई अनुभव नहीं है और जिनके पास कोई उपकरण भी नहीं हैं, 'बम्बई हाई' सम्बन्धी कार्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिससे वे हमारा नुकसान करके तकनीकी अनुभव न प्राप्त करें और तकनीकी जानकारी देने के लिये हमसे अधिक धनराशि न प्राप्त करें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि समुद्रतट से दूर जो खुदाई अब हो रही है, वह किसी द्वीप में नहीं है। कम ज्वारभाटे के समय प्लेटफार्म के 'क्रिस्टल पार्ट' में पानी की गहराई 12 मीटर होती है और अधिक ज्वारभाटे के समय 22 मीटर होती है। इस प्लेटफार्म का वातावरण विश्व भर में सबसे अधिक खतरनाक है। अलास्का जैसे केवल कुछ क्षेत्रों में 10 मीटर का ज्वारभाटा आता है। खम्बात की खाड़ी में भी 8 नाट की ऊंची लहर आती है। यह खुदाई द्वीप में नहीं बल्कि समुद्र में ही की जा रही है।

इन्होंने समुद्रतट से दूर 'खुदाई' के विषय में प्रश्न किया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने रूस की सहायता से 1962-64 में भारत के सम्पूर्ण महाद्वीपीय तट का समुद्रीय एवं भूकम्पीय सर्वेक्षण किया था, और बम्बई के समुद्री क्षेत्र अण्डेमान एवं निकोबार, आंध्र तट, कारी मण्डल तट, बंगाल की खाड़ी आदि में कुछ प्लैटफार्म तैयार किए हैं। 1967 में अमरीका की 'टेन्नको तेल कम्पनी' ने सहयोग के लिए प्रस्ताव रखा था। इस ओर मेरे मित्र ने ध्यान दिलाया है। कुछ अन्य फर्मों ने भी ठेके पर काम करने के प्रस्ताव रखे थे। 1966-67 अथवा 1968 में कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमें अपने समुद्रतट वाले सम्पूर्ण क्षेत्र की गवेषणा करनी है। अतः माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मूल्यवान तेल को सहयोग देने के इच्छुक ठेकेदारों के साथ बांटने की बजाय देश के लिए यह अधिक हितकर होगा कि हमारे पास समुद्र में ड्रिलिंग और गवेषणा के अपने ही, भले ही विदेशी सहायता से, उपयुक्त औजार हों।

इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निम्न निर्णय लिए हैं जिनके विषय में कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं। पहला निर्णय कैम्बे की खाड़ी में उथले पानी की छानबीन करने के लिए प्लेटफार्म की रूपरेखा बनाने और शीघ्र ही उसे तैयार करने का काम लिया गया है। यह कार्य हो चुका है। दूसरा बम्बई के खुले सागर की स्थिति का अध्ययन करने और गवेषणा के लिए उपयुक्त औजारों के सुझाव के लिए किसी प्रसिद्ध फर्म को सलाहकार के रूप में नियुक्त करना है। हमने इंग्लैंड की एक एजेंसी को नियुक्त किया था जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। पिछले कुछ महीनों में हम अपने इंजीनियरों और तकनीशियनों को देश के विभिन्न भागों में समुद्र तट से दूर ड्रिलिंग करने के लिए भेजते रहे हैं। हमने वांछनीय औजार तैयार करने के लिए आवश्यक वित्तीय ऋण का भी प्रबन्ध कर लिया है।

भित्सुबिशी दल ने जिन्होंने अमरीका में हडसन की एक तेल गवेषणा फर्म के साथ साझेदारी कर ली है, निविदाएं भेजी हैं। इसी प्रकार एक अन्य जापानी फर्म ने भी निविदाएं प्रस्तुत की हैं। इन पर विचार किया जा रहा है और आशा है, इन पर दो-एक महीने में कुछ निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री पीलु मोडी : मंत्री महोदय ने यह सब कुछ अपने सहयोगी से गुप्त क्यों रखा ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : बम्बई के गहरे समुद्र क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिये अत्यन्त विशिष्ट तकनीक की ही नहीं, बहुत सी विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है। अतः क्या मंत्री महोदय यह बतला सकेंगे कि क्या इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि ड्रिलिंग हम स्वयं करेंगे अथवा इसमें किसी को सहयोगी बनाएंगे ? यदि किसी को सहयोगी बनाना है तो जापानियों और अमरीकियों की तेल सम्बन्धी समुद्री ड्रिलिंग की तकनीक की सुचारुता से सभी भली-भांति परिचित हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, रूसी लोग समुद्री ड्रिलिंग में इतने सिद्धहस्त नहीं हैं। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यदि सहयोग के मार्ग को अपनाया गया तो क्या वे सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि इस विषय में राजनीति को आधार नहीं बनाया गया ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने विस्तार से बता दिया है कि क्यों हम इस विषय में अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहते हैं। राजनीति का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने यह भी उल्लेख किया है कि अपेक्षित औजार बनाने के लिए जापान से वित्तीय ऋण की व्यवस्था की जा रही है। मैंने यह भी बताया है कि अमरीका की साझेदारी में दो जापानी फर्मों ने भी निविदाएं भेजी हैं। उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उन पर कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। अतः किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गवेषणा अथवा प्रयोग केवल बम्बई के समुद्री क्षेत्र तक ही सीमित है ? अथवा क्या सरकार के ध्यान में उड़ीसा के बालसौर कटक का समुद्री क्षेत्र भी है जिसका भूकम्पीय सर्वेक्षण भी हो चुका है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने सविस्तार बतला दिया है कि हम सम्पूर्ण समुद्री तट में तेल की खोज के लिए उपयुक्त औजारों को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Prakashvir Shastri : Mr. Speaker, one thing must be decided, that atleast seven or eight questions should be covered in one hour. Although fifty minutes have passed, it is only the second question which is being discussed. There should be some rules and regulations in this regard.

श्री हेम बरुआ : आज प्रश्न काल 11-20 पर आरम्भ हुआ था ।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, you should not give more than fifteen or twenty minutes to a question.

श्री बेदब्रत बरुआ : सोवियत संघ से जिन शर्तों पर तेल की खोज के लिये प्रस्ताव आया है, वह सामान्यतः देश के सम्मान के अनुकूल है, अतः पाश्चात्य तेल कम्पनियों के साथ अधिक गठजोड़ की आवश्यकता नहीं । साथ ही क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि 24 परगना के बरूईपुर में ड्रिलिंग इस लिए रोक देनी पड़ी क्योंकि सोवियत यंत्र जमीन में दूर तक छिद्र नहीं कर सकते थे ? यदि यह सच है तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जो कि एक भारतीय संस्थान है, यद्यपि इसका गठन सोवियत सहायता से हुआ है, अमरीका से अधिक परिष्कृत यंत्र खरीदेगा और यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कठिनाईयां हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : हम अमरीका या सोवियत संघ का पक्ष नहीं ले रहे हैं, अपितु हम दोनों का पक्ष ले रहे हैं ।

श्री बेदब्रत बरुआ : हमें उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए ।

डा० त्रिगुण सेन : हम अपने हितों के लिये उनकी सहायता ले रहे हैं और क्योंकि हमारे पास परिष्कृत औजार नहीं हैं हम अमरीका, रूमानिया और सोवियत संघ के पास गए हैं जिससे हमारी परिस्थितियों के उपयुक्त जो भी औजार मिल जाएं, इनसे ले सकें । मेरे माननीय मित्र ने जिस विषय को उठाया है, उसका समुद्र तट ड्रिलिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पीलु मोडी : हमें मंत्री महोदय के इस आश्वासन से हर्ष हुआ है कि वह किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे । मैं चाहता हूं कि वह इस बात का आश्वासन दें कि वह भारत के हितों को ध्यान में रखे हुए हैं । क्योंकि उनके वक्तव्य अनुसार, समुद्र में ड्रिलिंग के लिए जिस पद्धति को अब अपनाया गया है, वह ऐलियावेट तक ही सीमित है । इस प्रकार वह 3-4 वर्ष बर्बाद कर चुके हैं और इससे हमें प्रतिमास लगभग 4 करोड़ रुपये की हानि हुई है । यदि कुल राशि निकाली जाए तो संख्या न जाने कहां तक पहुंच जाए । अतः हम मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन चाहते हैं, चाहे वह जिस पद्धति को अपनाएं, वह बम्बई के समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाना प्रारम्भ कर देंगे । प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट है । तेल उपलब्ध तो है बम्बई के समुद्री क्षेत्र में, और एलियावेट में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये जो यह भाग-दौड़ हो रही है, वह समय को नष्ट करने के सिवाय कुछ नहीं है ।

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि मैंने कहा है, मेरे मित्र बेरीबेरी के रोग से ग्रस्त दिखते हैं ।

उनके सूजे हुए पैर आयातित जूतों में आ नहीं पा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि देश के हित के लिये जो भी संभव है, किया जा रहा है। पिछले कई महीनों में किए गए कार्यों का मैंने ब्यौरा दिया है। **(व्यवधान)**

इण्डियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा औषधि नियंत्रण अधिनियम के कार्यकरण में सुधार करने की मांग

+

*663. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसियेशन ने हाल में यह मांग की थी कि औषधि नियंत्रण अधिनियम के कार्यकरण में सुधार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . दिसम्बर, 1969 में हुए इण्डियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में पारित किये गये संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। केन्द्र में औषधि नियंत्रण प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के एक अंग के रूप में काम कर रहा है तथापि इसका कार्यभार एक पूर्णकालिक अधिकारी के सुपुर्द है जो आवश्यक अर्हता और अनुभव प्राप्त है। वह औषध नियंत्रक (भारत) कहलाता है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में स्वतंत्र औषध नियंत्रण प्रशासन हैं, जिनका कार्यभार तकनीकी रूप से सक्षम औषधि नियंत्रकों के द्वारा किया जाता है। वे सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं। जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, उनको इस संकल्प की एक प्रतिलिपि विचारार्थ भेजी जा रही है।

विवरण

इण्डियन फार्मेस्यूटिकल कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में पारित किया गया संकल्प संख्या 3

कांग्रेस को इस बात पर बड़ा सन्तोष हुआ कि देश में खाद्य और औषध अधिनियमों के और अधिक प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन करने के बारे में प्रधान मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखने में दिलचस्पी ली। आर्थिक नीति सम्बन्धी संकल्प में औषध कानून को दिये गये महत्व की ओर भी कांग्रेस ने ध्यान दिया है। औषध एवं अंगराग अधिनियम 1940 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में फार्मेस्यूटिकल में उच्च योग्यता एवं औषध सम्बन्धी मूल जानकारी वाले व्यक्तियों के अधीन एक स्वतंत्र औषध नियंत्रण प्रशासन की स्थापना की जाय।

यह पारित किया गया कि केन्द्र तथा राज्यों में औषध नियंत्रण प्रशासन का एक स्वतंत्र विभाग के रूप में गठन किया जाय और उसे फार्मेस्यूटिकल अर्हता धारी उच्च योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति के अधीन रखा जाय तथा उसे विभागाध्यक्ष घोषित किया जाय।

ह० डी० चक्रवर्ती
जनरल सेक्रेटरी

प्रस्तावक—बी० एस० नारायण
समर्थक—बी० के० मोजा

श्री बी० के० दासचौधरी : इंडियन फार्मास्युटिकल कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए जिसमें दो बातों की मांग की गई थी कि औषधि अधिनियम के सुचारु और प्रभावशाली ढंग से प्रवर्त्तन के लिए एक स्वतन्त्र विभाग की स्थापना की जाये और वह विभाग सक्षम व्यक्तियों के अधीन हो जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्य में औषधि निदेशक अथवा नियंत्रक कार्य कर रहे हैं, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। इस तथ्य के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाजार में कई नकली औषधियां चल रही हैं। क्या वे वस्तुतः इस अन्तर में समाविष्ट प्रस्ताव को लागू करके नकली औषधियों के निर्माण को रोकने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं ? दूसरे, विभिन्न प्रकार के विष और कुछ अन्य अतिविस्फोटक सामग्री भी अब बाजार में बेची जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सामग्री से सम्बन्धित परमिट प्रणाली में परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हम राज्य सरकारों को स्वतन्त्र औषधि नियन्त्रण प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं। जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है कुछ राज्य, जैसे पश्चिमी बंगाल, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में इस कार्य के लिए स्वतन्त्र संगठनों की स्थापना की जा चुकी है। नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों को अधिक औषधि निरीक्षक नियुक्त करने और प्रशिक्षित करने के लिए भी कह रहे हैं।

श्री सोम चन्द सोलंकी : 9 मार्च, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या नं० 2198, मेरे द्वारा औषधियों के सम्बन्ध में पूछा गया था। कुछ औषधियां जैसे डेक्ट्रोस बी० पी० और एनड्रोस विदेशों से आयात की जाती हैं और वे औषधियां इस देश में कुछ व्यावसायिक एकाधिकारियों द्वारा मिलावट करके घोलों के रूप के बदल दी जाती हैं। आयात के मूल्य और यहां उन घोलों के मूल्यों में बड़ा अन्तर है। इस प्रकार कुछ एकाधिकारी अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं और ऐसे परिवर्तन से निर्धन लोगों पर भारी बोझा पड़ता है। मैं चाहता हूं क्या सरकार अपने देश में इस प्रकार के एकाधिकार को नियंत्रण में लायेगी और ऐसी औषधियां और घोलों का निर्माण करेगी जिससे हमारे निर्धन लोगों पर भारी बोझ न पड़े ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य द्वारा कथिक ऐसी औषधियों के आयात पर सतर्कता से नियंत्रण किया जा रहा है। जब कभी भी कोई मिलावटी वस्तु मिलती है, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

दिल्ली में सोने का पकड़ा जाना

*664. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री दे आमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल में एक क्विंटल अवैध सोना पकड़ा गया था ;

(ख) क्या अपराधियों की गिरफ्तारी से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों के काम करने का पता चला है, जिन्होंने मध्य-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया को अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार के लिये दिल्ली को केन्द्र बना लिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों में भारत के रास्ते अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार बढ़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अथवा इंटरकोल (अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस) के साथ क्या विशिष्ट प्रबन्ध किये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) पुलिस प्राधिकारियों ने 4-3-70 को हरियाणा राज्य में रोहतक के पास एक क्विंटल और 30 किलोग्राम सोना पकड़ा था।

(ख) अपराधी की गिरफ्तारी से तस्करों के एक गिरोह का कुछ पता चला है, जो मध्य पूर्व के देशों से पाकिस्तान होकर भारत में सोना चोरी-छिपे लाते हैं।

(ग) देश में चोरी छिपे लाई गई जो वस्तुएं वर्ष 1968 में पकड़ी गई थीं, उनका कुल मूल्य 18.75 करोड़ रुपये था और वर्ष 1969 में पकड़े गये माल का मूल्य 24.97 करोड़ रुपये तक हो गया। लेकिन, पकड़े गये माल के आधार पर तस्कर व्यापार की मात्रा अथवा उसकी बृद्धि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह वृद्धि तस्करी विरोधी उपायों में तेजी लाने के कारण भी हो सकती है।

(घ) सीमाशुल्क प्राधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सक्रिय सम्पर्क बनाये रखते हैं। सन्देहास्पद व्यक्तियों की गतिविधियों तथा पूर्ववृत्तों के बारे में और बहुत सी शाखाओं वाले अन्तर्राष्ट्रीय संघों के बारे में सूचना इस संगठन के द्वारा प्राप्त होती है और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी जाती है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : हमारे देश में तस्कर व्यापार की घटनाएं बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं के बहुत थोड़े मामले प्रकाश में आते हैं। वस्तुतः कुछ मामलों के संबंध में कह सकते हैं कि वे योजनाबद्ध होते हैं और इसके पीछे प्रशासन और तस्कर व्यापारियों की सांठ-गांठ होती है। इस विशेष घटना के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि यद्यपि 4 मार्च 1970 को श्री हरवंश लाल से सोना पकड़ा गया था फिर भी सीमा-शुल्क अधिकारियों को उससे पूछताछ करने के लिये 5 से 6 दिन तक रोका गया। यदि ऐसा है, तो सीमा शुल्क

अधिकारियों की ओर से उससे पूछताछ करने में इतनी देरी के विशिष्ट कारण क्या थे ? क्या यह सत्य है कि इस पूरे मामले में हरियाणा के सत्तारूढ़ दल के कुछ उच्च अधिकारी शामिल हैं और वे कृत-संकल्प हैं कि इस मामले को दबा दिया जाये और आगे न जाने दिया जाये ?

श्री प्र० चं० सेठी : भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत सम्पत्ति को आधिपत्य में रखने के कारण पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे को दर्ज कर दिया है **(व्यवधान)**। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था तथा उसे अम्बाला जेल में ले जाया गया था।

श्री राम किशन गुप्त : अम्बाला जेल में ही क्यों ले जाया गया ?

श्री प्र० चं० सेठी : क्योंकि इस अपराधी की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस द्वारा की गई थी। जब सीमा-शुल्क अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने न्यायालय में तथा सम्बन्धित अधिकारियों को एक आवेदन-पत्र दिया जिसमें कहा गया कि सीमा शुल्क के वर्तमान नियमों के अधीन और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भी, सोना उन्हें सौंप दिया जाना चाहिये। पुलिस का यह कार्य पूर्णतया ठीक था क्योंकि यह हरियाणा पुलिस थी जिसने अपराधी को गिरफ्तार किया था।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इसमें मेरे प्रश्न का उत्तर कहां है जो कि एक साधारण प्रश्न है ? श्रीमन्, मुझे आप का संरक्षक चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि 4 मार्च 1970 और जिस तिथि को श्री हरबंस लाल से पूछताछ की गई थी, इसके बीच समय का लम्बा अन्तराल था, यदि हां, तो उस लम्बे समय अन्तराल का क्या कारण है ? क्या यह सत्य नहीं है कि कतिपय उच्च अधिकारी हरियाणा मंत्रियों सहित इसमें शामिल थे और वे मामले को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह पूर्णतया बेबुनियादी आरोप हैं कि कुछ उच्च अधिकारी इसमें सम्मिलित थे। जैसा मैंने पहले कहा है पुलिस ने पूछताछ की और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने तत्काल 12 और 13 मार्च को उसे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने अपराधी को सीमा शुल्क अधिकारियों के हवाले कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने 20 मार्च, 1970 को फिर आदेश दिया कि सोने को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया जाये और अब यह सोना पंजाब बैंक में जमा कर दिया गया है। यह सोना हरियाणा पुलिस अथवा हरियाणा सरकार के पास नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

*665. **श्री दंडपाणि :** **श्री धी० न० देव :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने यह राय व्यक्त की है कि केन्द्रीय सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान नहीं बना सकती है ;

(ख) शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र आदि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में किन राज्यों ने सहमति तथा किन राज्यों ने असहमति व्यक्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विधि मन्त्रालय की राय के अनुसार, शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में राज्यों के पास अनन्य विधायी सक्षमता है परन्तु संसद, संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत बताई गई रीति से विधान बनाने के लिए सक्षम है।

(ख) और (ग). शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने विचार भेजने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। अनेक मुख्य मंत्रियों से अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने यह बताया है कि वे मामले की जांच करवा रहे हैं।

Seizure of Charas and Opium from Hippies

*666. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of opium and charas has been recovered from the hippies and other people during the last one year ;

(b) whether it is also a fact that a large number of people are engaged in the said type of illegal trade ; and

(c) if so; the quantity of the intoxicants recovered during the last one year and the sources from which they are getting them and the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) During the calendar year 1969, a total quantity of 3044.574 Kgs. of opium and 367.872 Kgs. of charas was recovered from foreigners (including hippies) and others.

(b) The number of persons involved in the seizures of opium and charas during the year 1969 was as under :

	Opium	**Charas**
(i) Indian Nationals	3910	2228
(ii) Foreigners (including Hippies)	3	24
	3913	2252

(c) The quantity of opium and charas seized during the year 1969 is shown below :

(January 1969 to December 1969)

	Opium	**Charas**
	Kgs.	Kgs.
(i) From foreigners (including hippies)	14.940	111.660
(ii) Others	3029.634	256.212
Total :	3044.574	367.872

Note (i) Separate figures for hippies are not available.

The major quantity of opium seized was found to have been surreptitiously removed from the opium growing areas. A small portion is suspected to have been smuggled from Pakistan, Nepal and Burma.

As regards charas, the total quantity seized is suspected to have been brought from Pakistan and Nepal across the land frontiers.

All the enforcement agencies both of State and Central Governments concerned with suppression of illicit traffic in narcotics, i. e. State Excise, Police, Customs and Central Excise, Narcotics, Central Bureau of Investigation and Border Security Force are always on alert to curb smuggling activities. Narcotics Department of the Government of India is exercising strict control on the cultivation of poppy.

विभिन्न देशों से आयातित तरल अमोनिया के तुलनात्मक मूल्य

*667. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न देशों से आयात किये जाने वाले तरल अमोनिया के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं तथा इसका आयात किस एजेन्सी के माध्यम से होता है ;

(ख) इसका आयात किन मूल्यों पर किया गया है तथा किन-किन देशों से ; और

(ग) क्या इन आयातों पर भारत में अथवा बाहर कोई कमीशन भी दिया जाता है और यदि हां, तो क्या यह कमीशन भारतीय रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में दिया जाता है और क्या सरकार ने इसके लिए अपनी अनुमति दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इस समय कोई अमोनिया आयात नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात राज्य में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना

*668. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दूसरा तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में खोलने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की उपलब्धि तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के प्रकाश में गुजरात की शोधन क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जरूरतमन्द विद्यार्थियों को सहायता

*669. **श्री मयाबन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नये ऋणों के अन्तर्गत जरूरतमन्द विद्यार्थियों को अग्रेतर अध्ययन के लिये सहायता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) विद्यार्थियों को अब तक सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक सुपात्र विद्यार्थियों को भारत में और विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए (अर्थात् अधिकतर विद्यार्थियों को) दिये गये ऋणों की बकाया रकम जनवरी, 1970 के अन्त में 1.19 करोड़ रुपये थी और शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों के खातों की संख्या 2281 थी ।

बीमा निगम के पदनामित अध्यक्ष का वक्तव्य

*670. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के पदनामित अध्यक्ष श्री टी० ए० पाई

ने 28 फरवरी, 1970 को मंगलौर में कहा था कि जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश पर बल दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम को सरकार के विचार के लिए विस्तृत प्रस्तावों का ब्योरा अभी तैयार करना है ।

बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*671. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध करने के लिए राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों के कर्मचारियों ने 13 तथा 14 फरवरी, 1970 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल में कुल कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था ; और

(ग) क्या इस हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है ।

(ग) केवल कनारा बैंक ने अपनी शाखाओं को यह आदेश दिया था कि वे, हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में से उतनी अवधि का अनुपातिक वेतन काट लें जितनी अवधि के लिए वे हड़ताल पर रहे हों । अन्य किसी बैंक ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है ।

विवरण

1. **इण्डियन ओवरसीज बैंक**—13 फरवरी, 1970 को 226 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और वे दो घंटे के लिए काम से गैर-हाजिर रहे ।

2. **इण्डियन बैंक**—13 फरवरी, 1970 को 2850 कर्मचारियों ने, जिनमें 150 अधिकारी भी शामिल थे, विरोध बिल्ले (बैज) लगाये । 14 फरवरी, 1970 को मुख्य कार्यालय और शाखाओं के कर्मचारी 2 घन्टे के लिए सांकेतिक हड़ताल पर रहे ।

3. **पंजाब नेशनल बैंक**—13 फरवरी, 1970 को बैंक के 228 कार्यालयों के 3033 कर्मचारी 2 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल पर रहे और इस बैंक के 31 कार्यालयों में कोई हड़ताल

नहीं हुई । इस बैंक के 392 कार्यालयों से सूचना उपलब्ध नहीं हुई । 14 फरवरी, 1970 को, उक्त बैंक में न तो कोई प्रदर्शन हुआ और न कोई हड़ताल ही हुई ।

4. **सिंडीकेट बैंक**—13 फरवरी, 1970 को 714 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और वे काम पर नहीं आये । 14 फरवरी, 1970 को न तो कोई प्रदर्शन हुआ और न ही कोई हड़ताल हुई ।

5. **कनारा बैंक**—14 फरवरी, 1970 को 1758 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और वे हड़ताल पर रहे ।

6. **यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया**—13 फरवरी, 1970 को 5262 कर्मचारी दो घन्टे के लिए हड़ताल पर रहे । इस अवधि में किसी भी अधिकारी को बैंक के अहाते में घुसने की अनुमति नहीं दी गयी ।

7. **इलाहाबाद बैंक**—13 फरवरी, 1970 को लगभग सभी 4000 कर्मचारी दो घंटे के लिए हड़ताल पर रहे ।

8. **यूनाइटेड कमर्शियल बैंक**—13 फरवरी, 1970 को लगभग 3500 अर्थात् मोटे तौर पर 50 प्रतिशत कर्मचारी दो घन्टे की सांकेतिक हड़ताल पर रहे ।

9. **सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया**—13 फरवरी, 1970 को, बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय और शाखाओं के 1904 कर्मचारी, जिनमें 45 अधिकारी भी शामिल थे, दो घन्टे के लिए हड़ताल पर रहे । इस बैंक की अन्य शाखाओं से अभी सूचना नहीं मिली है ।

10. **बैंक आफ इण्डिया**—13 फरवरी, 1970 को बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय और शाखाओं के लगभग 776 कर्मचारी दो घन्टे के लिए हड़ताल पर रहे । अन्य शाखाओं से अभी सूचना नहीं मिली है ।

11. **बैंक आफ बड़ौदा**—13 या 14 फरवरी, 1970 को, वृहत्तर बम्बई में बैंक के किसी कर्मचारी ने हड़ताल नहीं की लेकिन वृहत्तर बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र स्थित शाखाओं के कुछ कर्मचारी 13 फरवरी 1970 को दो घन्टे के लिए हड़ताल पर रहे । 13 फरवरी, 1970 को गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित शाखाओं में आंशिक रूप से हड़ताल रही । पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में अधिकतर कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया । बैंक के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी है ।

12. **देना बैंक**—13 फरवरी, 1970 को 2647 कर्मचारी दो घण्टे के लिए हड़ताल पर रहे ।

13. **यूनियन बैंक आफ इण्डिया**—13 या 14 फरवरी, 1970 को, बम्बई में कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं था लेकिन कुछ शाखाओं के कर्मचारी 13 फरवरी 1970 को दो घण्टे के लिए हड़ताल पर रहे तथा कुछ अन्य शाखाओं के कर्मचारियों ने उक्त तारीख को प्रदर्शन किया । इस सम्बन्ध में, बैंक के पास और सूचना उपलब्ध नहीं है ।

14. **बैंक आफ महाराष्ट्र**—उपलब्ध सूचना के अनुसार, 85 शाखाओं के 383 कर्मचारी 13 फरवरी, 1970 को हड़ताल पर थे। इन कर्मचारियों ने 14 फरवरी 1970 को भी प्रदर्शन किया। शेष शाखाओं से अभी सूचना नहीं मिली है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा बेचे गये यूनिट

*672. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने कितने यूनिट बेचे ;

(ख) इन यूनिटों के मुख्य क्रेता किस वर्ग के लोग हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसा समझती है कि यूनिटों में पूंजी निवेश पर लाभांश से प्राप्त आय पर जो आयकर छूट सीमा बढ़ाई गई है, उससे युनिटों की बिक्री में वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया है जिसमें 1966-67 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा की गयो, यूनिटों का सकल (ग्रास) और शुद्ध (नेट) बिक्री का ब्योरा दिया गया है।

(ख) यूनिटों में निवेश करने वालों में सबसे बड़ा वर्ग "वेतन भोगियो" और मजदूरी कमाने वालों" का है।

(ग) और (घ). हमें बिक्री में वृद्धि होने की पूरी आशा है परन्तु वृद्धि की ठीक ठीक मात्रा का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

विवरण

1966 से यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा बेचे गये यूनिटों का वर्षवार ब्योरा :

30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष	सकल बिक्री		शुद्ध बिक्री (पुनः बिक्री की छूट देने के बाद)	
	यूनिटों की संख्या (लाख)	अंकित मूल्य (लाख रुपयों में)	यूनिटों की संख्या (लाख)	अंकित मूल्य (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1967	92.40	924.05	72.49	724.88
1968	153.35	1533.52	141.16	1411.59
1969	171.62	1716.17	154.91	1549.07
1-7-69 से 7-3-70 तक	201.12	2011.19	186.76	1867.59

जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का शीघ्र निपटारा

*673. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ दावों को शीघ्र निपटाने के लिये अगर कोई कार्यवाही की गई है तो क्या इनको निपटाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है ;

(ख) जीवन बीमा निगम के मामलों को ठीक करने के लिए कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए तथा कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए अगर कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1969 में कितनी तथा किस किस्म की शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कम हैं अथवा अधिक ; और

(ङ) शिकायतों की संख्या कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ;

(i) दावेदारों द्वारा भरे जाने के लिये दावे के फार्म जल्दी भेज दिये जाते हैं ;

(ii) शर्तों का अनुपालन करने में दावेदारों की सहायता की जाती है ;

(iii) कार्य-विधियों को सरल बना दिया गया है ;

(iv) दावों के निपटारे संबंधी कार्यवाहियों पर सतत पर्यवेक्षी नियंत्रण रखा जाता है;

दावों के निपटारे के लिये इस प्रकार की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि निगम किसी दावे का निपटारा तभी कर सकता है, जब दावेदारों द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी कर दी जाती हैं ।

(ख) किसी संगठन की कार्यकुशलता में सुधार एक सतत प्रबन्ध प्रक्रिया है । इस सम्बन्ध में निगम द्वारा किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(1) कार्यालय की कार्य विधि को युक्तिसंगत और सरल बनाना ;

(2) कार्य कुशलता में कमी लाये बिना मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों को लागू करना ;

(3) एजेंटों तथा प्रशासनिक और विकास कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण;

(4) शक्तियों का उत्तरोत्तर विकेंद्रीकरण ;

(5) कार्यालय संबंधी कार्य विधियों और प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा ।

जहां तक कर्मचारियों के शिकायतों का सम्बन्ध है, कर्मचारी विनियमों के अधीन प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाले अवसरों के अतिरिक्त, सरकार ने श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के

अधिकारियों के लिये एक शिकायत तंत्र कायम किया है। जहां तक श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी शिकायतें वर्तमान श्रमिक कानूनों के अधीन, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, औद्योगिक न्यायाधिकरणों को भेज दी जाती हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में सूचना नीचे दिये अनुसार है :

शिकायत का स्वरूप	संख्या
दावे	7321
कमीशन	17000
प्रीमियम रसीदें जारी करने में विलम्ब	7126
पालिसी का पुनः प्रवर्तन	3391
ऋण	5351
अन्य	21617
जोड़	61806

(घ) 1967-68 के वर्ष के लिये तदनुरूप आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1-4-1968 से 31-12-1967 तक की अवधि में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 47237 थी जब कि 1-4-1969 से 31-12-1969 तक की अवधि में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 40257 थी।

शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने तथा उनकी संख्या कम करने के लिये केन्द्रीय कार्यालय में एक एकान्तिक विभाग खोला गया है और प्रभागीय प्रबन्धकों की प्रत्यक्ष निगरानी के अन्तर्गत प्रभागीय कार्यालयों में शिकायत कोष्ठक खोले गये हैं। शिकायतों की आवृत्ति को टालने के लिये उचित उपचारात्मक और अनुशासन की कार्यवाही की जाती है।

सेन्ट्रल बैंक द्वारा तैयार की गई स्व-नियोजन योजनाएं

*674. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक ने जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, इंजीनियरों, तकनीशियनों, व्यापारियों आदि के लिये कुछ स्वनियोजन योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बैंक ने कितने व्यक्तियों की सहायता की है और किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). तकनीशनों, कारीगरों, और तकनीकी योग्यता वाले अन्य व्यक्तियों और व्यवसायी व्यक्तियों या व्यापार में कुशाग्र बुद्ध वाले और अनुभवी व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने एक स्व-नियोजन ऋण योजना शुरू की है। योजना के अधीन बैंक आर्थिक दृष्टि से सक्षम ऐसी प्रायोजनाओं का वित्तपोषण करेगा जिनसे ऋण लेने वाले व्यक्ति और अन्य लोगों को लाभकारी रूप से रोजगार प्रदान हो सकेगा। ऋण सामान्यतः, उपकरण, औजारों

आदि की खरीद, या उर्वरकों, बीजों आदि के लिये स्थानीय सेवा या सप्लाई डिपुओं की स्थापना करने, या ट्रैक्टरों, इंजिनों आदि की वर्कशापों और मोटर गाड़ियों की मरम्मत और पेट्रोल सेवा स्टेशनों जैसी सेवा सम्बन्धी गतिविधियों के लिये दिये जाते हैं। ऋण की रकम प्रत्येक प्रायोजना की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर होती है परन्तु अधिक से अधिक एक लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। कार्यचालन पूंजी ऋण, विकास माल या खाता ऋणों या हुण्डियों को गिरवी या दृष्टि बन्धक रख कर दिये जाते हैं। इसके अलावा, इन ऋणों को ऋण लेने वाले की अन्य परिसम्पत्तियों और/या एक या दो गारण्टियों द्वारा प्रतिभूत किया जाता है। स्थान प्राप्त करने और/या अन्य पूंजीगत उपकरणों आदि के लिये मध्यावधिक ऋण दिये जाते हैं जिनकी अवधि 7 से 10 वर्ष से अधिक नहीं होती और इन ऋणों की परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर प्रतिभूत किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में बिना प्रतिभूति के भी ऋण दिये जाते हैं। सभी मामलों में ब्याज की वार्षिक दर 9 प्रतिशत है।

(ग) इस योजना के अधीन बैंक द्वारा 31 दिसम्बर, 1969 तक जो अग्रिम दिये गये थे वे इस प्रकार हैं :—

(रकम-लाख रुपयों में)

खातों की संख्या	स्वीकृत सीमाएं	बकाया रकम
149	15.92	13.88

निगमित-कर से राजस्व प्राप्ति

*675. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 की तुलना में वर्ष 1969-70 में सम्पूर्ण निगमित लाभ तथा निगमित करों से होने वाले राजस्व में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस सीमा तक हुई है ; और

(ग) इस वर्ष के दौरान निगमित क्षेत्र से इतना कम लाभ प्राप्त होने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अनुमान है निगम कर से होने वाली प्राप्तियों की रकम 1968-69 (वास्तविक) के 299.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 (संशोधित अनुमान) में 320 करोड़ रुपये हो जाएगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों का प्राथमिकता क्रम

*676. **श्री गं० च० दीक्षित :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री अ० सिं० सहगल : **श्री लखन लाल गुप्त :**

श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा तालचेर तथा रामगुंडम के कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के

लिये प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) क्या इस प्राथमिकता क्रम में फेर बदल किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कोरबा में कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) ज्योंही विदेशी मुद्रा की व्यवस्था होगी, तालचर और रामागुण्डम परियोजनाएं, पहले पहल, कार्यान्विति के लिए हाथ में ली जाएंगी । अन्य दो परियोजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा के प्रबन्ध हो जाने के बाद कोरबा परियोजना के निर्माण अवस्थाओं का निर्धारण किया जायेगा ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कब यर्थाथ रूप में कोरवा परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू होगा । यह इन परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की यथा शीघ्र व्यवस्था पर निर्भर करेगा ।

कोयले से तेल का उत्पादन

*677. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले से तेल का उत्पादन करने की सम्भावना के बारे में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) क्या उन निष्कर्षों को क्रियान्वित किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). केन्द्रीय ईंधन गवेषणा शाला में किये गये प्रयोगशाला परीक्षणों से कोयले (नैवेली लिग्नाइट तथा असम कोयला) को सीधे हाइड्रोजेनेशन द्वारा या गैसीकरण करके फिस्चर ट्रोपश्च संश्लेषण द्वारा तेल में रूपान्तरित करने के सम्बन्ध में उत्साहवर्धक परिणाम प्रगट हुए । आगे कार्य प्रगति पर है ।

हैदराबाद में रिक्शावालों की एसोसिएशन का ज्ञापन

*678. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में रिक्शावालों की एसोसिएशन से इस आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि उन्हें स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद 25 प्रतिशत लाभ के बिना ऋण नहीं दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार रिक्शावालों को समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कम विश्वसनीय समझती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने इस विषय पर सावधानी से विचार करके दिसम्बर 1969 में अपनी योजना में इस आशय का संशोधन किया कि उपयुक्त मामलों में, वाहनों के मूल्य की शत प्रतिशत रकम के बराबर ऋण दिया जाय और मूल योजना में उल्लिखित 20 प्रतिशत रकम की तुरन्त अदायगी करने की जो बात थी उस पर जोर न दिया जाय ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

केन्द्रीय मंत्रालयों में काम कर रहे विदेशी सलाहकारों पर व्यय

*679. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक मंत्रालय में बहुत से विदेशी सलाहकार काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन विदेशियों की संख्या तथा राष्ट्रीयता क्या है तथा उन पर सरकार प्रति वर्ष कितना धन खर्च करती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Assistance to Rajasthan

*680. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Fiance** be pleased to state :

(a) the povisions made for giving assistance to the people hit by famine and drought in Rajasthan during the year 1970-71 ;

(b) whether Government are considering some scheme by which the famine and drought situation in Rajasthan could be put to an end or some improvement could be brought in the said situation ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Provision of Central assistance towards expenditure on natural calamities relief in individual States cannot be made in advance. Central assistance to the Government of Rajasthan towards drought relief expenditure in 1970-71 will be provided in the light of the recommendations of the Central team which is expected to visit the State shortly to assess the situation.

(b) and (c). The responsibility of taking up suitable development programmes for the amelioration of the economic situation in the chronically drought affected areas is primarily that of the State Governments concerned. However, as part of their policy to introduce measures intended to benefit agricultural labour and small farmers, the Government of India are, in the Central Budget of 1970-71, initiating new special schemes designed to improve the condition of small but potentially viable farmers, sub-marginal farmers and agricultural labour, dry land farmers and rural works programmes in chronically drought affected areas. Rajasthan is also likely to benefit from these schemes. Details of the schemes will be drawnup by the Central Ministries concerned in consultation with the State Governments.

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य संचालन हेतु उपाय

*681. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य संचालन के लिये पहले ही कुछ उपाय कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह उपाय क्या हैं और क्या ये उपाय सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 22 जनवरी, 1970 को, रिजर्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ निदेश जारी किये थे जिनके अनुसार कतिपय लेनदेनों को करने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया था । अन्य बातों के साथ साथ, इन लेन-देनों में, 25 लाख रुपये से अधिक रकम के कुछ प्रकार के अग्रिमों का दिया जाना, ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के शेयर और ऋण पत्रों में एक लाख रुपये से अधिक रकम का निवेश करना या शेयरों और ऋणपत्रों के बदले 5 लाख रुपये से अधिक रकम अग्रिम के रूप में देना, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनकी सेवा की अवधि बढ़ाना/भूमि/इमारतों पर निर्दिष्ट राशियों से अधिक व्यय करना और 1969 के लाभ में से व्यवस्था और विनियोजन करना भी शामिल है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने फैसले में बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 को अवैध घोषित किये जाने के बाद, रिजर्व बैंक ने, फिर से निजी स्वामित्व में आये 14 बैंकों को दोबारा निदेश जारी कर दिये । इन बैंकों के खातेदारों के हित में रिजर्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36-क ख के अधीन प्रदत्त अपने अधिकारों के अनुसार अपने एक-एक अधिकारी को, 14 बैंकों में से प्रत्येक के निदेशक-मण्डल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर दिया ।

14 फरवरी, 1970 को, 1970 के अध्यादेश संख्या 3 के जारी किये जाने के बाद, जिसके अधीन 14 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों में प्रत्येक के निदेशकमण्डल में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश रद्द कर दिया । 16 फरवरी, 1970 को, फिर से राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को लगभग उसी प्रकार के निदेश जारी कर दिये गये जिस प्रकार के 10 फरवरी, 1970 को जारी किये गये थे ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ये उपाय सार्वजनिक हित और सम्बद्ध बैंकों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से चलाने के लिये किये थे, सरकार के अनुदेशों के अधीन नहीं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की जमानत देने के लिए बीमा निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

*682. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की जमानत देने के लिये एक बीमा निगम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस चरण में है ; और

(ग) इसे कार्यरूप देने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार ने, अब तक के अपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के बारे में गारण्टियां देने के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी । दल ने सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी है । उनमें से एक सिफारिश यह है कि गारण्टियां देने का काम, किसी सांविधिक निगम को सौंपा जाना चाहिये ।

(ख) सरकार कार्यकारी दल के सुझावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ग) इस बारे में, सरकार का अन्तिम निर्णय कुछ ही सप्ताहों में प्राप्त होने की आशा है ।

प्रकृति-दृश्य निर्माण पर गोष्ठी

*683. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित प्रकृति दृश्य निर्माण सम्बन्धी गोष्ठी में इस आशय के कुछ सुझाव दिये गये थे कि शहरों में बड़े तथा छोटे बाग बनाये जाएं जो नेत्रहीनों के लिये 'एक विशेष आनन्द क्षेत्र' बन सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय भारत में ऐसा एक भी विशेष बाग नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना आरम्भ करने का है, जब कि भारत में 50 लाख से अधिक लोग नेत्रहीन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) संगोष्ठी में इस विषय पर एक लेख प्रस्तुत किये जाने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्कूल आफ टाउन प्लानिंग एन्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा, जिन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया था, संगोष्ठी के कार्यवृत को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब तक कार्यवृत को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता और उसे सरकार को उपलब्ध नहीं किया जाता, इस पर मत प्रकट करना कठिन है।

Evasions of Excise duty on Match Boxes

*684. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is fact that excise duty is levied on match boxes and if so, whether the wrapper which used to be put on each match box earlier has since been removed ;

(b) if so, the reasons therefor and the measures taken to ensure that taxes are not evaded on this account ;

(c) the date since when the said wrapper has been removed and the total amount of taxes realised for the period of one year prior to that date and the number of match boxes in respect of which the amount was realised ;

(d) the total number of match boxes manufactured as upon three months after the said date as also the total amount to tax realised in respect of them ; and

(e) in case the realisation has been comparatively less, whether it is proposed to compel the manufacturers to revert to old practice of putting wrappers on the match boxes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) The system of collecting Central Excise duty through match excise banderol (wrapper) of a value appropriate to the rate of duty to be affixed on each box or booklet of matches, was discontinued as it involved considerable expenditure to the exchequer by way of printing and distribution of the banderols as also to the industry by way of wages for banderolling. Further, this system did not fit in with the self removal procedure that has been introduced in respect of various Central Excise commodities including matches. Apart from increased preventive checks, correlation between the raw materials and the finished product is done to ensure that all the production is accounted for, and there is no evasion of duty.

(c) and (d). The system of banderolling of matches was discontinued with effect from the 1st October, 1968. A Statement showing the production, clearances, and Central Excise duty realised in respect of matches during the period of one year prior to and after as also during the period of three months prior to and after the said date, is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-3015/70].**

(e) While it may be said that there has been slightly less collection of duty during the short period immediately after the discontinuance of the banderolling system, there is no proposal to revert to the old practice.

विस्थापित व्यक्तियों को लाभ-हानि रहित आधार पर मकान देना

*685. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों को उनकी बस्तियों में न लाभ

न हानि के आधार पर मकान देने को वचन बद्ध है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ऐसी बस्तियों में भूमि की जो कीमत मांग रही है, वह उस भूमि की तथा उसके विकास की लागत से बहुत अधिक है, जैसा कि सरकार ने स्वयं अपनी कुछ टिप्पणियों तथा पत्रों में स्वीकार किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बीस वर्ष पूरे होने के बाद सरकार ऐसी भूमि के मूल धन में काफी वृद्धि करना चाहती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये विश्वास को भंग करना तथा उनके प्रति अन्याय करना नहीं है ; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही करने से पूर्व इस समूचे मामले पर इन बस्तियों के प्रतिनिधियों तथा संसद में उनके निर्वाचित सदस्यों से बातचीत करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसन्धान तथा उद्योग में समन्वय स्थापित करना

*686. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष कर इस्पात-रसायन तथा यन्त्र आदि बनाने वाले उद्योगों के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा उद्योग में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई विशिष्ट कार्यवाही की है ;

(ख) वैज्ञानिक प्रशासन ढ़ांचे को पुनर्गठित करने तथा उसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिये विदेशों में कार्य कर रहे युवा भारतीय वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल गठित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां । विज्ञान-उद्योग-अनुसन्धान परिषद ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; जिसमें इस्पात, रसायन, यन्त्र और इंजीनियरिंग उद्योग, तकनीकी विकास के महानिदेशालय, योजना-आयोग और फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल हैं । इस समिति के निर्देश-पद निम्न प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं/संस्थानों को अपने कार्यक्रमों के आयोजन में मार्ग-दर्शन की व्यवस्था करना ;

(2) महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता करना ; और

(3) राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं/संस्थानों के कार्य कलापों का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रीय उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ख) वैज्ञानिक प्रशासन ढांचे का पुनर्गठन तथा उसमें सुधार लाने का कार्य एक सतत प्रयास है और ढांचे के पुनर्गठन से सम्बन्धित नीतियां स्थायी नहीं रह सकतीं। सरकार के अलग अलग विभागों की जांच के लिये, वैज्ञानिक अनुसन्धान के गठन से सम्बन्धित एक समिति स्थापित की गई है ताकि उन्हें जीवन-क्षय एवं नम्य लक्षण दिये जा सके और वे अपने कार्यों का अधिक सक्रिय रूप से निष्पादन कर सके।

(ग) जी नहीं।

LIC's Crop Insurance Scheme for Farmers

*687. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation has decided to introduce crop insurance scheme for the benefit of the farmers ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which Government propose to implement the said scheme ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No. Sir. The matter is under study.

(b) and (c). Do not arise.

भारत की अर्थ व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

*690. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1970 के "हिन्दू" में छपे और टोकियो से प्राप्त हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसका शीर्षक है "विश्व बैंक की निराशाजनक रिपोर्ट के कारण जापान ने सहायता रोक ली" ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की हाल की कुछ रिपोर्टें भारत की अर्थ व्यवस्था को निराशाजनक और बढ़ते जा रहे विदेशी ऋणों को चुकाने में भारत के सामर्थ्य को चुनौती दे रही है ;

(ग) विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा पर होने वाले इनके सम्भावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात से सहमत है कि विश्व बैंक की राय की सरलता से उपेक्षा नहीं जा सकती ;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत के बारे में विश्व बैंक के निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार को किन आधारों पर विश्व बैंक के निष्कर्षों से मतभेद है और विश्व बैंक को समझाने हेतु किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

जीवन बीमा निगम तथा बैंकों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

4326. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, मांगी गयी सूचना नीचे दी गई है :

पदों/सेवाओं का वर्गीकरण	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
श्रेणी I	0.07 %	0.04 %
श्रेणी II	0.12 %	0.04 %
श्रेणी III	0.71 %	0.07 %
श्रेणी IV	13.17 %	0.69 %

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Hindi and English Type knowing Government Employees

4328. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government Employees knowing Hindi and English typing are being given the same pay-scales as are being given to the employees knowing English typing only ;

(b) whether due to the fact stated above employees are not encouraged to learn Hindi typing ; and

(c) if so, whether Government propose to give some higher pay-scale to the employees who can type in both the languages ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) Training in Hindi typewriting is obligatory for all Lower Division Clerks/Typists who are aged less than 45 years as on 1-1-1961 under the existing orders. The training is

provided at Government expense during office hours. As a further encouragement financial incentives are also given in the shape of one non-cumulative advance increment for 12 months to all those who qualify in the training course, apart from cash awards ranging from Rs. 100/- to Rs. 300/- to those, who qualify in the examination meritoriously.

(c) Does not arise in view of (b) above.

फिल्म कम्पनियों द्वारा आयकर का भुगतान

4329. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बम्बई फिल्म लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मोतीमहल थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड और फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड नामक फिल्म कम्पनियों के भागीदारों सहित प्रत्येक निदेशक ने सरकार को आयकर तथा अन्य करों की कितनी राशि का भुगतान किया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनियों की ओर आयकर की कुछ राशि बकाया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी-कितनी बकाया राशि है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कम्पनियों के निदेशकों के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

कंपनी का नाम निदेशक का नाम	निम्नलिखित वर्षों में अदा किये गये कर रुपये		
	66-67	67-68	68-69
बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड			
श्री आर० एच० वाडिया	4460	2301	9325
मोतीमहल थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड			
राय बहादुर मोती लाल चामरिया	—	—	—
श्री ताराचन्द सरौगी	—	—	—
फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड			
श्री एस० मुखर्जी	—	1250	30,684
राम किशोर मुखर्जी	—	—	—
सुवीर मुखर्जी	—	—	—
फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड			
श्री एन० पी० जालान	6952	—	—

1	2	3	
श्री अशोक कुमार जालान	1671	3342	5373
	830 (धनकर)		
श्री तोलाराम जालान	1716	35453	2488
श्री चम्पालाल जालान	1716	1716	5794

चूंकि इन कम्पनियों में से प्रत्येक में कई शेयरधारी हो सकते हैं, अतः सभी शेयरधारियों के बारे में सूचना इकट्ठी करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा। किन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी/किन्हीं विशिष्ट शेयरधारी/शेयरधारियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह विधिवत् पेश की जायगी।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

कम्पनी का नाम	बकाया पड़ी रकम रु०	वसूली की कार्यवाही
1	2	3
बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	कुछ नहीं	—
मोतीमहल थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	10,05,505	वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं। निदेशकों में से एक निदेशक, राय बहादुर मोतीलाल चामरिया, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी बताते हैं, की सम्पत्तियों का अभिग्रहण करने के लिये, अभिग्रहण प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिये गये हैं। कम्पनी का परिसमापन हो गया है।
फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड	5,56,734	वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।
फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड	1,36,00,000	निर्धारिती कम्पनी जालान समूह के मामलों से सम्बन्धित है। कर-निर्धारणों में की गई भारी वृद्धियों के खिलाफ अपीलें की गई हैं। 1,28,44,000 रुपयों की मांग के बारे में विवाद है। मांगें

1	2	3
		प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत आ जाती हैं। समूह को किस्तों में अदायगी करने की मंजूरी दे दी गई है जिसके अनुसार इस वर्ष में नवम्बर 1969 से शुरू करके मार्च 1970 तक 2 लाख रुपयों की मासिक किस्तों में 10 लाख रुपयों की रकम अदा की जा रही है।

पश्चिमी जर्मनी से प्रतिनिधिमंडल

4330. **श्री बाबूराव पटेल** . क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी का जो प्रतिनिधिमण्डल भारत में जनवरी, 1970 में आया था, उसके सदस्यों ने किन-किन स्थानों का दौरा किया और वे भारत के किन-किन उद्योगपतियों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से मिले और उनसे किस प्रकार की बातचीत की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें प्रतिनिधिमण्डल का यात्रा-विवरण और उन मंत्रियों, अधिकारियों और उद्योगपतियों के नाम दिये गये हैं जिनसे प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की थी। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-3016/70]**

प्रतिनिधिमण्डल ने जो बातचीत की थी, उसका उद्देश्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना था और इसका सम्बन्ध देश में निवेश के अवसरों, सरकार की नीतियों और विदेशी निवेश और सहयोग के बारे में कार्यविधियों से था।

मध्य प्रदेश के बाक्साइट के भंडार

4331. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने के निकट पाये गये बाक्साइट भंडार की मात्रा और मूल्य कितना है तथा ये किन तहसीलों में पाये गये हैं :

(ख) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा और बालाघाट जिलों में बाक्साइट के और भी भंडार हैं ; यदि हां, तो उनकी कितनी मात्रा और मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सतना, सागर और दमोह जिलों में हीरों के भी भंडार पाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र का सम्पोषण करने के लिये अमरकंटक पठार में सहडौल, मण्डल तथा बिलासपुर जिलों में 20 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य का 200 लाख मैट्रिक टन बॉक्साइट सिद्ध किया गया है ।

(ख) जी, हां । बालाघाट तथा सरगुजा जिलों में अब तक समन्वेषित निक्षेपों में सभी वर्गों की उपलब्ध राशियां प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार क्रमश: 36.4 एवं 76.5 लाख मैट्रिक टन हैं । यह निक्षेप अधिकतर छोटे एवं दूर तक फैले हैं, जिनका अधिक आर्थिक महत्व नहीं ।

(ग) मध्य प्रदेश के सागर तथा दमोह जिलों में हीरों के निक्षेपों की कोई सूचना नहीं है । हीरों का खनन पहले सतना जिले में होता था, परन्तु हाल ही में किसी खनन की सूचना नहीं है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर किया गया खर्च

4332. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम प्रति वर्ष मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुद्रण पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिये मोरारका समिति की सिफारिशों के अनुसार विले पर्ले में मुद्रण प्रेस का एक भवन बनाया गया था ; और

(ग) किन कारणों से उक्त भवन का प्रेस के लिये प्रयोग न करने का निर्णय किया गया है और उक्त भवन किस कार्य के लिये प्रयोग में लाया जायगा ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों के दौरान 'मुद्रण तथा लेखन सामग्री' शीर्ष के अधीन निगम का खर्च इस प्रकार था :

1966-67	90.48 लाख रुपये
1967-68	98.56 लाख रुपये
1968-69	105.69 लाख रुपये

उपर्युक्त शीर्ष के अधीन खर्च की मुख्य मदें ये हैं (i) छपे हुए फार्म तथा पुस्तक (ii) लेखन-सामग्री (iii) एड्रीमा प्लेटें तथा (iv) आई बी एम और आई सी टी कार्ड ।

(ख) तथा (ग) . विले पर्ले स्थित भवन का उपयोग योजनानुसार कार्यालय भवन के रूप में किया जायगा । छापाखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में मोरारका समिति द्वारा सिफारिश करने से पहले इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था ।

पुस्तकों का जब्त किया जाना

4333. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सीमा शुल्क अधिकारियों ने किन-किन लेखकों की कौन-कौन सी पुस्तकें

पकड़ी हैं और उनके पकड़े जाने के कारण क्या थे ; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य की कितनी पुस्तकें विदेशों से यहां आईं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1969 में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी पुस्तकों के नामों तथा उनके लेखकों के नामों की सूची अनुबन्ध में दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3017/70]** अवांछित स्वरूप की कुछ निर्दिष्ट पत्रिकाओं पर आयात व्यापार नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निषेध के अलावा, उन पुस्तकों के आयात पर भी पाबन्दियां हैं जिनमें अश्लील विषय वस्तु हो, जिनमें पैदल सेना अथवा छापामार युद्ध-कला का वर्णन हो, जो लोगों को हिंसा अथवा तोड़-फोड़ के लिये उकसाने वाली हों, जो साम्प्रदायिक असामंजस्य पैदा करने वाली हों, जो अशोभनीय अथवा गन्दी हों, जो देश की क्षेत्रीय अखण्डता को चुनौती देने वाली हों, जिनसे विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्री सम्बन्धों को आघात पहुंचने की सम्भावना हो आदि । संलग्न सूची में बतायी गयी पुस्तकें इन पाबन्दियों के उल्लंघन के कारण पकड़ी गयी हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आयात की गयी पुस्तकों का मूल्य नीचे दिया गया है :— (आयात की गयी पुस्तकों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

वर्ष	मूल्य रुपयों में
1967-68	3.69 करोड़
1968-69	4.63 करोड़
1969-70 (अप्रैल से दिसम्बर 1969 तक)	3.04 करोड़

Branches of Nationalised Banks in U. P.

4334. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that branches of the nationalised banks have been set up in the rural and backward areas after their nationalisation ;

(b) if so, the number of the branches of each of the nationalised banks and the State Bank of India set up so far in each of the districts of Uttar Pradesh and the locations thereof ;

(c) whether Government also propose to set up branches of the nationalised banks or of the State Bank of India at the Central places and the areas where the development programmes have been undertaken in the hill areas of Uttar Pradesh, if so, the name of the said places ;

(d) whether Government propose to set up branches of the banks at the Block Development offices at Chaukhutia, Bhikyasain, Bageshwar, Lohaghat and Dwarahat of District Almora of Uttar Pradesh ; and

(e) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-3018/70.]**

(c) and (d). The Reserve Bank has already granted permission to the nationalised banks and the State Bank of India to open as many as 141 offices in the various districts of Uttar Pradesh. A statement indicating the names of those places is attached. **[Placed in Library. See No. LT-3018/70.]**

Further, all the 54 districts of Uttar Pradesh including the hill areas have been allotted among 9 commercial banks in the public sector under the "Lead Bank Scheme". The Lead Banks will survey their respective districts for the development of the regions from the angle of branch expansion, intensive financing of agriculture and small scale industries thereby identifying areas of credit gaps and potentialities. It is expected that as a result of the role played by the Lead Banks all places in the State in need of banking facilities would in the course of time be covered by bank offices.

(e) So far no commercial bank has approached the Reserve Bank of India for permission to open branches at the places named in the district of Almora. However, under the "Lead Bank Scheme", Almora district has been allotted to the State Bank group and the State Bank is expected after carrying out a survey of the district, to provide banking facilities in all areas in need of such facilities.

Oil Production in Madhya Pradesh

4335. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Oil and Natural Gas Commission has discovered oil in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the total annual production at present ; and

(c) whether the oil extracted therefrom has been made of any use ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No.

(b) and (c). Does not arise.

Public Sector Industries in Madhya Pradesh

4336. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the details of the profits earned and loss incurred by the public sector industries in Madhya Pradesh during 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : There are five Central Government Industrial and Mining Public Enterprises having their Units in Madhya Pradesh. The financial results of their operations during 1968-69 were as follows :

Name of the Enterprise operating in M. P.	Net Profit (+) Net loss (—) Rs. lakhs
1. Heavy Electricals (I) Ltd., Bhopal	(—) 586.7
2. Hindustan Steel Ltd., Bhilai Steel Plant	(—) 1119.0
3. National Coal Development Corpn. Ltd. (Some collieries).	(+) 144.6*
4. National Mineral Development Corpn. Ltd. (Some diamond & iron ore mines)	(—) 182.2*
5. National Newsprint & Paper Mills Ltd. Nepanagar.	(+) 24.2

*Relates to the overall operations of the enterprises as break-down of figures for operations in M. P. alone is not available.

बैलाडिला लौह-अयस्क खान में फ्लोट-ओर माइनिंग के लिये ठेका देने में तथाकथित गड़बड़

4337. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला लौह-अयस्क खान में कुछ मास पूर्व फ्लोड-ओर-माइनिंग के लिये निविदाएं मांगी थीं ;

(ख) क्या ठेका निम्नतम दर देने वाले निविदा-दाता को ही दिया गया था, जो निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ रहा ;

(ग) क्या ठेके के दंड-खंड के अनुसार ठेकेदार को दंडित करने की बजाय उसे कम मात्रा में अयस्क देने की अनुमति दे दी गई, ताकि उसे भंडार का समीपस्थ उत्तम क्षेत्र मिल जाये; और

(घ) यदि हां, तो ठेके को समाप्त न करने और नयी निविदाएं न मांगने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) . पिछले अनुभव की जांच करने के पश्चात् कार्य निम्नतम निविदा प्रस्तुत करने वाले को दिया गया था। तथापि, संविदा के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान निष्पादन को असन्तोषजनक पाया गया । प्रायोजना में उत्पादन को बनाए रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता तथा (1) संविदा को समाप्त करने या (2) जुर्माना लगाने तथा लम्बी मुकदमेबाजी में फंसने के व्यवहारिक परिणाम को विचार में रखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त समय के लिये फ्लोट अयस्क का खनन रुक जाता, यह विचार किया गया कि लाभ इस बात में होगा कि जुर्माना लगाने पर 16 दिसम्बर, 1969 तक आग्रह न किया जाये और दल को छोटे से क्षेत्र में कार्य करने दिया जाये । तदनुसार उस दल से कुछ क्षेत्र विमुक्त करवाये गये और दो अन्य ठेकेदारों को नियत किये गये। ठेकेदार ने अन्य दोनों क्षेत्रों को विमुक्त करना इस बात पर ही स्वीकार किया कि मध्य खंड उसके पास ही रहने दिया जाये ।

फालतू पुर्जों की सप्लाई में विलम्ब के कारण बैलाडिला तथा किरीबुरु खानों को हुई हानि

4338. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैलाडिला तथा किरीबुरू खानों में फालतू पुर्जों की सप्लाई और पुराने उपकरणों के बदले जाने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या इस विलम्ब के कारण दोनों ही खानों में उत्पादन में हानि हुई है ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या वित्त निदेशक के पास क्रय संगठन का कार्य भार भी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) किरिबुरु प्रायोजना हानि पर चलती रही है और इसी कारण पुराने उपकरणों के बदले जाने के लिये साधन जुटाने योग्य नहीं हो सकी है। किरिबुरु में, जहां अपेक्षित था, उपकरणों को बदलने की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार से प्राप्त राशियों से अब कर ली गई है। जहां अपेक्षित था, फालतू पुर्जे भी प्राप्त किये जा रहे हैं। क्योंकि बेलाडिला एवं किरिबुरु दोनों स्थानों पर बहुत अधिक आयातित पुर्जे उपयोग में हैं, अतः उनके लिये अपेक्षित फालतू पुर्जे भी आयात के लिये नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए आयात करने होते हैं।

(ख) किरिबुरु खान में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन खान एवं पत्तन में उपलब्ध भंडारों तथा जहाजों की उपलब्धता को विचार में रखते हुए लगभग आयोजित लक्ष्यों के अनुसार हुआ है। बेलाडिला में अक्तूबर 1969 तक उत्पादन का मासिक स्तर संतोषजनक था। तथापि, नवम्बर तथा दिसम्बर 1969 के दौरान अस्वाभाविक श्रमिक स्थिति तथा चालकों द्वारा 'धीमे चलो' नीति अपनाने के कारण उत्पादन में गिरावट हुई। दिसम्बर 1969 के अंत के करीब श्रमिकों के साथ किये गये समझौते तथा प्रबन्धकों द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के परिणामस्वरूप 1969-70 की अंतिम तिमाही में उत्पादन की प्रवृत्ति में निश्चित सुधार दिखाई दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। अगस्त 1969 से।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की प्रतिनियुक्तियां

4339. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय में सतर्कता अधिकारी के पदों पर चुने गये व्यक्तियों की चरित्र-विवरणिकायें न भेजने के फलस्वरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने एग्जैक्युटिव इन्जीनियरों के छः पद खो दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली विकास अभिकरण तथा सरकारी उपक्रमों तथा विभागों में अपने अनुभवी व अच्छे एग्जैक्युटिव तथा सहायक इन्जीनियरों को प्रतिनियुक्तियों पर भेजने से इन्कार कर रहा है हालांकि वहां समयानुसार पदोन्नतियां न होने से अधिकारियों की पदोन्नतियां रुकी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अन्य विभागों में सभी श्रेणी के इन्जीनियरों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं। रेल मंत्रालय के सतर्कता प्रकोष्ठ में प्रति नियुक्ति के लिये दो एग्जैक्युटिव इन्जीनियरों की मांग के प्रत्युत्तर में विभाग ने कई अच्छे एग्जैक्युटिव इन्जीनियरों के नाम की सिफारिश की थी। रेल मन्त्रालय ने, अब तक उनमें से

किसी को भी उक्त पदों में नियुक्ति के उपयुक्त नहीं पाया । कुछ अन्य नामों की सिफारिश करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नामों की समय-समय पर सिफारिश की जाती है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसीयर

4340. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 25 अगस्त, 1969 तथा 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 तथा 3816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओवरसियरों को औद्योगिक कर्मचारी न मानने के क्या कारण हैं ; जबकि वे औद्योगिक कर्मचारियों/कार्य-भारित कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य के लिये 100 प्रतिशत जिम्मेवार होते हैं ;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले निःशुल्क रेलवे पासों की सुविधा की भांति इन ओवरसियरों को निःशुल्क सरकारी आवास देने का विचार है जो सरकारी आवास आदि का निर्माण करने के लिए मुख्यतः जिम्मेवार हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विचार 10 वर्ष पुराने उन भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती करना बन्द करने का है जिनमें 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3823 में उल्लिखित कोटा प्रणाली के नाम पर योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति देने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सेक्शनल आफीसरों को औद्योगिक स्टाफ नहीं माना जाता है क्योंकि उनका मुख्य कार्य स्थान पर कार्य का निर्माण तथा अनुरक्षण दोनों की निगरानी करना तथा उसे संगठित करना है । वे कार्यालयों में आयोजना एककों में भी कार्य करते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों के पदों के लिये भर्ती नियमों के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है । अब भी सराहनीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिये नियमों में व्यवस्था है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष भत्ते का दिया जाना

4341. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड

अपने पर्यवेक्षी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त विशेष बिजली जोखिम-भत्ता भी देता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा भत्ता मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसे कोई प्रस्ताव कभी नहीं किये गये हैं और न ही (उन पर) विचार किया गया है ।

बर्तनों के प्रयोग से दूषण का मानव जीवन पर प्रभाव

4342. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम के बने बर्तनों के अधिक प्रयोग से भारत में भोजन का दूषण बढ़ गया है और क्या यह भी सच है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के साथ भी यही बात होती है ;

(ख) क्या इन दो धातुओं के अधिक प्रयोग से अथवा बनाते समय पैदा होने वाले क्षारीय संजात तत्वों से मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली विषाक्तता के बारे में भारत में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के दूषण से मानव जीवन के खतरे को दूर करने के लिये सरकार क्या निवारक उपाय करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का जहरीला प्रभाव नहीं होता और न ही उनसे दूषण पैदा होती है । यदि अज्ञात शुद्धता के सभी प्रकार के एल्युमीनियम छीलन से बने बर्तनों के प्रयोग से जोकि भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुरूप नहीं होते स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है ।

(ख) भारत में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है । इस विषय पर विदेशों में किये गये अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि इस धातु की सही किस्म से निर्मित बर्तनों का मानव शरीर पर विषैला प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, 1955 के नियम 49 के उप-नियम 5 के खण्ड 4 में आवश्यक संशोधन जारी किये जा चुके हैं । जिनके अन्तर्गत आई० एस० 20 अथवा आई० एस० 21 से भिन्न अन्य किस्म के एल्मुमीनियम बर्तनों के प्रयोग की मनाही की गई है । आई० एस० 20 तथा आई० एस० 21 से भिन्न एल्युमीनियम से निर्मित बर्तनों में तैयार किया गया भोजन मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं होता ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि आई० एस० 20 और आई० एस० 21 की किस्म का ही एल्युमीनियम बर्तनों के निर्माण में प्रयोग किया जाय, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों को 8 जनवरी, 1959 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उनसे अपने-अपने क्षेत्रों में लघु बर्तन-निर्माताओं पर अधिक कठोर नियन्त्रण करने का अनुरोध किया था ।

1970 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवा निवृत्ति

4343. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में पचास और पचपन वर्ष की आयु पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रेणी एक और श्रेणी दो के कितने अधिकारियों के सेवा से निवृत्त होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) 50-55 वर्ष की आयु के बाद बने रहने के लिए प्रथम तथा दूसरी श्रेणी के अधिकारियों के मामलों पर समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है, और 1970 में रिटायर होने वाले प्रथम या दूसरी श्रेणियों के अधिकारियों के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति

4344. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 5 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे अस्थायी इंजीनियरों और ओवरसियरों में से केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के दूसरी श्रेणी के अधिकारियों के लिए ही प्रतियोगी परीक्षा में ढील करके भर्ती की जा सकती थी ;

(ख) क्या चयन के पात्र अनेक अधिकारियों को भर्ती नहीं किया गया था ;

(ग) क्या सीधी भर्ती योग्यता के आधार पर चयन करके ही की जा सकती है ;

(घ) क्या दूसरी श्रेणी के भर्ती के नियमों में संशोधन करके उनको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ताकि इन तदर्थ नियुक्तियों को कानूनी रूप दिया जा सके ; और

(ङ) क्या 22 दिसम्बर, 1959 को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गये वरिष्ठता आदि के सामान्य सिद्धांतों के पैरा 8 के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां केवल वही मानी जाती हैं जो

संघ लोक सेवा आयोग के साथ सलाह किये बिना की जाती हैं तथा क्या तदर्थ नियुक्तियां 3 से लेकर 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रखी जा सकतीं जब कि ये 38 सहायक इंजीनियर 4 से 5 वर्ष तक लगातार कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय तेल निगम, कलकत्ता शाखा द्वारा भारतीय तेल श्रमिक संघ के नेताओं का निलम्बन

4345. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की कलकत्ता शाखा के प्रबन्धकों ने भारतीय तेल श्रमिक संघ के 6 नेताओं को निलम्बित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रबन्धकों तथा भारतीय तेल कर्मचारी संघ कलकत्ता दोनों ने ही निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में एक जैसी ही शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कारपोरेशन की कांटीन में कार्यालय-समय के दौरान 6 कर्मचारियों ने दो अन्य कर्मचारियों (इंडियन आयल एम्पलाईज यूनियन के नेताओं) पर शारीरिक प्रहार किया । इस के बाद प्रबन्धकों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस अधिकारियों के पास एक केस दर्ज कराया । इंडियन आयल एम्पालईज यूनियन तथा इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन ने भी प्रति आरोपों के साथ पुलिस अधिकारियों के पास केस दर्ज करवाये ।

(घ) और (ङ). विचार है कि मामले में पुलिस केस के परिणामों की प्रतीक्षा की जाये ।

Vohra Committee's visit to U. P.

4346. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vohra Committee had visited Uttar Pradesh to assess the heavy damage caused by the devastating floods in the State in the past ;

(b) if so, the details of the report of the said Committee and the extent of damage caused in Eastern districts particularly ; and

(c) the reaction of Government in regard to the said report ?

The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Details of the report of the Central team led by Shri S. Vohra and the reaction of the Government of India in regard thereto.

On the basis of the information made available to it, the team reported that 17,714 villages had been affected by the floods. Crops over an area of about 31.78 lakh acres, valued at about Rs. 34.17 crores had been damaged. About 1,43,586 houses had either collapsed, been washed away or partially damaged. Value of damage to house property was estimated at Rs. 2.73 crores. Loss of 106 human lives and 3183 cattle had been reported. Government's stocks of fertilisers worth about Rs. 1.08 lakhs were reported to have been washed away in Gonda district. More than 50% of the damage had been in the districts of Azamgarh, Bahraich, Barabanki, Basti, Deoria, Faizabad, Gonda and Gorakhpur.

2. In the light of its visits to the affected areas, and discussions with the representatives of the State Government, the team recommended the following ceilings of expenditure on relief measures during 1969-70 for purposes of Central assistance :

	(Rs. in crores)
I. Relief items (gratuitious relief, house building grants, test relief works etc)	1.50
II. Loans for the purchase of cattle and other agricultural purposes.	0.25
III. Repair and restoration of irrigation works, roads and bridges.	1.15
Total	2.90

3. The recommendations of the Central team have been accepted by the Government of India and a ceiling expenditure of Rs. 2.90 crores on flood relief measures in Uttar Pradesh during 1969-70, adopted for purposes of Central assistance. The decision of the Government of India has been communicated to the State Government.

डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता का विदेशों के बैंकों में हिसाब

4347. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात की जांच कराने का सरकार का विचार है कि डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व मुख्य अभियंता, श्री पी० एम० अग्रवाल, का विदेशों में किसी भी बैंक में हिसाब नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : प्रवर्तन-तंत्र (एन्सफोर्समेण्ट मेशीनरी) तभी हरकत में लाया जाता है जब यह पता लगे या सन्देह हो कि किसी व्यक्ति ने विदेश में अनाधिकृत खाता खोल रखा है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। इसलिए, इस मामले में, कोई जांच कराये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग की स्मृति में एक सार्वजनिक स्थान बनाना

4348. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोदी एस्टेट क्षेत्र, नई दिल्ली में महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग की स्मृति में एक सार्वजनिक स्थान बनाया गया है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिये भूमि किसने दी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर के कम आय वाले कर्मचारी, जिनको आवास सुविधा देने का वचन दिया गया था, अब उस प्राथमिक अधिकार से वंचित हो जायेंगे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग दोनों, धूमधाम तथा दिखावे के विरुद्ध थे तथा उन्होंने गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी थी जिसमें बेघरों के लिये आवास सुविधायें भी शामिल हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर को ऐसा निदेश देने का है कि वह अपने कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधाओं की तुरन्त व्यवस्था करे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक सार्वजनिक स्थान का निर्माण किया गया है। इस सार्वजनिक स्थान में लगभग 7 फुट ऊंचा एक स्तम्भ भी बनाया गया है, जिसके दोनों ओर महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग के उद्धरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अंकित हैं।

(ख) सार्वजनिक स्थान की भूमि आंशिक रूप से सरकार द्वारा फोर्ड फाउण्डेशन को पट्टे पर दी गई है, और अंशतः नई दिल्ली नगर पालिका के स्वामित्व में है।

(ग) सरकार को ऐसे किसी आश्वासन का ज्ञान नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इण्डिया इण्टरनेशनल सेन्टर, जैसे गैर-सरकारी संस्थान को ऐसे अनुदेश देने का अधिकार सरकार को नहीं है।

डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व महानिदेशक श्री एल० सी० जैन के विरुद्ध आरोप

4349. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को (1) दिल्ली विमान डाक छंटाई कार्यालय से संबद्ध कर्मचारियों, (2) सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के सीमाशुल्क कर्मचारियों और (3) विदेश डाकघर, नई दिल्ली के कर्मचारियों से प्रधान मंत्री को सम्बोधित एक बिना तारीख का पत्र मिला है

जिसमें उन्होंने भूतपूर्व डाक तथा तार महानिदेशक, श्री एल० सी० जैन, के विरुद्ध यह आरोप लगाये हैं कि उन्होंने जापान से भारत को सोने और घड़ियों के पार्सलों का, जिनका मूल्य कई लाख रुपये था, भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आरोपों के संबंध में क्या कार्ययाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां, ऐसा एक बिना दस्तखती पत्र मिला था ।

(ख) तत्कालीन महानिदेशक, डाक-तार, श्री एल० सी० जैन के नाम टोकियो से आये दो थैलों की जांच की गयी थी । इन थैलों में केवल 123/-रुपये मूल्य का शुल्क लगने योग्य माल पाया गया था । इन वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया और वस्तुओं को छोड़ दिया गया, क्योंकि वे वस्तुएं उपहार के रूप में और अल्प मूल्य की थीं । उनमें सोना अथवा घड़ी नहीं थी ।

चीन में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं की भारत में बिक्री

4350. **श्री रामसिंह अयरवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन से बनी बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं नियमित रूप से भारतीय बाजारों में आ रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये वस्तुएं दिल्ली तथा भारत के अधिकांश नगरों में खुले-आम बिक रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक मोर्चे पर इस संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). यात्रियों तथा कर्मीदल के सदस्यों द्वारा अपने असबाब के रूप में लाई गई तथा नेपाल से भारत में चोरी छिपे रूप में लायी गई चीन में बनी वस्तुएं, जैसे फाउन्टेनपेन, घड़ियां, मेकेनिकल लाइटर, थरमस फ्लास्क और रेशम के कपड़े, मुख्य पत्तनों तथा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कस्बों में छोटे दुकानदारों तथा फेरीवालों द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेची जाती हैं ।

(ग) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निवारक एककों द्वारा गुप्त सूचना इकट्ठी की जाती है और ऐसी वस्तुओं को भारी मात्रा में जमा करने के लिये जिन स्थानों का इस्तेमाल किया जाता है उन पर छापे मारे जाते हैं । ऐसे माल के भारत में लाये जाने पर रोक लगाने के लिए, भारत नेपाल सीमा पर बहुत सी चुंगी-चौकियां स्थापित की गई हैं । माल की जब्ती के अतिरिक्त दण्ड भी लगाया जाता है । भारी मात्रा में लाए गये माल से सम्बन्धित मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है । चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने और जब्त करने के काम को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सीमाशुल्क अधिनियम संशोधित किया गया है ।

Non-Payment of Rents by Punjab and Haryana

4351. **Shri Prakashvir Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governments of Punjab and Haryana have not paid rents to the Central Government in the context of the dispute over Chandigarh ;

(b) whether the Central Government have written to these Governments in this regard ;

(c) whether it is possible to deduct the amounts outstanding against the said Governments from the grants to be given to them by the Central Government ; and

(d) the amount outstanding against each of the said two Governments separately ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Except for the recoveries effected from the salaries of Government servants on account of rent of houses at the rate of 10% of their emoluments, both the Governments have not paid the rent so far in respect of the accommodation in their respective occupation. But the dispute over Chandigarh has nothing to do with it.

(b) Besides holding meetings with the two State Governments on the 7th May, 1968, 12th September, 1968, 22nd March, 1969 and 19th and 20th September, 1969, the Central Government and the Chandigarh Administration had written to the State Governments in the matter.

(c) While it may be possible to adjust the amounts against the Central non-obligatory grants to State Governments, it may not be necessary to take such a step ultimately.

(d) Punjab Government Rs. 167.96 lakhs
(for both residential and non residential buildings).
Haryana Government Rs. 108.06 lakhs
(for both residential and non residential buildings).

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता देना

4352. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को समान दर पर चिकित्सा भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान न करना पड़े ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भत्ते की राशि कितनी है ; और

(ग) किन राज्यों में ऐसा चिकित्सा भत्ता दिया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ता देती है ।

निम्नलिखित राज्यों द्वारा कोई चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है :

1 राजस्थान
2 दिल्ली
3 असम
4 उड़ीसा
5 पंजाब
6 महाराष्ट्र
7 बिहार
8 मध्य प्रदेश
9 हरियाणा
10 तमिलनाडु
11 गुजरात
12 केरल
13 मणिपुर

अन्य राज्यों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

National Mineral Development Corporation

4353. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4891 on the 22nd December, 1969, regarding National Mineral Development Corporation and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the statement. **[Placed in Library. See No. LT-3019/70]**

(c) Does not arise.

भारत में चोरी छिपे लाया गया माल

4354. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1970 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में "स्मगलिंग इज ए बिग बिजनैस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या उक्त समाचार में दिये गये तस्कर व्यापार सम्बन्धी तथ्य और तस्कर व्यापारियों की कार्य-प्रणाली ठीक है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत में निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार अधिकांशत: विदेशियों द्वारा नियंत्रित है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा किये गये उपाय देश में तस्कर व्यापार को रोकने में असफल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। रिपोर्ट के कुछ अंश मोटे तौर पर सही हैं, कुछ अंश केवल आंशिक रूप में सही हैं और कुछ केवल अनुमान और निकाले गये निष्कर्ष ही हैं जो ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी ।

(ख) इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है ।

(ग) और (घ). यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार के तस्कर विरोधी उपाय देश में तस्करी के धन्धे को रोकने में असफल रहे हैं ।

पिछले कुछ वर्षों में पकड़े गये माल के बढ़े हुए मूल्य से पता चलता है कि सरकार द्वारा किये गये उपाय कामयाब साबित होते रहे हैं । सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगाह रख रही है ताकि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।

Technicians Required by ONGC for its Expansion Programmes

4355. **Shri Sitaram Kesri :** **Shri J. Mohamed Imam :**
Shri C. Muthusami : **Shri R. R. Singh Deo :**
Shri R. K. Amin : **Shri K. M. Koushik :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission is facing difficulty in securing the services of technicians for its expansion programmes ;

(b) if so, whether the Oil and Natural Gas Commission has worked out its total requirement of different type of technicians required by them ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the steps Government propose to take to secure the services of trained technicians ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Even though the Commission is not facing any particular difficulty in securing the services of technicians, for the reasons of forward planning, ONGC has tentatively formulated a manpower plan for the next ten years.

(c) As per the tentative assessment made under this manpower plan, the Commission would require about 1700 additional Scientists and Engineers of various descriptions by 1973-74 and about 3200 Scientists and Engineers by 1978-79.

(d) The Commission is continuously building up most of its technical cadres and has also provided for adequate training facilities where the new entrants can be trained and oriented for the jobs. For jobs of a very specialized nature, where Indian technicians still lack the necessary know-how, services of foreign experts have been, and will continue to be, obtained, for the minimum period required.

Project Report for Setting up Zinc Smelter unit at Visakhapatnam

4356. **Shri N. R. Deoghare** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the preparation of a Project Report for setting up Zinc Smelter Unit at Visakhapatnam ;

(b) whether the work on the Project Report has been completed ; if not, the position of work to be completed ;

(c) whether the Project Report was got prepared without taking a firm decision on the necessity for the Zinc Smelter Unit ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Total expenditure of Rs. 16,36,647 has been incurred so far by the Government including Rs. 15,18,028 paid to M/s. CENTROZAP of Poland in terms of the contract entered into with the Polish agency for the preparation of the Detailed Project Report.

(b) to (d). It is expected that the Detailed Project will be ready by the end of May, 1970. In taking the decision to get the Detailed Project Report completed, the need for additional smelting capacity based on imported concentrates was recognised. Depending on the economic viability of the Project as assessed from the Detailed Project Report, a decision on implementing the project will be taken.

Advertisement of Contraceptives

4357. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are patronising certain varieties of contraceptives and are discouraging or discriminating against manufacture of other varieties ;

(b) if not, the reason for not permitting advertisement of contraceptive pills in the country while other forms of contraceptives are being advertised on a lavish scale ; and

(c) whether some vested interests are playing a part in this policy of discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) The advertisement of drugs is regulated under the "The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954" and the Rules there-under. The advertisement of contraceptives is normally not permitted. In 1966 the marketing of oral contraceptives was approved according to certain preconditions, specially the following :

(i) The retail sale of the oral contraceptives shall be effected only on the prescription of a registered medical practitioner ; and

(ii) No advertisements of oral contraceptives in the lay press will be permitted.

In view of this the Government decided not to permit the advertisement of contraceptive pills specially in the lay press. This is because, it was feared that the public might use the pill without consulting a doctor.

(c) Does not arise.

टाटा केमिकल्स को छोड़कर अन्य कम्पनियों द्वारा सोडा राख कारखाने के लिये आवेदन पत्र देना

4358. **श्री चक्रपाणि :** **श्री राममूर्ति :**
श्री भगवान दास : **श्री नम्बियार :**
श्री के० रमानी : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री पाशाभाई पटेल :**
श्री उमानाथ : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि टाटा केमिकल्स को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी ने गुजरात में सोडा राख कारखाने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त विस्तार के लिए अन्य कम्पनियों की तुलना में टाटा केमिकल्स को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स, पोरबन्दर ने 70,50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अंश सहित 459 लाख रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय से अपनी सोडा राख क्षमता का प्रति दिन 500 मीटरी टन से प्रतिदिन 800 मीटर टन तक पर्याप्त विस्तार के बारे में एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था ।

(ग) मैसर्स टाटा केमिकल्स के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने के बाद मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । अतः प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि मैसर्स टाटा केमिकल्स का प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया गया ।

भारत में पश्चिमी जर्मनी की विनियोजित पूंजी

4359. **श्री न० कु० सोमानी :** **श्री दे० अमात**
श्री मीठा लाल मीना : **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
श्री ए० दीपा : **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी 1970 के "स्टेट्समैन" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हमारे देश में पश्चिमी जर्मनी की गैर-सरकारी पूंजी का अधिक विनियोजन होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी पूंजी के विनियोजन को सुनिश्चित बनाने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। यह समाचार भारत में जर्मन प्रतिनिधिमण्डल के आने से दो दिन पहले नयी दिल्ली में 9 जनवरी, 1970 को बुलाये गये पत्रकार सम्मेलन में भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यकारी निदेशक द्वारा प्रकट किये गये विचारों के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था। कार्यकारी निदेशक ने एक सामान्य वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने यह बात कही थी कि भारतीय निवेश केन्द्र ने रसायन इंजीनियरी और अन्य उद्योगों की ऐसी 30 वस्तुएं का पता लगाया है, जिसके सम्बन्ध में भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच और अधिक परस्पर सहयोग की सम्भावनाएं हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में यह भी कहा था कि इन क्षेत्रों में लगभग 60 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त जर्मनी पूंजी लगाये जाने की गुंजाइश है।

(ख) पश्चिम जर्मनी के व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ निवेश सम्बन्धी संभावनाओं तथा भारत में विदेशी निवेश विषयक सरकारी नीति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। जब, पश्चिम जर्मनी से निवेश सम्बन्धी सहयोग के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तब उन पर उनके गुणावगुणों के आधार पर सामान्य रूप से विचार किया जायेगा।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री का कुष्ठ रोग परिभाषण

4360. **श्री गार्डिलिगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने देश में एक ऐसा व्यवस्थित तथा सहानुभूतिपूर्ण आन्दोलन चलाये जाने पर बल दिया है जिससे परम्परागत विश्वासों के कारण कुष्ठ रोग के प्रति समाज में व्याप्त घृणा और सामान्य विभीषिका को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कुष्ठ के बारे में गलत धारणा तथा घृणा को दूर करने के लिए सरकार ने इस रोग पर रेडियो वार्ताओं, प्रदर्शनियों, पर्चों तथा पुस्तिकाओं के वितरण और फिल्म शो आदि द्वारा लोगों को शिक्षित करने के काम को तेज कर दिया है।

Investment in Public Sector Industries

4361. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether investment in the public sector industries is expected to be increased considerably ;

(b) the number by which the public sector industries increased during each of the first three Five Year Plans till date ;

(c) the investment made during each of the first three Five Year Plans separately and that proposed to be made during the Fourth Plan ; and

(d) whether Government have taken some other important decisions and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The total investment in industrial and commercial undertakings of the Central Government and their growth in numbers during the first three Plan periods were as follows :

	Total investment (Rs. in crores)	Number of units
At the commencement of the First Five Year Plan.	29	5
Increase during the First Five Year Plan.	52	16
Increase during the Second Five Year Plan.	872	27
Increase during the Third Five Year Plan.	1462	26
Increase during the Annual Plans 1966-67, 1967-68 and 1968-69.	1487	11
Total as at the end of March 1969.	3902	85
Additional investment during 1969-74 as proposed in the Draft Fourth Five Year Plan.		Rs. 2910 crores.

The proposals contained in the Draft Fourth Five Year Plan (1969-74) have been considered by the National Development Council recently

Ceiling on Income

4362. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether ceiling on income has been fixed ; if so, the ratio in which it has been fixed ; and

(b) whether it is a fact that there is much disparity of income between the poor and the rich in the country, if so, the extent of disparity ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Government has introduced a number of measures to reduce disparities in incomes and wealth in the Budget proposals for 1970-71. It is considered that the totality of the measures introduced in the Budget, including increases in the rates of income-tax and wealth-tax as well as measures to plug loopholes, will achieve an effective limitation on personal incomes.

(b) There are no doubt wide disparities in incomes in the country ; precise estimates are however not available.

मैसर्स साहू जैन की कंपनियों की ओर आयकर की बकाया राशि

4363. **श्री अदिचन :**

श्री निहाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स साहू जैन की विभिन्न कंपनियों विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य कर रही कंपनियों की ओर आय-कर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मांगी गयी सूचना सदन की मेज पर रखे विवरण-पत्र में दी गयी है।

विवरण

कम्पनी का नाम	आयकर आयुक्त का कार्य-क्षेत्र	आयकर की बकाया रकम रु०
1	2	3
मेसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लि० डालमियानगर	कलकत्ता (सेन्ट्रल)	कुछ नहीं (उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रोक दी गयी मांगों और समायोजन के लिये पड़ी रकमों को छोड़कर)
मेसर्स अशोक मार्केटिंग लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स भारत कोलियरीज लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स साहू जैन लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स एस० के० जी० शूगर लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स परशावा प्रापर्टीज लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स युनिवर्सल इन्वेस्टमेंट लि० डालमियानगर इस समय नई दिल्ली में।	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स एलवियन प्लाइवुड लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स साहु जैन सर्विसिज लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स भारत ओवरसीज (प्रा०) लि० कलकत्ता	,,	कुछ नहीं — यथोपरि —
मेसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाईमाधोपुर	दिल्ली (सेन्ट्रल)	20,05,000 (रोक दी गयी मांगों समायोजनों के लिए

1	2	3
		पड़ी रकमों तथा हाल में ही चैकों द्वारा की गयी अदायगियों जिन्हें भुनाना बाकी है, को छोड़कर)
मेसर्स भारत निधि लि०	,,	46,61,000 (रोक दी गयी मांगों को छोड़ कर)

Growth without Inflation

4364. **Shri Beni Shanker Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether steps to ensure growth without inflation have been considered ;

(b) if so, with what results ; and

(c) the steps proposed to be taken in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Growth with stability and social justice is a major objective of the Government's policy. The budget for 1970-71 proposes various measures to step up the level of over-all investment in the economy and raise resources in a non-inflationary manner. The Plan outlays are proposed to be increased by about Rs. 400 crores to Rs. 2,637 crores in 1970-71, and a substantial effort is being made to raise larger resources through additional taxation as well as through intensified programmes of small saving collections and market borrowings.

बैंक राष्ट्रीयकरण के मुकदमे की वकालत के लिये सरकार द्वारा नियुक्त वकील

4365. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वकीलों के नाम क्या हैं जिनको बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के मुकदमे में वकालत करने के लिए सरकार ने नियुक्त किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : बैंककारी समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अध्यादेश, 1969 और इस अध्यादेश का स्थान लेने वाले अधिनियम को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दी गयी लेखा याचिकाओं का प्रतिरोध करने के

लिए सरकार द्वारा जिन वकीलों को नियुक्त किया गया था, उनके नाम ये हैं :—

सर्वश्री नीरेन डे, महान्यायवादी
जगदीश स्वरूप, महान्यायाभिकर्ता
एम० सी० सीतलवाड
सी० के० दफ्तरी
एन० एस० बिन्दरा
डा० सैयद मुहम्मद
एन० एच० हिंगोरानी

Selection of Directors of Board of Directors of Public Undertakings

4366. **Shri Vikram Chand Mahajan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the basis on which the Directors are selected to serve on the Board of Directors of Public Sector Undertakings ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : In making appointments to the Boards of Directors of Public Enterprises, Government always keeps in view the suitability and professional competence of the persons to hold such appointments. For facilitating selection to the posts of full-time Directors, the Bureau of Public Enterprises maintains panels of suitable persons, drawn up from among those serving in Industry, Public Enterprises, as well as Government Services, etc. These appointments of Directors, full-time and part-time, and finally approved by the Government.

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में श्रम मंत्री का भाषण

4368. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने हाल ही में कलकत्ता में एक भाषण में कहा था कि सरकार का विचार सामान्य बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी मंत्री के लिये यह बात उचित है कि वह इतने महत्व के निर्णयों की घोषणा संसद से बाहर करें जबकि सरकार द्वारा कोई पक्का निर्णय अभी न किया गया हो ; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों को ऐसा आदेश देंगी कि वे भविष्य में ऐसा न करें ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई में हुए अधिवेशन में पारित आर्थिक संकल्प का ही उल्लेख किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विविध बीमे के राष्ट्रीयकरण की भी बात थी।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के आभूषण

4369. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ने रामपुर के स्वर्गीय नवाब के तथाकथित वंश परम्परागत या उत्तराधिकार में प्राप्त आभूषणों पर दी गई छूट को वापिस ले लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : केन्द्रीय सरकार ने रामपुर के स्वर्गीय नवाब के पैतृक जवाहरात को, धन-कर अधिनियम, 1957 के लागू होने से पहले पैतृक जवाहरात रूप में मान्यता दे दी थी। इसलिए इस प्रकार के जवाहरात के मूल्य पर, धनकर (नरेशों के पैतृक जवाहरात को छूट) नियमावली 1958 के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की औपचारिक मान्यता के बिना ही धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) (XIV) के अधीन छूट होगी। चूंकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कोई छूट नहीं दी थी इसलिये उसके द्वारा छूट को वापस लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं

4370. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामपुर की वर्तमान बेगम (आफ्ताब जमानी बेगम) ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे आभूषण, जो बम्बई में एक जौहरी की फर्म पर छापा मार कर पकड़े गए थे और जिनके बारे में जौहरी ने बताया था कि वे रामपुर की उक्त बेगम के हैं वे आभूषण उनके ही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या धनकर अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बम्बई में उस जौहरी की जगह पर मारे गये छापे के दौरान पकड़े गये आभूषणों का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। वह यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Transfer of Officers in Defence Accounts Department after every three years

4371. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether every employee and officer in the Defence Accounts Department is transferred after a period of three years ;

(b) if so, whether till 1947 *i. e.*, before the Independence, employees drawing less than Rs. 300/- per month as pay were generally not transferred keeping in view their housing and other difficulties, if so, the date from which the aforesaid rule has been amended ;

(c) whether Government are aware that employees of the aforesaid offices have to face housing and other difficulties as a result of their transfer ;

(d) whether Government propose to stop the practice of transferring employees drawing less than Rs. 300/- per month as pay from one place to another ; and

(e) if not, whether Government propose to arrange for the housing of these employees ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir. The transfer of employees and officers of the Defence Accounts Department is done as and when administratively considered necessary in each case.

(b) The position was the same as stated against (a) above, before 1947 also.

(c) The circumstances consequential to transfers are the same as in the case of employees of other departments where liability for All-India-Service exists.

(d) No, Sir.

(e) No, Sir.

भारत में आर्थिक प्रगति की दर

4372. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में प्रकाशित हुए कोलम्बो योजना समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिनमें बताया गया है कि एशिया के 12 देशों में आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भारत का 8वां स्थान है (पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति दर भी भारत से अधिक है) ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार को यह मालूम है कि कोलम्बो आयोजना की परामर्शदात्री समिति की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट में की गयी समीक्षा से यह पता चलता है कि कोलम्बो आयोजना-क्षेत्र के जिन 12 देशों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार, भारत के विकास का वास्तविक अनुपात लगभग सब से कम है। फिर भी, इस सम्बन्ध में विवेचन करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यद्यपि 1968-69 में, भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है, जबकि इससे पहले के वर्ष में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

रामपुर के नवाब को धनकर की अदायगी से छूट

4373. **श्री अनिरुद्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर के स्वर्गीय नवाब के वंश परम्परागत अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त आभूषणों के सम्बन्ध में रामपुर के वर्तमान नवाब को धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) (14) के अन्तर्गत छूट कैसे दी गई, जिसने वंश परम्परागत या उत्तराधिकार में प्राप्त उक्त आभूषणों के सम्बन्ध में धनकर की छूट कभी भी नहीं मांगी थी ;

(ख) क्या नई दिल्ली में, सरदार पटेल रोड पर स्थित रामपुर के वर्तमान नवाब के निवास स्थान पर 1 अगस्त 1969 के पश्चात् किसी समय वित्त मंत्रालय के किसी विभाग के कर्मचारियों ने कोई छापा मारा था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को कोई अघोषित या छिपाये हुए आभूषण मिले थे या उन्होंने जब्त किये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रामपुर के स्वर्गीय नवाब के उत्तराधिकारी से याचिका प्राप्त होने पर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, आवश्यक जांच करने के बाद, इस बात से समाधान हो गया था कि धन कर अधिनियम के लागू होने से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा जवाहिरात की 7 (सात) वस्तुओं को पैतृक जवाहिरातों के रूप में मान्यता दी गयी थीं और इसलिए उत्तराधिकारी नवाब के कर निर्धारणों में ये वस्तुएं धनकर से छूट पाने की हकदार थीं यद्यपि स्वर्गीय नवाब ने अपनी धनकर विवरणियों में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का दावा नहीं किया था।

(ख) और (ग). कुछ ऐसे लेन-देनों के बारे में, जिनमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 का उल्लंघन होने का संदेह व्यक्त किया था, जांच पड़ताल करने के सम्बन्ध में रामपुर के नवाब तथा बेगम से जून 1969 के अन्त में सम्पर्क कायम किया गया था। उन्होंने जांच पड़ताल के लिए अपेक्षित दस्तावेज तत्काल भेज दिए थे और जवाहिरात को निरीक्षण के लिए पेश कर दिया था। इसलिए "छापा" मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी।

प्रत्यक्ष करों की दृष्टि से और आगे जांच पड़ताल होने तक जवाहिरात का हस्तान्तरण अथवा विक्रय रोकने के विचार से 25 अगस्त 1969 को रामपुर की बेगम के नाम पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (3) के अधीन इस आशय का आदेश जारी किया गया था कि वह उक्त जवाहिरात को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में जमा कर दें। धारा 132 (3) के अधीन आदेश जारी करने के लिये पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (1) के अधीन अधिकार पत्र जारी करना आवश्यक था जो इस मामले में एक सांविधिक औपचारिकता मात्र थी। कोई वास्तविक तलाशी नहीं ली गई थी तथा कोई सामान नहीं पकड़ा गया था।

रामपुर के नवाब की मूल्यवान वस्तुएं

4374. **श्री अनिरुद्धन :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के वर्तमान नवाब ने धनकर (शासकों के कुलागत आभूषणों को छूट) नियम, 1958 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान किये जाने के प्रयोजन से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अथवा सरकार के किसी अन्य सम्बद्ध विभाग को तथाकथित वंशागत आभूषणों अथवा कुलागत वस्तुओं का विवरण वजन अथवा उनके मूल्य का कोई ब्योरा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उनका क्या मूल्य बताया था तथा क्या वह रामपुर के स्वर्गीय नवाब द्वारा बताये गये उक्त वंशागत अथवा कुलागत आभूषणों के मूल्य के अनुरूप था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्तमान नवाब ने धनकर (नरेशों के पैतृक जवाहरात को छूट) नियमावली, 1968 के नियम 2 के अधीन 30-11-1968 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष एक दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त में जेवरात के विवरण तो दिये गये थे लेकिन उसका अनुमानित वजन और मूल्य नहीं दिया गया था।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

"पी" फार्म की समाप्ति

4375. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री अदिचन : **श्री शारदा नन्द**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री सूरजभान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश जाने के इच्छुक नागरिकों को "पी" फार्म देने के मामले में नर्मी करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में इन फार्मों को पूर्णतया समाप्त करने का सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) "पी" फार्म सम्बन्धी नियंत्रण 8 जून 1962 से लागू किया गया था और यह 7 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहा है। हाल में दी गई रियायत का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों को पिछले कुछ समय से (3 वर्षों से अधिक समय से) विदेश जाने का अवसर नहीं मिला वे एक बार विदेश यात्रा कर सकें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के विकास के लिये वित्तीय सहायता सम्बन्धी ज्ञापन

4377. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा कुछ संसद सदस्यों और आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के विकास के लिये वित्तीय सहायता के बारे में एक ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों का एक

प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मंत्री से मिला था । किन्तु उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया था ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Appointment of a Central Committee for Famine Relief in Rajasthan

4378. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Baburao Patel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Government have made a suggestion to the Government of Rajasthan that a Central Committee should be appointed for looking after the famine relief measures ;

(b) if so, whether a reply in the matter has since been received from the State Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). The State Government have since accepted the proposal for the constitution of a Central Co-ordination Committee consisting of representatives of the concerned Central Ministries and the State Government. The Committee will co-operate with the State Government in the formulation and implementation of appropriate drought relief measures as well as in their co-ordination with the development programmes Included in the State and Central Plans.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता देना

4380. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री मयाबन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई गई मूल्य वृद्धि की क्षुब्ध स्थिति को ध्यान में रखते हुए महंगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिए इस बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़ते हुए मूल्यों जैसा कि सर्वेक्षण में स्वीकार कर लिया गया है, से किस आधार पर संरक्षण देने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) का बाहर महीने का औसत, जैसा कि जनवरी 1970 तक उपलब्ध है, 213.41 है। 12 महीने के औसत स्तर 215 के आधार पर 1-9-68 से मंहगाई भत्ते की वृद्धि पहले ही मंजूर की जा चुकी है। तदनुसार, सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मंजूरी का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक औसत अंक 225 तक नहीं पहुंच जाता। इस समय निम्नतम वेतन श्रेणी में 90% की सीमा तक निराकरण की व्यवस्था है। तीसरे वेतन आयोग द्वारा, जिसकी नियुक्ति शीघ्र ही की जाने वाली है, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों के समूचे ढांचे पर विचार किये जाने की सम्भावना है। इसको देखते हुये, सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी उपाय पर चर्चा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Complaint regarding utilisation of P. L. Funds for conversion of Religion

4381. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the assistance received from PL-480 Fund is being utilised by the foreign Christian Missionaries in India for converting the religion of Harijans, Adivasis and tribal people residing in border and hill areas ; and

(b) if so, the action taken by Government to ensure that the assistance received from this Fund is not utilised for conversion of religion ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Institutions receiving assistance from PL-480 funds are expected to distribute the assistance to the ultimate beneficiaries without regard to race or religion and on a non-sectarian basis. Government have not received any information to the effect that these funds are being used for conversion purposes.

(b) Does not arise.

भारतीय तांबा आयोग के अध्यक्ष/महाप्रबन्धक की नियुक्ति

4383. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 35 वर्ष के एक युवक को जिसको तांबा खान का कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है, भारतीय तांबा आयोग के महाप्रबन्धक अथवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पद के लिये किसे नियुक्त किया जा रहा है और क्या इस पद के लिये भर्ती करने के बारे में समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). श्री दया धावन को, जिनकी आयु लगभग 36 वर्ष है, 20 फरवरी, 1970 से हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री धावन

पहले एक दशक से अधिक समय से मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में कार्य करते थे और कई उच्च प्रबन्ध पदों पर रह चुके हैं । इनका नाम सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च कार्यकारी पदों पर नियुक्ति के लिये भी अनुसूची "ग" (2500-3000 रुपये प्रति मास) में सम्मिलित है । इस पद के लिये श्री धावन के नाम सहित कई नामों पर विचार किया गया था और अन्त में मंत्री मण्डल द्वारा गठित नियुक्ति समिति ने भी उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया ।

काम्पटी छावनी का दर्जा बढ़ा कर उसे बी-1 करने की मांग

4384. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम्पटी छावनी में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने यह मांग की है कि काम्पटी छावनी को नागपुर का एक भाग समझा जाना चाहिये तथा उसका दर्जा बी-2 से बढ़ा कर बी-1 कर दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने मांग की है कि काम्पटी छावनी को नागपुर का भाग समझा जाना चाहिए तथा उसका दर्जा बी-2 श्रेणी से बढ़ा कर बी-1 श्रेणी कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) वर्तमान कसौटियों के अनुसार, काम्पटी इस योग्य नहीं है कि वहां वाले कर्मचारियों को नागपुर शहर की दरों पर मकान-किराया भत्ता तथा प्रतिपूर्ति (नगर-निवास) भत्ता दिया जाय, क्योंकि काम्पटी एक अलग नगरपालिका है जो नागपुर निगम के साथ नहीं लगी हुई है ।

राज्यों को सामूहिक अनुदान

4385. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से 1969 तक प्रति वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी राशि के सामूहिक अनुदान दिये गये ;

(ख) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि राज्य सरकारों ने ये अनुदान कैसे खर्च किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि जो राशि दी जाय उसको उसी प्रयोजन के लिये उसी अवधि में व्यय किया जाय ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों में राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये, अनुदानों के रूप में दी जाने वाली सहायता, एक-मुश्त रकमों (ब्लाक अमांउट्स) में नहीं दी गयी ।

(ख) से (घ) . ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि

4386. **श्री मयाबन :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन् :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्व नारायण शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के 73 उपक्रमों ने लगभग 28 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दिखाई जबकि उससे पहले वर्ष उन्होंने 35 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दिखाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया तथा जिन्हें लगातार हानि हो रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य उपक्रम जिन्हें हानि हो रही है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि वर्ष 1970-71 में हानि कम हो ; और

(ङ) किन-किन उपक्रमों को मुनाफा होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मूल्यह्रास, ब्याज, कर और बट्टे खाते डाले गये आस्थगित राजस्व व्यय को हिसाब में लेने के बाद, 1968-69 में सरकारी क्षेत्र के 73 उद्यमों (निर्माणाधीन उद्यमों और भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़कर) को 28 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। इसी प्रकार 1967-68 में सरकारी क्षेत्र के 67 उद्यमों (निर्माणाधीन उद्यम और भारतीय जीवन बीमा निगम) को 38 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

(ख) जिन उपक्रमों को 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में लगातार घाटा होता रहा, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 1970-71 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को होने वाले लाभ/हानि का पता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और सभी उद्यमों द्वारा अपने वार्षिक लेखे बन्द करने पर ही, चल सकेगा और उन उपक्रमों का नाम बताना और भी कठिन है जिनको लाभ होने की सम्भावना है। यद्यपि, उत्पादन में वृद्धि करके, कार्यचालन परिणामों के सुधार के लिए विभिन्न रुकावटों को यथासम्भव जल्दी से जल्दी दूर करके, और सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकीय और प्रौद्योगिकीय कार्यकुशलता में सुधार करके भी सरकारी उद्यमों को होने वाले घाटों को कम करने के प्रयत्न

किये जा रहे हैं और यह बात अर्थ व्यवस्था के विकास की दर, मार्केट में आने वाली तेजी औद्योगिक सम्बन्धों की सामान्य स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धि आदि जैसी अन्य बातों पर निर्भर करेगी । ऐसी हालत में इस बात की निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि 1970-71 में किन-किन उद्यमों को लाभ होगा ।

विवरण

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
2. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०
3. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
5. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०
6. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
7. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
8. केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड
9. प्रागा टूल्स लि०
10. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
11. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
12. केन्द्रीय मीनक्षेत्र निगम लि०
13. जनपथ होटल लि०
14. हिन्दुस्तान स्टील लि०
15. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०
16. पुनर्वास उद्योग निगम लि०
17. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लि०

बरौनी तेल शोधक कारखाने के शेड में रेलवे वैगन से निश्चित समय पर फटने वाले तीन बमों का पाया जाना

4387. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री देविन्दर सिंह :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि **बरौनी** तेल शोधक कारखाने के शेड में एक रेलवे वैगन से निश्चित समय पर फटने वाले फ्यूज वायर युक्त तीन बम हाल में पाये गये थे ;

(ख) क्या इस माम ले की पूरी जांच की गई है ; और

(ग) क्या इस घटना से यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में तोड़फोड़ करने वालों की योजनाबद्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) . जी नहीं। मामले में की गई जांच से मालूम हुआ कि 50 टैंक माइन्ज (Tanks Mines) में से, जो दीनापुर में खाली व रने के लिये एक वैगन में आर्डीनेंस फैक्टरी द्वारा भेजे गये थे, तीन टैंक माइनज बाक्स वैगन में पाये गये जो उतारे नहीं गये। वैगन को खाली समझा गया था और इ सलिए इसे कच्चा पेट्रोलियम कोक के लदान के लिए शोधन-शाला में भेजा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के विचार

4388. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने अर्थ-व्यवस्था की गम्भीर समस्याओं को हल करने के रूप में राष्ट्रीयकरण का कड़ा विरोध किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . सरकार को राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के विचारों की जानकारी है। सरकार का मत है कि किसी भी उद्यम का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला, अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

Preparation of Fibre and Starch from Banana Tree

4389. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress so far made in preparing fibre and starch from the trunk of banana tree and the time by which the trunks of banana trees available in the country are expected to be fully utilized ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : Economic fessibility of extraction of fibre and starch from Banana trees and Banana trunk is still in an experimental stage.

उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड द्वारा बी० एच० सी० कारखाने की स्थापना

4390. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री दे० अमात :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड ने, जो राज्य सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, उड़ीसा

में एक बी० एच० सी० कारखाने की स्थापना के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने उड़ीसा में ऐसे कारखाने की स्थापना करने के बारे में अनुकूल मत व्यक्त किया है ;

(ग) जब यह कारखाना चालू हो जायेगा क्या तब यह जयश्री केमिकल्स के, जो सरकारी क्षेत्र का कारखाना है, गंजम स्थित सोडा कास्टिक कारखाने की अतिरिक्त क्लौरिन का उपयोग करेगा ;

(घ) क्या उड़ीसा का औद्योगिक विकास निगम, जो कि एक राज्य सरकारी उपक्रम है, का उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड में वित्तीय हित है ;

(ङ) क्या यह प्रस्तावित कारखाना रोजगार के अवसर उपलब्ध करेगा और यदि हां, तो कितने ; और

(च) इसे लाइसेंस देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, राज्य सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय ने लाइसेंसिंग कमेटी को उसके प्रार्थना-पत्र की सिफारिश की है।

(ग) जी हां। लेकिन जयश्री केमिकल्स, राज्य सरकारी क्षेत्र का कारखाना (यूनिट) नहीं है।

(घ) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) उड़ीसा सीमेंट लि० के प्रार्थना-पत्र में दी गई सूचना के अनुसार यह कारखाना 41 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा ; जिनमें से 36 कारीगर, 2 मजदूर, 2 लिपिक, 2 पर्यवेक्षक और 1 प्रबन्धक श्रेणी के होंगे।

(च) इण्डस्ट्रीज (डिवेल्पमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 के अनुसार इस प्रार्थना-पत्र को वैसे अन्य प्रार्थना-पत्रों के साथ लाइसेंसिंग कमेटी के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। कमेटी के कार्यवृत की प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

4391. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी को नई दिल्ली में उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी परियोजनाओं में लगायी जाने वाली पूंजी का एक बड़ा भाग विशेषत: औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में नियत किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े राज्यों के सरकारी उपक्रमों में कुल आवंटित राशि का कितने प्रतिशत नियतन किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) चौथी आयोजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र में, स्थापितकी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज प्रायोजनाओं की सूची, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे की रिपोर्ट में दी गयी है जो पहले ही सभा की मेज पर रख दी गयी है। यद्यपि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जहां तक संभव हो सके, सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाएं पिछड़े इलाकों में स्थापित की जायं, फिर भी, संतुलित प्रादेशिक विकास को समस्या को हल करने के लिए यह जरूरी है कि न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बल्कि राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्रों तथा सहकारी क्षेत्रों द्वारा नीति सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के साधन अपनाये जायं।

सरकारी उपक्रमों में खाली पड़े बड़े पद

4392. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कुछ सर्वोच्च पद पिछले कुछ समय से नहीं भरे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जो पद भरे नहीं गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकारी उपक्रमों ने, पद धारियों की स्थिति आदि के आधार पर, पहली जनवरी, 1970 की जो सूचना भेजी है, उसके अनुसार उक्त तारीख को, सरकारी उपक्रमों में ये उच्च पद खाली थे :

1. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
2. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय मीन क्षेत्र निगम
3. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
4. महाप्रबन्धक, फिल्म वित्त निगम
5. निदेशक, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
6. प्रबन्ध निदेशक, भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड
7. महाप्रबन्धक, कोयना एल्युमिनियम प्रायोजना
8. उपाध्यक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
9. निदेशक (वित्त) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
10. निदेशक (वाणिज्यिक) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
11. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान अर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
12. पूर्णकालिक अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड

13. महाप्रबन्धक, भारतीय उर्वरक निगम का सिन्दरी स्थित एकक
14. महाप्रबन्धक, भारतीय उर्वरक निगम का टोम्बे स्थित एकक
15. महाप्रबन्धक, भारतीय उर्वरक निगम का दुर्गापुर स्थित एकक
16. महाप्रबन्धक, भारतीय उर्वरक निगम का आयोजन और विकास प्रभाग
17. महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड काकलमसेरी स्थित एकक
18. उप-महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

प्रशासनिक मन्त्रालय इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि उन पदों के लिये ऐसे योग्य पदाधिकारियों का चयन किया जाय जिन्हें आवश्यक अनुभव आदि प्राप्त हों। जिस प्रकार फिल्म वित्त निगम आदि के महाप्रबन्धक के मामले में निर्णय किया गया है, उसी प्रकार कुछ पदों को, प्रशासनिक कारणों से कुछ समय तक के लिए न भरने का निर्णय किया गया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक (वाणिज्यक) जैसे कुछ उपर्युक्त पद इस बीच भरे जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम द्वारा कोरबा में कास्टिक सोडा क्लोरिन कारखाने की स्थापना

4393. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री शशि भूषण
श्री गं० च० दीक्षित
श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री लखन लाल गुप्ता :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम को कोरबा में एक कास्टिक सोडा क्लोरिन कारखाने की स्थापना करने के लिये आशय पत्र जारी कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोरबा में केन्द्रीय सरकार का प्रस्तावित बी० एच० सी० डी० डी० टी० कारखाने को स्थापित करके क्लोरिन का उपयोग करना संभव नहीं होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोरबा में एक बी० एच० सी०-डी० डी० टी० प्लांट की स्थापना के लिये अब कोई गुंजाइश नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा बारानी भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि योजना के लिये वित्त की व्यवस्था

4394. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने राज्य सरकारों के प्रयत्नों के समन्वय

से बारानी भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था करने हेतु एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा कितनी राज्य सरकारों ने उन योजनाओं को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) किन राज्यों में बारानी क्षेत्रों के लिये कृषि वित्त योजनाएं चालू की गयी है ; और

(घ) किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने खेती की उपज को खूब बढ़ाने के उद्देश्य से बारानी खेती के इलाकों में 1970-71 में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का निश्चय किया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक चुने हुए क्षेत्र में कम से कम एक एकीकृत योजना शुरू की जाएगी जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायगा । ये योजनाएं सम्बद्ध राज्य सरकारों और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के परामर्श से तैयार की जाती हैं ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षत्र में एक ऐसी योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 10,000 किसानों की लगभग एक लाख एकड़ भूमि में कई फसलें उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सोयाबीन, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली और धान के संकर बीजों और सुधरी किस्मों के अन्य बीजों के उपयोग की कल्पना की गयी है । इस योजना के पूरा हो जाने से, अनाज और अन्य फसलों की उपज में 30,000 मेट्रिक टन की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका मूल्य लगभग 2.33 करोड़ रुपया बैठता है और इससे लगभग 10 एकड़ की औसत जोत के प्रत्येक किसान को हर साल 2,200 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी । साथ ही इस योजना के पूरा हो जाने पर सोयाबीन के तेल के आयात में लगभग 102 लाख रुपये तक की कमी हो जायेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इसके अलावा, हर साल लगभग 63 लाख रुपये के मूल्य के सोयाबीन के भोजन/सोयाबीन की खली के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमायी में वृद्धि होगी । अन्य राज्यों के लिये ऐसी ही योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

(घ) जिन शर्तों पर ये ऋण दिये जाते हैं उनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3020/70.]**

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Irrigation facilities

4395. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more funds have been allocated for irrigation and other developmental measures in Madhya Pradesh in general and in East Nimar district in particular, in view of nationalisation of fourteen big banks ;

(b) if so, the complete details thereof ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Nationalisation of the major banks will not by itself add to the resources which are available for allocation as such among the States.

(b) and (c). Do not arise.

प्रतिरक्षा लेखा के नियन्त्रक के कार्यालय, पटना में अधिकारियों का एक स्थान पर लम्बी अवधि तक रहना

4396. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लेखा विभाग के अधिकारी के एक स्थान पर रहने के लिये कोई अवधि निर्धारित है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटना स्थित प्रतिरक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय में ऐसे अधिकारी भी काम कर रहे हैं जो वहां 7 वर्षों से अधिक समय से हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी अधिकारियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का है, यदि हां, तो कब ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) किसी अधिकारी की एक ही स्थान पर हर तैनाती की अवधि को नियत करना प्रशासनिक दृष्टि से अनावश्यक समझा गया है क्योंकि सक्षम अधिकारी को इस बात की सदैव छूट होती है कि जब कभी भी वह आवश्यक समझे तबादले का आदेश दे सकता है ।

(ग) जी हां । एक अधिकारी 7 वर्ष से भी अधिक समय से उस कार्यालय में काम करता रहा है ।

(घ) और (ङ). कृपया ऊपर भाग (ख) में दिये गये उत्तर को देखें । इस अधिकारी का तबादला करने पर तभी विचार किया जायेगा जब ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक समझा जायगा ।

Loans to Farmers in Meerut District for Agricultural schemes

4397. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4935 on the 22nd December, 1969 and state :

(a) whether the requisite information asked for in parts (b), (c) and (d) of the question referred to above has since been collected ;

(b) whether it is a fact that the nationalised banks are not advancing loans to those persons who have been allotted land under Gangakhadar Scheme, for the installation of tube-wells and purchase of tractors ; and

(c) whether it is also a fact that farmers there have sent in hundreds of applications in this regard but the officers of Tehsil Mawana (Meerut) have not taken any action thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Information has been received from the banks concerned.

(b) Of the fourteen nationalised banks, only the Punjab National Bank's Mawana Pay Office has received an application from a Local ex-serviceman for a medium term loan for the purchase of a Russian Tractor. A loan of Rs. 8000/- has been sanctioned to him for the purpose. The party's loan application for finance for pumpset and for levelling of land is at present under the bank's consideration.

(c) Government have no information as the matter pertains essentially to the State Government.

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा चोरी छिपे सामान लाने की शिकायतें

4398. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के उन कर्मचारियों द्वारा चोरी छिपे सामान लाये जाने की ओर ध्यान दिलाया गया है जो उनको दिये गए पासों पर विदेश यात्रा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पिछले तीन वर्षों में एयर इंडिया के इस प्रकार के 3 कर्मचारी और इण्डियन एयर लाइन्स का एक कर्मचारी तस्कर आयात निर्यात करते पकड़ा गया है ।

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपनी दैनिक ड्यूटी के रूप में सामान्य निवारक एहतियात बरतने के अलावा जहाजों तथा वायुयानों के ऐसे कर्मचारियों पर चौकसी रखी जाती है जिन पर सन्देह होता है ।

Irregularities in the Sale of Country Liquor in Delhi

4399. **Shri Devinder Singh Garcha** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the growing irregularities in the sale of country liquor and working of the bonded ware-house and country liquor shops in Delhi ;

(b) if so, the remedial measures Government propose to take in this regard ;

(c) the number of deaths occurred in Delhi on account of drinking poisonous liquor during the last three years ; and

(d) the steps taken by Government to stop illicit distillation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Government is not aware of any growing irregularities in the sale of country liquor and in the working of the bonded warehouse and country liquor shops in Delhi.

(b) The Government have, however upgraded the post of the officer in charge of the bonded warehouse from sub-Inspector to that of Inspector in order to have more effiient supervision.

(c) The number of deaths due to consumption of poisonous/spurious liquor during the last three years is as below :

1967	—	7	
1968	—	30	(including 3 due to excessive drinking of liquor)
1969	—	18	

(d) To curb the illegal production of liquor, the Police and Excise authorities of the territory keep a strict watch on the boot leggars and frequent raids are organised.

Production of Articles by Public Undertakings Imported at Present

4400. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are fomulating a programme to produce such commodities in public Sector industries as are being imported at present ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). One of the important considerations taken into account in making investment decisions in the public sector is the need for reducing the country's dependence on imports. There is, however, no specific programme as such in the public sector for producing such commodities which are being imported at persent. Continuous action, is, in any case, being taken by the various agencies of the Government of India and more particularly by the technical agencies like the Directorate General of Technical Development, etc. to organise developmental effort to produce more and more items in the country which are being imported at present. The Public Enterprises also, no dobut, take into account the instructions by these various agencies which are aimed at achieving an ever-increasing measure of import substitution.

चौथी योजना में उर्वरक परियोजनाएं

4401. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचारित दस उर्वरक परियोजनाओं में से कम से कम नौ परियोजनाएं स्थापित नहीं हुई हैं ; यदि हां, तो उसके मुख्य क्या कारण हैं ;

(ख) अन्तिम रूप में तय चौथी योजना में उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) योजना के अन्त तक देश में उर्वरकों के उत्पादन और उनकी आवश्यकता में कितना अन्तर रहने की संभावना है ; और

(घ) क्या चौथी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता

स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र में अनुमानित कितने संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तीसरी योजना अवधि के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापना के लिये लाइसेंसकृत 10 परियोजनाओं में से उस अवधि के दौरान केवल एक में उत्पादन हुआ। दो और परियोजनाओं में तीसरी योजना अवधि के बाद उत्पादन हुआ और शेष स्थापित नहीं हुईं क्योंकि प्रोत्साहक, परियोजनाओं के लिये विदेशी सहयोग के प्रबन्धों और वित्तीय व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप न दे सके।

(ख) उर्वरक प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :

	नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$
	(मिलियन मीटरी टन)	
वर्तमान क्षमता	1.344	0.421
निर्माणाधीन क्षमता	1.210	0.423
सिद्धांत रूप में अनुमोदित क्षमता किन्तु अभी तक स्थिर नहीं हुई	2.146	0.598

(ग) चौथी योजना के अन्त में उर्वरकों की अनुमानित जरूरत, उत्पादन और कमी निम्नलिखित है :–

(मिलियन मीटरी टन)

	जरूरत	उत्पादन	कमी
नाइट्रोजन	3.20	1.96	1.24
फास्फेटिक	1.40	0.60	0.80
पोटाश ($के_2$ ओ)	0.90	शून्य	0.90

(घ) जी हां। इस बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का अनुमान बताना संभव नहीं है।

फिल्म कम्पनियों द्वारा आयकर की अदायगी

4403. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री जुगल मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तथा गत तीन वर्षों में आल इण्डिया थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नटराज स्टूडियो (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, प्रसाद प्रोडक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई; एसोसियेटिड फिल्म इण्डस्ट्रीज (प्राइवेड) लिमिटेड, बम्बई; जौहर फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड,

बम्बई; महल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई; अन्नपूर्णा पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास; और देवी फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास से आयकर की कितनी धनराशि वसूल की गई है ;

(ख) इन कम्पनियों के उन निदेशकों तथा अंशधारियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि में अपना आयकर अदा कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन फिल्म कम्पनियों की ओर आयकर की भारी धनराशि बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक की ओर कितनी धनराशि बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). फिल्म कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासंभव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

चूंकि प्रत्येक कम्पनी में बहुत से शेयर-धारी हो सकते हैं, इसलिये सभी शेयर-धारियों के बारे में सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा । फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शेयर-धारी (शेयरधारियों) के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो वह सूचना विधिवत भेज दी जायगी ।

फिल्म कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि

4404. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली थियेटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, ईगल पिक्चर्स (प्राईवेट) लिमिटेड तथा साईन फोफ्स (प्राईवेट) लिमिटेड दिल्ली नामक फिल्म कम्पनियों के प्रत्येक निदेशक तथा अंशधारी ने गत तीन वर्षों के दौरान आयकर की कितनी धनराशि अदा की है ;

(ख) इन कम्पनियों की ओर से आयकर की कितनी धनराशि अभी भी बकाया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह राशि कितनी है तथा उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इन कम्पनियों के और इनके निदेशकों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

'खानदानी मनसूबा बन्दी' नामक पुस्तिका का खरीदना

4405. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन विभाग ने अक्तूबर, 1968 तथा नवम्बर,

1969 के बीच एक समिति के जरिये, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, 'खानदानी मनसूबा बन्दी' नामक एक पुस्तिका की 5 लाख प्रतियां वितरण के लिये खरीदी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और क्या इस्लामिक सुधार समिति ने इस विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जो इस सौदे में अन्तर्ग्रस्त हैं, खुले आम आरोप लगाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) अक्तूबर, 1968 और नवम्बर, 1969 के दौरान 'इस्लामिक रिसर्च सोसायटी' से पुस्तिका की 5.5 लाख प्रतियां ("खानदानी मनसूबा बन्दी" नामक उर्दू पुस्तिका की 3.5 लाख प्रतियां और "परिवार नियोजन—कुरान और हादिस की रोशनी में" नामक हिन्दी पुस्तिका की 2 लाख प्रतियां) खरीदी गयी थीं। इन्हें वितरण के लिए सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को सौंप दिया गया था। "इस्लामिक रिसर्च सोसायटी" समितियों सम्बन्धी पंजीकरण अधिनियम, XXI, 1860 के अधीन एक पंजीकृत संस्था है।

(ख) तथा (ग). "दी नेशनल कौन्सिल फार सोशल रिफार्म्स" ने जोकि पंजीकृत संस्था नहीं है, "इस्लामिक रिसर्च सोसायटी" तथा परिवार नियोजन विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। मामले की जांच की गई है और उक्त सौदे को सही पाया गया।

परिवार नियोजन प्रचार के लिए विदेशी विज्ञापन फर्म को ठेका देना

4406. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन प्रचार के लिये लाखों रुपये का ठेका फ्लेरियन मैक कैन एडवर्टाईजिंग सर्विसेज लिमिटेड नामक एक विदेशी कम्पनी को दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा में दिये गये इस आश्वासन के विरुद्ध है कि किसी भी विदेशी अभिकरण को ऐसे ठेके नहीं दिये जायेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि परिवार नियोजन विभाग के सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बात के लिये मनवा रहे हैं कि वह परिवार नियोजन अभियान में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ मिलकर विदेशी एजेन्सी को प्रचार ठेका देने के लिए सहमत हो जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (घ). यद्यपि परिवार नियोजन विभाग ने परिवार नियोजन प्रचार के लिए क्लेरियन मैक कैन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड को कोई ठेका नहीं दिया है, फिर भी, मई 1969 में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने परिवार नियोजन विभाग को निरोध प्रचार के लिए उपहार स्वरूप शिल्प कार्य और सामग्री देने का प्रस्ताव किया। यह कार्य अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के ठेके के अन्तर्गत मैसर्स क्लेरियन मैक कैन द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठेके की कुल राशि 7.75 लाख रुपये है जिसमें सामग्री की लागत भी शामिल है। भारतीय कम्पनियों द्वारा किये गये प्रतियोगी प्रस्तावों में क्लेरियन मैक कैन की दर सबसे कम थी और अच्छी किस्म की थी। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह फर्म एक भारतीय संस्था है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत है जिसमें भारतीय हिस्सेदारों की अधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्थायी अनुदेशों के अनुसार आर्थिक मामले और वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी को मंजूरी दी गई थी।

निरोध अभियान के लिए प्रचार सामग्री की वास्तविक छपाई और उत्पादन तथा किसी समुचित साधनों में विज्ञापन देने का कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किया जाएगा। संसद में दिये गये और प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित आश्वासन के सम्बन्ध में 4 मई, 1956 के राज्य सभा संकल्प में केवल यह निर्देश दिया गया कि सरकार और इसके अधीनस्थ संघटनों द्वारा विज्ञापन देने के मामले में भारतीय नियंत्रित और भारत की निजी विज्ञापन एजेन्सियों को **प्राथमिकता** दी जानी जाहिए। केवल 13 मार्च, 1970 को राज्य सभा में एक अन्य संकल्प पेश किया गया जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि इसके बाद किसी भी विदेशी विज्ञापन एजेन्सियों, चाहे वे पूर्णतया या आंशिक रूप से विदेशियों के स्वामित्व में हो, के जरिये कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। 13 मार्च, 1970 को जब राज्य सभा में संकल्प पेश हुआ, उससे बहुत पहले शिल्प कार्य और सामग्री जो जुलाई, 1969 में सरकार को उपहारस्वरूप मिलना था, के लिए सम्बन्धित ठेका अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा दिया गया था।

भाग (ग) में उठाया गया प्रश्न नहीं उठता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः अमरीकी विकास अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के साथ मिलकर परिवार नियोजन अभियान में विदेशी एजेन्सी को प्रचार ठेका देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता

4407. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिये विभिन्न मील दूरियों के

लिये वाहन भत्ते की क्या दरें हैं ;

(ख) ये दरें तथा मील दूरियां कब निर्धारित की गई थीं ;

(ग) जब ये दरें निश्चित की गई थीं, उस समय पेट्रोल तथा रख रखाव की लागत कितनी थी ;

(घ) इस समय रख रखाव तथा पेट्रोल की दरें क्या हैं ; और

(ङ) क्या पेट्रोल तथा रख-रखाव की लागत में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार इन दरों का पुनरीक्षण करने का है और यदि हां, तो सरकार विभिन्न दूरियों के लिये वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरों की घोषणा कब तक करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को देय भत्ते की दरें निम्न प्रकार हैं :

सरकारी ड्यूटी पर प्रतिमाह औसतन यात्रा	की गई यात्रा भत्तों की दर	
	अपनी मोटर से	अन्य सवारी द्वारा
201-300 कि० मी०	60.00 रु० प्रतिमाह	20.00 रु० प्रतिमाह
301-450 कि० मी०	90.00 रु० प्रतिमाह	30.00 रु० प्रतिमाह
451-600 कि० मी०	120.00 रु० प्रतिमाह	40.00 रु० प्रतिमाह
601-800 कि० मी०	150.00 रु० प्रतिमाह	50.00 रु० प्रतिमाह
800 से ऊपर कि०मी०	180.00 रु० प्रतिमाह	50.00 रु० प्रतिमाह

(ख) उपर्युक्त दरें मई, 1961 में निर्धारित की गई थीं।

(ग) यह इस मंत्रालय को मालूम नहीं है।

(घ) दिल्ली में आजकल कर सहित पेट्रोल की खुदरा कीमत 1.20 रुपये प्रति लीटर है। सभी सवारियों की अनुरक्षण-लागत एक समान नहीं हो सकती।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

सरकार के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को वेतन देने के तरीके में परिवर्तन

4408. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के कुछ वर्गों के वेतन लेने के तरीके में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या इस परिवर्तन में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के कुछ वर्ग शामिल नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अधिकारियों के किन वर्गों को शामिल नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को दूर करने तथा इस सम्बन्ध में द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों के साथ एक-सी नीति बरतने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). राजपत्रित अधिकारी (जिनमें श्रेणी II के राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं) सामान्यतः अपना वेतन राजकोषों में अपने बिल पेश करके प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था में अभी हाल में जो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं, वे ये हैं :—

(i) कुछ मंत्रालयों/विभागों/संलग्न कार्यालयों में, मुख्य रूप से जहां अधिकारियों का तबादला जल्दी-जल्दी एक लेखा-मण्डल से दूसरे लेखा मण्डल में होता रहता है, अदायगियां केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जाती है; जिसके अनुसार लेखा-अधिकारी अधिकारियों के नाम चेक जारी करते हैं जो उनके बैंक-खाते में जमा कर दिये जाते हैं।

(ii) कुछ मंत्रालयों/विभागों/संलग्न कार्यालयों में, जहां केन्द्रीयकृत प्रणाली लागू नहीं की गयी है, उन अधिकारियों को, जिनका तबादला एक लेखा-मण्डल से दूसरे लेखा-मण्डल में आम तौर पर जल्दी-जल्दी नहीं होता, "कार्यालयों के अध्यक्षों" द्वारा उसी प्रकार अदायगियां की जाती हैं जिस प्रकार अराजपत्रित कर्मचारियों को की जाती हैं।

इन परिवर्तनों की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग ने वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में की है। ये परिवर्तन, काम की मात्रा को देखते हुए, क्रमिक रूप से लागू किये जा रहे हैं। इसलिए, अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों में भेदभाव करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

Account of Indian Establishments, Firms and Companies in Foreign Banks

4409. **Shri Shardanand :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the names of such Indians industrial establishments, firms, companies and persons as have their accounts in the foreign banks in India and in Indian and foreign banks abroad ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, whether Government would ascertain from their own sources as to the names of persons, firms, industrial concerns having their account in foreign countries at persent ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Government have no information about the accounts maintained by various individuals firms, etc.

in foreign banks in India. According to the practices and usages customary amongst bankers, information relating to the affairs of their constituents is not ordinarily divulged by them. As regards accounts in foreign countries 788 individuals and firms, etc., had declared their balances to the Reserve Bank of India as on 31st December, 1968.

राज्यों को दिये गये ऋण पर ब्याज

4410. **श्री शारदा नन्द :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये विभिन्न ऋणों पर ब्याज के रूप में अलग कितनी-कितनी धन-राशि वसूल की है ;

(ख) वित्त वर्ष 1970-71 के दौरान केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार से ब्याज की कितनी राशि वसूल करेगी ; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर ब्याज की कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3021/70]**

(ख) अनुमान है कि 1970-71 में राज्य सरकारों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज के रूप में कुल 290 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। परन्तु राज्यों/संघीय राज्य-क्षेत्रों के अनुसार ब्याज का जो ब्योरा होगा वह इस बात पर निर्भर होगा कि चालू वर्ष के अन्त में प्रत्येक राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र के नाम ऋणों की कितनी रकम बकाया रहेगी।

(ग) 31 मार्च, 1969 को ब्याज की लगभग 33.80 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। इस बकाया रकम की अदायगी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा (20.38 करोड़ रुपया) और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा (13.40 करोड़ रुपया) की जानी थी। 31 मार्च 1970 को जो स्थिति होगी, उसका पता वर्ष समाप्त होने पर ही लगेगा।

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में काम बन्द होना

4411. **श्री एच० अजमल खां :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में हाल में काम अचानक बन्द हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे बजट के कागजों की छपाई के दौरान कर्मचारियों के सुव्यवस्थित ढंग से बाहर निकलने के लिए, मुद्रणालय के सुरक्षा अधिकारी ने गेट पर एक लोहे की छड़ लगवा दी थी । यह छड़, 21 फरवरी, को पहली पारी की समाप्ति पर, लगभग 6-30 बजे सांय संयोग से फिसल गई और एक कर्मचारी पर गिर पड़ी । कर्मचारी जख्मी हो गया है, यह आरोप लगाते हुए अन्य कर्मचारियों ने काम करने से इन्कार कर दिया । विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रेरित किए जाने पर कर्मचारियों ने लगभग 11 बजे रात को काम आरंभ किया । चिकित्सा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कर्मचारी को कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं लगी है ।

Income Tax due from film Producers

4412. **Shri Jugal Mondal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3844 on the 15 December, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that huge amount of Income-tax is outstanding at present in the names of Film Producers Shri Vijay Bhatt, Shri Shanker Bhatt, Shri B. R. Chopra, Shri T. R. Ramana, Madras, Shri A. Bhim Singh, Madras, Shri L. V. Prasad, Madras, Shri, Vasu Menon, Madras, Shri S. L. Jalan, Calcutta, Shri Shakti Samanta, Shri A. R. Kardar, Shri Subodh Mukerjee, Shri A. A. Nadiadmala, Bombay ;

(b) whether it is a fact that payment of Income-tax is not commensurate with their actual income and if so, whether Government propose to determine their actual incomes ;

(c) the amount of income-tax outstanding in each case and since when ;

(d) whether any case of concealment of Income has been detected and if so, the amount thereof, and the action taken ; and

(e) whether their houses have been raided during the above period and if so, the unaccounted money recovered from each during the raids and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The requisite information is given in the Statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-3022/70.]**

(b) Proper assessments have been made in the case of producers referred to in Part (a) of the Question and their tax liability is in accordance with their total incomes as determined by the Department.

फिल्म निर्माताओं की ओर आयकर की बकाया धनराशि

4413. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री दिनांक 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय फिल्म निर्माता श्री० जे० ओम प्रकाश, श्री एस० मुकर्जी, श्री देविन्दर गोयल, श्री मोहन सहगल, श्री गुलशन राय, श्री अजीत बोस, कलकत्ता, श्री

जी० वी० मनसाता, श्री० पी० के० दास, कलकत्ता तथा श्री ओ० पी० रल्हन, बम्बई के नाम, आय-कर की भारी धनराशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के नाम कितनी धनराशि बकाया है तथा कब से बकाया है ;

(ग) इस धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने आय छिपाने का भी कोई मामला पकड़ा है और यदि हां, तो कितनी धनराशि छिपाई गई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना, सभा की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3023/70]**

फिल्म कम्पनियों पर छापे

4414. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा तमिलनाडु की उन फिल्म वितरक तथा फिल्म निर्माता कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके कार्यालयों पर पुलिस तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कर-अपवंचन, उचित धनराशि से अधिक धनराशि तथा कम धनराशि के बीजक बनाने तथा अन्य भ्रष्ट-कार्य-वाहियां करने के आरोप पर गत तीन वर्षों के दौरान छापे मारे ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन छापों के दौरान किस प्रकार के कागजात पकड़े गये तथा कितने रुपये के कर-अपवंचन, उचित धनराशि से अधिक तथा कम धनराशि के बीजक बनाने के मामले पकड़े गये ; और

(ग) उपरोक्त आरोपों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किन-किन कंपनियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

फिल्म उद्योग के लोगों द्वारा धनकर का भुगतान

4415. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग में उन फिल्म अभिनेताओं के क्या नाम हैं जो एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तथा पांच लाख से दस लाख रुपये की सम्पत्ति पर धन-कर दे रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक के पास कितने मूल्य की सम्पत्ति है तथा प्रत्येक ने गत तीन वर्षों के दौरान कितना-कितना धन-कर दिया है ; और

(ग) उन फिल्म अभिनेताओं के क्या नाम हैं जिनकी घोषित सम्पत्ति के मूल्य में इस अवधि के दौरान सम्पत्ति कर अधिकारियों द्वारा वृद्धि की गई तथा इस वृद्धि का प्रत्येक मामले में क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा जो इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों के अनुकूल नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष फिल्मी सितारे के बारे में सूचना चाहते हों तो अपेक्षित सूचना इकट्ठी करके प्रस्तुत कर दी जायगी।

विकलांगों के बारे में दूसरी मलेशियाई बैठक

4416. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शल्य चिकित्सक अप्रैल/ मई, 1970 में कुआलालम्पुर में होने वाली विकलांगों के बारे में दूसरी मलेशियाई बैठक में भाग लेने जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस बारे में किसी भी भारतीय सर्जन ने भारत सरकार से निवेदन नहीं किया है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

परिवहन संचालकों के लिये बैंक ऋण

4417. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में परिवहन संचालकों को बैंक ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सड़क परिवहन चालकों के लिए सीधे वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से योजना तैयार की है। जिन योजनाओं में सड़क परिवहन चालकों के लिए वित्त प्रबन्ध किये जाने की व्यवस्था है, उन्हीं योजनाओं में टैक्सी, आटो-रिक्शा आदि की खरीद के लिए भी वित्त प्रबन्ध किये जाने की व्यवस्था है। रिक्शों के सम्बन्ध में सामान्यतः 500 रुपये तक का या रिक्शे के मूल्य के बराबर की रकम का ऋण दिया जाता है। आटो-रिक्शा के सम्बन्ध में सामान्यतः 5,000 रुपये तक का ऋण मंजूर किया जाता है जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन रखा जाता है। टैक्सियों, ट्रकों और बसों के सम्बन्ध में, नयी गाड़ियों के मूल्यों के 70 से 75 प्रतिशत तक के ऋण दिये जाते हैं किन्तु अधिकतम राशि लगभग 60,000 रुपये निर्धारित की गयी है। जहां तक रिक्शा-मालिकों को दिये जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है, न्यूनतम मार्जिन के बारे में हमेशा जोर नहीं दिया जाता लेकिन

गाड़ी को बैंक के पास दृष्टि-बन्धक रखना पड़ता है। ऋण, 24 से 30 उपयुक्त मासिक किस्तों में चुकाना पड़ता है। इस ऋण पर लगभग 9 प्रतिशत ब्याज लगता है। जनवरी 1970 के अन्त में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों की बकाया रकम 15.1 करोड़ रुपये थी और ऋण खातों की संख्या 6362 थी।

इण्डोनेशिया को सहायता

4418. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान आश्वासन दिया गया था कि भारत इण्डोनेशिया को उसके आर्थिक विकास के लिये सहायता देगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि इण्डोनेशिया को कितनी सहायता दी जायेगी और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने में कठिनाई

4419. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने के लिये छात्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कई मेडिकल कालेजों तथा अन्य संस्थानों ने प्रवेश के बारे में कुछ ऐसी शर्तें निर्धारित कर रखी हैं जो भेदभावपूर्ण हैं तथा कभी-कभी साम्प्रदायिकतापूर्ण हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों में छात्रों में किसी निश्चित अवधि तक सेवा करने के बोण्ड भरने पड़ते हैं तथा कई संस्थानों में व्यक्ति कर तथा चन्दे मांगे जाते हैं यदि हां तो इसके बारे में ब्योरा क्या है ; और

(घ) देश में इस प्रकार का भेदभाव समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने में अन्य बातों के साथ-

साथ निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :—

(i) मांग की तुलना में स्थानों की कमी ।

(ii) कुछ संस्थाओं द्वारा लगाये गये स्थाई निवास-स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध ।

(iii) कुछ संस्थाओं द्वारा प्रवेश पूर्व योग्यता के सम्बन्ध में लगाये गये ये प्रतिबन्ध कि उस योग्यता का उसी राज्य के बोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त होना अपेक्षित है जिस राज्य में वह संस्था है ।

(iv) कुछ गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा वसूल किये जाने वाले प्रतिव्यक्ति शुल्क ।

(ख) अधिकांश मेडिकल कालेजों में प्रवेश स्थाई निवास-स्थान के आधार पर किये जाते हैं । दो मेडिकल कालेजों में कुछ काले जातिगत आधार पर प्रवेश हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं ।

(ग) राज्य मेडिकल कालेजों में दाखिल किये छात्रों द्वारा सर्विस बाण्ड भरे जाने के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । मगर जिन छात्रों को निर्वाह व्यय / छात्रवृत्ति दी जाती है, उन्हें सामान्यतः नौकरी के लिये बाण्ड भरना पड़ता है । आंध्र प्रदेश में वारंगल और काकीनाडा बिहार में जमशेदपुर, महाराष्ट्र में शोलापुर और मैसूर में गुलबर्गा, बेलगाम, मणिपाल तथा देवनगिरि स्थित केवल कुछ गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में ही प्रतिव्यक्ति शुल्क / चन्दा वसूल किया जाता है ।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे मेडिकल कालेजों में प्रवेश के मामले में स्थाई निवास स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्धों के हटाने पर विचार करें । इसके अलावा, उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहन न दे और यथा सम्भव गैर-सरकारी कालेजों का अधिग्रहण करें ।

राजस्थान में सवाई माधोपुर के स्थान पर तेल शोधक कारखाना

4420. **श्री देवकीनंदन पाटोदिया :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने सवाई माधोपुर के समीप एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) इस और अन्य राज्य सरकारों के इसी तरह के अनुरोध उपयुक्त समय पर विचार करने के लिये ध्यान में रखे जा रहे हैं, जब अतिरिक्त शोधक क्षमता की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा ।

कोरबा स्थित उर्वरक कारखाने को कोयला सप्लाई करने के लिये सुराकाचार कोयला खानों का विकास

4421. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शशि भूषण :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री मणिभाई जे० पटेल
श्री लखनलाल गुप्ता :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सुराकाचार कोयला खानों का विकास किया है । और कोरबा में प्रस्तावित उर्वरक कारखाने को कोयला सप्लाई करने हेतु खनन उपकरणों के लिये धन लगाया है ;

(ख) कितना धन लगाया गया है और क्या कारखाने के लिये स्थानीय सप्लाई के अतिरिक्त इन खानों को चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है ;

(ग) क्या सुराकाचार और उर्वरक कारखानों के स्थान को मिलाने के लिये हसदेव नदी पर एक रेल पुल बनाया गया है, यदि हां, तो इस पुल पर कितनी लागत आयी है ; और

(घ) क्या कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों की प्राथमिकता निर्धारित करते समय उक्त भाग (ख) तथा (ग) पर आने वाली लागत को ध्यान में रखा गया है, यदि हां, तो क्या कोरबा के स्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) रेलवे, विद्युत केन्द्रों और अन्य भाप उत्पन्न करने वाले सन्यन्त्रों की विशेष रूप से पश्चिमी भारत में, कोयले की होने वाली मांग को पूरा करने के लिये, तीसरी योजना में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सुराकाचार कोयला खान को, सरकारी क्षेत्र के कोयला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया ।

(ख) 30-9-1969 तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सुराकाचार खान में 9.31 करोड़ रुपयों का निवेश किया । वर्तमान मार्किट परिस्थितियों के अनुसार, जब तक खान निर्धारित क्षमता पर कार्य नहीं करती, तब तक इससे लाभ प्रदत्ता प्राप्त नहीं हो सकती ।

(ग) चम्पा कोरबा ब्रांच के गेवरा रोड तक विस्तार के बारे में, 30.40 लाख रुपये की लागत पर, हसदेओं नदी पर एक रेलवे पुल का निर्माण किया गया था और इसे

ट्रैफिक के लिये 1-4-65 को चालू किया गया । गैवरा रोड स्टेशन से, एस्सिटिड/प्राइवेट साइडिंग शर्तों पर, सुराकाचार और बाकी खदानों के लिये साइडिंग्स की व्यवस्था की गई है।

(घ) सारे सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयंत्रों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है । तालचर और रामगुण्डम उर्वरक परियोजनाओं की कार्यान्विति को तत्काल हाथ में लिया जायेगा । अन्य दो परियोजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा के प्रबन्ध हो जाने के बाद निर्माण-व्यवस्था का निर्धारण किया जायेगा । कोरबा परियोजना की तुलना में तालचर और रामागुण्डम परियोजनाओं के उत्पादों की बिक्री सम्भावनाएं अच्छी हैं ।

कोयला आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये रूस से मशीनरी खरीदना

4422. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जर्यासिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोयला आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए रूस से मशीनें खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो रूस किन शर्तों पर इन मशीनों की सप्लाई करने को सहमत हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) स्रोत/स्रोतों जहां से कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिये उपकरण देशीय निर्मित नहीं उपलब्ध किये जाने हैं, के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । रूस से कुछ उपकरण प्राप्त करने की सम्भावना पर अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा अस्पताल खोलने के लिये राजसहायता

4423. **श्री दण्डपाणि :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा सुविधाओं की विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक कमी को

देखते हुए सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत लोग खुद अस्पताल खोलेंगे और जिसके लिये उन्हें राज सहायता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). निःसन्देह चिकित्सा सुविधाओं की आम कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह कमी और भी अधिक है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण औषधालयों के अतिरिक्त 4938 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 23,075 उप-केन्द्रों का जाल बिछाकर काफी हद तक चिकित्सा सुविधाएं दे दी गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी।

लोग खुद अस्पताल खोलें और सरकार उसके लिये उन्हें आर्थिक सहायता दे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि परिषद् केन्द्रीय स्वास्थ्य की एक उपसमिति ने हाल ही में एकसु झाव दिया है कि स्वैच्छिक संगठनों को जो चिकित्सा संस्थान चला रहे हैं इस शर्त पर अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाये कि वे कुल पलंगों का कम से कम 20% निम्न तथा मध्य आय वर्गों की जनता के लिये निःशुल्क सुरक्षित रखें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध

4424. **श्री दण्डपाणि :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से मदद देने का अनुरोध करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

औषधि उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

4425. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :
श्री रवि राय :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :
श्री देवेन सेन :
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ए० ला० बारुपाल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार औषधियों के लिये एक नये मूल्य ढांचे को बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिसने औषधियों के लागत ढांचे की जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय की कब घोषणा किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने औषधि उद्योग को औषधियों के मूल्य में कमी करने अथवा इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये अल्टीमेटम भी दे दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (घ). टैरिफ आयोग, जिसने कुछ अत्यावश्यक औषधियों के मूल्य ढांचे का अध्ययन किया है, ने कुछ सिफारिशें की हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। टैरिफ आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में औषधियों के उचित विक्रय मूल्यों पर सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

(ङ) औषध उद्योग को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। औषधि मूल्यों में कमी करने के बारे में उनके विचार जानने के लिये सरकार ने हाल ही में उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। बैठक के 10 दिनों के अन्दर उन्हें अपने विचार बता देने के लिये कहा गया है।

बड़े रासायनिक कारखानों के विस्तार के लिये उपक्रमों को दिये गये लाइसेंसों का अप्रयोग

4426. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उपक्रमों ने, जिनको गत तीन वर्षों में अथवा इससे पहले बड़े रासायनिक

कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उनका प्रयोग कब तक नहीं किया है ;

(ख) ऐसे उपक्रमों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके लाइसेंसों को रद्द कर दिया है अथवा नहीं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) . जहां तक पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का सम्बन्ध है, एक विवरण, जिसमें सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) विवरण पत्र की क्रम संख्या 2 और 10 के दो लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं । क्रम संख्या 1 और 9 के दो लाइसेंसों को रद्द करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । अन्य मामलों में लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई है, अत: उन्हें रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विवरण पत्र जिसमें उन उद्यमकर्ताओं के नाम दिये गये हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में या इससे पहले बड़े रासायनिक कारखानों का पर्याप्त विस्तार करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे और जिन्होंने अब तक लाइसेंस का प्रयोग नहीं किया है :

1. मैसर्स बंगाल इम्यूनिटि कं० लि०; कलकत्ता ।
2. मैसर्स सैन्डोज (इन्डिया) लि०, बम्बई ।
3. मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी ।
4. मैसर्स सीबा आफ इन्डिया लि० बम्बई ।
5. मैसर्स एसोशियेटेड कैपसूल्स प्राइवेट लि० बम्बई ।
6. मैसर्स अमर डाई-कैम लि०, बम्बई ।
7. मैसर्स सुहृद गेगी लि०, बरौदा ।
8. मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि०, बम्बई ।
9. मैसर्स पैस्टीसाइडस लि०, बम्बई ।
10. मैसर्स हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स लि०, कलकत्ता ।
11. मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कोटा (राजस्थान) ।
12. मैसर्स अतुल प्राडक्टस लि०, अतुल ।
13. मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं० लि०, बम्बई ।
14. मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०, बम्बई ।
15. मैसर्स केनौरिया कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट (उत्तर प्रदेश) ।
16. मैसर्स श्री गोपाल पेपर मिल्स लि०, जगाधरी (हरियाणा) ।
17. मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर (गुजरात)
18. मैसर्स इन्डियन डाईस्टफ इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई ।
19. मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०, नई दिल्ली ।

Setting up of Orthopaedic and Ear Hospitals Near Tihar and Karolbagh Areas of Delhi

4427. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up orthopaedic and ear hospitals near Tihar and Karolbagh area of Delhi ; and

(b) if so, the expenditure to be incurred on the construction of the said hospitals and the number of beds provided therein ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). There is no proposal to set up exclusive orthopaedic or ear hospitals. However, the Delhi Administration proposes to establish a 100 bed general hospital near Tihar in West Delhi. In the first instance, a 54 bedded block will be set up. A sum of Rs. 80 lakhs has been allocated for this purpose during the Fourth Five Year Plan period.

It is also proposed by the Delhi Administration to take over Dr. Joshi's Hospital in Karol Bagh area in which a fracture service clinic will be established which will include 30 beds for Orthopaedic and fracture cases. The expenditure to be incurred for this purpose during the Fourth Five Year Plan has been estimated at Rs. 82 lakhs by the Delhi Administration.

जड़ी बूटियों पर प्रयोग

4429. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जड़ी बूटियों तथा पौधों पर आधारित दर्जनों औषधियों पर अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली में रासायनिक तथा चिकित्सा परीक्षण किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिये इन औषधियों को वाणिज्यिक आधार पर निर्माण को प्रोत्साहन देगी और ऐलोपैथिक दवाइयों से होने वाले कई प्रकार के कुप्रभावों के भय का निवारण करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लगभग आधी दर्जन जड़ी बूटियों और/या उनके सक्रिय सिद्धान्तों के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा अन्य संस्थाओं में इस समय रासायनिक और/या रोग-विषयक परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) औषधियों के व्यापारिक निर्माण के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका रोग-विषयक परीक्षण हो जाये और वे गुणकारी पायी जायें।

पुरानी दिल्ली के नागरिकों को रिहायशी प्लाट

4430. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पुराने शहरवासियों को कुछ नई बस्तियों में प्राथमिकता आधार पर तथा सस्ती दरों पर प्लाट देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) . निम्न और मध्यम आय वर्गों में लोगों के निम्नलिखित वर्गों को, प्राथमिकता के आधार पर उन वर्गों के लिये लागू पूर्व-निर्धारित दरों पर भूमि के प्लाट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है :

(1) गन्दी बस्ती (सफाई तथा सुधार) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 'सफाई क्षेत्रों' के रूप में घोषित किये गए क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों को जिनके अपने मकान हैं अथवा जो उन क्षेत्रों की सम्पत्तियों में किरायेदार हैं।

(2) उन व्यक्तियों के अपने मकान/प्लाट जो पुराने शहर की घनी आबादी में हैं और जो 80 वर्ग गज से कम हैं और जिनके मकानों को खतरनाक घोषित कर दिया है तथा उनके वृहत योजना की आवश्यकताओं अथवा दिल्ली नगर निगम के भवन नियमों के अनुसरण में पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है । आवंटन कतिपय प्रतिबंधों पर आधारित होंगे, जैसे :

(क) सम्बन्धित व्यक्ति का दिल्ली संघ क्षेत्र में अपने नाम में, या अपनी पत्नी/पति के नाम में या उनके आश्रित सम्बन्धियों के नाम, जिनमें अविवाहित बच्चे सम्मिलित हैं, कोई मकान अथवा एक रिहायशी प्लाट न हो ।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी को सम्पत्ति का खाली कब्जा दिया जा चुका है ।

(ग) जिन व्यक्तियों को मुआवजे के ऐवज में भूमि दी जाती है, वे गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत पुनर्वास के किसी अन्य लाभ और सुविधा के पात्र नहीं होंगे ।

भारतीय रुपये का मूल्य

4431. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये का मूल्य अब फिर नीचे गिरता जा रहा है तथा अमरीकी डालर तथा पौंड स्टर्लिग का मूल्य बाजार में अनौपचारिक रूप से सरकारी दरों से बहुत अधिक बताया जा रहा है ;

(ख) अगस्त, 1969 से फरवरी, 1970 तक की अवधि में हर मास की पहली तारीख को अमरीकी डालर तथा पौंड स्टर्लिग की अनौपचारिक रूप से क्या दरें बताई गयी हैं ;

(ग) रुपये के मूल्य में इस गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(घ) अवमूल्यन-पूर्व की अवधि में सरकारी मुद्रा सममूल्य दर की तुलना में विदेश में रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . रुपये के मूल्य में, अर्थात् अमरीकी डालर के रूप में इसकी विनिमय दर में, जून, 1966 में अवमूल्यन किये जाने के बाद से, अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अधिकृत विनिमय दर से भिन्न विनिमय दर के अनुसार किये जाने वाले लेनदेन विनिमय नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन हैं । इक्का-दुक्का होने वाली और मामूली किस्म के इन गैर-कानूनी और अनधिकृत लेनदेनों का रुपये की सुदृढ़ता से कोई सम्बन्ध नहीं है । इन तथाकथित अनधिकृत दरों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के लेनदेन बिलकुल अनधिकृत और अमान्य होते हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) रुपये का वर्तमान सम-मूल्य अमरीका के 13.33 सेंट है जबकि 6 जून, 1966 से पहले 21 सेंट था ।

मैंगनीज उद्योग के लिये कार्यवाही दल की स्थापना

4432. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इस कार्यकारी दल को किस पद्धति पर अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया है और यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) सदस्यों की सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3024/70]**

(ग) कार्यकारी दल के लिये निर्देश-पद संलग्न है । अन्तरिम रिपोर्ट की अप्रैल, 1970 में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ।

भारत में करों का भार

4433. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाणिज्य-मंडल, कलकत्ता द्वारा भारत में कर भार के बारे में हाल में किये गये एक अध्ययन की ओर दिलाया गया हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत में करों का बोझ विश्व में सबसे अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों की तुलना में भारत में कर-भार का तुलनात्मक अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसा करने का हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को वाणिज्य-मंडल, कलकत्ता द्वारा किये गये इस प्रकार के किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इस प्रकार का कोई अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया गया क्योंकि विभिन्न देशों में निगमित कराधान के प्रभाव की सूक्ष्म रूप से तुलना करना संभव नहीं है।

तमिलनाडु के उत्तर अरकाट जिले में लोह अयस्क मिलना

4434. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर अरकाट जिला (तमिलनाडु) में हाल ही में लौह अयस्क के बड़े भारी भंडारों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर मिले हैं और उनकी मात्रा का अनुमान क्या है, वे किस किस्म के हैं और वे अनुमानतः कितने मूल्य के होंगे ;

(ग) खनन कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ;

(घ) क्या खान कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा ; और

(ङ) यदि यह कार्य संयुक्त रूप से होगा तो व्यय तथा लाभ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का अनुपात कितना-कितना होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लौह अयस्क के लिये उत्तर अर्काट जिले में तिरुवन्नामलई के निकट अन्वेषण किये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तिरुवन्नामलई के निकट के प्राप्ति-स्थलों के लिये 33-40 प्रतिशत लौह अयस्क युक्त मेग्नेटाइट-क्वार्टजाइट के 500 लाख मैट्रिक टन के प्रारंभिक अनुमान लगाये गये हैं।

(ग) अन्वेषण अभी भी प्रगति पर है। वर्तमान अन्वेषण के पूरा कर लिये जाने के उपरान्त ही खनन प्रारम्भ करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(घ) और (ङ). इस समय प्रश्न नहीं उठते।

Grant of House Building Loans to Government Employees

4435. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Government officers and staff who have been granted loans for building houses ;

(b) the number out of them who have built their houses ;

(c) whether Government have found out whether those officers and employees have shifted to their new houses or are still residing in the Government accommodation and also whether they have rented out the newly built houses ; and

(d) whether Government propose to appoint a Committee to go into the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Since the inception of the Scheme in 1956, till 28th February, 1970, approval was accorded to the grant of advance to 9038 Central Government Employees.

(b) and (c). No such statistics are maintained in the Ministry. Actual drawal of advances is sanctioned in the Heads of Departments of the concerned Government servants. Collection of such information from all over the country will not be commensurate with the time and labour involved. Under the existing orders, it is not obligatory for Government servants to vacate Government accommodation (which, incidentally, is not available in all town and cities) when they have constructed or purchased their own houses/flats which may or may not be located at their place of duty.

(d) No.

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बैलेडिला में छुरें बनाने के कारखाने की स्थापना

4436. **श्री शशि भूषण :**
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री मणिभाई जे० पटेल
श्री लखन लाल गुप्ता :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के चूरे का उपयोग करने के लिये सरकारी क्षेत्र

में बैलेडिला में पैलेटाइजेशन (छर्रे बनाने) का एक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को कब तक स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बेलाडिला क्षेत्र में लोह अयस्क सूक्ष्मों तथा नीली चूल पर आधारित एक पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के संबंध में एक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ करवाया है। सम्भाव्यता रिपोर्ट के 1970 के मध्य तक मिलने की संभावना है। संयंत्र की स्थापना में निवेश के प्रश्न पर निर्णय सम्भाव्यता रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् ही लिया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास

4437. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य आवास पूल से आवास के लिये कभी पात्र समझा गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ अधिकारियों को जिनका केन्द्रीय सरकार में कोई धारणाधिकार (लियन) नहीं था, सामान्य पूल से मकान कैसे आवंटित किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केवल एक कर्मचारी जिसका केन्द्रीय सरकार में कोई धारणाधिकार (लियन) नहीं था, के मामले में, एक विशेष मामले के तौर पर, उसके पति की मृत्यु के कारण, आवंटन किया गया था। 1 फरवरी, 1969 से उसके नाम आवंटन रद्द कर दिया गया था और मकान को खाली कराने के लिए बेदखली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

Realisation of Refreshment Expenditure by Higher Officers made at their Houses from their Companies

4438. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that higher officers of companies realise the expenditure incurred by them on refreshments at their houses from the companies themselves ; and

(b) the details of the said expenditure realised by the higher officers of the companies for the last one year ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

5 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया धनराशि

4439. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालनोविस आयोग द्वारा उल्लिखित एकाधिकारियों के 75 परिवारों की ओर 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया कर-राशि के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगी गई सूचना सभा की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3025/70]**

बकाया कर राशि के आंकड़े

4441. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख रुपये से अधिक की बकाया कर राशि के बारे में आंकड़े इस बीच एकत्रित कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बकाया-राशि के एकत्रित करने के बारे में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कार्यवाही के क्या ठोस परिणाम निकले तथा उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध इस संबंध में कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1 लाख रुपये से ऊपर तथा 5 लाख रुपये से नीचे की बकाया सम्बन्धी मांगों का विश्लेषण अभी पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) चूंकि 1 लाख से ऊपर तथा 5 लाख रुपये से नीचे की बकाया सम्बन्धी मांगों का विश्लेषण पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए ऐसी बकाया इकट्ठा हो जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने अथवा गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, यदि कोई हो तो, कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Grant of recognition to Central Office Employees Union of I. D. P. L.

4442. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for which the management of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. has not accorded recognition to Central Office Employees Union, so far ;

(b) the reasons for delay in this respect ;

(c) whether Government's attention has been invited to the fact that the management of the said company does not carry out the order issued by Government as also the recommendations of the Administrative Reforms Commission which have duly been accepted by the Central Government and if so, the reasons therefor ; and

(d) the nature of action taken by Government against such managements ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The question of recognition of the union is under consideration of the company. It has to consider several factors in this regard viz., the number of employees at the Head Office drawing salary less than Rs. 500/- p. m., the practice prevailing in other public sector undertakings, whose headquarters are located at Delhi etc. before taking a decision.

(c) There is no question of the company not carrying out the orders issued by Government or the recommendations of the Administrative Reforms Commission which have been accepted by the Government. The public sector undertakings are autonomous bodies and Government exercises limited control over them. The Bureau of Public Enterprises issues guidelines in the light of the Government's decisions and the public sector undertakings are expected to follow those guidelines. The Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. has been generally following these guidelines but in one or two matters it could not do so for some special reasons.

(d) Does not arise.

उड़ीसा में मेडिकल कालेजों में प्रसूति विभाग

4443. **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में किसी मेडिकल कालेज में एक नया प्रसूति विभाग खोलने की अनुमति दी गयी हैं ;

(ख) अगले पांच वर्षों में इस बारे में कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने यह विभाग खोलने के लिये धनराशि मांगी थी तथा वह उसे मिल गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता दिये जाने के लिए मेडिकल कालिज कटक में चालू वर्ष में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान का एक स्नातकोत्तर विभाग मंजूर किया गया है।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में स्नातकोत्तर चिकित्सा विभाग खोलने के लिए केन्द्रीय

सहायता निम्नलिखित प्रतिमान के हिसाब से दी जायेगी जो योजना अवधि में प्रति विभाग दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :–

अनावर्ती खर्च

(1) भवन – संबंधित विभाग में प्रयोगशाला तथा नैदानिक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त भवनों का निर्माण करने हेतु ।

(2) उपस्करण – विभाग के लिए अपेक्षित विशेष उपस्करणों की व्यवस्था के हेतु ।

आवर्ती खर्च

(1) स्टाफ – भारतीय चिकित्सा परिषद तथा संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा सुझाये गये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए ।

(2) वजीफे – प्रदेश में प्रचलित अथवा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर विभाग में दाखिल किये गये स्नातकोत्तर कक्षा के दस छात्रों को वजीफे देने के हेतु ।

(ग) और (घ). स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा विभागों की स्थापना की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अलग-अलग विभागों के लिए पृथक से केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है । उड़ीसा की सरकार ने अपने स्नातकोत्तर विभाग के लिए आलोच्य वर्ष में 6.47 लाख रुपये की मांग की थी । यह रकम मंजूर कर दी गई है ।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों के लिये की गई और ड्रेसिंग जांच

4444. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो शुल्क लेने के आधार पर गैर-सरकारी पार्टियों के लिये और ड्रेसिंग जांच कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी पार्टियों के लिए ऐसी कोई सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी ओर से और ड्रेसिंग जांच कार्य कहां हो रहा है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी बार जांच की गई और गैर-सरकारी पार्टियों के कितने मामले भारतीय खान ब्यूरो के पास लम्बित हैं ; और

(ङ) चौथी योजना अवधि में कितने जांच कार्य करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गैर-सरकारी दलों के लिये अयस्क प्रसाधन अन्वेषण मुख्य रूप से भारतीय खान ब्यूरो एवं राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में किये जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अधीन, हैदराबाद, भुवनेश्वर, आदि की कुछ प्रयोगशालाएं विशेष खनिजों पर कुछ परिष्करण प्रयोग करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रायोगिक संयंत्र परीक्षणों सहित किये गये अन्वेषणों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल संख्या	गैर-सरकारी खानें
1966-67	18	—
1967-68	19	2
1968-69	25	1

गैर-सरकारी खानों से कोई नमूना इस समय लम्बित नहीं है।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किये जाने वाले अन्वेषणों की संख्या 150 है।

भारत में राक फास्फेट के परिष्करण में अमरीकी सहायता मिशन से सहायता

4445. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राक फास्फेट के परिष्करण में अमरीकी सहायता मिशन कुछ सहायता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मिशन किस प्रकार की और कितनी सहायता कर रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जी, हां। उत्तर प्रदेश के मंसूरी क्षेत्र में राक फास्फेट के निक्षेपों की शीघ्रतापूर्वक खोज करने के विचार से भारत सरकार ने "सहायता ऋण संख्या 386 एच 115, 'आपरेशन साफ्ट राक' नाम से ज्ञात परामर्शदाता सेवाएं" के द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण मिशन के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण ने अन्य बातों के साथ फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन के लिये सान्द्र प्राप्त करने के विचार से सबसे अच्छी पद्धति का निर्धारण करने के लिये चुने हुए क्षेत्रों से राक फास्फेट के नमूनों पर परिष्करण परीक्षण करने के लिये, मध्यम वर्ग की फास्फेटों के परिष्करण के लिये प्रायोगिक संयंत्रों के डिजाइनों, चालू किये जाने एवं परिचालन की ठीक पद्धतियों का प्रदर्शन करने के लिए और राक फास्फेट परिष्करण में नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिये एक निष्कर्षक धातुकर्मी की सेवाएं प्रदान की हैं।

आसाम के डुमडुमा तथा अन्य क्षेत्रों में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाना

4446. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री यशपाल सिंह :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड ने मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में आसाम के डुमडुमा तथा अन्य क्षेत्रों में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थान में तेल के भण्डार का कोई अनुमान भी लगाया गया है ; और

(ग) तेल निकालने का काम कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). डुमडुमा क्षेत्र में दौरमारा परीक्षण कुएं में कुछ दिनों तक थोड़े से कण्डेन-सेट और कुछ तेल/गैस का उत्पादन हुआ। किन्तु बाद में उत्पादन में पानी दिखाई दिया और तेल के उत्पादन में तेजी से कमी हो गई ; जिससे पता चला कि यहां पर संचय बहुत कम है और परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) जब कभी व्यापारिक समुपयोजन के योग्य भंडार उपलब्ध होंगे, समुपयोजन कार्य शुरू किया जायेगा ।

देश का जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

4447. **श्री देविन्दर सिंह :** **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री सीता राम केसरी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र संस्थान, वैलग्रेड के निदेशक श्री लीओ मेट्स के नेतृत्व में दस सदस्यों का जो आयोग देश के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता करने के लिए भारत आया था, उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सिफारिशों का सारांश रिपोर्ट के 12वें अध्याय में दिया गया है।

(ख) और (ग). सिफारिशों की जांच की जा रही है।

राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता

4448. **श्री देविन्दर सिंह :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य को 1970-71 में कितनी विशेष सहायता दी गई ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : राज्यों को, उनके साधनों की कमियों को पूरा करने के लिए 1970-71 में दी जाने वाली विशेष सहायता की मात्रा के बारे में अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

साउथ ब्लाक के तहखाने में आग लगना

4449. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि वह 17 जनवरी, 1970 को साउथ ब्लाक के तहखाने से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फर्नीचर के गोदाम में आग लगने के कारणों की जांच-पड़ताल नहीं करें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी ने अग्निशामक दस्ते से असम्बद्ध पुलिस तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी उपयुक्त कार्यवाही न करके लापरवाही बरती।

लापरवाही के लिए दायित्व का निर्धारण करने के लिए आग के कारण की जांच करने के लिए विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है ।

उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

4450. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उड़ीसा के बजट में घाटा दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने, 1970-71 के बजट अनुमान पेश करते हुए, अपने बजट भाषण में 1969-70 में 32.09 करोड़ रुपये का प्रत्याशित घाटा होने का उल्लेख किया है ।

(ग) भारत सरकार 1969-70 में राज्य सरकार को 32 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दे रही है। योजना आयोग ने राज्य के साधनों में इतनी ही रकम की कमी होने का अनुमान लगाया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की राशि में वृद्धि

4451. **श्री रवि राय :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पशन की राशि बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशन भोगियों को, जिनमें परिवार-पेंशन पाने वाले भी शामिल हैं, 1 मार्च 1970 से न्यूनतम 40 रु० प्रति माह पेंशन मिलेगी जिसमें तदर्थ और अस्थायी वृद्धि, यदि कोई लागू हो तो वह भी शामिल है। इसके अलावा, पेंशन की रकमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्राइवेट चिकित्सकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण

4452. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**

श्री देविन्दर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 10,000 प्राइवेट चिकित्सकों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में निकट भविष्य में पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया जायेगा;

(ग) क्या अपने रोगियों को क्लिनिकल सेवायें प्रदान करने वाले डाक्टरों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने डाक्टर उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, उन सामान्य चिकित्सकों को जो भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्य हैं।

(ख) लगभग 5,05,800 रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) चिकित्सकों को क्लीनिकल सेवाओं और अनुवर्ती इलाज के लिए निम्नलिखित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई है :

	प्रति केस
लूप	11.00 रुपये
पुरुष नसबन्दी	30.00 रुपये
महिला नसबन्दी	40.00 रुपये

(ङ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन का विषय परिचायक ज्ञान कितने चिकित्सकों को देने का विचार है, वह इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	500
असम	300
पश्चिम बंगाल	2000
बिहार	1200
बम्बई (राजधानी)	800
गुजरात	200
हरियाणा	70
केरल	450
मध्य प्रदेश	500
तमिल नाडु	650
महाराष्ट्र	800
मैसूर	500
उड़ीसा	200
पंजाब	180
राजस्थान	200
उत्तर प्रदेश	800
हिमाचल प्रदेश	30
	9880

भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली की सहायता से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 482 सामान्य चिकित्सकों को अब तक विषय परिचायक ज्ञान दिया जा चुका है। कार्यक्रम के लिए उन चिकित्सकों का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है जो अभी तक भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्य नहीं हैं।

जीवन बीमा निगम को गांधी जन्म शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सुझाव

4454. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में हुए गांधी जन्म शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मद्य

सेवन न करने वाले व्यक्तियों के लिये कम प्रीमियम दरों पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और मोटरकार बीमा की पालसियां देना आरम्भ करने के लिये जीवन बीमा निगम को निदेश देने की सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारी

4455. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना के मुख्य कार्यालय में तथा उक्त परियोजना स्थल पर 325-575 रुपये के वेतनमान वाले या इससे अधिक वेतनमान वाले कितने अधिकारी किस-किस पद पर तथा किस-किस विभान में काम करते हैं।

(ख) उनमें से कितने राजस्थान के हैं औ र कितने अन्य राज्यों के; और

(ग) उपरोक्त पदों में लिये यो ग्य पाये गये राजस्थान के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). ब्योरे देता हुआ एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3026/70]**

(ग) (1) इन पदों पर भर्ती के लिये गठित चयन समितियों में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सम्मि लित होता है, जो कि सामान्यतया निदेशक मण्डल में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी होता है।

(2) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती के लिये कुछ निर्देश पद नियत किये हैं और कम्पनी द्वारा इनका पालन किया जा रहा है।

(क) माध्यमिक स्तर के तकनीकी एवं गैर-सरकारी पदों (350-850 रुपये) के लिये भर्ती सारे भारत के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्य मापदण्ड गुण तथा अर्हताएं होती हैं। इस बात को सुनिश्चित करने में सावधानी बरती जाती है कि स्थानीय उम्मीदवारों को उचित अवसर मिले।

(ख) उच्च तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पद, जिनका वेतन 600 रुपये या इससे अधिक होता है, सारे भारत में विज्ञापित किये जाते हैं। विज्ञापन के जवाब में आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवारों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के नामों पर भी

विचार किया जाता है जो अपने आप आवेदन पत्र भेजते हैं और या जिनकी अन्य सरकारी प्रायोजनाओं से छंटनी हुई होती है। रिक्त स्थानों की सूचना राष्ट्रीय रोजगार सेवा, महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण और सरकारी उपक्रम ब्यूरो को भी दी जाती है जिससे कि उनकी सूचियों में से उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम प्रेषित किये जायें।

राष्ट्रीय खनिज नीति

4456. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिये कोई राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज नीति का सारांश 30 अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में दिया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित खनिजों का भविष्य में विकास राज्य का एकमात्र उत्तरदायित्व हैं :

"कोयला एवं लिग्नाइट, खनिज तेल, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम, सल्फर, सोना तथा हीरों का खनन, तांबे, सीसे, जस्ते, टिन, मोलिब्डेनम तथा वोल्फ्रेम का खनन तथा संसाधन; अणु शक्ति (नियन्त्रण, उत्पादन और उपयोग) आदेश, 1953 की अनुसूची में निर्देशित खनिज"।

तथापि, संकल्प निजी स्वामित्व के वर्तमान एककों के विस्तार में या नये एककों की स्थापना में राज्य द्वारा गैर-सरकारी उद्यमों का सहयोग प्राप्त करने की संभावना में, जब राष्ट्रीय हित के ऐसा अपेक्षित हो, कोई बाधा नहीं डालता। जब भी गैर-सरकारी उद्यमों के साथ सहयोग आवश्यक होता है, राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उपक्रम की नीति को संचालित करने तथा इसमें परिचालन करने के लिये या तो पूंजी में बहुमत साझेदारी के द्वारा और या अन्य प्रकार से इसके पास अपेक्षित अधिकार हो। इसके अतिरिक्त संकल्प में यह भी व्यवस्था है कि निजी स्वामित्व के छोटे एककों द्वारा छोटे पैमाने पर खनन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

शेष खनिजों के संबंध में स्थिति यह है कि उनके कार्यकरण में राज्य वर्धमान रूप से सम्मिलित होगा। साथ ही साथ गैर-सरकारी उद्यमों को भी या तो अपने नाम की साझेदारी के साथ इस क्षेत्र में विकास का अवसर प्राप्त होगा।

कुष्ठ रोग निवारण दिवस

4457. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति ने कुष्ठ रोग से पीड़ित 2,50,000 भारतीयों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिये दिल्ली में महात्मा गांधी शहीद दिवस का कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिये, जिसका देश में अब भी काफी प्रकोप है, एक धन-संग्रह अभियान आरम्भ किया था ;

(ग) इस समय कुष्ठ आश्रमों के रूप में देश में कितने स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं ; और

(घ) क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ही से कोई वित्तीय सहायता मिल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। देश में लगभग 25 लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय देश में 219 अस्पताल ऐसे हैं, जहां ऐसे रोगियों को भर्ती किया जाता है।

(घ) जी हां। 219 संस्थानों में से 37 संस्थान कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत सरकार से सहाय्यानुदान प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कुछ संस्थान राज्य सरकारों से भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को सहायता की योजना

4458. **श्रीमती शारदा मुखर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सेंट्रल बैंक ने कितने शिक्षित बेरोजगारों को सहायता दी है और किस प्रकार ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, अर्थ-व्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों के लिए ऋण-सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते योजनाएं तैयार की हैं। ऐसे क्षेत्रों में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति भी आ जाते हैं। पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को स्वतन्त्र रूप से कारबार शुरू करने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना करने के

लिए वित्त प्रदान किया जाता है। इस प्रकार डाक्टर, वास्तुविद, इंजीनियर और अन्य पेशेवर व्यक्ति अपना काम शुरू करने के लिए और सामग्री और उपकरणों की खरीद करने तथा अपनी कार्य-चालन पूंजी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अर्हता प्राप्त इंजीनियर छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी योजनाएं सक्षम हों। ऋण प्रायः उचित मार्जिन के साथ स्टाक अथवा मशीनें अथवा उपकरण दृष्टि-बन्धक रख कर और/या खरीदने वाले की बीमा पालिसी की अतिरिक्त गारण्टी के आधार पर दिये जाते हैं। ऋणों की वापसी किस्तों में की जानी होती है और उस पर लगभग 9 प्रतिशत व्याज लिया जाता है।

(ग) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने, पढ़े-लिखे बेरोजगार तकनीशनों और इंजीनियरों को सहायता देने की अपनी योजना के अन्तर्गत अब तक 14 ऐसे व्यक्तियों को, मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए तथा उनकी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीयादी ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। 31 दिसम्बर, 1969 को, मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं की कुल रकम 1.38 लाख रुपया थी और उनके ऋण की बकाया राशि 85 लाख रुपया थी। बैंक ने 31 जनवरी, 1970 तक, 53 स्नातकों को, जिन्हें तकनीकी जानकारी प्राप्त थी, उनके द्वारा अपने उद्योगों की स्थापना किये जाने के लिए, कुल 86.71 लाख रुपये की ऋण-सीमाएं मंजूर कीं।

दिल्ली में इमारती सामान की लागत में वृद्धि

4459. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में इमारतों पर निर्माण लागत, विशेषतः दिल्ली/नई दिल्ली में, 20 प्रतिशत अधिक आने लगी है ;

(ख) इस समय विभिन्न इमारती सामान के मूल्य और श्रम लागत कितनी है तथा जनवरी, 1968 और जनवरी, 1969 में ये क्या थे ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माणकर्ताओं को अधिकतर इमारती सामग्री उचित अथवा नियंत्रित मूल्य पर नहीं मिल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सामान्यतया देश में और विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही कर रही है कि इमारत बनाने वालों को सामग्री उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान वृद्धि लगभग 16 से 20 प्रतिशत तक है।

(ख) जनवरी, 1968, जनवरी 1969 और आजकल विभिन्न भवन सामग्रियों की तुलनात्मक कीमतें तथा विभिन्न श्रेणियों की मजदूरी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3027/70]**

(ग) और (घ). दिल्ली और नई दिल्ली में ईंटें और सीमेंट निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है। जहां तक लोहे का सम्बन्ध है, लोहे के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और स्थानीय मार्केट में बढ़ती हुई मांग के कारण लोहे का मूल्य बढ़ गया है। सरकार देश की आन्तरिक मार्केट के लिए लोहे की और अधिक मात्रा जारी करके इस कमी को दूर करने के उपाय कर रही है।

त्रिपुरा में तेल निक्षेपों की खोज

4460. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला के निकट तेल के भारी भंडार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन भण्डारों की मात्रा के बारे में ठीक अनुमान क्या है और उनके आधार पर इस क्षेत्र के तेल की प्राप्ति के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने की कितनी सम्भावना है ; और

(ग) त्रिपुरा में तेल निक्षेपों की और आगे खोज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1970-71 के लिये इस सम्बन्ध में धन की कितनी व्यवस्था की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) त्रिपुरा में बारामुरा संरचना में विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण पूरा हो गया है और संरचना पर अब एक अन्वेषी कुआं खोदने का विचार है। त्रिपुरा में कुछ अन्य अभिव्यक्त संरचनाओं के विस्तृत मान चित्रण में प्रगति हो रही है।

त्रिपुरा में दो कुएं खोदने के सीमित प्रोग्राम पर, जो इस समय ध्यान में है, 2.89 करोड़ रुपये के व्यय की संभावना है। इस व्यय के बड़े हिस्से के, जिसके लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की गई है, 1970-71 में खर्च होने की संभावना है।

Overtime allowance to Parliament assistants in various Ministries

4461. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether or not the Parliament Assistants working in various Ministries are entitled to draw Overtime Allowance for the period for which they are not given any special allowance ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. The Parliament Assistants are entitled to overtime allowance like other office staffs subject to the fulfilment of the prescribed conditions, during the months in which Parliament is not in session.

(b) Does not arise.

Central Financial Assistance to Population Study Centre, Madras

4462. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have afforded financial assistance to the Population Study Centre, Madras ;

(b) the details of the amounts given to them, year-wise ; and

(c) whether the expenditure made out of the said aid has been properly audited and a report submitted to Government ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) Yes.

(b) A grant of rupees thirty-one thousand only was given to the Institute of Population Studies, Madras, during the year 1964-65 for carrying out research in the field of demography.

(c) Since the Institute could not take up the work, the entire amount was refunded to the Government of India. There was, therefore, no need for submitting an audited statement of account.

उरर्वकों के उत्पादन के लिये नेफ्था की बजाय भारी अपशिष्ट का योग

4463. **श्री नीतिराज सिंह :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस लाख टन क्षमता की एक शोधनशाला उर्वरकों के उत्पादन के लिये 1000 टन अमोनिया क्षमता वाले कारखाने के लिये नेफ्था सप्लाई कर सकती है ;

(ख) क्या उर्वरकों के उत्पादन के नेफ्था के स्थान पर भारी अपशिष्ट भी प्रयोग में लाया जा सकता है ;

(ग) क्या कोयला, विशेषकर घटिया कोयला और लिग्नाइट भी उर्वरक उत्पादन के प्रयोग में लाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो कोयले पर ही आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर है :

1. देशीय नेफ्था तथा अन्य पेट्रोलियम संभरण सामग्री की प्रत्याशित कमी।
2. संभरण सामग्री के रूप में घटिया किस्म के कोयले की भारी मात्रा में उपलब्धि।
3. संयंत्रों की स्थापना कोयले के स्रोत के निकट की जा सके।

पेट्रो-रसायनिक कारखानों और उर्वरक कारखानों को तेल शोधक कारखानों के साथ सम्बद्ध करने के बारे में नीति

4464. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उवर्रक उत्पादन कारखानों सहित तेल शोधक कारखानों और पेट्रो-रसायनिक कारखानों के एकीकृत उद्योग समूहों को बढ़ावा देना सर्वोत्तम नीति है ;

(ख) यदि हां, तो सभी तेल शोधक कारखानों के साथ पेट्रो-रसायनिक कारखाने और उर्वरक कारखाने सम्बद्ध न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस नीति को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). यद्यपि शोधनकारखानों, पेट्रो-रसायन संयंत्रों तथा नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्रों के एकीकृत उद्योग समूहों को बढ़ावा देना आमतौर से लाभप्रद है, लेकिन संभरण सामग्री की अपर्याप्तता, अपर्याप्त मार्किट क्षमता, परिवहन कठिनाई आदि कारणों से सभी शोधन कारखानों के समीप एक ही साथ ऐसे एकीकृत उद्योग समूहों का विकास करना हमेशा संभव नहीं है। तो भी सरकार की यह नीति है कि आवश्यक बातें पूरी हो जाने पर, शोधन कारखाने के संभव एकीकृत ढ़ंग से पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाये।

बिजली पैदा करने के लिये ईंधन तेल की खपत

4465. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन तेल का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) क्या बिजली पैदा करने के लिए ईंधन तेल का प्रयोग करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1969 के दौरान बिजली पैदा करने के लिये सभी किस्मों के ईंधन तेलों की वार्षिक खपत लगभग निम्न प्रकार थी :—

(किलोमीटर)

रेग्युलर फ्युल आयल	हाट हैवी स्टाक	लो सल्फर हैवी स्टाक
130,630	241,732	787,000

(ग) और (घ). उर्वरकों के लिये संभरण सामग्री के रूप विभिन्न किस्मों के ईंधन तेल की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है तथा इस समय किये जा रहे अध्ययनों के परिणामों के अनुसार बिजली पैदा करने के लिये ईंधन तेल के प्रयोग को निरुत्साहित करने की वांछनीयता पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

तेल का भण्डार और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

4466. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रयोग-सिद्ध तेल भंडार कितना है और पैट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक मांग कितनी है और वह मांग वर्ष 1975 और वर्ष 1980 तक कितनी हो जायेगी;

(ख) राष्ट्रीय भंडार कब तक चलते रहेंगे; और

(ग) क्या हाइड्रोक्लैकिंग और अधिक पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करने में सहायक होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कच्चे तेल के प्राप्य संचय (भण्डार) लगभग 131 मिलियन मीटरी टन हैं। 1969 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 17 मिलियन मीटरी टन थी, जिसके 1975 और 1979 में क्रमशः 31 मिलियन मीटरी टन और 43 मिलियन मीटरी टन तक हो जाने की आशा है ।

(ख) यह अनुमान लगाना कठिन है कि राष्ट्रीय भण्डार कितनी अवधि तक चलते रहेंगे

क्योंकि खोजे गये कई तेल क्षेत्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं और उनकी उत्पादन क्षमताओं का निर्धारण होना अभी बाकी है। यह भी सम्भावना है कि खोजे गये तेल क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य में अन्वेषण द्वारा नये तेल क्षेत्र उपलब्ध हों।

(ग) हाइड्रोक्रैकिंग एक गौण शोधन प्रक्रिया है और यह केवल तेल की एक किस्म की दूसरी किस्म में बदलता है। यह प्रक्रिया कच्चे तेल से और अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन नहीं करती लेकिन अवशेष तेल की जगह कुछ अधिक हल्के उत्पादों जैसे मिट्टी का तेल और डीजल को बना सकती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्दमान द्वीपसमूह का सर्वेक्षण

4467. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने गत पांच वर्षों में कितनी बार अन्दमान द्वीपसमूह का दौरा किया है ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1964-65 और 1965-66 क्षेत्रीय मौसम के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूगर्भीय क्षेत्रीय पार्टियों ने अन्दमान द्वीप समूह में भूगर्भीय मानचित्रण किया। चालू क्षेत्रीय मौसम (1969-70) में मानचित्रण कार्य को जारी रखा गया है।

उपर्युक्त पार्टियों के अलावा एक यू० एन० एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) प्रोफेसर एन० ए० अरेमेनको ने, जो आयोग की पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान के साथ संलग्न थे, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दो अन्य अफसरों के साथ अप्रैल, 1968 में अन्दमान द्वीप समूह का दौरा किया।

(ख) क्षेत्रीय पार्टियां, आयोग को अपने कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्टें और प्रत्येक गत क्षेत्रीय मौसम के दौरान अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्टें भेजती रही हैं।

अन्दमान में प्रोफेसर इरेमेनको और अन्य अफसरों के निरीक्षण पर एक रिपोर्ट भेजी गई थी और यह रिपोर्ट पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को मार्च, 1969 में भेजी गई थी।

(ग) आर्चपिलेगो ग्रुप आफ आइलैण्डस (द्वीप समूह) में अनुकूल संरचनात्मक स्थितियों की विद्यमानता की सम्भावनाएं पाई गई हैं। परन्तु इस बारे में अधिक विश्वासनीय स्थिति केवल तब जानी जा सकती है, जब द्वीपों के इस समूह का भूगर्भीय मानचित्रण पूरा हो जायेगा।

मद्रास हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग में पारी व्यवस्था आरम्भ करना

4468. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग में दूसरी पारी व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इस आशय के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

4469. **श्री दे० अमात** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये उड़ीसा को कितनी राशि उपलब्ध की गई और योजना के अन्तर्गत राज्य में ऐसी शिक्षा के विकास की योजना का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि योजना के लिये न्यूनतम आवश्यकता 75 लाख रुपये की होगी और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कही जाने वाली उक्त सम्पूर्ण योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से केवल 40 लाख रुपये ही उपलब्ध किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे 35 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाये और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना में स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दन्त विभागों की स्थापना की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभाग खोलने के लिये केन्द्रीय धन राशि का राज्यवार कोई नियतन नहीं किया गया है, ऐसे विभाग खोलने के लिये राज्य सरकारों को अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करने होते हैं तथा उनके लिए केन्द्रीय सहायता मांगनी होती है । केन्द्रीय सहायता प्रत्येक विभाग के लिए एक अनुमोदित प्रतिमान के अनुसार दी जाती है जो सभी राज्यों पर लागू होता है ।

(ख) और (ग). चौथी योजना अवधि में अनुमोदित पैटर्न के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा विभागों के लिए केन्द्रीय सहायता अधिकतम दस लाख रुपये तक दी जायेगी । उड़ीसा सरकार ने बताया है कि चार स्नातकोत्तर विभागों के लिए 75 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । इनमें से तीन विभागों को चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले खोल दिया गया था । उन्हें सूचित कर दिया गया है कि केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था अलग-अलग प्लानों के लिए अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार ही की जाती है और ऐसी सहायता उसी प्लान अवधि के लिए दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान के आधार पर उनके द्वारा मांगी गई सहायता का ब्योरा भेजने के लिए भी उनसे कहा गया है ।

कलाकारों को रियायती दरों पर आवास देने की योजना

4470. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्यतः सरकारी आवास न पाने के अधिकारी अन्य वर्गों के व्यक्तियों की तरह कलाकारों को भी रियायती दरों पर आवास देने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर अधिकारियों को वेतन का संरक्षण

4471. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सीधी भर्ती परीक्षा के आधार पर आयकर अधिकारी (श्रेणी 2) के रूप में नियुक्ति के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये और वास्तव में कितने लोग विभाग में काम करने के लिये सेवा में आये ;

(ख) ऐसे कितने उम्मीदवार थे, जो पहले ही सरकारी सेवा में थे तथा अपने मूल विभागों में अपने नियमित पदों पर आयकर अधिकारी (श्रेणी 2) के वेतनमान की न्यूनतम राशि से अधिक मूल वेतन ले रहे थे ;

(ग) क्या इन उम्मीदवारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके इस विभाग में आने से पहले उन्हें जो मूल वेतन मिल रहा था, उन्हें उसका संरक्षण दिया जाये और यदि हां, तो कितने मामलों को निपटाया गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके द्वारा लिये गये गत वेतन को संरक्षण देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 799 उम्मीदवारों को चुना गया था जिनमें से 183 उम्मीदवारों ने वास्तव में कार्य-भार ग्रहण किया ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) जी, हां । कई अधिकारियों से उनके वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अधिकारियों में वे अधिकारी भी शामिल हैं जो आयकर अधिकारी श्रेणी-11 के रूप

में नियुक्त होने के पहले सरकारी सेवा में थे। सभी अधिकारियों के वेतन को विनियमित करते हुए दिसम्बर 1969 में आदेश जारी किये गये थे।

(घ) यदि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो, तो अधिकारियों के वेतन को संरक्षित करना होता है।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता।

परिवार नियोजन में श्रमजीवी वर्ग को सक्रिय रूप से शामिल करने की योजना

4472. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी वर्ग को परिवार नियोजन में सक्रिय रूप में शामिल करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के सम्पूर्ण पहलू क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार नियोजन में श्रमजीवी वर्गों को शामिल करने सम्बन्धी योजना का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(I) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी औद्योगिक एककों, स्वैच्छिक संगठनों और चाय बागानों की सहायतार्थ विशिष्ट प्रतिमान।

(II) कोयला खान क्षेत्रों में, परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था 'कोयला खान कल्याण संगठन' द्वारा की जा रही है, जिसके लिए एक विशेष ढांचे की मंजूरी दी गई है।

(III) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों के लिये, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन सेवा सुविधायें बीमा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी चिकित्सालय और अस्पतालों में सलाह देने, उपकरण सप्लाई करने और लूप पहनाने आदि की सुविधाओं की व्यवस्था है और अस्पतालों में नसबन्दी आपरेशन करने की भी सुविधायें हैं।

(IV) रक्षा मन्त्रालय और रेल मन्त्रालय में भारी संख्या में कार्य कर रहे कर्मचारियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं देने हेतु वहां पर विशेष संगठन बनाये गये हैं।

(V) परिवार नियोजन सेवाओं में संगठन विविध संगठनों द्वारा अपने-अपने अधिकार-के श्रमजीवी वर्ग को मुआवजे की राशि निर्धारित दरों पर दी है। नसबन्दी आपरेशन करवाने और लूप लगवाने के लिए कुछ गैर-सरकारी कर्मचारियों को

सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।

(VI) सरकारी नियमों के अनुसार स्वीकृत मुआवजे की राशि के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम भी अपने कर्मचारियों को नसबन्दी आपरेशन कराने/लूप लगवाने में प्रोत्साहन देने के लिए धन दे रहे हैं ।

(VII) दिल्ली के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा देने तथा मन्त्रालयों/विभागों में कल्याण अधिकारियों के माध्यम से निरोध के वितरण के लिए विशेष योजना चालू की गई है ।

(VIII) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ तथा "यूनाइटेड प्लान्टर्स एलोसियेशन आफ साउथ इण्डिया" जैसी विभिन्न अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्य-क्रम को उद्योग तथा व्यापार के अन्तर्गत कार्यरत बहुत संख्या में कर्मचारियों तक पहुंचाने वाली अन्य योजनायें भी विचाराधीन हैं ।

(IX) घनी औद्योगिक जन संख्या वाले विविध क्षेत्रों परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने के लिए वहां पर प्रयोगात्मक आधार पर विशेष योजनाएं प्रारम्भ करने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

(X) परिवार नियोजन के कार्यक्षेत्र में प्रंशसनीय कार्य करने वाले औद्योगिक मजदूरों को विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है ।

(XI) कुछ अन्य विभागों (उदाहरणतया कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग) के कर्मचारी-वर्ग का, अपने सामान्य कार्य के अलावा अपने श्रमिकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में सहायता देने के लिए मार्गदर्शन किया गया है ।

Increase in Consumption of Intoxicants in India

4473. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the consumption of intoxicants like Charas, Bhang, Ganja and L. S. D. has been increasing in the country for the past some years as a result of which many dangerous diseases are being developed ;

(b) whether a study in respect of this increasing trend has been made ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government to check this habit ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Public Health Scheme from the Delhi Administration

4474. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received a Public Health Scheme from the Delhi Administration ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पक्ष के तथाकथित भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाना

4475. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि सरकारी क्षेत्र के सब बैंकों के पास सरकारी क्षेत्र के खाते समानता के आधार पर होने चाहिये ; और

(ख) क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ इंडिया के पक्ष में अभी भी अपनाई जा रही सरकार की कुछ पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण जनता को होने वाली असुविधा की जानकारी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह बात सिद्धान्त रूप से मान ली गयी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपयुक्त बैंक के साथ बैंक-कार्य सम्बन्धी प्रबन्ध कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति की अभी हाल में हुई बैठक में सामान्यतः यह राय प्रकट की गयी थी कि (1) सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रमों को, जिन्हें बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से किसी भी बैंक का चुनाव करने की छूट दी जानी चाहिए और (2) वे मौजूदा उपक्रम जिनका पहले से ही किसी बैंक के साथ सम्बन्ध हैं, लेकिन जिन्हें बड़ी-बड़ी अतिरिक्त सीमाओं की आवश्यकता है (जैसा कि भारतीय खाद्य निगम के मामले में), सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों से भी अतिरिक्त ऋण-सीमा की मंजूरी ले सकते हैं। जिस तरीके से इस सामान्य राय को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उसकी जांच की जानी जरूरी है ताकि बिना किसी योजना के खाते खोलने से पैदा होने वाली गम्भीर कठिनाइयों से बचा जा सके। यह भी वांछनीय होगा कि वे शर्तें निर्धारित कर दी जायं जिनके अन्तर्गत, प्रस्तावित किस्म की उपर्युक्त संयुक्त व्यवस्था की जा सके। इस बारे में, सरकार बिना किसी अनुचित विलम्ब के उपयुक्त हिदायतें जारी करेगी।

(ख) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध सरकारी खाते के उन नकद लेन देनों से है, जो इस समय भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में किये जाते हैं। सरकार का इरादा है कि जब सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में सरकारी कार्य के किये जाने और विशेष रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का सन्तोषजनक प्रबन्धक हो जायगा, तो इन बैंकों को भी सरकारी काम करने के लिए दिया जायगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों को सीधा ऋण

4476. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा कृषकों को कितना सीधा ऋण दिया गया था ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना ऋण दिया गया था ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1969 को सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में ऋण खातों की कुल संख्या कितनी थी और उनके विरुद्ध कुल कितने ऋण दिये गये ;

(घ) क्या यह सच है बैंकिंग व्यवसाय के विकास के साथ-साथ खातों में वृद्धि होने के बजाय प्रति वर्ष उनकी संख्या कम हो रही है, जैसा कि राष्ट्रीय ऋण परिषद् की डा० गाडगिल की रिपोर्ट में कहा गया है ; और

(ङ) इस गम्भीर स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार तथा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1969 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों और लघु उद्योगों को जितनी रकम के ऋण दिये थे, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
किसानों का प्रत्यक्ष ऋण	90.96
लघु उद्योगों को ऋण	304.36

(ग) 31 दिसम्बर, 1969 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण-खातों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों के ऋण-खातों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जो विवरण दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3028/70]**

(घ) गाडगिल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अप्रैल 1961 से मार्च, 1967 तक की अवधि में इन खातों की संख्या में 22,000 की कमी हो गयी । यह कमी मुख्यत: व्यक्तिगत खातों, वाणिज्य और कृषि के अन्तर्गत हुई । उद्योगों से सम्बद्ध खातों की संख्या में 27,000 की वृद्धि हो गयी ।

लेकिन मार्च, 1968 के अन्त में स्थिति में कुछ सुधार हो गया । सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में खातों की कुल संख्या 11,26,888 हो गयी, जबकि मार्च 1967 के अन्त में यह संख्या 10,56,015 थी । बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के बाद में से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विशेष क्षेत्रों के ऋण-खातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इन बैंकों में जुलाई-दिसम्बर 1969 की अवधि में, कृषि (बागानों से भिन्न), लघु उद्योगों, सड़क परिवहन चालकों, खुदरा व्यापारियों, अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों और शिक्षा से सम्बद्ध ऋण-खातों की संख्या 2,70,421 से बढ़कर 5,31,535 हो गयी ।

(ङ) जैसा कि (ग) में बताया गया है, यह प्रवृत्ति, खासकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बिलकुल बदल गयी है । यह स्थिति सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर समय-समय पर इस बात का जोर देने का परिणाम है कि उन्हें छोटे आदमी की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये ।

Demands by All-India Bank Employees' Association

4477. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the All-India Bank Employees' Association demanded that all Bank Employees in the Public Sector Banks should draw the same salary as the employees of the State Bank of India ; and

(b) if so, whether Government would see that this demand is acceded to in view of the solemn assurance given by the Prime Minister that nationalisation would improve the pay scales of Bank employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Representation has been received from the All-India Bank Employees' Association for the standardisation of wage structure in the public sector banks.

(b) Bipartite discussions are going on between the Indian Banks Association on behalf of the 14 nationalised banks and All India Bank Employees' Association on behalf of the employees, for the revision of terms and conditions of service of the award staff now obtaining in these banks. Government are awaiting the result of these bipartite discussions.

सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी आवास से हटाये गये विस्थापित परिवारों की संख्या

4478. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा तालकटोरा लेन, टेलीग्राफ लेन, कनाट सर्कस, महाराजा रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली तथा तुर्कमान रोड, दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कितने विस्थापित परिवारों को हटाया गया है ;

(ख) उनका वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ग) इन परिवारों के सम्बन्ध में पकड़ी गई चल सम्पति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन परिवारों से क्वार्टर-वार कितना किराया/हर्जाना वसूल किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख).सामान्यत: वैकल्पिक वास उन विस्थापित व्यक्तियों को इस शर्त पर पेश किया/आवंटित किया गया था, जो नई दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सम्पत्तियों के अनधिकृतरूप से दखल में थे, जो पुनर्वास बस्तियों के रिहायशी एककों के कोटे में से सम्पदा निदेशालय को दे दिये गये थे, कि ऐसे विस्थापित व्यक्तियों ने पुनर्वास मंत्रालय द्वारा निर्धारित कतिपय मानदण्डों को पूरा किया हो। ये आवंटन 1952 में किये गये थे और सिवाय महाराजा रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली की सम्पत्ति संख्या 19-सी को छोड़कर उनसे संबंधित अभिलेख बहुत पहले नष्ट हो चुके थे। सरकारी परिसरों से बेदखल किये ऐसे विस्थापित परिवारो के संबंध में वर्षवार कोई ब्योरा इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है। 19-सी, महाराजा रणजीत सिंह रोड के अनधिकृत दखलकार ने निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए उसे वैकल्पिक वास आवंटित नहीं किया गया तथा उसे उपयुक्त परिसर से वस्तुत: (फिजीकली) बेदखल कर दिया गया।

(ग) 19-सी, महाराजा रणजीत सिंह रोड का अनधिकृत दखलकार वस्तुतः बेदखल के समय परिसर में नहीं था, तथा ताला तोड़ने के बाद, सम्पदा निदेशालय के प्रतिनिधियों, पुलिस तथा बस्ती के दो निष्पक्ष गवाहों के सामने चल-सम्पत्ति की एक सूची तैयार की । उपर्युक्त परिसर से बरामद की गई चल-सम्पत्ति का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

1. कोयर मेटिंग	तीन टुकड़े
2. लोहे टिन की टूटी छड़े	चार
3. टूटे पंखे का पहिया	एक
4. बिजली की टूटी ट्यूब	एक
5. छोटा ताला बंद टीन	एक

6. लकड़ी का छोटा बक्सा—किलें लगी हैं ।

7. लकड़ी का बड़ा बक्सा—किलें लगी हैं ।

(घ) 12-11-1949 से 22-10-1952 तक की अवधि के लिए उपर्युक्त परिसरों के अनधिकृत दखलकारों से क्षति के रूप में 1,070.14 रुपये की राशि वसूल की गई थी ।

किराये की बकाया राशि / हर्जाने की वसूली के लिये सम्पदा निदेशक द्वारा किये गये निदेश

4479. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराये की बकाया राशि तथा ठेकेदारों के कब्जे में रही सरकारी इमारतों को हुई क्षति के हर्जाने के रूप में ठेकेदारों से प्राप्त राशि की वसूली को रोकने के लिये सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में इलेक्ट्रिकल सर्कलों तथा डिवीजनों को गत तीन वर्षों से प्रति वर्ष कितने निदेश/निर्देश दिये गये ;

(ख) कितने मामलों में उक्त वसूली के लिये ठेकेदारों ने सम्पदा कार्यालय को अधिकार दिये थे ;

(ग) कितने मामलों में कोई राशि प्राप्य नहीं थी और कितने मामलों में गलती से अधिक अदायगी वसूल की गई ; और

(घ) अधिक वसूल की गई राशि वापस करने अथवा देय बिलों का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और 31 अगस्त, 1969 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सम्पदा निदेशक द्वारा गत वर्षों में नई दिल्ली के बिजली मंडलों और प्रभागों को, ठेकेदारों द्वारा दखल में लिये गए सरकारी परिसरों के किराये की ओर बकाया अथवा उनमें पहुंचाई गई क्षति के लिए, उनसे प्राप्य राशि की वसूली रोकने के लिये कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किये गए ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में विभिन्न स्थानों में सरकारी आवास से विस्थापित व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक आवास का आवंटन

4480. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा महाराजा रणजीत सिंह रोड, टेलीग्राफ लेन, तालकटोरा लेन, कनाट सर्कस और तुर्कमान रोड, दिल्ली से हटाये गये शरणार्थियों को, जिनके मामले में अधिकारियों द्वारा न्यायालयों में गलत घोषणा की गई बताई जाती है और उनके परिवार के सदस्यों को घातक चोटें पहुंचाई थी, उपयुक्त वैकल्पिक आवास देने तथा उनकी मूल्यवान वस्तुएं वापस कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : सामान्यतः उन विस्थापित व्यक्तियों को, तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा पुनर्वास कालोनियों में, सम्पदा निदेशालय को दिए गए कोटा में से बेदखली से पूर्व वैकल्पिक वास पेश/उपलब्ध किया गया था, जो सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण अधीन रिहायशी एककों का दखल लिए हुए थे, और जो वैकल्पिक वास की व्यवस्था के लिए बनाए गए मान दण्डों को पूरा करते थे। जिन लोगों ने वैकल्पिक वास को स्वीकार नहीं किया, अथवा जो वैकिल्पक वास की व्यवस्था के लिए बनाए गए मान दण्ड पूरा नहीं कर सकें, उन्हें परिसरों के बेदखल कर दिया गया था, और जहां कहीं चल-सम्पत्ति संभाली गई, सम्पदा निदेशालय व पुलिस के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के दो निष्पक्ष गवाहों की मौजूदगी में सामान की सूचि तैयार की गई थी। सम्बन्धित व्यक्तियों को चल-सम्पत्ति वापस लेने के नोटिस दिए गए थे और मामले में सम्बन्धित व्यक्ति सामान संभालने के लिए स्वयं प्रस्तुत नहीं हुआ, और उसे लावारिस घोषित किया गया और पुलिस को, पुलिस एक्ट, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, निपटान के लिए, (वे सामान) दे दिया गया। सम्बन्धित व्यक्ति ने दिल्ली के न्यायालय में मुकदमा दायर किया कि अधिकारियों द्वारा की गई घोषणाएं गलत हैं, परन्तु वह इसे साबित न कर सका और न्यायालय ने मामले को बरखास्त कर दिया।

मैसूर राज्य में बन्ध्यीकरण के मामले

4481. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें 18 वर्ष से कम आयु वाले तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों का बन्ध्यीकरण किया गया है ; और

(ख) जून 1968 से जनवरी, 1970 तक आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य में कितने पुरुषों के वन्ध्यीकरण, लूप पहनने तथा महिलाओं के वन्ध्यीकरण के कितने मामले हुए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले 1719 पुरुषों की और 18 वर्ष से कम आयु वाली 4 स्त्रियों की नसबन्दी की गई है।

(ख) समेकित सूचना का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-3029/70]**

Number of C. G. H. S. Dispensaries in Delhi/New Delhi

4482. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of dispensaries under C. G. H. S. in Delhi and New Delhi and the number of Ayurvedic and Allopathic dispensaries out of them separately ;

(b) the number and names of dispensaries in which the doctors are on duty during the night also ;

(c) the number and names of dispensaries in Government buildings and the number and names of those which are housed in rented buildings along with the period for which housed in the rented buildings in each case ; and

(d) the scheme formulated for construction of buildings for the dispensaries housed in the rented buildings and the time by which the said buildings would be positively constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Information about the number of Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries in Delhi and New Delhi is given below :

Allopathic dispensaries	.. 55	(including in First-Aid Post in the Parliament House)
Ayurvedic dispensaries	.. 5	
Homoeopathic dispensaries	.. 2	
Total	62	

(b) and (c). The requisite information is given in the statement. **[Placed in Library. See No. LT-3030/70].**

(d) Subject to availability of funds and suitable land, Government buildings are proposed to be constructed for all those C. G. H. S. dispensaries which are housed in rented buildings, at present. It is difficult to state positively by which date the new buildings could be constructed.

लाटरी योजना

4484. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी लाटरी योजना पर विचार कर रही है, जिसके

अन्तर्गत टिकट खरीदने वाले 100 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को 10,000 रुपये के मूल्य का एक मकान मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) यद्यपि विचार विमर्श हुआ है, कोई अन्तिम प्रस्ताव सामने नहीं आया । तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई लाटरी में, अन्य बातों के साथ, इनामों के भाग के रूप में मकान/मकान के स्थानों के आवंटन की व्यवस्था है ।

स्वनियोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

4485. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे व्यक्तियों से जो स्वयं अपना रोज चलाना चाहते हैं ऋण प्राप्त करने के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितने मामलों में ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या मांगे गये ऋण की पूरी राशि दी गयी है और यदि नहीं, तो कितनी राशि दी गयी है और मांगी गयी पूरी राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऋण आवेदक की व्यक्तिगत सम्पत्ति अथवा प्रतिभूति अथवा व्यक्तिगत बांड पर दिये गये हैं ;

(घ) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जो ऋण की शर्तों को पूरा करते थे और जिन्हें नामंजूर किया गया है तथा उन्हें नामंजूर किये जाने के कारण हैं ; और

(ङ) क्या ऋणों की अदायगी सन्तोषजनक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (घ) . राष्ट्रीयकृत बैंकों ने स्वतंत्र रूप से काम धन्धा करने वाले 8075 लोगों को ऋण दिये हैं और जनवरी, 1970 के अन्त में ऐसे ऋणों की बकाया रकम 226.0 लाख रुपये थी ।

ऐसे ऋणों के लिए प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्तियों की संख्या और मांगी गई रकम के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । आम तौर पर, ऐसे ऋणों के प्रार्थना-पत्रों को रद्द किये जाने का कारण यह होता है कि प्रार्थी, जिस काम के लिये रुपया मांगता है उसकी सक्षमता के सम्बन्ध में, बैंक को सन्तुष्ट नहीं कर पाता ।

(ग) अलग-अलग मामलों में ली गयी प्रतिभूतियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । फिर भी, बैंकों द्वारा रुपया, सामान्यत: ऋण की रकम से खरीदे जाने वाले उपकरणों या औजारों की प्रतिभूति पर और अन्य पार्टी की गारण्टी पर, दिया जाता है । छोटी रकमों के सामान्य अग्रिम (क्लीन एडवांस) सामान्यत: गारण्टी के बदले में भी दे दिये जाते हैं ।

(ङ) अभी इस प्रकार का कोई मूल्यांकन करना समय पूर्व होगा ।

बीमा अधिनियम की धारा 40 ख को रद्द करने की मांग

4486. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन ने बीमा अधिनियम की धारा 40 ख को रद्द करने की मांग की है ;

(ख) क्या उक्त धारा कर्मचारियों की मंजूरी में वृद्धि के रास्ते में एक रुकावट है, जैसा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की राय के बारे में सरकार को पता नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर में रिजर्व बैंक कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

4487. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में रिजर्व बैंक कर्मचारियों ने मार्च के पहले सप्ताह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सम्बन्धी पदोन्नति-नीति के विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) और (ख). 2 मार्च, 1970 को, रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ (रिजर्व बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन) और रिजर्व बैंक कार्मिक संघ (रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन), नागपुर (दोनों गैर मंजूरशुदा संगठन) के श्रेणी 3 के 732 में 177 और श्रेणी 4 के 237 में से 33 कर्मचारियों ने क्रमश: 10.15 बजे से 11.15 बजे प्रात: और 9.45 बजे से 10.45 बजे प्रातः तक 60 मिनट की सांकेतिक हड़ताल की थी। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कार्मिक संघ (आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन) के साथ, जो एक मंजूरशुदा संघ है, हुए समझौते के अनुसार चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके अपने कार्यालय में तीसरी श्रेणी के संवर्ग में नियुक्ति के मामले में कुछ रियायतें दी जाती हैं। यह रियायत बैंक के अन्य कार्यालयों के लिए नहीं दी जाती हैं। वास्तव में, नागपुर के कर्मचारियों की मांग यह थी कि ये रियायतें बम्बई के कार्यालय में नियुक्ति के लिए भी दी जायं। मंजूरशुदा संघ द्वारा कुछ सुझाव भी दिये गये हैं जो बैंक के विचाराधीन हैं।

(ग) नागपुर के सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जो समझौता अधिकारी हैं, इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़

4488. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़ अपनी स्वायत्तता के प्रयोग में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़ संबंधित अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। प्रश्न में निहित कोई कठिनाई न तो सरकार के ध्यान में लाई गई है और ना ही इस संबंध में संस्थान से कोई सुझाव ही मिले हैं।

Covered and Uncovered Areas of Government Accommodation for Secretaries

4489. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total covered area and the total uncovered area in Type I, the type to which the Secretaries are entitled and the highest type of Government accommodation separately ;

(b) whether it is a fact that the Government accommodation allotted to the Secretaries and Additional Secretaries is reminiscent of the British period when India was in bondage and that the said bungalows are the symbol of over-awing the people in the British manner ;

(c) the facilities in respect of maintenance provided to the types of accommodation mentioned in part (a) above separately ;

(d) whether Government propose to lay down the ratio of 1 : 10 in respect of the area under type I and highest type of accommodation in pursuance of the policy of socialism ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). Secretaries and Additional Secretaries, besides others, are entitled to Type VIII houses. These buildings were constructed in the pre-independence period and their plinth area and open area vary from residence to residence. The plinth area of Type VIII houses, currently in the occupation of Secretaries and Additional Secretaries, ranges from about 4000 Sft. to about 10,000 Sft. and the open area varies from about 1.5 to about 3.5 acres. No such bungalows have been constructed after Independence and it has now been decided that there will only be six types of residences. The total covered area and the total area of land occupied by the lowest and the highest types of these houses is given in the attached statement.

(c) The amount available for the annual maintenance of quarters of different types is calculated as a fixed percentage of the capital cost of construction of a particular house depending on its year of construction. There is no difference in the maintenance facilities for the various types of quarters.

(d) and (e). As per the existing classification of Government quarters, the plinth area of the highest type of quarters inclusive of servant quarter and garage is 2725 sft. as against 479 sq. ft. for type I quarters, which works out to a ratio under 1 : 6.

Statement

Type of residence	Plinth Area		Area of Land
Type VI	Main building	2260.5 Sft.	The residences of all types are now being planned for multi-storeyed construction to satisfy the requirement of density specified in the Zonal plan and hence only common lawns will now be available for all the types of quarters. No individual uncovered area is contemplated.
	Servant quarter	240.0 ,,	
	Garage	225.0 ,,	
		2725.5 Sft.	
Type I		479 Sft.	

Manufacture of Soap with Imported Tallow

4491. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantity of soap is being manufactured in the country after using imported tallow ;

(b) whether it is also a fact that the said tallow is of the cow and the pig ;

(c) whether Government are aware that both Hindus and Muslims in the country got objection the use of cow and pig tallow ;

(d) whether Government propose to make it essential for all the Soap manufacturing companies to write the words—'cow and pig tallow used in it'—on every soap wrapper so that the feelings of Hindus and Muslims may not be hurt ; and

(e) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) Imported tallow could be of sheep, cattle, hog, horse etc. or a mixture of all. Government have, therefore, no information whether a particular consignment of imported tallow is of cows or pigs.

(c) Government are aware that a section of the people have objection to the use of soap containing tallow.

(d) No. In this connection attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 832 in the Lok Sabha on the 24th February, 1969 wherein it was stated that Government was inclined to agree with the view of the Indian Soap and Toiletries Makers' Association that

since soaps made of vegetable oils only with appropriate markings on the wrappers and synthetic detergents in powder and tablet forms which do not contain any animal fat are already available to the section of people who have objection to soaps made of tallow, it will not serve any useful purpose to market other soaps as "containing animal fat".

(e) Does not arise.

Cars in various Ministries

4492. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Cars in Various Ministries and their attached offices and the number out of them which have been manufactured indigenously and those which have been imported;

(b) the distance in Kilometres covered in these cars Ministry-wise by the officers and staff during 1969;

(c) whether Government propose to introduce staff car service in Delhi on the pattern of bus service so that the officers who intend to travel on Government business might do so on the basis of a certificate to this effect; and

(d) if not, the arrangements proposed to be made by Government to ensure that Staff Cars are not turned into the Officers' cars and not also misused by them and also to ensure that the Staff Car facility is provided to the staff that sits late?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The information is being collected from the Ministries/Departments concerned and will be laid on the Table of the House as soon as available.

(c) No, Sir.

(d) Instructions have already been issued to the Ministries to ensure the most efficient and economic use of the staff cars under their control. Besides this, Staff Car Rules prohibit the use of staff cars for journeys to places of entertainment, public amusements, parties and pleasure trips, etc. The Controlling Officer (an officer not below the rank of an Under Secretary) has been made responsible for the proper use, care and maintenance of the staff car and for regulating its journeys generally in accordance with these rules. A senior officer in each Ministry is also required under these Rules to scrutinise the log book once a month to ensure that there is no misuse of staff cars.

There is no bar to the use of staff car when the staff is required to work very late in the night and when no other means of transport is available. The use of staff cars in such cases is, however, dependent upon their availability and administrative considerations, including that of the extra expenditure on overtime allowance of the driver.

Utilization of Acquired Land for Slum Clearance Purposes

4493. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor of Delhi has urged upon the

Central Government that the land in excess of 800 yards owned by Ministers and Governors should be acquired and utilized for slum clearance purposes in Delhi and various States ; and

(b) if so, Government's reaction in the matter and the action proposed to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthi) : (a) No such proposal has been received from the Chief Executive Councillor of Delhi.

(b) Does not arise.

बद्राजुहू समुद्र तट बम्बई, में माल का पकड़ा जाना

4494. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि बम्बई में बद्राजुहू समुद्र तट पर फरवरी, 1970 में बड़ी मात्रा में तस्करी का माल पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 22 फरवरी, 1970 को महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरों के अधिकारियों ने बम्बई में बान्दरा जुहू समुद्र तट पर 101 पैकेज पकड़े । इन पैकेजों में जापान में बने नायलोन धागे के 2400 तकुए थे जिनका मूल्य तीन लाख रुपये है और प्लास्टिक क्रिस्टल झाड़फानूस के 6 नग पकड़े जिनका मूल्य 6000 रुपये है । इनके साथ ही कोई 60,000 रुपये मूल्य का एक ट्रक भी पकड़ा । माल लावारिस पड़ा है । अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

Seizure of Opium at Gwalior

4495. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that opium in large quantity was seized from a vehicle of Delhi in Gwalior in February, 1970 ; and

(b) if so, the value of the opium seized and the number of persons against whom action has so far been taken in this connection and the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. Contraband opium weighing 100 kgs. was seized from Car No. DLK 5288 on 13-2-1970.

(b) Value of the opium seized is Rs. 10,000 at Government issue price.

The occupants of the car escaped under cover of darkness in the jungle leaving the car with contraband. They are still absconding. The case along with the seized car and opium has been handed over to the police for further investigation and prosecution.

Outstanding amount of Income Tax from Ministers

4496. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of the Ministers in the Central and State Governments against whom Income-Tax arrears are due, the amount thereof and the number of years since when due ;

(b) whether it is a fact that great discrimination is made for realising Income-tax from the Ministers and big industrialists like Birla Group, Delhi Cloth Mills etc. on the one hand, the ordinary assessees on the other and the property of the ordinary assessees is auctioned and Income-tax realised even when they might have been overassessed while in the case of the Ministers and big industrialists, not only the Income-tax is not recovered but exemptions from payment of Income-tax are also given to them ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The requisite information is not readily available. It is being collected in respect of the present Ministers in the Central and State Governments and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) The Income-tax Department does not make any discrimination between one class of assessees and another either in the matter of their assessments or in the realisation of taxes due from them.

(c) Does not arise.

Appointment against Post of Money-tester in State Bank of India Gorakhpur

4497. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank of India made appointments against the posts of Moneytester in Gorakhpur after holding an examination in 1961 and 1962 ;

(b) whether it is also a fact that the persons appointed against the said posts were not confirmed even after the completion of the probation period satisfactorily ;

(c) whether it is also a fact that when those persons demanded justice, it was conspired to remove them from service in 1965 ;

(d) whether it is also a fact that the decision of the Court in this respect also went in favour of those employees ; and

(e) if the reply to above parts be in the affirmative, whether the matter would be investigated and justice done to the employees and the persons responsible for this lapse would be punished ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The State Bank of India made appointments on a temporary basis to the posts of money-testers in Gorakhpur Branch during the years 1961 and 1962. As the posts were only temporary, in consonance with the usual practice in regard to temporary employment in the State Bank of India, their services were utilised, as and when necessary with breaks. The question of confirming the employees in permanent employment did not arise. In 1965, the bank advised the concerned temporary employees to appear with outside candidates in a written test for entry into the permanent cadre; the concerned employees refused to appear in the written test and went to the Gorakhpur Civil Court for an injunction restraining the Bank from holding the test. The Civil Court's decision was in favour of the bank. However, the District Judge, on an appeal by

the employees, ruled in their favour. The bank accepted the judgement of the District Judge and appointed these temporary employees as permanent employees. However, their services had to be terminated because the concerned Head Cashier did not assume responsibility for indemnifying their services as is the usual practice in the Bank. Thereupon the Money-testers filed a civil suit against the bank in the Court of the Civil Judge, Gorakhpur on 23rd August 1969, praying that the order of the bank dated the 14th August, 1969 terminating their services, be declared as illegal and that an injunction be granted restraining the bank from terminating their services. The Civil Judge passed an order on 28th August 1969 restraining the bank from terminating the services of the Money-testers. The bank has since filed an appeal against the order of the Civil Judge in the Court of the District Judge, Gorakhpur.

(e) The present case is subjudice.

सूअर के बालों की तस्करी

4498. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली 9 फरवरी, 1970 की साप्ताहिक पत्रिका "बिस्मल" में "सुअर के बालों की तस्करी में शामिल गोरखपुर के नागरिक" तथा "भारत सरकार को हो रही 50 लाख रुपये की वार्षिक हानि" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम, पदनाम तथा पते क्या हैं जो उक्त अवैध व्यापार में शामिल हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अनन्तिम अतारांकित प्रश्न डी० संख्या 13940 के बारे में लोक सभा सचिवालय से नोटिस प्राप्त होने पर साप्ताहिक 'बिस्मिल' सम्बद्धित अंक मंत्रालय को भेजने के लिये समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद को कहा गया था और सरकार ने अब उक्त समाचार को देख लिया है।

(ख) भारत नेपाल सन्धि 1960 के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत दोनों देशों में से किसी भी देश में बनी वस्तुएं, बिना सीमा शुल्क अथवा मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए दूसरे देश में बेरोक-टोक आ-जा सकती हैं। ऐसी रिपोर्टें मिलती रही हैं कि कड़े बाल (ब्रिस्टल) भारत से नेपाल को ले जाये जाते हैं और वहां से अन्य देशों को पुनः निर्यात किए जाते हैं। भारत सरकार ने यह मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया है।

(ग) इस बात को देखते हुए कि सन्धि के अधीन कड़े-बालों (ब्रिस्टल) के भारत से नेपाल को निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इस व्यापार में लगे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु पुलिस तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के सम्बन्धित कर्मचारियों के भ्रष्ट तरीकों के सम्बन्ध में उक्त साप्ताहिक में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इलाहाबाद और विशेष पुलिस संस्थापन को कहा जा रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का आरक्षण

4499. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 18 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयवार तथा विभागवार अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पात्र कार्यालयों को दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास से वास के आवंटन के लिये 15-10-1969 तक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था । इस बीच में यह निर्णय किया गया था कि टाइप I और II को रिक्तियों का 5 प्रतिशत, इन टाइपों के लिये पात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को आवंटन के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिये, और इसलिये उन मंत्रालयों/विभागों से, जिनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, मामले का अनुसरण नहीं किया गया । जिन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों ने सूचना अभी नहीं भेजी है, उन्हें 31 मार्च, 1970 तक सूचना भेजने के लिये पुन: अनुरोध किया गया है ।

Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi

4500. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 146 on the 17th November, 1969 regarding Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi and State :

(a) whether the information asked for in parts (b), (c) and (d) of the said question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information furnished by the Delhi Administration on the relevant parts of question No. 146 is given in the attached statement.

Statement

(b) Whether it is also a fact that the said Trust and some other persons or Associations are jointly running some social Education Instt.	(b) Not known.

(c) Whether it is also a fact that the said Trust had advanced the following loans ;

1961-62 Rs. 33653.96 (The name of the loanee has not been given)

1962-63 (i) Rs. 10,000.00 (Anand Finance Pvt. Ltd.)

(ii) Rs. 6017.05 (Instt. of Social Guidance)

(iii) Rs. 973.76 (Dr. Kumar Pal)

(iv) Rs. 6317.60 (The name of the loanee not given) and

(c) Not known.

(d) If so, the names and address of all the loanees, the amount of the loan advanced, the amount of the loan paid back by the loanees, the dates on which paid back and the amount of the loans yet to be paid back ?

(d) This relates to the internal affairs of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi with which Government is not concerned.

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में "बारात घर" बनाना

4501. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में विवाह के लिये "बारात घर" बनाने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं । तथापि जो क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया में हैं, उन्हें सामान्य पूल वास का दखल लिये हुए सरकारी कर्मचारियों को अथवा जो उनके साथ वास में रह रहे हैं, को किराये की अदायगी करने पर सामान्यता एक सप्ताह से न बढ़ने वाली अवधि तक, बारात के लिये उपलब्ध किये जाते हैं। विभिन्न सरकारी कालोनियों के समाज सदनों को बारातों के लिये उपयोग में लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर का इलाज

4502. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ के श्री लेख राज मिश्रा सहित अनेक आयुर्वेद चिकित्सकों ने दावा किया है कि वे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से कैंसर का इलाज कर सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ ने इस सम्बन्ध में उनको लिख कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके दावे की जांच की है तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें सुविधायें दी हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से कैंसर का इलाज करने के बारे में अलीगढ़ के श्री लेख राज मिश्र तथा अन्य दो चिकित्सकों से सूचना प्राप्त कर ली गई है ।

(ग) इस उपचार के बारे में विस्तृत सूचना मंगाई गयी है तथा प्राप्त हो जाने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

Outstanding amount of Income-tax against mine-owners in Bihar

4503. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crores of rupees towards Income-tax are outstanding against several mineowners in Bihar ;

(b) if so, the names of such mineowners ;

(c) the action taken by Government for the recovery of the said amount ;

(d) whether it is also a fact that Government have filed a suit against one of the mine-owners, Raja of Ramgarh, for the recovery of the arrears due from him ; and

(e) if so, the details of the amount due from the Raja of Ramgarh ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Outstanding amount of Royalty against Mine-owners in Bihar State

4504. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total number of coal, mica, iron and copper mines in Bihar ; the number of those among them which are in public sector and of those which are in the private sector, separately ;

(b) the names of the owners of the big private mines ;

(c) whether it is a fact that crores of rupees are outstanding against many mine owners in Bihar on account of royalty etc. if so, the names of such mine owners ; and

(d) the action taken by Government for the recovery of the said amount of money ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Helping hand in the Implementation of Welfare Schemes for rural people by Life Insurance Corporation

4505. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation has decided to extend a helping hand in the implementation of the welfare schemes for rural people ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the corporation proposes to start such type of work ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). The L. I. C., not being a development agency, does not invest its funds with reference to particular scheme and/or its beneficiaries. Being an investment institution, it seeks financially sound outlets for its funds within the statutory framework prescribed for it. On 31-3-69 LIC's investments that can readily be identified as serving the interests of the rural people were as under .

	Amount (in crores of Rupees)
1. Debentures of Co-operative Land Mortgage Banks.	58.09
2. Loans to Sugar Co-operatives.	1.90
3. Loans to State Electricity Boards.	103.50

The above are the values of investments an outstanding basis, net of repayment or redemption. The gross amounts must have been more. This apart, the rural people would have benefited from LIC's other investments, specially in Central and State Government securities, loans to and securities of various bodies in the Public and Co-operative Sectors ; the exact extent of such benefits cannot, however, be separately identified. To the extent possible the L. I. C. is thus helping, directly and indirectly, in the welfare schemes of the rural people.

Financial Assistance to Kerala and West Bengal

4506. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the economic condition of West Bengal is not satisfactory ;

(b) if so, whether the Government of West Bengal have asked for special economic assistance from the Central Government ;

(c) whether it is also a fact that Kerala Government headed by Shri Achuta Menon have also asked for financial assistance from the Central Government ;

(d) if so, the amount of assistance asked for by both the State Governments ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). West Bengal and Kerala are among the States which have been assessed by the Planning Commission as having gaps in resources during the current financial year. Both States have asked for financial assistance from the Centre.

(d) While the Government of Kerala had requested for special assistance of Rs. 17.51 crores, no specific amount was indicated by the Government of West Bengal.

(e) In the light of the assessment of the resources position of the States made by the Planning Commission recently, the Government of India are providing assistance to West Bengal and Kerala also to cover the gaps in their resources during the current financial year.

Arrests for Possession of Opium and Ganja

4507. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested during the last two years in the various parts of the country for being in illegal possession of opium and ganja ;

(b) the value of the goods recovered from the said persons ; and

(c) the number out of them prosecuted and convicted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The number of persons arrested during 1961 and 1969 for being in illegal possession of opium and ganja are given below :

	1968	1969
Opium	3036	3913
Ganja	9894	14720

(b) The value of the goods recovered is :

	1968	1969
	Rs.	Rs.
Opium	3,09,666	3,04,400
Ganja	94,93,143	83,48,087

(c)

	1968		1969	
	Porsecuted	**Convicted**	**Prosecuted**	**Convicted**
Opium	2539	1898	3640	2816
Ganja	10954	8921	13280	11592

N. B. : Figures for 1969 are provisional.

Violation of Customs Duty Regulations

4508. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2130 on the 1st December, 1969 and state :

(a) the number of persons who were prosecuted and of those who were convicted out of the 484 persons arrested in connection with the violation of Customs Duty regulations during the period 1st January, 1969 to 21st November, 1969 ;

(b) the number of cases pending with the court at present ;

(c) the designation of the Gazetted Officer arrested in this connection and the place of his duty at that time ; and

(d) the details of the smuggled goods seized from him and the nature of action take against him ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) So far 49 persons have been prosecuted in connection with seizure of goods between 1-1-69 and 12-11-69. Of these, 24 have been convicted.

(b) Prosecution in 23 cases involving 24 persons is in progress in the Courts. One person died during the trial.

(c) and (d). No. gazetted officer was arrested. In fact in the reply to the question quoted, it had been stated that one non-gazetted officer was arrested. He was a Head Sorter in the Railway Mail Service at Guntakal and was arrested at Madras while on duty. 398 wrist watches were seized from him. The matter was reported to the Superintendent R. M. S. (AG) Division Guntakal. Adjudication proceedings have been initiated.

Seizure of Gold from a Car in Bombay

4509. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that police recovered about 20,000 tolas of contraband gold from a car in Central Bombay in the month of December, 1969 ; and

(b) if so, the value of this gold in the Indian currency and the number of persons againsts whom action was taken in this regard along with the nature of the action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) On 10th December, 1969, Bombay Police Officials recovered 20,000 tolas of gold bearing foreign markings from a car without any occupant parked in Central Bombay.

(b) The value of the gold recovered is Rs. 20 lakhs at international monetary rate and Rs. 40 lakhs at Indian market rate. Enquiries about ownership of the car have proved ineffective. No action against any person has been taken.

Seizure of Smuggled Gold and Watches brought by an Arab Dhow

4510. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold watches of the value of about 35 lakhs of rupees were recovered from an Arab dhow in Manauri Island, Bombay in the first fortnight of December, 1969 ; and

(b) if so, the number of persons against whom action has since been taken by Government and the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Gold, wristwatches and a small amount of foreign currency and other goods of which the market price in India is about Rs. 27 lakhs were recovered from an Arab dhow in the vicinity of Manauri Island on the 10th December, 1969.

(b) Nine crew members were arrested. Five of these were allowed bail by the Magistrate and four have been remanded to jail custody. The prosecution case against them is pending before the court.

Construction work on the Land acquired by Central Government near Ghaziabad

4511. **Shri Parkash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the time by which the construction work would start on the peasants' land acquired

by the Central Government near Ghaziabad several years ago and which is lying unutilised ;

(b) the date on which the said land was acquired and the amount of compensation paid so far ;

(c) the amount of interest on the total amount of compensation paid so far from the very beginning ; and

(d) in case Government do not want to start construction work there, the reasons for depriving the farmers of their right of cultivating the said unutilised land ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (d). Government propose to build on the land as soon as resources permit. Therefore, it is not considered desirable to allow cultivators to use the land meanwhile.

(b) Acquired between September 1965 and January 1966. Amount of compensation—Rs. 1,21,39,079.96 including interest.

(c) Rs. 10,35,575.31.

Renaming of roads in New Delhi after Indian Leaders/Social Workers

4512. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to name those roads in New Delhi after the names of Indian leaders of Social Workers, which are at present named after the Britishers ;

(b) if so, the time by which it would be done ; and

(c) whether it is a fact that certain political factors have so far been obstructing the implementation of the said proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). It has been intimated by the Municipal Corporation, Delhi that none of the roads in New Delhi area under their jurisdiction is named after the Britishers. As regards the New Delhi Municipal Committee, it has been reported that the Committee has not received any proposals for renaming of roads which are still named after the foreigners, except for Lytton Road and Irwin Road. These proposal are still under consideration.

(c) No, Sir.

Inflation of Currency

4514. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the statement laid on the Table on the 29th August, 1969 in fulfilment of the assurance given in reply to Unstarred Question No. 7031 on the 21st April, 1969 ; and state :

(a) the number, out of (i) 773 lakhs ten-thousand Rupee-notes ; (ii) 1901 lakhs five-thousand Rupee-notes and (iii) 5159 lakhs one-thousand Rupee-notes, of those which are

deposited with foreign Government in lieu of the loans advanced by them to India and the number out of them which are in circulation in the country ;

(b) whether Government propose to cancel all of them and to declare their circulation as illegal in view of the economic condition of the country and the monopoly of a few persons to hold these notes as also the socialistic policies of Government ; and

(c) if so, by what time, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Government does not deposit currency notes with foreign Governments in lieu of loans received from them.

(b) and (c). Does not arise.

Refusal to accept Hindi forms by the Child Welfare and Maternity Centres etc. of N. D. M C.

4515 **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry into the fact that the Child Welfare and Maternity Centre and the Births and Deaths Registration Office of the New Delhi Municipal Committee refuse to accept the forms filled up in Hindi and also refuse to give in writing that they are not prepared to accept the said forms ;

(b) whether Government propose to direct the New Delhi Municipal Committee to carry on its entire work and the work of its subordinate offices including the work of the Child Welfare and Maternity Centres and the Births and Deaths Centres in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The New Delhi Municipal Committee have intimated that they have not received any complaint about refusal to accept any form filled up in Hindi from any person or organisation. The question of conducting any enquiry, therefore, does not arise.

(b) and (c). The New Delhi Municipal Committee have reported that they have started progressive use of Hindi consistent with the provisions of the Official Languages Act, 1963, and a number of steps have been laken by the Committee in this regard. The question of issuing any direction, therefore, does not arise.

मनीपुर में जीवन बीमा निगम के कारोबार में प्रगति

4516. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमे की राशि तथा पालिसी लेने वालों की संख्या की दृष्टि से वर्ष 1969-70 में मनीपुर में जीवन बीमा निगम के कारोबार में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों में कितनी पालिसियों को जारी नहीं रखा गया ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाइये" योजना इम्फाल में लागू की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) निगम का लेखा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, इसलिये वर्ष 1969-70 के संबंध में मांगी गयी सूचना उसके बाद उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन वर्ष 1968-69 के दौरान मणिपुर राज्य में 765 पालिसियां जारी की गयी थीं जिनमें बीमे की रकम 48 लाख रुपये थी। पालिसीधारियों की संख्या के संबंध में निगम आंकड़ों का संकलन नहीं करता।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छंटनी

4517. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग, मनीपुर, में आर० सी० सी० पाइपों तथा कलवर्टों के काम पर लगे मजदूरों की छंटनी की जा रही है और केवल एक गैर-सरकारी फर्म का पक्ष लेने के लिये काम को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में तैयार किये गये आर० सी० सी० पाइप तथा कलवर्ट कम लागत के हैं और इसीलिए इन परिस्थितियों में छंटनी करना उचित नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार मनीपुर सरकार को मजदूरों की छंटनी करके बेरोजगारी को और न बढ़ाने के लिये कहेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मनीपुर के स्टोर डिवीजन में आर० सी० सी० पाइपों का उत्पादन बन्द करने के आदेश दिये गए हैं, तथा पाइपों के निर्माण पर लगे नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। तथापि, यह सत्य नहीं है कि यह किसी निजी फर्म के साथ पक्षपात की दृष्टि से किया जा रहा है।

(ख) विभाग में बने आर० सी० सी० पाइप वर्टीकली कास्ट तथा मैनुअली बाई ब्रेटिड होते हैं जबकि सेंट्रीफ्युगली स्पन पाइप, जो कहीं अधिक मजबूत हैं, खुले बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। इसलिए आर० सी० सी० पाइपों के विभाग में उत्पादन बन्द करने के आदेश जारी किये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की यूनियन

4518. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की अपनी मान्यता-प्राप्त यूनियन है ; और

(ख) यदि हां, तो यूनियन का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफीसर औद्योगिक कर्मचारी नहीं हैं । अतएव उनकी ऐसी कोई ट्रेड यूनियनें नहीं हैं । तथापि, उनकी निम्नलिखित तीन मान्यताप्राप्त सर्विस एसोसियेशनें हैं, अर्थात :—

1. सी० पी० डब्लू० डी० सेक्शनल आफीसर्स एसोसिएशन, इण्डिया ।
2. दी ए० एम० आई० ई० सेक्शनल आफीसर्स एसोसिएशन ।
3. दी होर्टीकलचर्ल सेक्शनल आफीसर्स एसोसिएशन ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की सहायता इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति के लिये पृथक कोटा

4519. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा / बी० ई० उपाधि-प्राप्त ओवर-सियरों के लिये सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति के लिये पृथक कोटा है ;

(ख) यदि हां, तो कोटे की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या उक्त पृथक कोटा मनीपुर लोक निर्माण विभाग में भी रखा जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यता विभागीय पदोन्नति, सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति के लिये स्नातक तथा गैर-स्नातक सेक्शनल अधिकारियों के बीच 1:1 के अनुपात से चयन करती रही है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Money Deposited by Capitalists, Ministers, and Ex-Rulers of India in Foreign Banks

4520. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to ascertain the amounts deposited by the capitalists,

ministers, officers and Ex-rulers in foreign banks in India and abroad alongwith the names of those banks and the amounts deposited therein separately ; and

(b) the extent of success achieved in respect of the said steps ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Government have no information about the accounts maintained by various individuals in foreign banks in India. According to the practices and usages customary amongst bankers, information relating to the affairs of their constituents is not ordinarily divulged by them. As regards accounts in foreign countries, information is maintained on an annual basis. As on 31st December, 1968, 788 individuals and firms had declared their balances to the Reserve Bank of India.

Setting up of Naphtha Based Chemical Fertilizer Factories

4521. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where naphtha-based chemical fertilizer factories are proposed to be set up during the Fourth Plan Period ; and

(b) their order of preference and the basis thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chawan) : (a) Fertilizer projects, based on naphtha as feedstock, are under construction at the following locations :

(1) Durgapur.
(2) Cochin.
(3) Madras.
(4) Udyogamandal (IVth Stage Expansion)
(5) Barauni.
(6) Goa.

In addition, a licence has been issued for the establishment of a naptha based fertilizer plant at Mangalore.

No final decision has been taken with regard to other naphtha-based fertilizer plants.

(b) Does not arise.

विदेशी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाएं

4523. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के 6 महीने पूर्व विदेशी बैंकों को कितनी शाखायें खोलने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद वास्तव में विदेशी बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई हैं ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से 6 महीने पूर्व की अवधि के दौरान, दो विदेशी बैंकों को अर्थात् नेशनल ऐण्ड ग्रिण्डलेज बैंक को कलकत्ता में एक शाखा और दि बैंक आफ अमेरिका को नई दिल्ली में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी।

(ख) और (ग). नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक को दिये गये लाइसेंस के आधार पर इस बैंक ने 24 नवम्बर, 1969 को कलकत्ता में एक शाखा खोली थी। दि बैंक आफ अमेरिका ने अभी तक नई दिल्ली में शाखा नहीं खोली है।

विदेशी बैंकों के लिए पी० एल० 480 निधि का नियतन

4524. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी बैंकिंग कम्पनियों को पी० एल० 480 निधियों में से कितना धन दिया गया है ;

(ख) इन बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक बैंक को कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अपनी कुछ पी० एल० 480 निधियों की अपनी कुछ रकमें, भारत स्थित तीन अमरीकी बैंकों में सांवधिक जमा खातों में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, इसने कुले ऋणों के वितरण तथा चालू खातों के संचालन के लिए भी इन बैंकों की सेवाओं का उपयोग किया है। दिसम्बर 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के दौरान इन बैंकों में अमरीकी रुपया राशियों में 20.87 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक	अमेरिकन एक्सप्रेस	बैंक आफ अमेरिका	जोड़
दिसम्बर, 1966 के अन्त में जमा रकमें	25.66	7.90	9.27	42.83
1967, 1968 और 1969 के तीन वर्षों में परिवर्तन	(—)2.58	(+)12.85	(+)10.60	(+)20.87
दिसम्बर, 1969 के अन्त में जमा रकमें	23.08	20.75	19.87	63.70

Alleged Mismanagement in the Demographic Training and Research Centre, Bombay

4525. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the mismanagement prevailing in the Demographic Training and Research Centre, Bombay ;

(b) whether it is a fact that the same person is the Chairman ; as well as the President of the said Institute ; and

(c) whether the Minister of Law was consulted in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) As far as Government are aware, there is no mismanagement prevailing in the Demographic Training and Research Centre, Bombay.

(b) Yes.

(c) The Ministry of Law were consulted and they opined that this is in order.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION AND MOTION UNDER RULE 377 (Query

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : श्रीमन, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । संविधान का घोर उल्लंघन किया गया है ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Sir, Constitution has been violated in Gujarat Assembly.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : लगभग सभी राज्यों में मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों के बीच ऐसी बातें हो रही हैं । मुख्य मंत्री राज्यपालों से मनमानी बातें करवा रहे हैं ।··· (**व्यवधान**)···

Mr. Speaker : I have just now received Shri Madhu Limaye's notice. How can I consider it just now ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, now they are adjourning the sessions of State Assemblies in such a bad manner. This can happen in the case of Parliament also. The programme of 16 days' sittings has been curtailed. This is being done by both the Congress Parties. I cannot understand the logic behind this..... (**Interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे नियमित रूप से नोटिस नहीं मिलता··· (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : नियमित कार्य को निपटाये बिना ही विधान सभा की बैठक को स्थगित कर दिया गया था । कल यह संसद के मामले में भी किया जा सकता है ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै) : श्री मधु लिमये का प्रश्न किसी विशेष विधान सभा के बारे में नहीं है। अब यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि सत्तारूढ़ दल को बनाए रखने के लिये विधान सभाओं के सत्र को अचानक ही स्थगित कर दिया जाता है। वैसे संसद को उनके अधिकारी को कम नहीं करना चाहिये।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : श्रीमन, मैं माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं। संसद को राज्य विधान सभाओं के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और आदेश नहीं देना चाहिये। वे भी निर्वाचित निकाय हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैंने अन्दमान द्वीपसमूह में चल रहे आन्दोलन के बारे में एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया था। वहां चार व्यक्तियों ने अनशन किया हुआ है। गृह-कार्य मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय सभा के समक्ष नहीं है। मुझे नियम 377 के अन्तर्गत गुजरात विधान सभा से सम्बंधित नोटिस अभी मिला है। इस पर मैं विचार नहीं कर सका मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री हेम बरुआ : यह एक बहुत गम्भीर मामला है। (**व्यवधान**)

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, the Governor of Rajasthan, Sardar Hukam Singh is instigating Punjab that the decision on Chandigarh has not been fair to Punjab and that Fazilka should not be given to Haryana. It is wrong on the part of Governor of a state to speak like that.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) संशोधन आदेश, 1970 जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 336 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1970 जो दिनांक 2 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 391 में प्रकाशित हुआ था।

(2) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, वर्ष 1967-68

के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(3) वर्ष 1967 के लिये हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(4) 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक की अवधि के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदनों पर सरकार की समीक्षा की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त मद (2) और (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष 1968-69 के लिये प्रतिवेदन

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत, वर्ष 1968-69 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन खण्ड 1 और 2 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

बैंककारी कम्पनी अधिनियम 1949 के अन्तर्गत नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली को स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ मिलाने की योजना सम्बन्धी अधिसूचना ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 732 की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली के स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ मिला देने की योजना दी हुई है ।

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1026 में प्रकाशित हुये थे ।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (चौथा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 486 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 मार्च 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 440 में प्रकाशित हुए थे ।

बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर संकल्प

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : मैं श्री स० जमीर की ओर से बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी श्रमिकों को केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर दिनांक 28 मार्च, 1970 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—21 (7)/69 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 1970 को पास किए गए बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1970 से राज्य सभा अपनी 26 मार्च, 1970 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

समिति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव
MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें 9 अप्रैल, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें 9 अप्रैल, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प पश्चिम बंगाल बजट लेखानुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल)

STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION ABOUT WEST BENGAL, WEST BENGAL BUDGET, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (WEST BENGAL) AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL)

अध्यक्ष महोदय : इन सभी के लिये पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद इन पर चर्चा समाप्त कर दी जायेगी।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मैं सभा को उन परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं जिनके कारण पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। 16 मार्च को मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। 17 मार्च को लगभग 10 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति को लिखा कि वे मार्क्सवादी साम्यवादियों द्वारा बनाई गई किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हैं। इस बीच राज्यपाल ने अनेक दलों से सलाह की। श्री ज्योति बसु ने पहले तो दावा किया कि बहुमत उनके साथ है। परन्तु जब उनको अपने समर्थकों के नाम बताने को कहा गया और साथ ही अन्य सब दलों से प्राप्त पत्र उन्हें दिखाया गया तो उन्होंने समर्थकों के नाम बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी और वहां संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया।

राज्य विधान सभा का विघटन नहीं किया गया उसे केवल निलम्बित किया गया है।

हम वहां एक सकारात्मक तथा प्रगतिशील प्रशासन चलाना चाहते हैं और वहां पर सुधार करना चाहते हैं।

वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत आलोचना हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां सामान्य स्थिति स्थापित करने में कुछ समय लगेगा। एक दो दिन में अधिक परिवर्तन नहीं किये जा सकते।

सभापति महोदय : उद्घोषणा से सम्बन्धित सांविधिक संकल्प, पश्चिम बंगाल बजट, लेखानुदानों की मांगे, (पश्चिम बंगाल) और अनुपूरक अनुदानों की मांगे (पश्चिम बंगाल) सभा के समक्ष हैं। मद संख्या 8, 9, 10, और 11 पर साथ-साथ विचार किया जायेगा। निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

पश्चिम बंगाल बजट 1970-71 सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	11	श्री हरदयाल देवगुण	राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफलता ।	100 रुपये
15	12	श्री हरदयाल देवगुण	प्रशासन में मंत्रियों के मित्रों तथा रिश्तेदारो को नियुक्त करना ।	100 रुपये
15	13	श्री हरदयाल देवगुण	कत्ल, लूट तथा आगजनी की घटनाओं को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
15	14	श्री हरदयाल देवगुण	राज्य में राजनीतिक कत्लों को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
15	15	श्री हरदयाल देवगुण	राज्य में नक्सलवादियों तथा अन्य अनुशासनहीन तत्वों द्वारा की जाने वाली तोड़-फोड़ के विरुद्ध उद्योगों की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
15	16	श्री हरदयाल देवगुण	पश्चिम बंगाल में उन मुसलमानों की रक्षा तथा प्रोत्साहन देना जिन्होंने ईद के दिन आम स्थानों पर तथा मंदिरों के सामने गायों का बध किया ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	17	श्री मुहम्मद इस्माइल	जैसा कि राज्य सरकारी संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बारे में आयोग की सिफारिश क्रियान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
15	18	श्री मुहम्मद इस्माइल	संघों को मान्यता देने के लिए राज्य की निर्वाचित विधान सभा द्वारा बहुत बड़े बहुमत से पास किये गये विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेने की सलाह देने में असफलता।	100 रुपये
15	19	श्री मुहम्मद इस्माइल	मजदूरों के निर्वाह भत्ते सम्बन्धी विधेयक पर सिफारिश करने में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की असफलता।	100 रुपये
27	20	श्री मुहम्मद इस्माइल	मोहिनी मिल (सूती) तथा बंगस्वरसरी (सूती) सहित सभी कारखानों को जिनमें तालाबन्दी हुई थी, ले लिये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
28	21	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल के सभी सम्बद्ध संघों द्वारा त्रि-पक्षीय निकाय स्थापित कर 2 लाख से अधिक जूट मजदूरों के वेतन के ढांचे को अन्तिम रूप देने के खण्ड का जूट मालिकों द्वारा मानने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
47	22	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में मीनक्षेत्र निगम को ज्ञापन के अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिये बाध्य करने में असफलता ।	100 रुपये
12	23	श्री मुहम्मद इस्माइल	सांझे मोर्चे के विभिन्न संशोधनों, अधिनियमों, नियमों और आदेशों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	24	श्री मुहम्मद इस्माइल	पुलिस कर्मचारियों के लिये सांझा मोर्चा सरकार के द्वारा निर्धारित किये गये प्रतिमान को जारी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
28	25	श्री मुहम्मद इस्माइल	पटसन, इन्जीनियरी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की मजूरी के आधार पर पश्चिम बंगाल में बीड़ी कर्मचारियों की मजूरी को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
28	26	श्री मुहम्मद इस्माइल	राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी आवश्यक सेवा कम्पनियों के पूरे राष्ट्रीयकरण के लिये हाथ में लेने की अवधि को पांच वर्ष बढ़ाने की आवश्यकता, जैसी कि कलकत्ता की सम्पूर्ण जनता द्वारा मांग की गई है ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
30	27	श्री मुहम्मद इस्माइल	इंजीनियरी त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर पश्चिम बंगाल के कपास कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों को निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	28	श्री मुहम्मद इस्माइल	मूल्य सूचकांक के आधार पर पश्चिम बंगाल में सभी उद्योगों में एक समान मंहगाई भत्ता लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	29	श्री मुहम्मद इस्माइल	जिन इंजीनियरी फर्मों ने पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
37	30	श्री मुहम्मद इस्माइल	कलकत्ता ट्रामवेज के 10,000 कर्मचारियों के वेतनमानों को, जो सभी सम्बन्धित कार्मिक संघों द्वारा राज्य सरकार के पेश किये गये थे, अन्तिम स्वरूप देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	31	श्री समर गुह	मारकाट, कत्ल, लूट आगजनी, स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़, औद्योगिक या शिक्षा-संस्थाओं में घेराव के मामले में उच्च-शक्ति प्राप्त न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
12	32	श्री समर गुह	कुछ अधिकारियों को प्राथमिकता देते हुए, उनके कार्य में परिवर्तन करना और उनका स्थानान्तरण करना तथा इस प्रकार भय का वातावरण उत्पन्न करना ।	100 रुपये
12	33	श्री समर गुह	बेनामी तथा फालतू भूमि के भूमिहीन कृषकों में वितरण के लिए सरकारी मशीनरी की तत्काल स्थापना न किया जाना ।	100 रुपये
12	34	श्री समर गुह	भूमिहीन कृषकों तथा आदि-वासियों के लाभार्थ भू-सुधार की नीति की घोषणा का अभाव ।	100 रुपये
12	35	श्री समर गुह	श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम-नीति का अभाव ।	100 रुपये
13	36	श्री समर गुह	साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की तोड़-फोड़ गति-विधियों को रोकने के लिए पुलिस को सामान्य आदेशों का अभाव ।	100 रुपये
12	37	श्री समर गुह	साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा 1,10,000 स्वयं सेवकों का भर्ती किया जाना, सशस्त्र स्वयं-सेवकों के द्वारा बैठकों, प्रदर्शनों और सभाओं का किया जाना और इस प्रकार भय और धमकी पूर्ण वातावरण का पैदा किया जाना ।	100 रुपये

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	38	श्री बे० कु० दासचौधरी	चौथी पंचवर्षीय योजना में कूच बिहार जिले में मंशाई नदी पर पुल बनाने की परियोजना के सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
38	39	श्री जी० मो० बिस्वास	बांकुरा जिले के अकाल-पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए उचित उपाय करने में असफलता।	100 रुपये
38	40	श्री जी० मो० बिस्वास	पुरुलिया और बांकुरा जिलों के अकाल पीड़ित लोगों के लिए राहत कार्य तत्काल शुरू किये जाने में असफलता।	100 रुपये
12	1	श्री देवेन सेन	पांचवें वित्त आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता।	100 रुपये
15	2	श्री देवेन सेन	बर्दवान शहर में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने में असफलता।	100 रुपये
15	3	श्री देवेन सेन	श्रीपुर कोयला खान, आसन सोल, जिला बर्दवान, में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने में असफलता।	100 रुपये

जब यह सांविधिक संकल्प है तो इस पर अलग से विचार किया जाना चाहिये तथा अन्य प्रस्तावों के साथ इसे नहीं मिलाया जाना चाहिये। सांविधिक संकल्प पर चर्चा समाप्त करने के पश्चात् ही आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह, कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय है जिसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मैं सदन के निर्णयानुसार कार्यवाही कर रहा हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : यद्यपि हम विरोधी पक्ष में हैं फिर भी सरकार ने पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जो कदम उठाये हैं, उनका समर्थन करते हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की लगभग सभी ने सराहना की है।

पश्चिम बंगाल से हमें जो प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे थे, उनसे बड़ी चिन्ता हो रही थी। इन प्रतिवेदनों से इंगित होता था कि वहां पर प्रशासन व्यवस्था पंगु हो गई है, पुलिस गतिहीन हो चुकी है, विभिन्न दलों में निरन्तर झगड़े हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हत्याएं हो रही हैं। नक्सलवादी प्रकार की क्रूर गतिविधियों के कारण निरन्तर झगड़े, लूटपाट, आगजनी तथा स्त्रियों के साथ बलात्कार की अनेक घटनायें हो रही हैं। लोग इस विषय में गवाही देने तथा रिपोर्ट करने तक से डरते हैं।

1969 के मध्यावधि चुनाव के पश्चात् वामपंथी संयुक्त मोर्चा बनाकर सत्ताधारी बने। वहां के निवासियों ने इस सत्ता का हार्दिक स्वागत किया। उन्हें इस सरकार से शान्ति तथा विकास की आशायें थीं।

उनको देश को यह बताने का एक सुनहरा अवसर मिला था एक बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी सरकार अच्छी नहीं और उनकी सरकार देश के निर्धन वर्ग का उत्थान करेगी। परन्तु एक वर्ष के पश्चात ही संयुक्तमोर्चे में आन्तरिक विरोध होने के कारण इनकी सरकार गिर गई। सरकार के अपने ही अंगों ने इसकी सारी जिम्मेदारी साम्यवादी मार्क्सवादी दल पर डाली है।

प्रशासन की इन्हें चिन्ता नहीं थी, चिन्ता थी तो केवल साम्यवादी मार्क्सवादी दल के लिये एक आधार बनाने की जिसके द्वारा भविष्य में अपने दल का विकास कर सके। इसी उद्देश्य से संयुक्त मोर्चे के अन्य सभी अतंरंग अंशों को शक्ति के पदों से बाहर निकाल रहे थे। इन्होंने राजनीतिक नैतिकता के सभी मानदंडों को निकाल फेंका तथा प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली की अवहेलना की। इन्होंने बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग को, जो प्रायः समस्त देश का मार्गदर्शन करता था, बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है।

साम्यवादी मार्क्सवादियों का विचार था कि हम मजदूरों तथा किसानों के समर्थन से जो कार्यवाही कर रहे हैं, उससे हमें लाभ होगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ बल्कि जनता में जो सद्भावनायें इसके प्रति शेष थीं, वह भी समाप्त हो गईं।

लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का विचार है कि स्थायी सेवाओं तथा पुलिस प्रशासन को राजनीति से ऊपर होना चाहिये तथा तटस्थ रहना चाहिये।

राजनीति केवल मंत्रिमंडल तक ही सीमित रहनी चाहिए। साम्यवादी-मार्क्सवादी वचनबद्ध सेवाओं में विश्वास रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पुलिस में अपने समर्थकों को भर्ती करना आरम्भ कर दिया है। ये उन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं जो उनके

आदेशों का पालन करते हैं। घृणित कार्य कराने के लिये मंत्री महोदय ने अपने समर्थक जिला मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया हुआ है जिसके फलस्वरूप पुलिस का नैतिक पतन हो गया है तथा राज्य में अव्यवस्थित स्थिति पैदा हो गई।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के समाप्त होने का मुख्य कारण पुलिस का राजनैतिकीकरण था। यदि साम्यवादी मार्कसवादी प्रत्येक पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो जाते तो सम्पूर्ण बंगाल में उनका आधिपत्य जमने की संभावना थी। परन्तु-ये ऐसा नहीं कर सके ।

पूंजीवादियों के विरुद्ध तथा निर्धनों की दशा सुधारने के उद्देश्य से इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के नाम से उन्होंने लूटमार तथा आगजनी आरम्भ कर दी। इनके सशस्त्र जत्थे किसी के भी घर में घुस जाते हैं, तथा हत्यायें करते हैं। जो कुछ हाथ लग जाता है, बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इन्होंने अपने अनुचरों को सम्मिलित करके लोगों की अदालत (Peoptes Court) बनाई, जोयह निर्णय देती है कि व्यक्ति से भूमि लेना है तथ किस व्यक्ति को देनी है। लोकतंत्र में यह कार्य विधि द्वारा निष्पन्न होना चाहिए। कानून बनाकर भूमिहीनों को भूमि दिलायी जा सकती है, परन्तु उन्होंने आतंकवादी ढंग अपनाये। परिणाम यह हुआ कि लूट तथा हत्याओं की घटनायें निरन्तर बढ़ती रहीं। उनके राजस्व मंत्री श्री कोनार ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है। उन्होंने निम्नलिखित आंकड़े दिये हैं। फसल कटने के समय उपद्रवों की संख्या केवल 100 थी। 19 व्यक्तियों की हत्यायें की गईं तथा 3 व्यक्ति पुलिस की गोली से मरे। 1721 मामले ऐसे थे जिनमें बलपूर्वक आधिपत्य जमाने के कारण झगड़े हुये। उपरोक्त आंकड़ों में 24 परगने के झगड़े सम्मिलित नहीं हैं।

तथ्य यह है कि इन्होंने एक नवीन प्रकार के वर्ग युद्ध का सूत्रपात किया। 1969 से पूर्व केवल चार जिलों में ही इनका अस्तित्व था परन्तु आतंकवादी नीति के सहारे ये सारे बंगाल में फैलते गये। बढ़ते-बढ़ते यह अव्यवस्था कलकत्ते तक पहुंच गयी और अब कलकत्ते में रिवाल्वर, बम, भाले तथा अन्य घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रतिदिन खुले आम प्रयोग किया जा रहा है। स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की अनेक घटनायें सामने आयी हैं। लज्जावश स्त्रियां रिपोर्ट करने भी नहीं जा सकती हैं। पुलिस कुछ नहीं करती है, सभी कर्मचारी गतिहीन हैं। इन अपराधों के लिये कुछ राजनीतिक गुंडे दोषी है, क्योंकि पुलिस ज्योतिबसु के भय से कोई कार्यवाही नहीं करती है।

पुलिस राजनीतिक अपराधी और साधारण अपराधी के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। फ्रांस के वाणिज्यदूत और उनकी पत्नी पर घातक प्रहार इसका उदाहरण है।

समूचे सिलीगुड़ी क्षेत्र में प्रशासन इतना बिगड़ गया है कि वहां क्रांति का जोर हो गया था, सेना को इसे दबाने के लिये बुलाना पड़ा था। ऐसी स्थिति राज्य सरकार के लिए शर्मनाक है।

इस स्थिति को श्री अजय मुखर्जी अधिक देर तक सहन न कर सके, वे इससे बाहर निकलना चाहते थे, उन्होंने अपनी ही सरकार को जंगली, असभ्य जैसे नामों से संबोधित किया था।

औद्योगिक क्षेत्र में भी श्रमिक अशान्ति फैली हुई है। मार्क्सवादी तत्व प्रत्येक एककों में घुस गया है और मालिकों को कठिनाई की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उनको समझौता करने के लिये मजबूर किया जा रहा है अन्यथा वे अपने कारखाने नहीं चला सकते हैं।

अन्तर्दलीय झगड़े और प्रतिस्पर्द्धा गम्भीर रूप लेते जा रहे हैं, हत्याएं होती रहती हैं। सभी जानते हैं कि मुख्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच कतिपय आपराधिक मामलों को वापिस ले लेने के बारे में वाद-विवाद चल रहा है।

अन्त में, श्री अजय मुखर्जी को अनशन करने का निर्णय लेना पड़ा। वे संयुक्त मोर्चा सरकार को तोड़ना नहीं चाहते थे, उनका उद्देश्य प्रशासन से बुराइयों को दूर करके सामान्य स्थिति लाना था, परन्तु वे इसमें असफल सिद्ध हुए। वहां केवल बंगला कांग्रेस ही ऐसी थी, जिसके नेता कानून तथा व्यवस्था के हामी थे।

वहां राजनीति को अपराध के साथ मिला दिया गया था, नेताओं का दृष्टिकोण राजनीतिक समाधान को आपराधिक घटनाओं में ही ढूंढ़ने का होता था, स्वभावतः इससे स्थिति और बिगड़ जाती थी।

मैं अब बर्दवान में हुई घटना का उल्लेख करूंगी। जब यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जायेगा तो इसके विरोध में मार्क्सवादियों ने सशस्त्र जुलूस निकाला। इस राष्ट्रपति शासन के समर्थन में कांग्रेसी समर्थकों ने भी जुलूस निकाला। इस पर वे उत्तेजित हो गये तथा उन्होंने हथियारों से लैस होकर श्री सेन के घर पर हमला बोल दिया। उनके दो भाइयों को भाले से मार दिया गया, तीसरा भाई श्री नवकुमार सेन जैसे ही बाहर निकले तो उन पर आक्रमण किया गया, उनकी आंखें निकाल दी गयीं तथा भालों से उन्हें घायल कर दिया। गया छोटा भाई मलाई सेन अपनी जान बचाने के लिए जिला अधिकारी के पास भागा और अपनी जान की रक्षा की प्रार्थना की परन्तु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा उसे भी मार दिया गया, परिवार के सभी सदस्य घायल हो गये, पुलिस वहां उपस्थित थी परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया।

बर्दवान का जिलाधिकारी श्री तरूणदत्त कम्युनिस्ट मार्क्सवादी मंत्रियों का पक्ष लेते हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि श्री तरूणदत्त ने कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दल के एक प्रमुख व्यक्ति को एक रिवाल्वर बेचा था ?

यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट दल मार्क्सवादी श्रमिकों का मित्र है और हम प्रतिक्रियावादी हैं, परन्तु वे श्रमिकों के लिए क्या करते हैं, उसी दिन त्रिवेणी और डकसिनडेरी क्षेत्र में मजदूरों

पर आक्रमण किया गया । एक गरीब लड़का पानी लेने बाहर निकला तो उसे गोली मार दी गई । इसके पश्चात उन्होंने और भी कई हत्याएं कीं क्या ये ही श्रमिकों के मित्र हैं ! मैं भारत के लोगों को आगाह करना चाहती हूं कि जब श्रमिकों के ये मित्र पदासीन हो जायेंगे तो फिर देश की क्या स्थिति होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप एकाधिकारियों के मित्र हैं और हम श्रमिकों के मित्र हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : अब वह स्थिति समाप्त हो गई है । राज्यपाल ने अपना कार्य-भार संभाल लिया है । राज्यपाल का कार्य काफी गम्भीर है । वहां कानून तथा व्यवस्था विद्यमान नहीं है । यह सब हिंसा के कारण हुआ है । प्रजातांत्रिक शासन और संविधान प्रक्रिया की गरिमा नष्ट कर दी गई है । न्यायपालिका की पूर्णतया अवहेलना की जाती है । अर्थव्यवस्था भंग हो चुकी है ।

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि व्यवस्था व शान्ति की पुनर्स्थापना की जाये । लोगों को राज्यपाल की योग्यता पर विश्वास होना चाहिए, क्या यह राज्यपाल शान्ति तथा स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं ? इन्होंने अपने रेडियो प्रसारण में यह कहा था कि मैं संयुक्त मोर्चा को पुनः मंच पर लाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उन्होंने श्री ज्योति बसु की बहुत प्रशंसा की है, 28 दिनांक के 'दि स्टेट्समैन' में यह समाचार छपा था कि प्रदेश कांग्रेस समिति (सत्ताधारी) की कार्यकारिणी और संसदीय दल की संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि राज्यपाल द्वारा भूतपूर्व उपमुख्य मंत्री की प्रशंसा की जाना अनुचित है, क्योंकि वह कई हत्याओं, शांति व्यवस्था के अभाव आदि के लिए उत्तरदायी हैं । बैठक में यह आशा की गई थी कि राज्यपाल ऐसे मामलों में तटस्थता बरतेंगे । दूसरे प्रस्ताव में उन्होंने बर्दवान की वीभत्स घटनाओं की निंदा की और इसके लिए न्यायिक जांच की मांग की । उन्होंने मांग की थी कि अपराधियों को दंड दिया जाये, उन्होंने आगे यह भी कहा कि संयुक्त मोर्चा सरकार को वापस बुलाने की बात करना ठीक नहीं है । पश्चिम बंगाल की सरकार अच्छा शासन चाहती है । मैं केन्द्रीय सरकार को इन सब बातों के लिये उत्तरदायी मानती हूं ।

हमने इस सभा में अराजकता के बारे में कई बार मामले उठाये थे और प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को बताया था कि वे लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और शस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं । श्री ज्योति बसु ने कहा है कि वे एक लाख लोगों की सेना बना रहे हैं । वहां कम्युनिस्टों की गैर सरकारी अर्द्ध सैनिक बल संगठित हैं तथा उनके नेता कुशल आंतकवादी हैं और उन्होंने बंगाल की जनता में आतंक फैलाया हुआ है । उस जनता में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वे समाज विरोधी तत्वों द्वारा ढाये जा रहे जुल्म के विरुद्ध कुछ कह सकें । श्री चह्वाण ने सभा में यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान और चीन से शस्त्रों को बंगाल में चोरी छिपे ले जाया जा रहा है, उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वे छोटे शस्त्र हैं, वस्तुतः इन छोटे शस्त्रों को गत दस

वर्षों से यहां चोरी छिपे लाया जा रहा है, इस दौरान वे क्या कर रहे हैं ? उन्होंने पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति क्यों आने दी ? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को संरक्षण और सहायता की मांग करने का अधिकार नहीं है ? जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस वर्ष जनवरी के महीने में वहां गई थीं तो बंगाल की स्थिति पर उसने संवाददाताओं को यह कहा था कि वहां स्थिति नाजुक है और उस बारे जितना कम कहा जाये उतना ठीक है, मेरा कहना यह है कि सरकार अपने कर्त्तव्य-पालन में असफल रही है क्योंकि वह साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का सहयोग ले रही है। अगले दिन श्री चह्वाण ने कहा था कि बंगाल में संविधान भंग नहीं हुआ है। क्या वे संविधान के भंग होने की बात नहीं समझते हैं। संविधान में यह उल्लिखित है कि मंत्रिमंडल को एक होकर काम करना चाहिए और इसका संयुक्त उत्तरदायित्व है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार संयुक्त रूप ये कार्य कर रही है ? वे आपस में लड़ रहे हैं। और एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, जो कुछ पश्चिम बंगाल में घटा है उसका एकमात्र उत्तरदायित्व मार्क्सवादियों पर नहीं आता है अपितु श्री चह्वाण और श्रीमती इंदिरा गांधी भी इसमें भागी हैं। उन्हें कम से कम अब चेत जाना चाहिये और अपनी भूलों को सुधारना चाहिए और इस प्रकार का राज्यपाल वहां नियुक्त किया जाना चाहिए जो पक्षपात रहित हो और जिसकी साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के साथ सहानुभूति न हो, ये पत्र जो मैं सभा पटल पर रख रही हूं, पश्चिम बंगाल में हुई बर्बर गतिविधियों को बतलाते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कल अवकाश होने के कारण ये कटौती प्रस्ताव आज सबेरे 10 बजे प्रस्तुत किए गये हैं, मेरे विचार में आपको इन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि इतनी संख्या कम है तो कोई बात नहीं है परन्तु श्री समर गुह ने दर्जनों कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सचिवालय के पास इनको परिचालित करने के लिये समय नहीं है, आप इनमें कुछ चुन सकते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यदि कटौती प्रस्ताव अब आते हैं तो उन पर हम उत्तर कब तैयार करेंगे ?

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : मैं केवल एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री परिमल घोष (घाटल) : हम इस तथ्य के कारण इस सभा में पश्चिम बंगाल के बजट पर वाद-विवाद कर रहे हैं क्योंकि वहां मध्यावधि चुनाव में संयुक्त मोर्चा सरकार के आने पर भी वह आपसी राजनीतिक मतभेद के कारण अधिक समय तक टिकी न रह सकी। स्वभावत: जब हम पश्चिम बंगाल के बजट प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं तो हम वहां गत कई वर्षों से हो रही घटनाओं को नजर अन्दाज नहीं कर सकते, हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल हमेशा औद्योगिक रूप से विकसित राज्य रहा है। वहां इंजीनियरिंग उद्योग, पटसन तथा चाय उद्योग

बहुत अधिक है। उससे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप भारत के अन्य राज्यों को समृद्धिशाली बनाने में इसका हाथ रहा है, भारत द्वारा अर्जित 900 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में पश्चिमी बंगाल का योगदान 306 करोड़ रुपये का है।

प्रश्न यह है कि आज पश्चिम बंगाल के पास अपने संसाधन क्यों नहीं रहे हैं। यदि हम योजनाओं पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि पश्चिम बंगाल में पहली पंचवर्षीय योजना में कुल पूंजी निवेश 154 करोड़ रुपये का था जबकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में यह 224 करोड़ रुपये था। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में यह धन राशि कम होती गई और आज केवल 322 करोड़ है जबकि महाराष्ट्र के मामले में यह लगभग 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है।

यदि हम घटनाओं का सिंहावलोकन करें तो पायेंगे कि यद्यपि पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग सबसे अग्रणी था परन्तु यह कुछ कारणों से पनप नहीं सका। सरकार ने इस्पात और कोयले का मूल्य समान कर दिया था और पश्चिम बंगाल को प्राप्त हो रही सुविधा को लगभग समाप्त ही कर दिया था। जब तिलहन और कपास के मूल्य का प्रश्न उठा था तो केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों के दबाव में आ गई और उसी नीति का अनुसरण नहीं किया।

पश्चिम बंगाल में दो मुख्य उद्योग पटसन और चाय का है। इनका अन्य राज्यों में इसलिए विस्तार नहीं हुआ है क्योंकि यह भूमि में पैदा होता है। यदि हम रसायन तथा औषधीय उद्योग जैसे अन्य मुख्य उद्योगों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि इनका मूल स्थान पश्चिम बंगाल में था परन्तु ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र की ओर फैलते तथा विकसित होते गये। यदि हम पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति को देखें तो यह पायेंगे कि सरकार आयात लाइसेंस जारी करके, विदेशी सहयोग के मामले में विदेशी मुद्रा देने के मामले में अन्य राज्यों की ओर अधिक उदार नीति अपनाती है। इससे वहां उद्योगों की प्रगति बहुत ही धीमी हो रही है।

मैं एक अन्य समस्या की ओर ध्यान दिलाऊँगा। यह है शरणार्थियों का बड़ी संख्या में वहां आना। बंगाल और पंजाब का विभाजन इसलिए किया गया कि देश के शेष राज्य स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। विभाजन ने बंगाल और पंजाब को समान रूप से प्रभावित किया परन्तु सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए बहुत कुछ किया। वहां मुसलमानों द्वारा छोड़े गये भूमि, मकान, दुकानों में उन्हें बसाया गया क्योंकि वहां शरणार्थियों का आवागमन दो तरफा था परन्तु पूर्वी क्षेत्र में यह आवागमन एक तरफा ही रहा जिसके परिणामस्वरूप वहां से आने वाले शरणार्थियों को नए सिरे से बसाने में बड़ी कठिनाई हुई।

प्राक्कलन समिति ने यह बताया था कि 1955 में सरकार ने यह सोचा था कि पूर्वी क्षेत्र में शरणार्थी समस्या को पश्चिमी क्षेत्र के शरणार्थियों के समान ही सुलझाया जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के शरणार्थियों को अपनी अचल सम्पत्ति वहां छोड़नी पड़ी। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं दी गईं परन्तु दुर्भाग्यवश पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये

तथा उनको सहायता देने के बारे में कुछ नहीं किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति सहित लगभग 450 करोड़ रुपये दिये गये जबकि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को 172 करोड़ दिए गए। यह ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है।

पांचवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें इस प्रकार की हैं जिससे अधिकांश राज्यों के पास लगभग 7,271 रुपये की अतिरिक्त धनराशि हो गई है परन्तु पश्चिम बंगाल को सहायक अनुदान की सिफारिश करने के बावजूद भी बहुत घाटा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने, जिसका कार्य राज्यों में वित्तीय असमानताओं को दूर करना है वित्तीय असमानताओं को बढ़ाने में मदद की है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी चौथी योजना के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय किया है। यह अनुमान लगाया गया था कि सामान्य राजस्व प्राप्ति और सामान्य उपार्जित व्यय के अन्तर को उस अंशदान से पूरा किया जायेगा जिसकी सिफारिश पांचवां वित्त आयोग करेगा। परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई है। योजना आयोग ने भी कह दिया है कि चौथी योजना में राज्य का अंशदान शून्य होगा। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय किया है कि चौथी योजना के काम में वृद्धि करने के लिए 80 करोड़ रुपये अतिरिक्त करों द्वारा उगाहे जायेंगे परन्तु इसमें से अधिकांश धन गैर योजना मदों में हुए घाटे को पूरा करने में ही लग जायेगा।

अन्त में मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता की विशेषकर अपनी समस्याएं हैं जिनको कि राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की भूखी जनता केवल वचनों पर ही नहीं रहना चाहती अब वहां की जनता यह जान चुकी है कि गरीबी कोई आवश्यक नहीं है और इसको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के साथ लाया जा सकता है। यदि प्रजातांत्रिक तरीके न अपनायें जायें तो यह परिवर्तन बहुत दुःखदायी रहेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लागू किया गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां कोई भी एक राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और कोई भी सरकार एक वर्ष से अधिक काम नहीं कर सकी है। वहां का सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो गया है। वहां पर विधि व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करना भी कठिन हो गया है ऐसी ही स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया गया और वहां के लोगों ने राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद चैन की सांस ली। अब वहां पुनः सामान्य स्थिति आ रही है। श्री ज्योति बसु ने 26 मार्च को कहा कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान यदि पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने वहां के लोगों को इन लाभों से वंचित किया जो उन्होंने संयुक्त मोर्चे की सरकार के शासन काल में प्राप्त किये हैं तो वहां की जनता और उनका दल

एक बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू करेगा। श्री राममूर्ति ने भी निर्वाचन में देर होने पर राज्य में जन आन्दोलन होने की बात कही।

अब हमें देखना यह है कि संयुक्त मोर्चे के शासन-काल में उन्होंने कौन सी सफलताएं प्राप्त की। उनके शासन काल में भारत के साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने अपनी नीति के अनुसार पश्चिम बंगाल में विधि-व्यवस्था को लगातार इतना बिगड़ने दिया कि वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का उनका एक उद्देश्य है और वह है लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना या ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें लोकतंत्र ठीक से काम न कर पाये। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने राज्य के प्रशासन-तंत्र का ही प्रयोग किया।

किसानों को किसानों के विरुद्ध श्रमिकों को श्रमिकों के विरुद्ध भड़काया गया। विधि-प्रिय नागरिकों की गुन्डों ने हत्या की। वहां पर हजारों हत्याएं और डकैतियां हुईं जो गुप्त रखी गईं या जिनकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। वहां बलात्कार की अनेक घटनाएं हुई। स्त्रियों का सतीत्व भ्रष्ट किया गया। इसी सन्दर्भ में श्री अजय मुकर्जी ने कहा था कि पहले उन्होंने धान लूटे फिर मछलियां लूटीं, और अब उन्होंने स्त्रियों को लूटना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्थान-स्थान पर बारूद के कारखाने हैं और उनमें बम, गोली आदि बनाये जाते हैं। वहां पर लोग हथियार लेकर खुले आम घूमते हैं। श्री ज्योति बसु के प्रशासन और नियंत्रण के अधीन ऐसी स्थिति है। इसमें सबसे अधिक खतरनाक बात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में चीनी और पाकिस्तानी तत्वों का बहुत बड़ा हाथ है। पश्चिम बंगाल में गांधी जी और नेताजी के नाम के स्थान पर माओ का नाम रखा जा रहा है। नक्सलवादी छात्रों ने 24 मार्च 1970 को जाधवपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय पर आक्रमण किया था। 3 मार्च 1970 को गुण्डों ने उन सात सिनेमाघरों को लूटा जिन पर 'प्रेम पुजारी' और 'शतरंज' नामक चलचित्र लगे थे। इसका कारण यह था कि 'प्रेम पुजारी' एक राष्ट्रवादी चलचित्र है और उसमें चीनी आ क्रमण की निन्दा की गई है। यह सब पश्चिम बंगाल सरकार की, जिसमें श्री ज्योतिबसु स्वयं गृह मंत्री थे, सांठ-गांठ से हुआ। पश्चिम बंगाल में न पुलिस की चलती है, न न्यायालय की और न वहां संविधान को ही महत्व दिया जाता है। वहां पर तो केवल भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की ही तूती बोलती है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महात्मा गांधी को हमने नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने मारा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जिस व्यक्ति ने गांधी जी को मारा था, उसपर मुकद्मा चलाया गया और उसे मृत्यु-दंड दे दिया गया था। किन्तु महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या करने वाले साम्यवादी (मार्क्सवादी) लोग हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राष्ट्रपति-शासन के लागू होने के बाद से उनके आन्दोलन ने एक नया रूप ले लिया है। 17 मार्च को साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने उपाध्यक्ष के घर पर आक्रमण किया। उक्त दल के नेताओं ने लोगों से यह आह्वान किया है कि वे हाथ में भाले

और लाठी लेकर पूरे राज्य में एक आंदोलन शुरू करें। उन्होंने यह धमकी भी दी कि यदि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के बिना पश्चिम बंगाल में कोई लघु-मोर्चे की सरकार बनाई गई तो वह सरकार सचिवालय में घुस भी न सकेगी। ऐसी स्थिति में केन्द्र कहां तक प्रतीक्षा कर सकता था और अन्तत : उसे सामने आना पड़ा।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के शासन-काल में एक अन्य बुरी बात यह हुई कि पश्चिम बंगाल राज्य की अर्थ-व्यवस्था लचर-पचर हो गई। श्रम आन्दोलन के रूप में उन्होंने 'घेराव' की शुरुआत की। घेराव के वर्ष 1969 में नवम्बर तक 8,85,49,203 जन-दिन बेकार हुए। और 6,45,187 इससे प्रभावित हुए। इससे वहां की अर्थ व्यवस्था और भी अधिक बिगड़ी। यह घेराव न केवल औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों तक सीमित रहा बल्कि यह स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और पुलिस विभाग में भी फैल गया। वहां पर तो मंत्रियों ने घेराव में भाग लेकर उसकी शान बढ़ाई। वहां विधि और न्यायालय के लिए कोई सम्मान नहीं रहा है। वहां यदि किसी वस्तु का सम्मान है तो वह है हिंसा, अराजकता और साम्यवादी (मा०) दल के आदेश।

जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके दायित्व से केन्द्र भी इन्कार नहीं कर सकता। केन्द्र भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। केन्द्र ने पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उसके प्रति नर्मी और डरपोकपन का रुख अपनाया और इसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आखिर केन्द्र का काम क्या है। यदि किसी स्थान पर संविधान ठीक से काम नहीं कर रहा है अथवा वहां अराजकता की स्थिति है, तो केन्द्र का कर्तव्य हो जाता है कि वहां वह उचित समय पर कार्यवाही करे। अन्यथा केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता ही क्या है ?

पश्चिम बंगाल में स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे वहां विधि-व्यवस्था स्थापित हो जाये। हम साम्यवादियों की इस बात का समर्थन नहीं करते कि वहां तत्काल मध्यावधि चुनाव कराए जायें।

श्री नम्बियार : **

Shri Satya Narayan Sinha (Darbhanga) : **

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : एक सदस्य ने यह धमकी दी है और कहा है कि**

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, interruptions do take place during discussions. It is not unparliamentary to say that particular party should be banned. But if it is said that** is it proper ? Is it proper to call a member as Traitor ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस बात को रोका जाना चाहिये, क्योंकि इससे गर्मा-गर्मी और अधिक बढ़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक दूसरे को भड़काते रहेंगे तो सभा की कार्यवाही शोभनीय नहीं रहेगी और सभा की प्रतिष्ठा भी बनी नहीं रह सकती । किसी टिप्पणी विशेष के गुण-दोष मैं नहीं देख रहा हूं । बल्कि मैं तो आप सबसे यह अपील करता हूं कि आप ऐसी टिप्पणियां ही न करें जो अशोभनीय हैं । अब आप सभा की कार्यवाही चलने दें । प्रत्येक सदस्य को दूसरे के दल का सम्मान करना चाहिये । आप उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं किन्तु व्यक्तिगत आक्षेप करना उचित नहीं है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं राज्यपाल के कार्य के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने लोकतन्त्र को उखाड़ कर फेंकने के लिये जो कुछ किया उस पर ध्यान न देते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री धवन ने यह कहा था कि संयुक्त मोर्चे की सरकार ने एक नया प्रयोग किया है और मेरा यह प्रयास होगा कि संयुक्त मोर्चे की सरकार पुनः स्थापित हो जाये । ऐसा कहकर राज्यपाल ने अपने कार्य क्षेत्र से परे काम किया । राज्यपाल के लिये ऐसा कहना सं वैधानिक दृष्टि से उचित है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं भविष्य निर्देशन के लिये यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल के बारे में अपनी राय सभा में प्रकट कर सकता है ?

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : Mr. Speaker, Sir, the present state of lawlessness in West Bengal and consequently the imposition of Presidents rule in that State, has been created by our friends oppoisite.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Previously Mr. Ajoy Mukherji was the Chief Minister of West Bengal. It is a well known fact that Mr. Ajoy Mukherji was a saintly man and is very honest and devoted to his ideals. He was misbehaved at Jaipur. He was not allowed to even express his views from the Congress platform there. He was put to the ignominy and the democratic system in that State was also put to an end. I want to remind the consequences of those unhealthy activities with the warning that those who have challenged the leadership of Shri Ajoy Mukherji and have expressed doubt on the character of that man he will have to bear the further consequences. I would like to say that the leaders of the C.P.M. would have to bear the same consequences which were borne by Congress.

After the elections held in 1969 the promises made by these people were not fulfilled. Not only this, but they created so many difficulties in the administration and tried to endanger the democratic system in that State. Efforts were made by them to kill the workers of the C.P.I., S.S.P., Jan Sangh and other political parties with a view to create an atmosphere of terror so that people may not think of adopting the right path of democracy any more. High slogans were mouthed by these protogonists regarding the set up of socialism in the country but the actual position was that they made the streets and markets of the Calcutta deserted. They created

such an atmosphere in the entire city that the whole city were a deserted look. There is no law and order in the State. I want to say that nobody else but Shri Jyoti Basu was responsible for all these things. It is a matter of great concern.

Apart from this 50,000 workers have been rendered jobless. Entertainment places, like cinema houses are being attacked. Due to lawlessness there is great danger to the self respect and the modesty of the ladies.

I also want to say something regarding the attitude of the big industrialist and traders. A conference of the Chamber of Commerce was held in Delhi in 1967 and in that conference the President of the chamber stated that the United Front Government would prove successful. But now the industrialists and the big traders are also experiencing great difficulties. The rich persons have created a dangerous situation joining hands with these lawless elements and then concentrate the power in the hands of the members of the C.P.M.

Sir, if we read the old history of West Bengal we will find that it led the whole country in the matter of freedom of struggle and the matter of socialistic approach. It produced several leaders like, Shubhas Chandra Bose. But I am constrained to say that now the prevailing conditions in that State are worst. Law and order has become the first casualty in that State. There is no doubt that the young generation of West Bengal is full of vigour and wisdom. They also believe in democratic approach of the politics. But the services of the young people are not being utilised. They are not being provided with employment. I would also like to mention that the members of C.P.M. are deliberately creating a situation in which no Government would be stable. They want to create more and more lawlessness in the country so that China could get an opportunity to extend its clutches in our sacred land. The Marxists are interested in decreasing the capacity of employment in that State and ultimately in rooting out the democratic system from the country. Sir, what has happened in Asansol and Bardwan ? The Governor wanted to go there but the members of the C.P.M. did not allow him to go there. Those, who believe in democratic system do not suppress the facts but they are afraid of disclosing the fact and that is why they do not allow that the Governor should go there.

I have repeatedly raised this point that the proper representation of West Bengal should be given in the Centre so that the people of West Bengal may feel that they have their say in the Centre and that the Centre is not their enemy. If it is not done and the present situation of lawlessness continues for the time to come, I am afraid, West Bengal would become a second Vietnam and the Governments of China, Russia and America would make it an arena to fight their battles. All constitutional set up would be shattered into pieces. I want to suggest to my friends that if they are really interested in safeguarding the interests of the workers and if they are actually interested in socialistic system they should make attempts to create an environment wherein a popular Government can be made stable in that State. Workers should be provided with jobs and a stable Government in the leadership of Shri Ajoy Mukherji should be formed on the basis of the elections in West Bengal.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, the President's rule have been imposed on West Bengal again and we are discussing the Budget of West Bengal after the imposition of President's rule there. So many points have been raised here regarding the prevailing conditions in West Bengal. The existing conditions in West Bengal cannot be said unprecedented ones. In

1957, when the administration of Kerala was given in the hands of the Communists the same conditions, as are prevailing in West Bengal, were stemmed up in Kerala and as a result of those conditions the President's rule was imposed there. After 1967 the Communists formed their Government in West Bengal in the name of United Front Government and with the formation of this Government the country came to know the words of Naxalites and the **Gherao** of Naxalite activities are so far restricted to West Bengal only but it has enveloped almost the entire country now. They have also created new problem, named **Gherao**. Tension has been created between the labour and management, the stundents and the teachers. Therefore, I want to suggest that so many things are to be learnt by the leaders of our country from the leaders of those countries where communism had come much earlier.

In the beginning of this century the demand of making a separate home land was made but the Government could not take proper steps to avoid the division of the motherland though Vir Savarker and other great persons opposed this proposal. The people of West Bengal as well as the East Bengal were our own people but we are sorry to say that the people of East Bengal have completely lost their democratic rights due to this division. Is it not a matter of shame for us as we are enjoying the democratic rights after achieving independence but the people of East Bengal have been deprived of those rights ? Why we should not raise this issue also.

We did not learn any lesson from what happened in Kerala from 1957 to 1960. At the time of division of the country the congress party was much powerful but it augur well that it is not in the same position now. They want to make our country second Vietnam and for that purpose they have weakened the Centre.

In the States of West Bengal and Kerala this feeling is being created in the minds of the people of these States that if the Central Government do not agree the proposal of holding mid-term elections the democratic rights are denied to the people of these States.

When the Communist came in power in Kerala the workers of our party were killed there. Sir, may I inform the reasons for such incidents taking place there like the Ravindra Sarover incident, the police entering into the House and the looting of banks in the West Bengal. When people come to know that their Government itself has been suffering from the lawlessness the anti-social element's feel encouraged and they engage themselves in subversive activities. The free-press was attacked there with a plea that it suppresses the facts. Mr. Randive went to extent of saying that they were out to wreck the Constitution.

It must be mentioned that during the last three years 489 cases of murder have been recorded in West Bengal. It includes 98 cases of political murders. Even then the Central Government can afford to remain indifferent from the conditions of lawlessness prevailing in the West Bengal. It is quite strange. Under article 355 of the Constitution it has been stated that 'it shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbances and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.' Besides under article 160 of the Constitution necessary guidelines can be given to the Governor in certain contingencies by the Central Government. But may I know whether the Central Government paid any heed towards these provisions ? May I know whether any guideline was given to the Governor at the time of disturbances made by the Naxalities ? I think none.

I am sorry to mention that the Government are only interested in protecting the centrally sponsored projects and the establishments. They can afford to send police to protect their institutions but they do not intend to protect the rights of the common people of that State. May I know the name of the Government on which the responsibility of protecting the lives and the property of the common people of that State lies in such conditions as are existing in that State ? To-day a sense of disgust towards the democratic system, towards the courts and the constitution is being created. They have got an ulterior motive behind all these things. They are preparing their strategy in the name of revolution it is being prepared under the nose of the Central Government.

In 1962 China launched an attack on our country and she did not return us what she occupied during that attack. Even then we are silent. Chinese money come to our country and it is utilised by the Communist Party. So many other anti-social activities are performed in Delhi. Every knows about these activities but still we keep quite. The members of the Communist Party constantly look towards Peking. A strange situation has been created in Calcutta that the youngmen feel proud of claiming themselves as the citizens of Vietnam and China. They say that their President is Mao-tse-tung. Even a film which had certain references against China could not be tolerated. Prior to the imposition of President's rule in West Bengal there was no check on the anti-social activities such as looting, murders and frequent use of fire arms. All international disputes enter into our country. Pakistan was made by these international forces. The same forces are also working in our country and they are weaving a conspiracy with a view to divide our mother land again.

It was the duty of the Hon. Home Minister to visit West Bengal and to mobilise a public opinion in favour of democracy. But I am sorry to say that the Hon. Home Minister did not pay due heed towards the trouble which was brewing in West Bengal. In his statement made in Poona he frequently referred to Shri Malo and almost completely overlooked the problem of West Bengal. Now I would like to conclude with offering certain suggestions and making a few demands in this respect.

My first demand is that the present Governor of West Bengal should be transferred to any other State. Some other strong man should be appointed as a Governor of West Bengal who could handle the situation.

My second demand is that the Marxist elements which has deliberately been brought in the services in Kerala should be removed immediately.

Thirdly to protect the lives of the common men, I suggest, that strong efforts be made to check the leaders of the Marxist Party who frequently and openly talk of violence and bloodshed.

In the end I want to suggest that the Government should start an all out campaign with the co-operation of all the political parties which have faith in democratic system and in the nationalistic approach to instil the feeling of Indianisation in the minds of the people of our country. The people of India must feel that they are Indians and for that the Government will have to strengthen the nationalistic forces and approach.

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई बजट भागों का समर्थन करते हुए मैं प्रशासनिक कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय ! पुलिस प्रशासन के लिये 9 करोड़ रुपये की मांग की गई है । महोदय ! गत वर्ष के लिये 9 करोड़ रुपयों की राशि दी गई है तथा उसका उपयोग पुलिस का उत्साह भंग करने के लिये किया गया है ।

बर्दवान में पहुंच कर मुझे एक बात का पूरा विश्वास हो गया है कि वहां पुलिस को केवल मार्क्सवादी दल के हितों की रक्षा करने के लिये रखा गया है ।

महोदय ! मैं केवल तीन ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे से स्पष्ट हो जाता है कि गत तीन वर्ष में प्रशासन ने जनता के जीवन और सम्मान के साथ किस प्रकार खिलवाड़ की है । इनसे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि अन्य राजनीतिक दलों के साथ तो पश्चिम बंगाल में अत्याचार किया गया है किन्तु कांग्रेस दल के नेताओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित की गई पार्टी के साथ उत्तर बंगाल में बहुत अत्याचार किया गया । हार कर इस दल के नेताओं को यह कहना पड़ा कि प्रशासन तथा पुलिस ने उनकी सहायता करने से इंकार कर दिया है । इसके अतिरिक्त भी अकेले कूच बिहार जिले में इस प्रकार की अनेक घटनायें घटी हैं । जलपाई गुरी जिले में आर० एस० पी० के चार सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि उनके नियंत्रण में चाय बागानों की कुछ संघों के कुछ संघ थे ।

यद्यपि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम बहुत पहले पारित कर दिया गया था तथा फसल कटने के पश्चात जिला प्राधिकारी व्यवस्था के माध्यम से भूमि का आवंटन करने के बजाय कुछ और ही तरीका अपनाया गया । 24 परगना के नारायणपुर ग्राम के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मार्क्सवादी दल के लोगों ने यह घोषित किया कि वे जोतदारों से धान की वसूली करेंगे तथा उन्हें भूमि का आवंटन करेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था ।

साम्यवादी दल के कुछ नेता जब उस गांव में पहुंचे तो उस समय वहां पर कोई परिवार नहीं था । केवल एक मकान में एक औरत थी जो गर्भवती थी । उसका पति धान के खेत में काम कर रहा था । वह न तो जोतदार था और न ही कोई पूंजीपति । यह पता लगने पर कि गांव में कुछ नेता आये हैं, वह अपने घर की ओर भागा । घर में आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खून में लतपत पड़ी हैं । उसने अपने पति से यह अन्तिम शब्द कहे कि वह अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख सकी और प्राण त्याग दिये । उस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी जो कि जोतदार नहीं था ।

श्री समर गुह : वह सी० आई० ए० का एन्जेट होगा ।

श्री अ० कु० सेन : श्री समर गुह अच्छी प्रकार जानते हैं कि पी० एस० पी० के व्यक्तियों के साथ मिदनापुर जिले में क्या व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है । उनका दोष केवल इतना है कि वे सत्तारूढ़ दल विशेष का समर्थन नहीं करते ।

अभी कल मैं बर्दवान में था। मैंने उस मां को देखा है कि जिसके तीन स्वस्थ पुत्रों की हत्या कर दी गई है। बर्दवान में एक साय नाम परिवार है। इस परिवार के दो भाई यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं। वे अपने घर के एक भाग में रात को स्कूल चलाते हैं। उनके पास दो अत्यधिक योग्य लड़के आते थे जो कि विश्व विद्यालय से स्वर्णपादक प्राप्त कर चुके हैं। अब उन दोनों की हत्या हो चुकी है। दिसम्बर 1969 में रियन चुनाव क्षेत्र में हुए चुनाव क्षेत्र में साय परिवार के जो दो भाई थे, उनमें से एक की हत्या कर दी गई थी जबकि मतों की गिनती हो रही थी। परन्तु इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी प्रकार 11 दिसम्बर को उसके बड़े भाई पर जोकि वकील था, आक्रमण किया था। इसी प्रकार इन्दिरा पत्रिक पर जोकि तीन भाइयों में से एक था, तभी बमों से आक्रमण किया था, उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परन्तु इस बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके विपरीत दो लड़कों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको रिहा करते हुए कहा है कि उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाये गये थे। हम अभी चीन अथवा किसी अन्य साम्यवादी देश में नहीं है, जहां कि बिना मुकदमा चलाये लोगों को गोली मार दी जाती है। मुझे वे तस्वीरें याद हैं जिनमें हजारों लोगों को हाथ बांध कर ले जाते दिखाया गया है और जिनको बिना मुकदमा चलाये गोली मार दी गई थी। मेरे विचार में अभी हमारे देश में ऐसा जंगली कानून नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को भी किसी व्यक्ति को तब तक छूने का अधिकार नहीं है जब तक न्यायालय ऐसा करने के लिये न कहे।

17 मार्च को न केवल कांग्रेस बल्कि संयुक्त मोर्चा सरकार के अन्य दलों के सदस्यों पर आक्रमण किया गया था। फैक्टरी के अहाते में मजदूरों पर तीर फैंके गये। तीर फैंकने वालों में एक भी फैक्टरी का मजदूर नहीं था। इन लोगों को धन आदि का लालच देकर लाया गया था। इसमें तीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।

बर्दवान में सन्थालों, बोरीज तथा बगदी लोगों का जलूस निकाला गया था। इनको बाहर से लाया गया था और घातक हथियार दिये गये थे। ग्रैंड ट्रंक रोड से लगभग 200 गज दूरी पर पुलिस के अतिरिक्त सुपरिंटेन्डन्ट के नेतृत्व में पुलिस दल तैनात था। यह स्थान यूथ कांग्रेस के कार्यालय के निकट ही है। श्री कोनार का कहना है कि यदि हम पर हमला होता है तब हम जानते हैं कि हमला करने वालों के साथ कैसे निपटा जा सकता है। और यदि हम उनको मार देते हैं तो मारने वालों पर मुझे गर्व होगा। हमने ऐसे लोगों के हाथों में विधि व्यवस्था सौंप रखी है। यह सब अमृत बाजार पत्रिका तथा हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में छपा है। जब मैंने इन वाक्यों को पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि एक जिम्मेदार नेता ऐसी बात कह सकता है। जलूस में शामिल होने वाले व्यक्ति तीरों, बन्दूकों तथा बमों आदि से लैस थे। अधिकारी ने मुझे बताया कि जलूस में शामिल एक व्यक्ति द्वारा पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट पर बम फैंका गया था। यदि वह बम फट जाता तो उनकी हत्या हो जाती। मकान की दीवारों पर चढ़ने के लिए जलूस में शामिल व्यक्ति पूरा सामान लेकर आये थे। श्री कोनार के ससुर का

मकान इस मकान से केवल दस गज की दूरी पर स्थित है। यह आरोप लगाया गया है कि मकान से बन्दूक चलाई गई थी। परन्तु बन्दूक पड़ोस के मकान से पकड़ी गई थी। मकान की सभी खिड़कियां तथा दरवाजे लड़कों द्वारा बन्द कर लिये गये थे। मकान को आग लग जाने पर बड़ा भाई रसोई घर में चला गया और उसने वहां पर जाकर दरवाजे बन्द कर लिए। दरवाजे को तोड़ कर उस पर तीरों, बाणों तथा अन्य घातक हथियारों से आक्रमण किया गया। जब उसकी मां ने अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी तो उस पर लाठी से आक्रमण किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और हमें इन मनगढंत बातों पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री अ० कु० सेन : ये मनगढंत बातें नहीं हैं और मैं अनुरोध करता हूं कि वहां पर जाकर निरीक्षण करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि अत्याचार का सामना किस प्रकार किया जाता है और मैं उनमें से एक हूं। दूसरा व्यक्ति भाग कर पड़ोस में डाक्टर के मकान पर चला गया परन्तु इसको भालों से मार दिया गया। तीन अन्य भाइयों की भी हत्या कर दी गई। एक घायल व्यक्ति अभी भी अस्पताल में है और उसके हाथ में छः टांके लगे हैं।

जीतेन राय जो कि एक अध्यापक था और उस मकान में किसी कार्य से आया था, की भी हत्या कर दी गई। कल सारा बर्दवान शोकग्रस्त था। उसकी आयु 21 वर्ष थी।

हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। फरार व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनमें नगर निगम का एक कमिश्नर है तथा स्थानीय साम्यवादी दल का एक सचिव है, वारंट जारी किये जा चके हैं। पुलिस अधीक्षक की गवाही से पता चलता है कि वह लूटमार को बन्द करने के लिए गोली चलाना चाहता था परन्तु सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने से उसे रोक दिया गया। इस मजिस्ट्रेट को कुछ मास पूर्व ही वहां पर लाया गया था। इस मजिस्ट्रेट को अब वहां से हटा दिया गया है परन्तु अनेक व्यक्ति अभी फरार हैं जिनको पकड़ा जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि संसद की एक समिति नियुक्त की जाये जो घटना स्थल का दौरा करे और स्वयं देखे तथा इस सभा को बताये कि वहां पर क्या-क्या अत्याचार हुए हैं।

इन लोगों का कहना है कि समाचारपत्रों द्वारा उसकी झूठी आलोचना की जा रही है। परन्तु मैदान में यह कहा गया था कि यदि कोई समाचारपत्र हमारी आलोचना करता है और उसके रिपोर्टरों पर आक्रमण होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। नेताओं द्वारा इस प्रकार लोगों को भड़काया जा रहा है। दास गुप्ता द्वारा खून बहाने की धमकी दी जा रही है। देश के संविधान तथा लोकतंत्र को इससे बहुत खतरा है। बंगाल में प्रत्येक दल इन घटनाओं की निन्दा कर रहा है। बंगाल में महिलाओं, बच्चों आदि की हत्याओं से प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क शर्म से झुक गया है।

इस सरकार को राज्यपाल पर निर्भर नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके कार्य से वहां के लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इस संसद की समिति की यात्रा से ही वहां के लोगों की शंकाये दूर हो सकती हैं तथा उनके घाव भर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस संसद की समिति नियुक्त करने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे।

बड़ी-बड़ी परियोजनाओं सहित ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए केवल एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कलकत्ता की अनेक समस्याएं हैं। विभाजन के कारण लाखों लोग सीमा के उस पार से आ गये हैं। उनकी भी एक समस्या है। अतः इन लोगों के साथ न्याय करने हेतु आगामी पांच वर्षों में कम से कम 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इन लोगों की समस्याएं हल होने के बजाये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी ने अनुरोध किया है कि उनको जल्दी बोलने का अवसर प्रदान किया जाये क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः यदि सभा सहमत हो तो मैं उनसे अब बोलने का अनुरोध करूं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : जब मैं बर्दवान से चुनाव जीत कर यहां आया था तो मुझे बड़ा गर्व था क्योंकि भगवान रामकृष्ण का जन्म स्थान भी यहीं है। परन्तु आज मैं बहुत उदास हूं कि हमारे लोगों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को धक्का लगा है।

मैं यह नहीं मानता कि श्री सेन ने जो कुछ कहा है, वह सच है। तस्वीर के दोनों रुख पेश किये जाने चाहिए। बंगाल आज संकटग्रस्त है। जब केन्द्रीय सरकार के कहने पर बंगाल में अजय मुकर्जी की सरकार को हटाया गया था, उस समय वहां पर लोकतन्त्र खतरे में था। लोगों ने अजय मुकर्जी के हटाये जाने को अपना अपमान समझा था।

दिल्ली में मैंने एक सेमिनार की अध्यक्षता की थी जिसके प्रतिष्ठित न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश, वकील आदि सम्मिलित थे और इसमें सभी ने यह कहा था कि राज्यपाल की उक्त कार्यवाही अवैध थी।

लोगों ने इस अपमान का बदला लिया और चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। लोगों को आशा थी कि संयुक्त मोर्चा सरकार तथा अजय मुकर्जी के मंत्रालय के अन्तर्गत वहां पर एक स्थायी सरकार स्थापित होगी और लोगों की शिकायतों को दूर किया जायेगा। परन्तु आज उनकी आशाओं को धक्का लगा है। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है।

मैंने अन्य लोगों की तरह प्रयास किया कि अजय बाबू तथा ज्योति बाबू इकट्ठे बैठकर अपने मतभेद दूर कर लें। परन्तु मैं इसमें सफल नहीं हो सका। समस्या ज्यादा गहरी थी और मामला कुछ और था।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

कुछ भी हो, राज्यपाल ने सत्ता फिर भी अपने हाथ में ले ली है, प्रजातंत्रीय सरकार चली गई है और निर्वाचित मंत्रालय को फिर से समाप्त किया गया है। वहां धीरे-धीरे विघटन हुआ है और वह अब भी चल रहा है। मैं नहीं जानता वहां ऐसा क्यों हुआ।

जहां तक बर्दवान की घटना का सम्बन्ध है, इस बारे में जो कुछ कहा गया है उससे हमें आघात पहुंचा है। लेकिन श्री ज्योति वसु ने इस सम्बन्ध में भिन्न वक्तव्य दिया है। उन्होंने हमें बताया कि वहां कुछ तनाव था और केवल उनका ही पुतला नहीं जलाया गया बल्कि संयुक्त मोर्चे का पुतला भी निकाला गया और जलाया गया। सचाई क्या है, मैं नहीं जानता। सरकार सचाई मालूम कर सकती है, लेकिन नौकरशाही, अथवा राज्यपाल या राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित कुछ राजनैतिक दलों के माध्यम से नहीं।

बंगाल के लोग चाहते हैं कि वहां सामान्य स्थिति कायम हो। इस बात को मानना पड़ेगा कि केन्द्रीय सरकार का बर्ताव इस समय बुरा नहीं था और विधान मंडल को भंग नहीं किया गया है जिसका विशेष प्रयोजन यह है कि वहां फिर से कोई प्रजांतत्रीय सरकार काम कर सके। हमें विधि के नियमों का समर्थन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किसी दल के न चाहने के कारण अपनी जान गवानी पड़े। लेकिन मुझे एक भूतपूर्व मंत्री ने बताया कि बर्दवान में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आदेश हैं कि उन्हें वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद वे बर्दवान आये और उनकी उपस्थिति ही वहां आदेश का उल्लंघन था। चाहे जो कुछ हो, यह केवल पश्चिम बंगाल के लिये ही नहीं अपितु सारे देश के लिये बड़ी शर्म तथा लज्जा की बात है। वास्तविक बात का पता लगाना आवश्यक है। दोषी व्यक्तियों को जरूर दण्ड दिया जाना चाहिए चाहे वे कोई भी हों, इसके लिये न्यायिक साधनों से सचाई का पता लगाया जाना चाहिए और तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति कायम हो जाने पर वहां यथाशीघ्र लोकप्रिय तथा प्रजातंत्रीय सरकार स्थापित की जानी चाहिए।

श्रीमती उमा राय (माल्दा) : पश्चिम बंगाल में इस समय विधि तथा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या की जड़ें इतनी गहरी हैं कि विधान मंडल निलम्बित किये जाने तथा राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद भी वहां हर दिन हत्याएं, लूट-पाट, आगजनी आदि की घटनाएं हो रही हैं। वर्दमान में 17 मार्च, 70 को उच्च अधिकारियों के सामने जो हत्याएं की गईं, उनसे जाहिर है कि वहां एक विशेष राजनैतिक दल के स्वार्थों की पूर्ति के लिये लगाई गई सरकारी मशीनरी राष्ट्रपति शासन के बाद भी काम कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले में पूरी न्यायिक जांच की जानी चाहिए और महत्वपूर्ण पदों पर विशेषतः पुलिस तथा सामान्य प्रशासन में राजनैतिक आधारों पर जिन अधिकारियों को नियुक्त अथवा पदोन्नत किया गया है, उनकी छटाई करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

सभा को विदित ही होगा कि पश्चिम बंगाल में आज लूट-पाट, आगजनी तथा हत्याओं की कितनी तथा कैसी घटनाएं हो रही हैं। वहां आज खुले आम सब कुछ हो रहा है। सभा इस बात का अनुमान लगा सकती है कि कानून-पाबन्द लोग वहां, जहां सरकार का अस्तित्व केवल नाम से है, किस स्थिति में रह रहे हैं। सरकार को इस स्थिति पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए और ऐसे उपचार उपाय करने चाहिए कि लोग वहां अपना जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित समझें।

दूसरी समस्या वहां आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी की है। कृषि तथा उद्योग के समन्वित विकास से यह समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है। उत्तर बंगाल में, जहां शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों में भारी बेरोजगारी है, कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की बहुत गुंजाइश है। सरकार को इस सम्बन्ध में विकास योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में कई राजनैतिक दलों के कहने पर, कृषि भूमि, अधिकतम सीमा के भीतर की भूमि तक जबर्दस्ती ली गई और उसे केवल वास्तविक भूमिहीन मजदूरों में ही नहीं बल्कि राजनैतिक दलों के सदस्यों को भी वितरित किया गया। ऐसे मामलों में जहां अधिकतम सीमा के भीतर वाली भूमि को ले लिया गया है, उसे वापस लेकर उसके स्वामियों को शीघ्र लौटाया जाना चाहिए। चूंकि राज्य के कृषकों में जागृति पैदा हो गई है, इस समस्या का समाधान केवल यही है कि भूमि सुधार कानूनों की यथाशीघ्र क्रियान्विति की जाये। इसके साथ-साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि इन सभी मामलों के बारे में जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार जनता की इच्छा पर बनी थी। कांग्रेस वहां अल्प संख्यक दल बना और स्वतंत्र तथा जनसंघ का पूरी तरह सफाया किया गया, वहां जोतदारों द्वारा गैर-कानूनी तौर पर ली गई लगभग 4 लाख एकड़ भूमि को किसानों में या तो सीधे सरकार द्वारा वितरित किया गया या फिर इस भूमि पर कब्जा करने के लिये किसानों को संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रोत्साहित किया। वहां एक नये जीवन का आरम्भ हुआ जिसे बड़े व्यापारियों जोतदार आदि ने पसन्द नहीं किया। राजनीतिक दृष्टि से मेरी भावना ऐसी है, जैसा इस समय लगता है कि सी० पी० एम० ने वामपंथी संयुक्त मोर्चा, प्रजातंत्रीय लोग तथा उनके प्रजातंत्रीय दलों पर संयुक्त मोर्चे के रूप में कभी विश्वास नहीं किया। सी० पी० एम० पर दूसरा आरोप यह है कि उसने श्रमजीवी वर्ग तथा कृषकों का उस प्रतिभापूर्ण संयुक्त कार्यवाही का विभाजन किया जिसकी नींव संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रारम्भिक दिनों में डाली गई थी। लाखों जूट श्रमिकों, चाय श्रमिकों, कपड़ा श्रमिकों, इंजीनियरी श्रमिकों ने बिना किसी राजनैतिक लगाव के साथ-साथ संघर्ष किया था। इस आन्दोलन में, क्रान्ति के नाम पर, वर्ग संघर्ष के नाम पर फूट (विभाजन) पैदा की गई। ग्रामीण क्षेत्र में जहां वर्ग संघर्ष के नाम पर, किसान जोतदार के खिलाफ लड़ रहे थे, किसानों को किसानों के खिलाफ खड़ा किया गया और बाहर वालों को किसानों तथा श्रमिकों के विरुद्ध तैयार किया गया।

संयुक्त मोर्चे का 32 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित करने की कोशिश करने के बजाये सी० पी० एम० ने अपने स्वार्थों की और आगे पूर्ति के लिये राज्य मशीनरी पर अपना प्रभाव जमाया। वे केवल दल को मजबूत बनाना चाहते थे। उसने आइटक (Aituc) के एक वर्ग की जो बिड़ला बन्धुओं के खिलाफ आम हड़ताल करना चाहता था, मांगें अस्वीकार करके बिड़लाओं तथा टाटाओं की मदद की है और संयुक्त मोर्चे की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है।

कई अवसरों पर सी० पी० एम० ने जोतदारों को शरण दी है। हमें आश्चर्य है कि श्री ज्योति बसु ने राज्यपाल को विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया जाये, तो वह अपना बहुमत दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है ?—यही कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, डराना, धमकाना, हिंसात्मक मारपीट आदि के सहारे अपने लिये बहुमत प्राप्त करना।

वर्तमान स्थिति में मुख्य राजनैतिक चीज यह है कि सी० पी० एम० को ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे पश्चिम बंगाल में फिर संयुक्त मोर्चा सरकार स्थापित हो सके क्यों कि इस स्थिति के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। अन्यथा वहां नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में नए चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए ताकि लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें।

इस बीच ऐसे समाचार हैं कि पुलिस ने कई क्षेत्रों में श्रमिकों तथा किसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस बारे में मुझे तार मिला है। मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां किसानों तथा श्रमिकों से उन ठोस सफलताओं को, जो उन्होंने पिछले तेरह महीनों में संयुक्त मोर्चा शासन काल में प्राप्त कर हैं, कानून और व्यवस्था लागू करने के नाम पर छीनने का कोई प्रयत्न किया गया, और सी० आर० पी० या सीमा सुरक्षा दल या औद्योगिक सुरक्षा दल अथवा सेना का लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया गया अथवा लोगों को कुचलने की कोशिश की गई तो पश्चिम बंगाल में ऐसी ज्वाला भड़केगी जिसे कोई शान्त नहीं कर सकेगा।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, कलकत्ता के लिए केवल 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। कलकत्ता पूर्वी क्षेत्र का शहर है। कलकत्ता की समस्या केवल बंगाल की नहीं अपितु सारे भारत की समस्या है। लेकिन केन्द्रीय सरकार उसके साथ भेद-भाव का बर्ताव करती है। कलकत्ता की आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उन्हें पूरी करना जरूरी है ताकि समूचे पूर्वी क्षेत्र का विकास हो।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 1970-71 के बजट का मैं समर्थन करता हूं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार का कार्य कुछ ऐसा रहा है जिससे कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां शान्ति कायम होने की कोई सम्भावना नहीं है। वहां कोई सभ्य सरकार काम नहीं कर रही थी। लोग वहां जलूसों में घातक हथियार धनुषबाण, आग्नेयास्त्र आदि

लिए चलते थे और उन्हें ऐसा करने दिया गया था। 24 परगना में तीन व्यक्तियों के सिर उड़ा दिए गए थे। अब कुछ दिनों से लोगों को राहत मिली है और उनका भय तथा त्रास कम हुआ है और उन्हें आशा है कि राष्ट्रपति शासन कुछ समय तक कायम रहना चाहिए।

डा० रानेन सेन का कहना है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के समय जनता को पूरी आजादी थी। क्या बिना किसी कानूनी कार्यवाही के लोगों से जमीन छीन लेना और उसे अन्य लोगों में बांट देना उचित था ?

फिर सभी जोतदारों को कष्ट नहीं पहुंचाए गए। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा भारतीय साम्यवादी दल से सम्बन्धित जोतदारों को बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार के सभी दलों के बीच हत्या, लूट, आगजनी और बलात्कार सम्बन्धी गतिविधियों में प्रतियोगिता सी थी। अतः संसद सदस्यों को पश्चिम बंगाल की स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की जनता को काफी दुःखों का सामना करना पड़ा है। वहां पर 40 लाख शरणार्थियों को बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ा है। क्या संयुक्त मोर्चा सरकार ने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयत्न किए थे ? नहीं, वे इस कार्य में असफल रहे हैं। यदि राष्ट्रपति शासन में वहां की स्थिति में सुधार करने का विचार है तो वहां पर गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय आदि समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। भूमि सुधार का कार्य तेजगति से किया जाना चाहिए परन्तु भूमि सुधार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसानों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से न्याय किया जा सके। इस कार्य को शीघ्र करने से हम ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही खेतों, कारखानों के कर्मचारियों और भूमिहीन किसानों की ओर भी ध्यान देना होगा। तभी हम पश्चिम बंगाल को अराजकता की स्थिति से बचा सकते हैं। वहां पर बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। वहां की स्थिति के लिए मैं किसी दल विशेष पर आरोप नहीं लगाना चाहता। वहां के मुख्य मंत्री स्वयं सरकार को अत्याचारी और 'असभ्य' कहते रहे हैं। वह भी वहां की स्थिति को बदलने में असहाय थे। परन्तु वह शायद इस आशा में मुख्य मंत्री बने रहना चाहते थे कि शायद अच्छा वातावरण बन जाए और श्री ज्योति बसु गृह-कार्य विभाग छोड़ दें।

श्री चह्वाण ने भी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस बात को स्वीकार किया था कि कलकत्ता की समस्याओं का समाधान शीघ्र करना होगा, अन्यथा वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम नहीं की जा सकती और एक अच्छी सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। अतः राज्यपाल के शासन काल में इस कार्य को तेजी से करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक है। गत वर्ष दिसम्बर

के अन्त तक रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1,82,000 थी। पश्चिम बंगाल में स्थिति को स्थिर बनाने के लिये बेरोजगारी की समस्या का समाधान अत्यन्त आवश्यक है। तभी कलकत्ता में शान्ति स्थापित हो सकती है और तभी प्रशासन शान्ति पूर्वक कार्य कर सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कांग्रेस सरकार ने गत 20 वर्षों में पश्चिम बंगाल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और आज पश्चिम बंगाल का देश भर में निम्न स्थान है। मद्रास में 70 प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है जब कि हम 4.2 प्रतिशत गांवों में बिजली के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा ग्राम्य आवास तथा ग्रामों में पानी की सप्लाई खाद्य उत्पादन छोटी सिंचाई आदि मामलों में पश्चिम बंगाल का स्थान अन्तिम तीन राज्यों में से एक है। छोटी सिंचाई के लिये 254.72 रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 64.74 करोड़ महाराष्ट्र को, 52.96 करोड़ उत्तर प्रदेश को और आसाम को 0.40 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल को इस प्रयोजन के लिए एक पैसा नहीं मिला।

आज कलकत्ता की स्थिति क्या है ? श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने मुझे बताया था कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु उस योजना को ठप्प कर दिया गया था। वर्ष 1967 तथा 1969 में पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस को एकदम उखाड़ फैंका था। वर्ष 1967 में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी। कांग्रेस सरकार ने विधान सभा के 17 सदस्यों को पर्याप्त धन देकर अपनी तरफ कर लिया और सरकार को अपदस्थ कर दिया था। यहां तक कि अनाज का कोटा भी इस प्रकार दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता कांग्रेस को मत देने पर विवश हो जाये। फिर उन्होंने साम्प्रदायिक दंगे भी करवाये। केन्द्रीय सरकार की ओर से जासूसी करने के लिए वहां पर समानान्तर पुलिस बल मौजूद है। यहां तक कि श्री ज्योति बसु के टेलीफोन को भी बीच में सुना जाता था।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब विधान सभा कायम है तो सरकार यहां पर बजट क्यों पास करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार का ध्यान संयुक्त मोर्चा सरकार की अल्पावधि में सफलताओं की ओर क्यों नहीं जाता। हमारी सरकार के सत्तारुढ़ होने से 6 महीनों में लगभग प्रत्येक श्रमिक को 25 से 50 रुपए प्रतिमास का वित्तीय लाभ पहुंचा था। फिर संयुक्त मोर्चा सरकार में लगभग प्रत्येक श्रमिक को सांविधिक सीमा से अधिक बोनस दिया गया था। इस प्रकार एकाधिकार वादियों की 50 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष श्रमिकों को दी जाती थी।

भूमि के मामले में कांग्रेस ने हजारों किसानों / काश्तकारों को उनकी भूमि से अलग कर दिया था। इनमें हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा अन्य लोग सम्मिलित हैं। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने उनको छुआ तक नहीं। ऐसे किसी भी किसान काश्तकार को उस भूमि से नहीं निकाला गया जिसकी वह खेती करता था। गत 20 वर्षों में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कई कानून पास किए गए परन्तु किसी को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार के एक मंत्री श्री हरिकृष्ण कोनार ने 6 महीनों के अन्दर $3\frac{1}{2}$

लाख एकड़ भूमि वितरित की है और यह कार्यवाही वर्तमान विधियों के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त हमने अपेक्षित और दलित वर्ग में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा की है। निहित स्वार्थों, जोतदारों एकाधिकार वादियों और बड़े-बड़े नियोजकों ने झगड़ों की योजना बनाई थी। निहित स्वार्थों ने समाचार-पत्रों में अभूतपूर्व निन्दा अभियान चलाया था। हम सब हालात को देखते रहे। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें अखबारी कागज का असीमित कोटा दिया हुआ है। "स्टेट्समैन" में प्रकाशित लेखों में जनता में घृणा की भावना फैलाने का खुलकर प्रयास किया गया है। यही स्थिति आनन्द बाजार पत्रिका और हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड की है।

उन्होंने अखबारी कागज की चोरबाजारी की और उनके यह आश्वासन देने पर कि वे सरकार के पक्ष में समाचार छापेंगे सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

रवीन्द्र सरोवर के मामले में कलकत्ते के एक न्यायाधीश ने जांच की और उन्होंने यह निर्णय दिया कि यह सब बनाई हुई कहानी थी। कथित 98 राजनीतिक व्यक्तियों की हत्याओं में से 65 व्यक्ति मेरे दल के थे। पुलिस को जोतदारों और उद्योगपतियों के अवैध दमनकार्यों में सहायता देने के लिये नहीं भेजा जाता है बल्कि कर्मचारियों और किसानों को अपने वैध संघर्ष जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि हम पुलिस का राजनीतिक दलों को दबाने के लिये प्रयोग कर रहे हैं। हम ऐसा कर अपने भविष्य को समाप्त नहीं करना चाहते। भारतीय साम्यवादी दल को दल प्रशासन के मामले में पुलिस का उपयोग नहीं करना चाहिये। इससे केवल दल की समाप्ति होने में सहायता मिलेगी।

पश्चिम बंगाल में ज्यादतियों के समाप्त करने के लिये पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। आज देश में कुर्सी पाने के लिये युद्ध हो रहा है।

अब जब वहां का मंत्रिमंडल समाप्त हो गया है और कोई भी दल वहां मंत्रिमंडल बनाने के लिये तैयार नहीं है तो आप वहां विधान सभा क्यों समाप्त नहीं कर देते ?

बिहार में आपने क्या किया आप किसी प्रकार वहां सरकार बनाने में समर्थ हो गये। आप वही गंदी राजनीति पश्चिम बंगाल में भी अपनाना चाहते हैं लेकिन हम आपको चेतावनी देते हैं कि वहां आप ऐसा न करें। हमारी अन्तर्आत्मा साफ है और हम लोगों के साथ हैं। सरकार लोगों का सामना करने से घबराती है। आपकी निहित स्वार्थों और प्रेस से सांठ-गांठ है। लेकिन सच्चाई की विजय होगी और झूठ की हार।

विधान सभा को भंग करने के बारे में गृह-मंत्री को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये और वहां यथा सम्भव, मई के अन्त से पहले चुनाव किये जाने चाहिये। यदि आप किसी सरकार को उनके ऊपर लादते हैं तो वहां के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। हम आज पश्चिम बंगाल के बारे में आपका स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं।

जनसंघ और स्वतन्त्र दल को वहां की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। श्री ज्योतिबसु को वहां सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये था।

श्रीमती इलापाल चौधरी : (कृष्ण नगर) संयुक्त मोर्चा सरकार के 375 दिन के शासन में वहां 600 हत्याएं और 900 डकैतियां हुई। इन घटनाओं की संख्या उनके द्वारा किये गये शासन के दिनों से अधिक है **(अन्तर्बाधाएं)** रविन्द्र सरोवर की घटनाएं ठीक सबित न होना पश्चिम बंगाल के लिये शर्म की बात है। इस सम्बन्ध में वहां गवाहों को परेशान किया गया है **(अन्तर्बाधाएं)** वहां वकीलों पर आक्रमण किये गये है। यहां तक कि महिला वकीलों को भी नहीं छोड़ा गया है।

यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में तीन लाख एकड़ भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों को बांटा गया है। वास्तव में उक्त भूमि का वितरण उन्होंने अपने दल के सदस्यों को किया है जिनमें अधिकांश भूमिहीन नहीं है। फसल काटने के बारे में 300 से अधिक झगड़े हुए और 100 से अधिक हत्याएं हुईं। नेदिया जिले में लगभग 100 जोतदारों से भूमि ले ली गई। ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं थी, भूमि ली गई (उक्त) भूमि को वापिस किया जाना चाहिये **(अन्तर्बाधाएं)**

वे जनता के मित्र होने का दावा करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने राज्य में सिंचाई के लिये 1000 पम्प लगवाये हैं जबकि कुछ राज्यों में 30,000, 50,000 और तमिलनाडु में 3 लाख पम्प लगाये गये हैं।

लोगों को राहत के लिये बहुत कम धनराशि दी गई है।

पश्चिम बंगाल में हाल ही में कानून और व्यवस्था समाप्त हो गई है। श्री ज्योतिबसु ने 30,000 व्यक्तियों को कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बारे में प्रशिक्षण देने की बात को कहा है।

सरकार के 16 और 17 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से पूर्व छात्र-परिषद् के युवकों को गिरफ्तार कर बन्द कर दिया था। उन्होंने उन युवकों को बहुत यातनाएं दी और एक युवक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मंत्री ने अपनी सरकार को असभ्य और अत्याचारी सरकार की संज्ञा दी है।

बर्दवान में यदि पुलिस और सब-डिवीजनल अधिकारी गये होते तो बहुत से व्यक्यिों के जीवन की रक्षा की जा सकती थी। यह बहुत दुःख की बात है कि गृह-सचिव श्री एस-वी० राव को इतनी गम्भीर घटना का पता नहीं लगा।

महिलाओं के ऊपर भंयकर अत्याचार किये गये। उनके बच्चों की उनकी आंखों के सामने हत्या की गई।

खानकी में एक गर्भवती महिला की हत्या की गई। ये सब घटनाएं संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में घटीं। हमारे नवयुवकों को साम्यवादी मार्क्सवादियों ने ऐसी बातें करने के लिये मजबूर किया जो वे कभी नहीं करते। यह बड़ी अजीब बात है उप मुख्य मंत्री के सचिव लोगों से रक्त क्रान्ति लाने का आह्वान करते हैं। रोजगार मंत्री कहते हैं कि कर्मचारियों के हाथ में घेराव उचित हथियार है और यदि वे ऐसा करते हैं तो यह न्यायोचित है बर्दवान तथा अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति की नियुक्त की जानी चाहिये जिससे उन्हें यह पता लग सके कि उन स्थानों पर क्या क्या घटनाएं हुईं। बंगाल में घटित सब घटनाओं की न्यायिक जांच की जानी चाहिये। कलकत्ते को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये ताकि हम उसे फिर से समृद्धिशील देख सकें।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The decisions taken by the Central Government are praiseworthy. But these decisions should have been taken much earlier. The whole country is worried about the happenings in West Bengal. The incidents of West Bengal have their effects in Manipur, Nagaland, Tripura and NEFA etc. It was felt that there are some individuals and political parties in West Bengal which are doing all these things on the initiative of some foreign powers and they are willing to handover the regime to foreigners. Bengal is proud of the great leaders like Vipin Chandra Paul, Subhash Chandra Bose, Dr. Shyama Prasad Mukerjee, it has produced.

The first tragedy was this that it was divided. Secondly, no development works have been done in Bengal during the last 22 years.

Shri Dharamvir was removed from West Bengal under very sad circumstances. If he was to be relieved from there there was no necessity of appointing him as the Governor of Mysore.

It is only in India that such types of revolt are tolerated. Home Minister has also accepted that there are some elements in West Bengal who want to bring revolution in the country. During the President's rule happening of such incidents is a serious matter.

Small factories manufacturing bombs are not only active in the town but they are very active in the State itself.

A high level enquiry should be made in all those incidents and the persons found guilty should be punished.

We should now carefully consider about the persons who have no faith in democracy or who have no faith in the Constitution.

Justice should be done with the poors. I am not in favour of continuing President's Rule in West Bengal for a long time. I want that President's Rule should continue till 1972 and a Governor, who has good deal of experience of administration should be appointed there.

श्री समर गुह (कन्टाई) संविधान के अन्तर्गत दी गई स्वतन्त्रता का लाभ उठाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

यह दुःख की बात है कि समस्त पश्चिम बंगाल संकट से गुजर रहा है। यह भारतीय लोकतन्त्र के लिये संकट है।

मैं डा० रानेन सेन की इस बात से सहमत हूं कि पश्चिम बंगाल में लोगों में जागृति पैदा हो गई है। इसका लाभ उठाकर वहां शीघ्र सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाना चाहिये।

वहां लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये था। कलकत्ता के विकास के लिये और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये अधिक धन देने के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाना चाहिए था।

चाय बागान हड़ताल, वस्त्र कर्मचारी हड़ताल, जूट-कर्मचारी हड़ताल तथा इंजीनियरिंग कर्मचारी हड़ताल आदि संघर्ष, जो शान्तिपूर्वक और लोकतन्त्रीय तरीके से आयोजित किये गये, इन सबके उदाहरण हमारे सामने थे। हिन्द मजदूर सभा, इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस और आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि मजदूर संघों द्वारा संगठित रूप से केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने के परिणामस्वरूप 10 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता और कर्मचारियों के हितों में रुचि नहीं रखती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का रुख मुख्यमन्त्री के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है। ये बर्बर और असभ्य तरीके में विश्वास रखते हैं और हत्या, लूट स्त्रियों के शील भंग करने, जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा करने जैसी गतिविधियों के भाग लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट समाज-विरोधी तत्व अथवा अपराधी नहीं हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की ये गतिविधियां भारतीय लोकतंत्र पर बड़ा हमला करने के लिये एक आधार-भूमि तैयार करना है। यही वजह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मित्रों यह प्रस्ताव पारित किया :

"मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनैतिक गुंडागर्दी के तरीके को अपनाकर और हत्या तथा आतंकवाद को फैलाकर सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग करने की नीति अपनाई।"

कामरेड भवानी सेन ने कहा कि "वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देने के नाम पर वे अत्यधिक घृणित और विध्वंसक आतंकवादी आन्दोलन का सहारा लेते हैं।" समूचे पश्चिम बंगाल की जनता को आतंकित और भयभीत किया गया। दिन-दहाड़े हत्यायें की गईं और स्थिति अफ्रीका के जंगल से भी बदतर हो गई। श्री अजय मुखर्जी के कथन के उत्तर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता श्री प्रमोद दास गुप्ता ने कहा कि ये सब गतिविधियां क्रान्ति की प्रसव-वेदना के समान हैं। उनके अनुसार ये हत्याएं, अपराध, स्त्रियों का शील-भंग, मां के आंसू और भाइयों का रक्त वर्ग-संघर्ष की तीव्रता का प्रतीक हैं। इस हेतु उन्होंने 1,10,000 स्वयं सेवकों को संगठित किया। श्री हरी कृष्ण कोनार ने बताया कि ये सशस्त्र स्वयं सेवक वियतनाम की मुक्ति-सेना की भांति कार्य करेंगे।" उनका लक्ष्य अन्य पार्टियों का गला घोंटकर और उन्हें कुचलकर प्रशासन पर पूर्ण अधिकार करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार में गृह, श्रम, भू-राजस्व, शरणार्थी, शिक्षा और कुछ अन्य विभागों पर अधिकार किया था।

सबसे पहले उन्होंने अपने सचिवालय में एक गोयका कमाण्ड की स्थापना की जिसमें सचिव-संयुक्त सचिव और उप सचिव शामिल थे। राइटर्स बिल्डिंग में राज्य सचिवालय का एक सेल स्थापित किया गया और वहां प्रत्येक सूचना पहुंचाई जाती थी। तत्पश्चात् गृह-मन्त्री को सूचना भेजी जाती थी। ईमानदार अधिकारियों को बर्खास्त करके, डरा धमकाकर या तबादला करके वे पश्चिम बंगाल में आतंकवादी शासन की स्थापना कर रहे थे। यह उनका पहला कदम था।

उनका दूसरा कदम था—गुप्त पुलिस में एक कठपुतली इन्सपैक्टर जनरल की नियुक्ति। गृह मन्त्री के दो रिश्तेदारों को उसका सहायक नियुक्त किया गया। गुप्त पुलिस का डी० आई० जी० न केवल गृह मन्त्री को सूचना ही देता था, बल्कि विरोधी मजदूर संघों को डराने धमकाने और उन्हें समाप्त करने की गतिविधियों में भी भाग लेता था, जिससे कि जन-सम्पर्क के सभी क्षेत्रों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अधिपत्य स्थापित हो जाय।

उनका अगला कदम था—पुलिस अधीक्षक (बेतार) की नियुक्ति। यह अधीक्षक मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए श्री ज्योति बसु को सूचनायं देता था इन्सपैक्टर जनरल जब छुट्टी पर थे, तो अतिरिक्त इन्सपैक्टर जनरल ने कुछ मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को बड़े आई० जी० अफसरों के रूप में भर्ती किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनके उप-कार्यालयों को जिला और अन्य अधिकारियों को भयभीत करने की खुली छूट दे दी गई।

हिंसा और बर्बरता की इन घटनाओं से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनैतिक उद्देश्य उभर कर सामने आ जाता है। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक समानान्तर सरकार चलाई। कम्युनिस्ट देशों में पार्टी सचिवालय सरकार से अधिक शक्तिशाली होता है। मेरा ही नहीं, मुख्य मन्त्री की अजय मुखर्जी का भी यह आरोप है कि छोटे- मोटे पार्टी कार्यालयों को भी सब-डिवीजनल अधिकारियों, जिलाधीशों और अन्य अधिकारियों पर हुक्म चलाने की छूट दे दी गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा पर हुए पुलिस हमले की निष्पक्षजांच कराई जाय, तो पता चलेगा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पुलिस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक बहाना मिल गया। पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन, जिसके लगभग 97-98 प्रतिशत पुलिस कर्मचारी सदस्य हैं, उसकी मान्यता समाप्त करके मार्क्सवादी विधान सभा सदस्य श्री तालुकदार द्वारा संगठित पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई। पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार भंग होने की सम्भावना के समय इस नये पुलिस कर्मचारी संघ ने सरकार को धमकी दी कि संयुक्त मोर्चा सरकार गिराने के समय पुलिस कर्मचारी मूक दर्शक नहीं रहेंगे। क्या यही प्रजातन्त्र है ?

30 जनवरी, 1970 तक इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार, हत्या, लूट, शील भंग आदि की 1117 हिंसक घटनायें हुई। 337 व्यक्तियों की हत्या की गई, 4000 व्यक्तियों को चोटें पहुंची, 1.700 बम फेंके गये।

भूमि सुधार और वितरण कार्यक्रम को शान्तिपूर्वक किया जा सकता था। परन्तु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों पर अपना प्रभाव जमाने के लिये खुले तौर पर यह घोषणा की कि जमीन पर कब्जा कर लो, पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी। बेनामी भूमि पर कब्जा करने के नाम पर उन्होंने 5 या 6 एकड़ की जमीन वाले निर्धन किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया। श्री ज्योति बसु के अनुसार 3.5 लाख एकड़ भूमि को वितरित कर दिया गया है, परन्तु किसी भी किसान को कानूनी कागजात नहीं दिये गये हैं और न वे दे ही सकते हैं।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि 10 पैसे शुल्क देकर मार्क्सवादी किसान सभा के सदस्य बन जाने पर उन्हें जमीन मिल जायेगी। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तपात हुआ। गरीब किसानों, भूमिहीन किसानों अथवा आदिम जातियों के किसानों को भूमि देने की बजाय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों, और समर्थकों को जमीन मिली।

डी० आई० जी० की मदद से औद्योगिक क्षेत्र में घिराव के नाम पर उन्होंने परेशानी पैदा की। 588 हिंसक घिराव किये गये। कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर संघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मजदूर संघों और इन्टक आदि सभी विरोधी मजदूर संघों को वह समाप्त करके श्रमिक क्षेत्र में पूर्ण आधिपत्य जमाना चाहते थे। बिड़ला बन्धुओं से अपनी पार्टी के लिये धन प्राप्त करने के लिये उन्होंने गुप्त चर्चा की और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिये उन्होंने लाखों रु० खर्च किया।

इन सब बातों का यह परिणाम निकला कि जहां 1960-61 में 431 नये औद्योगिक कारखाने स्थापित किये गये, परन्तु 1968-69 में यह संख्या घटकर 182 ही रह गई। पश्चिम बंगाल के सात प्रमुख उद्योगों की दूसरी शाखायें पश्चिम बंगाल से बाहर स्थापित की गई हैं। परिणामतः बेकार व्यक्तियों की संख्या 67,000 हो गई, उद्योग मंत्री के वक्तव्य के अनुसार उत्पादन 25% घट गया और रोजगार के अवसर भी 23% घट गये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हाल है। 63 मुख्याध्यापक और मुख्याध्यापिकाओं को पीटा गया और उन्हें निकाल दिया गया तथा उनके स्थान पर मार्क्सवादी विचार धारा के व्यक्तियों को रखा गया। 6 महीने के अन्दर 46 घिराव हुए और 19 घिराव कलकत्ता जादवपुर विश्वविद्यालय में हुए। लगभग 500 माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्धकारिणी समितियों को समाप्त कर दिया गया और अयोग्य व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। मार्क्सवादी पार्टी के आदेशों को न मानने पर 403 स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई।

मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। मैंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहां बोलने का अधिकार है।

अब पुलिस को अचानक ही छानबीन करने पर अनेकों बम मिले हैं। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार लगभग 5 लाख रु० की कीमत के लगभग 3,000 बम और विस्फोटक

सामग्री पकड़ी गई है। केवल तीन दिन में ही पुलिस ने 1200 गोलियां, स्टेन गनें और ब्रन गनें आदि असंख्य मात्रा में पकड़ी है।

मैं अजय मुकर्जी और पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हड़ताल के आह्वान को उन्होंने ठुकरा दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले सात दिन का हड़ताल की आह्वान किया और फिर दो दिन का, लेकिन हड़ताल हुई तो केवल एक दिन की। अब जनता जाग चुकी है।

सरकार द्वारा कार्यान्वित करने के लिये मैंने 30-40 रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किये थे, परन्तु समय की अभाव होने की वजह से मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकता। पुलिस को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिये और नौकरशाही के तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। लोकतन्त्र में पुनः आस्था कायम करने के लिये और भय को दूर करने के लिये, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 13 महीने के शासन काल के दौरान हुई हत्या और लूट पाट की घटनाओं की जांच करने के लिये एक जांच-कमीशन की नियुक्ति की जाय।

Shri Deven Sen (Asansol): The Home Secretary has announced that an enquiry will be instituted concerning the recovery of two dead bodies and two skeletons from a pit near Shripur colliery. This incident took place on 17th but the announcement was made on 26th. One of the two dead bodies was that of Nasim Khan who was a brother of one of our party worker. The other dead body being headless could not be identified. On 15th the secretary of our party reported the matter to A. D. M. that five of our men had been kidnapped and their life was in danger. Thereupon the police recovered three of them from the Modi House, their hands and feet were tied up and their mouths gagged. On the 19th our other party workers along with Jumman Mian were kidnapped, but no action was taken. I hold the authorities of Asansol responsible for all this and my charge against them is that they connived with the Marxist and got our party worker murdered.

As general strike had been announced to be observed on the 17th we requested the S. P. and the A. D. M. to tighten up the security measures and to post extra police-guard but contrary to this they withdrew police force. This was one of the causes that raised apprehension in our mind. They have now brought in police dogs but what can they do now after ten days.

There was liquor shop which was a venue of terror and torture. It was burnt on the 23rd. Why was that shop burnt, whether there were some more dead bodies inside the shop. The reason is unknown. Why did not the authorities digged the pit deeper and why was the surrounding area of the pit left untouched. After they found two dead bodies in the pit they ought to have dug the pit thoroughly to find out whether some more such dead bodies were there. We repeatedly brought it to the notice of authorities that our men were missing, but no action was taken by them to trace them. When three persons were recovered from the liquor shop why not the owner was apprehended. What were the reasons for which the said shop was set on fire. The local officials have their connections with Communist Party.

The report of the home secretary shows that only two skeletons were found. But they are pretty old. The home-secretary cannot avoid the issue with such a statement. How the skeletons

came to be there. Were those the victims of police firing. The police did not know as to how many persons were killed and who were they. No report was lodged with the police in this regard. The entire episode is suspicious. The enquiry should not therefore be entrusted to the A. D. M. or D. S. P. Nothing is likely to come out without judicial probe. After Jumman Mian was kidnapped, he was taken to the pit, he came to know all about it. He managed to escape and would hide himself in the Girmint colliery. We have a union there. Jumman Mian took the secretary of the union along with him and reported the matter to the police. He made a statement about Burdwan. You have heard enough about Burdwan. I want to draw your attention to one incident where a son was murdered in the presence of his mother and her forehead was smeared with his blood. I have never seen such a beastly act. It is futile to entrust the inquiry to the local officers. Jyoti Basu has given a statement to the press that he wants a settlement with S. S. P. Settlement about what? If he wanted settlement he should approach the leader of our party. The police are shielding the offenders. They avoid making arrest and dispose off dead bodies secretly. I would like to mention the names of Ramparvesh Singh, Shivaji and Jadav, these are the three notorious Goondas and they are the leader of the Marxist party. They molest our people.

There are two hundred collieries in the Asansol area. I challenged them that if they were in demand in any one of the colleries I would leave Asansol I have been working there for the last fifteen years. Our union is there. If they will secure popular vote we will leave the union. But why do they terrorise us with sticks and bombs.

They have lost the confidence of workers and they are bound to be driven already. I insist on a judicial probe. Nothing will come out of the proposed visit of the Governor to that place.

I have no objection if any parliamentary committee is sent there but it will take time. All sorts of trouble and dispute will arise. I demand that the Marxist and Communist party leader should be arrested.

Marxist and Communist leaders are in league with the S. D. O. and additional S. P. I, therefore, want a judicial inquiry in the whole matter.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय पर वाद-विवाद समाप्त करने और मतदान के लिये 5 बजे का समय निर्धारित किया था । मंत्री महोदय को वाद-विवाद समाप्ति से 10 मिनट पूर्व बोलने का समय दिया जाना था किन्तु माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय का भी समय ले लिया । सभी दलों ने अपना समय समाप्त कर लिया है, कांग्रेस दल के लिये कुछ मिनट का समय बचा है जो कि मंत्रियों को दिया जायेगा ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : जब से चर्चा आरम्भ हुई है न तो प्रधान मंत्री ही और न ही गृह मंत्री यहां उपस्थित रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री उपस्थित हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण बंगाल से है और सदन में एक भी मंत्री मौजूद नहीं है ।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच बिहार) : मेरे क्षेत्र से एक तार आया है। कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, हम दोनों को दो दो मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें 5 मिनट के समय में इसे समाप्त करना होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे विनियोग विधेयक पर कुछ कहना है।

श्री जि० मो० विश्वास (बांकुरा) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिले से आ रहा हूं वहां पर भीषण अकाल पड़ा हुआ है। भोजन की खोज में लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। लगभग 2,000 व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर के पास गए और उन्हें तमाम जानकारी दी किन्तु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कीं गई। लोग भूखे रहकर दिन गुजार रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा प्रभावित लोगों को कुछ न कुछ राहत अवश्य दी जाए। यह एक अत्यन्त गम्भीर तथा सार्वजनिक महत्व का मामला है।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच बिहार) : मेरे पास कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें हैं जिनसे अंदाज लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी गम्भीर है। इस संबंध में मुझे एक तार प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा गया है "राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने के पश्चात् कई लोगों की हत्या की गयी है। एक अध्यापक श्री अनिल सरकार और एक अन्य व्यक्ति हि ओला बर्मन की सिरहीन लाशें मिल गयी हैं। पुलिस अधीक्षक पुलिस सिपाहियों को धमकी दे रहे हैं।" हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के जनता न्यायालय ने कूच बिहार में गांव कोतवाली में पांच व्यक्तियों के सिर कटवा दिये जिनमें एक प्राथमिक शिक्षक और चार फारवर्ड ब्लाक के सदस्य कहे जाते हैं। जमीन के नीचे से लाशें निकाल दी गयी जिनके सिर नहीं थे।

कूच बिहार तथा बंगाल के अन्य भागों में आज स्थिति गम्भीर है। अतः मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सारे मामले को शीघ्र ही न्यायिक जांच करा दें। यह एक अति गम्भीर मामला है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं कि अभियुक्तों को गिरफ्तार न करें। मैंने गृह मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखा। अनुरोध किया है कि वे शीघ्र ही न्यायिक जांच करायें। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त सारे अधिकारियों का नाम बाहर जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती शारदा मुकर्जी।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : यह एक ऐसा मामला है जो न केवल बंगाल से बल्कि सारे भारत से संबंधित है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वहां की वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पश्चिम बंगाल में हो रही विधि और व्यवस्था के भंग की समस्याओं के बारे में अधिक बोलने की आवश्यकता

नहीं है । मेरा विचार है कि यह बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि जब बंगाल जल रहा है। केन्द्र सरकार संवैधानिक बातों के औचित्य या अनौचित्य के बारे में चर्चा करती है । सरकार का परम कर्तव्य यह है कि वे देश के हर भाग में हानि एवं सुरक्षा को कायम रखें और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करें ।

श्री अजय कुमार मुकर्जी को त्याग पत्र देने के बाद राज्यपाल ने एक वक्तव्य में कहा कि वे चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चे की लघु मोर्चा सरकार स्थापित हो । यह मनमानीपन की हद है। मालूम नहीं कि यह काम राज्यपाल अपने मन से कर रहा है या केन्द्रीय सरकार उनसे करवाती है । हमें संदेह है कि केन्द्रीय सरकार वहां के किसी भी दल को कष्ट नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्हीं के समर्थन द्वारा ही बजट पास किया जा सकता है । वामपंथी और दक्षिणपंथी साम्यवादी दल चाहे जो भी कहे, हम पूरी तरह से जानते हैं कि मतदान के अवसर में उनका रुख क्या होगा। लघु मोर्चे सरकार बनाने के पीछे यही लक्ष्य है। वहां विधान सभा को इसीलिये समाप्त न करके केवल निलंबित किया है, कि इन दलों में सत्ता को फिर से हथियाने की आशा बनी रहेगी। यह बिल्कुल शंकास्पद बात है ।

मैं पूछना चाहती हूं कि क्या राज्यपाल ने जो वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की विधान सभा को समाप्त न करने की सिफारिश की थी, वह अपनी संवैधानिक दायित्व को निभाना है ? क्या इस प्रकार स्पष्ट एवं नियत रूप से सिफारिश करना उनकी शक्ति की सीमा के अन्तर्गत की बात है ।

पश्चिम बंगाल केन्द्र सरकार के हाथ में एक राजनैतिक मोर्चा बना है। वैसे तो, कई अन्य राज्य भी मोर्चे बन चुके हैं । मगर बंगाल की जनता इतनी सचेत है कि वे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करती है ।

अंत में मैं मांग करती हूं कि सारे मामलों की तटस्थ न्यायिक जांच करायी जायी ।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिये । विधेयक को राज्यसभा में 5-15 के पहले भेज दिया जाना होता है ।

डा० मैत्रेयी बसु : मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं । मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ला,

डा० मैत्रेयी बसु : आपको मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिये । मैं अधिक समय तक नहीं बोलूंगी ।

अध्यक्ष महोदय : एक या दो मिनट तक बोलने की अनुमति मैं देता हूं । मैं किसी महिला से नहीं उलझना चाहता हूं ।

पहली संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में श्री बांगड़ी नामक पुलिस के एक सब इन्स-पेक्टर की नक्सलवादी आन्दोलन के आरम्भ में नृपंम हत्या कर दी गई तथा जिसके फलस्वरूप श्री अजय मुकर्जी ने त्यागपत्र दे दिया और अपने उस त्यागपत्र में उन्होंने साम्यवादियों (मार्क्सवादी) के सम्बन्ध में जो यहां कहा गया है, वही सब कुछ बताया।

हममें से कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता था, पर यह बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्रपति के शासन से हम अपने चैन की सांस ली। भारतीय साम्यवादी दल और बंगला कांग्रेस को मार्क्सवादी साम्यवादी दल के सम्बन्ध में अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिये जिससे कि अन्य लोकतंत्रीय समाजवादी दल उनके साथ शामिल हो सके।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 1967 के आम चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी ही डावांडोल रही है। मध्यावधि चुनाव हुए कई बार मंत्रिमंडल बदले तथा अन्त में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा।

मध्यावधि चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार संवैधानिक थी और वैध सूत्र में गठित की गई थी। इसे राज्य की विधान सभा में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के बहुमत का समर्थन प्राप्त था। परन्तु धीरे धीरे ऐसे समाचार प्राप्त होने लगे कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहां तक कि अधिकतर शिकायतें मोर्चा सरकार में शामिल विभिन्न दलों के लोगों को आईं।

हम अब यह भली भांति जानते हैं कि राज्य के मामलों में संविधान ने केन्द्रीय सरकार को या तो अन्तिम शक्ति दी है या कोई शक्ति नहीं दी। कानून और व्यवस्था को जिम्मेदारी राज्य की हैं, केन्द्रीय सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इन समाचारों के पाते ही हमें चिन्ता हुई। हमारी यह इच्छा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखी जाये तथा सरकार संविधान और कानून के अनुसार कार्य करे। अत: हमने समय समय पर पश्चिम बंगाल के नेताओं से बातचीत की, तथा कानून और व्यवस्था के लिये अपना सहयोग देने की बात भी कही, परन्तु हमें उनका रवैया हमेशा नकारात्मक ही लगा।

अब जो लोग संयुक्त मोर्चा सरकार को इस सबके लिये दोषी ठहरा रहे हैं तथा केन्द्र को भी इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई कार्रवाई न करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं उन्हीं लोगों ने प्रारम्भ में, बंगाल में जो कुछ हो रहा है अथवा हुआ उसके लिए केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता तो जो लोग इन अशोभनीय घटनाओं और दूषित राजनीति के लिए जिम्मेवार थे उन्हें लाभ पहुंच सकता था और वे प्रसन्न होते। पश्चिम बंगाल में यह दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की जनता और राज-नीतिक दलों को पहली संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन का अनुभव था। इस अनुभव के होने पर भी उन्होंने उसी संयुक्त मोर्चा सरकार को चुना और वह भी पहले की अपेक्षा अधिक बहुमत

से । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार का वहां किसी प्रकार हस्तक्षेप करना तब तक असम्भव था, जब तक मुख्य मंत्री के त्यागपत्र देने से उत्पन्न वर्तमान स्थिति पैदा न हो जाती । यद्यपि जो घटनाएं वहां हो रहीं थी वे हमें सर्वथा पसन्द नहीं थी, फिर भी उनके सम्बन्ध में संवैधानिक रूप से हम कुछ भी करने में असमर्थ थे । ज्यों ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ त्यों ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सामान्य रूप से बर्दवान और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी जांच करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की । वे स्वयं बर्दवान गये तथा सम्बन्धित अधिकारियों की बदली की गई जिससे कि निष्पक्ष जांच की जा सके । उस जांच रिपोर्ट के मिलने पर हम यह तय कर सकेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये । जितने भी मामले हमारे सामने आए हैं हम उन सब के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

राज्यपाल के एक दो कथनों पर कुछ आपत्ति की जा सकती है पर हमें उसमें पूरा विश्वास है तथा हम उन्हीं की सहायता से आगे भी वहां का शासन चलाना चाहते हैं । इसमें हम संसद सदस्यों और जनता की मदद भी चाहेंगे । वहां जो कुछ भी होता है उसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार होगी तथा वहां का शासन पूरी तरह से संवैधानिक आधार पर ही चलाया जायेगा । अतः इस विवाद में राज्यपाल को खींच लाने में कोई लाभ नहीं होगा । जिन लोगों ने असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लिया है तथा जो लोग वहां स्थायी सिविल सेवा में है उन लोगों को हम निकाल बाहर करेंगे ।

जहां तक इस सम्बन्ध में कोई संसदीय समिति गठित करने की बात है उसके सम्बन्ध में आप सब लोग ही तय करेंगे ।

मध्यावधि चुनाव करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वहां विधान सभा अभी भी है, इसे भंग नहीं किया गया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक पश्चिम बंगाल के बजट का सवाल है मेरा काम बहुत आसान हो गया है क्योंकि अधिकतर सदस्य वहां के व्यवस्था और कानून की स्थिति के सम्बन्ध में अथवा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के सम्बन्ध में ही बोलें । केवल कुछ ही सदस्यों ने कुछ विषयों को लिया ।

यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है । जहां तक केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में धन लगाने का सम्बन्ध है पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है, जहां 31 मार्च, 1968 तक 403.3 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है ।

पहली योजना अवधि में पश्चिमी बंगाल को कुल 68 करोड़ की योजना में से 31 करोड़ की सहायता केन्द्र की ओर से दी गई, दूसरी योजना में यह सहायता 73 करोड़ थी तथा तीसरी में 155 करोड़ । वर्ष 1966-1969 में यह 113 करोड़ तथा चौथी योजना में यह सहायता 323 करोड़ की योजना में से 221 करोड़ रुपये थे ।

यह कहा गया है कि पांचवे वित्त आयोग से पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचा है, जबकि बात इससे बिल्कुल उल्टी है। चौथे वित्त आयोग के पंचाट के अनुसार 47.74 करोड़ रुपये और पांचवे वित्त आयोग के अन्तरिम पंचाट के अनुसार 54.98 करोड़ रुपये की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल को चालू वर्ष में केन्द्रीय करों, शुल्कों और सांविधिक अनुदान के भाग रूप में 73.98 करोड़ रुपये दिये गये। चौथी योजना में पश्चिमी बंगाल को चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 197.41 करोड़ रुपये की अपेक्षा पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 369.26 करोड़ रुपये मिलेंगे। अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि पांचवे वित्त आयोग ने पश्चिमी बंगाल के साथ न्याय नहीं किया।

एक बात यह और उठाई गई है कि कलकत्ता को केवल एक करोड़ रुपया दिया गया है जबकि मांग इससे बहुत अधिक की गई थी। परन्तु यह एक करोड़ की राशि केवल 4 महीनों के लिए थी। जहां तक कलकत्ता इस वर्ष होने वाले विकास कार्य का सम्बन्ध है कलकत्ता नगर के लिए 5.02 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कलकत्ता की समग्र योजना के लिए 42 करोड़ की आवश्यकता होगी, इसके अतिरिक्त हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने के लिए 8 करोड़ दिये जायेंगे, इस प्रकार चौथी योजना में कलकत्ता को 50 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह भी कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल की शरणार्थी समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है तथा उनपर समुचित धनराशि व्यय नहीं की गई यह कहना कतई सही नहीं है क्योंकि 31 मार्च, 1969 तक पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर खर्च किए गए लगभग 205 करोड़ रुपये की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 302.74 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

श्री विश्वस ने पुरुलिया और बांकुरा के अकाल पीड़ितों को राहत देने की बात उठाई। मेरा उनसे कहना है कि वे इस सम्बन्ध को सीधे पश्चिमी बंगाल सरकार से सहायता लें। इसके पश्चात् यदि यह आवश्यक समझा गया तो केन्द्रीय सरकार उसमें अपना हर सम्भव सहयोग देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिए लेखानुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions on Vote on Account in respect of the Budget of West Bengal for 1970-71 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970 71 के लिए निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल) सभा के मतदान के लिए रखी गईं एवं स्वीकृत हुई ।

The following demands for grants on account in respect of the Budget for West Bengal for 1970-71 were put and adopted

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
1	4	निगम कर से भिन्न आय संबंधी कर	3,74,000
	9	भू राजस्व	2,55,24,000
	76	भू-राजस्व–अन्य विविध क्षति-पूर्तियां और समर्पण	10,98,000
2	92	भू-राजस्व–जमींदारी उन्मूलन पर भूस्वामियों आदि को मुआवजे की अदायगी	1,15,00,000
3	10	राज्यीय उत्पादन शुल्क	34,76,000
4	11	मोटर गाड़ियों पर कर	8,03,000
5	12	बिक्री कर	26,75,000
6	13	अन्य कर और शुल्क	8,54,000
7	14	स्टाम्प	9,53,000
8	15	पंजीकरण शुल्क	27,89,000
9	16	ऋण और अन्य देनकारियों पर ब्याज	23,33,000
11	18	संसद, राज्यों / संघीय राज्यक्षेत्रों के विधान-मण्डल	20,13,000
12	19	सामान्य प्रशासन	2,68,78,000
13	21	न्याय प्रशासन	82,64,000
14	22	जेल	79,91,000
15	23	पुलिस	9,49,60,000
16	26	विविध विभाग–अग्नि शमन सेवाएं	28,25,000
17	26	विविध विभाग–अग्नि शमन सेवाओं से भिन्न	2,29,00,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
18	27	वैज्ञानिक विभाग	26,000
19	28	शिक्षा	22,65,65,000
20	29	चिकित्सा	7,60,84,000
21	30	लोक स्वास्थ्य	3,85,22,000
	31	कृषि–कृषि	5,53,93,000
22	95	कृषि–कृषि सुधार और अनुसंधान की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	95,48,000
23	31	कृषि–मीनक्षेत्र	24,15,000
	33	पशु-पालन	74,34,000
24	124	पशु-पालन-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय-वृहत्तर कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना	2,91,34,000
25	34	सहकारिता	48,58,000
	35	उद्योग–उद्योग	1,01,99,000
26	96	उद्योग–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	53,83,000
		घ—सामाजिक और विकास संबंधी सेवाएं	
	35	उद्योग–कुटीर उद्योग	75,39,000
		घघ—सामाजिक और विकास संबंधी सेवाओं का पूंजीखाता-राजस्व खाते से बाहर	
27	96	उद्योग–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय-कुटीर उद्योग	2,84,000
28	35	उद्योग–सिंकोना	22,25,000
	37	सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्य	1,67,80,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
29	109	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्य	3,77,000
		सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्यों के अधीन ऋण और अग्रिम	2,17,000
30	38	श्रम और नियोजन	1,84,37,000
31	39	सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन-अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	76,22,000
32	39	विविध सामाजिक और विकास संबंधी संगठन-अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़कर	61,66,000
	42	बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं	2,67,10,000
	43	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं-सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण-कार्य (वाणिज्यिक)	33,91,000
	44	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं-सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण-कार्य (गैर वाणिज्यिक)	1, 46,42,000
33	98	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं—बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	95,63,000
	99	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (वाणिज्यिक)	14,22,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
	100	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (गैर-वाणिज्यिक)	14,26,000
34	50	लोक-निर्माण कार्य	5,52,52,000
	51	क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना	24,68,000
35	106	क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	65,33,000
36	53	बंदरगाह और नौचालन	6,38,000
	57	सड़क और जल परिवहन योजनाएं	26,68,000
37	114	सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,42,000
38	64	अकाल सहायता	2,00,00,000
	65	पेंशनें और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ	1,09,88,000
39	120	पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	2,82,000
40	67	भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते	10,000
41	68	लेखन सामग्री और छपाई	39,08,000
42	70	वन	95,14,000
43	71	विविध-अंशदान	2,01,84,000
44	71	विविध-खेलकूद	8,49,000
45	71	विविध-नागरिक सुरक्षा	62,61,000
	71	विविध—अन्य विविध व्यय	2,09,59,000
46	109	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,83,31,000
	71	विविध-विस्थापित व्यक्तियों को दिये गए वसूल न हो सकने वाले बट्टेखाते डाले गये ऋण	67,33,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
	71	विविध-विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,55,01,000
47	109	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	24,00,000
		विस्थापित व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम	20,00,000
48	78	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	1,000
50	98	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—दामोदर घाटी प्रायोजना	3,61,46,000
51	103	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,42,78,000
52	124	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,43,27,000
54		राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	4,72,55,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पश्चिमी बंगाल)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL)

अध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The Cut Motion Nos. 1 to 3 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (पश्चिमी बंगाल) मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

Following Supplementary Demands for Grants (West Bengal) were put and adopted

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
3	10	राज्यीय उत्पादन शुल्क	68,000

	मांग संख्या	शीर्षक	राशि
			रुपये
4	11	मोटर गाड़ियों पर कर	1,72,000
8	15	पंजीकरण शुल्क	5,05,000
11	18	संसद्, राज्य/संघीय राज्यक्षेत्र विधान मंडल	9,87,000
12	19	सामान्य प्रशासन	6,72,000
15	23	पुलिस	1,15,44,000
16	26	विविध विभाग—अग्निशमन सेवाएं	2,87,000
17	26	विविध विभाग—अग्निशमन सेवा से भिन्न	51,57,000
18	27	वैज्ञानिक विभाग	5,000
19	28	शिक्षा	1,97,68,000
20	29	चिकित्सा	57,86,000
24	124	सरकारी व्यापार की योजनाओं—बृहत्तर कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना—पर पूंजी परिव्यय	54,36,000
26	96	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1
28	35	उद्योग-सिंकोना	2,32,000
31	39	विविध सामाजिक और विकास संबंधी संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,96,000
32	39	विविध सामाजिक और विकास संबंधी संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़ कर	9,96,000
	42	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	27,71,000
	43	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी संबंधी निर्माण-कार्य (वाणिज्यिक)	4,20,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रुपये
33	44	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी संबंधी निर्माण-कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	2,23,77,000
	98	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	66,90,000
	99	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी संबंधी निर्माण-कार्यों पर पूंजी-परिव्यय (वाणिज्यिक)	1,17,37,000
	100	सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी संबंधी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (गैर-वाणिज्यिक)	8,37,000
34	50	लोक निर्माण-कार्य	1,24,64,000
36	53	बंदरगाह और नौचालन	1,60,000
38	64	अकाल सहायता	2,76,55,000
39	65	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	19,24,000
	120	पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	2,45,000
41	68	लेखन सामग्री और छपाई	2,72,000
44	71	विविध—अन्य विविध व्यय	44,43,000
	109	अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी परिव्यय	3,17,000
45	71	विविध—विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए अशोध्य बट्टेखाते डाले गए ऋण	1,00,00,000
	71	विविध—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	8,19,000
50	124	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,54,17,000
52		राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ऋण और अग्रिम	76,33,000

पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक
WEST BENGAL APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1970-71 के एक भाग की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 के एक भाग की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 के एक भाग की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 के एक भाग की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक,
WEST BENGAL APPROPRIATION BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, अगले विषय पर चर्चा करने से पहले, मैं चाहता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा 6.30 म० प० बजे ली जाए और 7 म० प० बजे के बाद सामान्य कार्य को लिया जाए ।

प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक

PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

गत वर्ष सदन में प्रेस परिषद् का कार्यकाल बढ़ाने से सम्बन्धित विधेयक पारित किया गया था । मैंने यह वचन दिया कि प्रेस परिषद् को अधिक प्रभावशाली कार्य करने से सम्बन्धित प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

प्रेस परिषद् की स्थापना सन् 1966 में प्रेस आयोग की सिफारिश पर हुई थी । प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की थी । प्रेस की स्वतंत्रता एवं समाचार-पत्रों के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रेस परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए । मैं कह सकता हूं कि प्रेस ने प्रभावशाली ढंग से कार्य किया है ।

सन् 1967 में राज्यसभा में बहस के दौरान प्रेस परिषद् के कार्यों की टीका-टिप्पणी की गई थी । अत: सन् 1968 में संसद-सदस्यों की समिति बनाई गई थी । इस समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनको पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है । समिति की एक सिफारिश यह थी कि प्रेस परिषद् के गठन के मामले में अध्यक्ष की नामजदगी केवल मुख्य न्यायाधिपति तथा समिति के अन्य सदस्यों की नियुक्ति केवल अध्यक्ष पर नहीं छोड़नी चाहिए । समिति ने सुझाव दिया है कि परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नामांकन के लिए मुख्य न्यायाधीश लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति की एक तालिका बनाई जाए ।

परिषद में अध्यक्ष सहित 26 सदस्य होंगे । इनमें से 6 समाचार पत्रों के सम्पादक, 7 श्रमजीवी पत्रकार, 6 समाचार पत्रों के प्रबन्धक तथा 3 संसद सदस्य होंगे । और इसके अतिरिक्त 3 स्थान अन्य सदस्यों के लिए रखे गए हैं ।

जहां तक समाचार पत्रों के मालिकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, इन 6 सदस्यों में से 2 बड़े समाचार पत्रों, 2 मध्यम समाचार पत्रों तथा 2 छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि होंगे ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : बहुत छोटे पत्रों का अन्य वर्ग क्यों नहीं बनाया गया ।

श्री इ० कु० गुजराल : प्रेस आयोग ने केवल 3 वर्ग बनाए हैं । वे समाचार पत्र जिनका प्रकाशन 15,000 तक है छोटे समाचार पत्रों के अन्तर्गत हैं । और 15000 से 50,000 तक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मध्यम वर्ग में आते हैं तथा जिन समाचार पत्रों का प्रकाशन 50,000 से ऊपर है, वह बड़े समाचारपत्र हैं ।

यह हर्ष का विषय है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और परिषद् में इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया है ।

परिषद् के अन्य तीन सदस्यों में से एक सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, एक साहित्य अकादमी का तथा एक भारत की बार कौंसिल का होगा । विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि नामांकन करने वाली समिति जहां तक परिषद् के विधान का सम्बन्ध है, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकेगी ।

परिषद् के आमंत्रण पर यदि कोई विशेष संगठन तालिका प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए भी विधेयक में व्यवस्था की गई है । विधेयक की पिछली चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय प्रेसों में निहित विदेशी हितों का व्यापक अध्ययन करने का अनुरोध किया था । मैंने पहले भी बताया था कि समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार ने इस विषय में जांच करनी आरम्भ कर दी है तथा इस विधेयक के अनुसार प्रेस परिषद् को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह विदेशी प्रकाशनों का अध्ययन करे और शिकायतों के निराकरण के लिए सुझाव दे ।

पिछले वाद विवाद के दौरान प्रेस के एकाधिकार का भी प्रश्न उठाया गया था । मैंने कहा था, कि प्रेस परिषद् इस मामले को देखेगी किन्तु दुर्भाग्यवश प्रेस परिषद् को उस समय रिकार्ड देखने का अधिकार प्राप्त न था किन्तु इस विधेयक द्वारा प्रेस परिषद् के अधिकारों में वृद्धि की गई है और वह रिकार्ड देखकर प्रेस एकाधिकार के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सकती है । अतः प्रेस परिषद् को अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है । इस संदर्भ में संसद सदस्य समिति का कार्य निश्चय ही सराहनीय है । प्रेस के सभी पहलुओं पर, हम समय-समय पर चर्चा करते रहे हैं । सबसे प्रमुख विषय रहा है "प्रेस की स्वतंत्रता" और यह अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है और सम्भवतः किसी अन्य सरकार द्वारा प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, जितनी हमारी इस सरकार ने दी है ।

आज के परिवेश में, प्रेस की स्वतंत्रता को सरकार से इतना खतरा नहीं है जितना कि पूंजीपतियों से है । और यह भय केवल इस देश में नहीं अपितु समग्र संसार में व्याप्त है । प्राद्योगिकी के विकास से समाचार-पत्रों का प्रकाशन मंहगा होता जा रहा है और उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है ।

प्रेस की स्वतंत्रता से आशय मालिकों की स्वतंत्रता से न होकर सम्पादकों तथा पत्रकारों

की स्वतंत्रता से है। प्रेस की स्वतंत्रता प्रजातंत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में यह दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। एक के अभाव में दूसरे का विकास असम्भव है। अतएव प्रजातंत्र की सुरक्षा हेतु प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखनी होगी। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिये। हमें प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा न केवल सरकार से ही करनी है बल्कि उन लोगों से भी करनी है जो अपने निहित स्वार्थों के लिये प्रजातंत्र का हनन करना चाहते हैं। हम सबने संविधान की रक्षा के प्रति शपथ उठाई है और संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अतः इस स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय के इस कथन से मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ कि वे और उनकी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वचनबद्ध है। तथा कोई भी राष्ट्र प्रेस की स्वतंत्रता के बिना नहीं पनप सकता। परन्तु जैसा कि इस देश में पिछले नौ महीने से हो रहा है, यह सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर डाका डालती रही है। मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है, उससे केवल सांत्वना मिली है, चिन्ता पूर्णरूप से मिटी नहीं है। प्रेस अब सरकारी नीति का एक प्रचार साधन बन गया है, तथा आजकल जो भी हम रेडियो, समाचार-पत्रों आदि में सुनते अथवा पढ़ते हैं, उससे मंत्री महोदय के कथन की पुष्टि नहीं होती है। फिर भी मैं एक पत्रकार होने के नाते यह मानता हूं इस देश में अभी भी प्रेस को काफी स्वतंत्रता है।

हमारी सबकी यह शिकायत है कि मंत्री महोदय के भाषणों को समाचार-पत्रों में अत्यधिक प्रधानता दी जाती है जबकि हम लोगों के भाषणों को उनमें कभी-कभी स्थान तक नहीं दिया जाता।

प्रेस परिषद का प्रयोजन प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। इस आजादी का जितना उल्लंघन हो रहा है उसकी निन्दा की जाये और उसे सही किया जाये। परन्तु जब संशोधन के रूप में परिषद के नामजद करने की प्रक्रिया रखी गई तो हमने यह सोचा था कि यह लोकतंत्र की ओर कोई वांछनीय कदम नहीं होगा। पर मैंने देखा कि सरकार का कोई शक्ति वापस लेना सिद्धान्ततः सही है, और नामांकन समिति पर जो भी लांछन लगाए जायेंगे, उसे हम सहन करेंगे और फिर से नामांकन का अधिकार सरकार को नहीं सौंपेंगे।

प्रेस परिषद् और अधिकार देने के लिए यह आवश्यक है कि अखबारी कागज के कोटे का वितरण उसे सौंपा जाये। इसे विभिन्न समाचार-पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों का पुनरीक्षण करने तथा मात्रा और गुण के आधार पर उसे इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करने का अधिकार होना चाहिए कि बड़े, छोटे, मध्यम और देशी भाषाओं के विभिन्न पत्रों में उनका कितना दुरुपयोग अथवा उपयोग किया जाता है। समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली सरकारी आर्थिक सहायता और अंशदान का भी पुनरीक्षण होना चाहिए। आजकल उनकी आय का अधिकतर भाग सरकार से आता है तथा संकट के समय में सरकार के लिए भी सम्भव है कि वह इस अंशदान को बढ़ाये जिससे संवाद प्राप्ति स्थानों (रेलेक्स डिलीवरी स्थान) में काफी वृद्धि होगी और कुछ प्रयोजनों को पूरा करने के लिये उनका राजस्व बढ़ेगा।

अभी हमारे पास अखबारी कागज बनाने का केवल एक ही कारखाना है नेपा और वह भी रद्दी किस्म का कागज तैयार करता है । हमें चाहिए अखबारी कागज बनाने के और कारखानें खोलें जिनमें अच्छे किस्म का कागज तैयार हो सके ।

सरकार को न तो समाचार एजेन्सियों की स्थापना करनी चाहिये और न ही समाचार पत्रों को अपने हाथ में लेना चाहिए तथा उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी नहीं देनी चाहिये । वित्तीय निगम के गठन पर बड़े स्पष्ट रूप में विचार करना होगा । अब यह काम राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपा जाना चाहिए और उनके बीच में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए।

विदेशी धन के सम्बन्ध में व्यापक जांच की जानी चाहिए जिससे यह पता चलाया जा सके कि यह किस प्रकार आ रहा है और इसे आने से रोकने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ।

परिषद् के सदस्य जहां तक सम्भव हो श्रमजीवी पत्रकार हों, ऐसा सुझाव बड़ा ही सराहनीय है । एक सुझाव यह भी आया है कि तेरह स्थानों में प्रेस संघ को कम से कम तीन स्थान दिये जाने चाहिए । मंत्री महोदय इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Press Council (Amendment) Bill had been passed by the Rajya Sabha. During discussion in that House the names of P. T. I. and U. N. I. were mentioned what I want to say is that why more aid is given to these two News Agencies only, when both of them send only English News. We have accepted Hindi as our National language why then sufficient aid is not given to Hindi Agencies like 'Hindustan Samachar' and 'Samachar Bharti'. Both of them get only Rs. 50,000 when P.T.I. and U. N. I. get 25 lakhs and 8 to 10 lakhs. These agencies given news only in English when Samachar Bharti give news in Tamil, Gujrati, and Marathi also.

The Central Government use only English Teleprinters. This should be discontinued and Hindi teleprinter be substituted.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : माननीय मंत्री का यह कहना सही है कि प्रेस परिषद् प्रारम्भ से ही अच्छा काम कर रही है । यह भी सच है कि इसे प्रारम्भ से ही संकटों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 1968 में एक सलाहकार समिति नियुक्त करना आवश्यक हो गया ।

इस प्रतिवेदन के पैरा 6, पृष्ठ 6 में कहा गया है भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के चार महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों ने शुरू से ही अपने त्यागपत्र दे दिये थे, और इस बात का उल्लेख करना भी बेहतर होगा कि चलापथी राव ने भी, जब उन्हें प्रेस परिषद् के लिये मनोनीत किया गया था, प्रेस परिषद् के बारे में कुछ तीक्ष्ण टिप्पणियां देकर अपना त्यागपत्र दे दिया था । और इसी कारण यह समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न वर्गों में समुचित सन्तुलन बनाये रखने में अपना अधिकतर समय लगाया । उसने इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया कि प्रेस परिषद में 6 सम्पादक, 7 श्रमजीवी पत्रकार, समाचार प्रबन्ध मंडल के 6 प्रतिनिधि और 6 अन्य व्यक्ति होने चाहिए, इस प्रकार कुल सदस्य संख्या 25

होती है । सरकार ने अब इस संख्या को 25 से बढ़ाकर 26 करने का निर्णय किया है जिसके अनुसार नामांकन समिति समाचार एजेन्सियों के प्रबन्धकों में से एक व्यक्ति को नामजद करेगी । मैं नहीं जानता कि क्या इस नये सदस्य के, जो समाचार अभिकरणों के प्रबन्धकों में से एक होगा, बढ़ जाने से वह नाजुक सन्तुलन नहीं बढ़ेगा जिसे बनाये रखने की प्रेस परिषद् सलाहकार समिति ने सिफारिश की है ।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि नामांकन समिति में कौन से व्यक्ति होंगे । इससे पूर्व, भारत के मुख्य न्यायाधीश को विभिन्न कार्यक्षेत्रों से भेजी गई तालिकाओं में से विभिन्न व्यक्तियों को नामजद करने का पूर्ण अधिकार था । लेकिन अब यह व्यवस्था की जा रही है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष, ये तीन व्यक्ति प्रेस परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिये विभिन्न कार्यक्षेत्रों के कार्मिकों का नामांकन करेंगे । वस्तुतः इन तीन उच्च व्यक्तियों पर ही यह नाजुक भार पड़ेगा । किन्तु यह आशा की जाती है कि चयन इस ढंग से किया जायेगा कि उसकी कोई आलोचना नहीं होगी जैसा कि पहली प्रेस परिषद् के लिये नामांकन के मामले में हुआ था । मुझे यह भी आशा है कि इन तीन व्यक्तियों की इस आधार पर आलोचना नहीं होगी कि उन्होंने कुछ अन्य कार्यक्षेत्रों को तरजीह देकर अन्य कार्यक्षेत्रों की उपेक्षा की है ।

जहां तक विदेशी धन की समस्या का सम्बन्ध है, विदेशी धन केवल भारतीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले समाचारपत्रों की सहायता के लिये ही नहीं आ रहा है अपितु बहुत-सी पत्र-पत्रिकाएं, समाचारपत्र आदि तो इसी धन की सहायता से छप रहे हैं, जिस बारे में प्रेस परिषद् द्वारा जांच की जानी चाहिए और उन पर समुचित निगरानी रखनी चाहिए । प्रेस परिषद् का यह बहुत महत्वपूर्ण कृत्य होगा क्योंकि ऐसे गंभीर आरोप लगाये गये हैं कि हमारी राजनैतिक व्यवस्था विदेशों द्वारा बहुत प्रभावित हो रही है । इसे रोकना आवश्यक है और मुझे आशा है कि प्रेस परिषद् इसे प्रभावी ढंग से कर सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Legislature, executive judiciary are the most important and vital organs of a Government based on democracy. In democracy, the Press plays an important role and is an effective medium of educating people and mobilising public opinion. That is why our Constitution has granted freedom of Press, and the Government deserves congratulations for their policy of non-interference with the press. In our country the press has been functioning in a responsible manner, with the exception of a few newspapers owned by big capitalists who want to use them to impose their thoughts on the people.

The representation given to the Indian language papers in the press council is inadequate. The question of giving larger respresentation to the Language Papers should be looked into by the Government.

The Hon. Minister has stated that the Press Council has been given some powers to curb and eliminate monopoly. But the fact is that the council has got no power to implement their decisions. The matter should be looked into and given due consideration keeping in view the

difficulties of the Small Language Papers and the stiff competition they have to face, it is absolutely necessary to set up a Finance Corporation which could come to their rescue and help them develop. The Press Council should be empowered to help the small and language papers so that they may prosper and develop. It should also be made clear as to which of the matters will be dealt with by the Press Council and which will be controlled by the Government.

In cases where the Press Council takes action against a certain Newspaper, provision should be made to give full opportunity to the paper concerned to clarify its position. It is necessary particularly with a view to avoiding any harassment to any body.

I whole heartedly welcome and support the Bill which, I hope, will help develop the Press.

Shri Surendra Nath Dwivedi (Kendrapara) : I welcome this measure. It contains all the recommendations made by our Advisory Committee. I hope it will now enable the Press Council to function more effectively with a better constitution.

The report of Press Commission was submitted in 1954. The Press Council was formed in 1966. It is a matter of surprise that the report of the commission has not so far been implemented by Government.

We have two news agencies for our languages. These agencies should be given all encouragement. Further, I want to know the steps our Government has taken to form a corporation for P. T. I. what are the impediments in its way ? I am glad to know that Samachar Bharti is purely an Indian agency. I feel that Government of India should give all encouragement to this agency.

The Press Commission had also made recommendations in the same lines.

During the days of our struggle for independence our press had a mission. Now the press is run on commercial lines. The editors are not independent and impartial today. They are compelled to toe a certain line of thought. It is not a good trend.

Government can exert influence on Press through advertisements and quotas of newsprint. I want to know the percentage of advertisement given by Government to small newspapers.

The danger of chain newspapers should be warded off. It should be checked. Thirdly, the Registrar of Press had undertaken a study of flow of foreign money to newspapers. This matter should be clarified. How far such money has influenced the freedom of Press in our country ? The Press Council should take note of all these things.

I want that working journalists and other people connected with Press should be taken in large number in the Press Council. At least three persons should be taken from the Press Association of Delhi in that body.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Our newspapers have played a vital role in our struggle for freedom. It is a matter of regret that after the attainment of freedom the leading newspapers started to play in the hands of capitalists and monopolists. The working journalists are being ignored.

There was a strike in P. T. I. recently. The role of General Manager of P. T. I. during the strike period was not good at all. A corporation of all Press agencies should be formed, as was recommended by the Press Commission. The working journalists should be given the control of that corporation. Now the monopoly Press is against all progressive measures.

Recently the Life Insurance Corporation has given Rs. 25 lakhs to 'Hindustan Times' on loan. We are giving them loans, license, newsprint and everything, and they are exploiting the employees. This exploitation should be stopped. Therefore I suggest, that almost all representatives in this Press Council must be working journalists.

Take the case of 'Samachar Bharati' for example. They are forced to mortgage their machines. After that they are unable to take it back. Apart from this, they have taken loan from one of the RSS Publications. Now, they are in such a predicament that they are forced to collect money from all sources. This case should be considered while discussing this Bill.

A large number of communal organisations are running papers in this country. 'Organiser' has constructed a building worth 1 crore rupees. The prime aim of these papers is to spread communal feelings and there by flare up communal riots. In this Bill there should have been ample provision to put a curb on these communal news-papers. There are so many communal organisations in this country who have no apparent source of income and who are running papers. An inquiry should be instituted to find out the sources from which they are getting money. In this country there is a strange Phenomena that the Income Tax department will not spare a person who has only a share of Rs. 100. But they will not inquire into the amount of 'Gurudakshina', a paper, whose proprietors are collecting 8 crores rupees. There is another paper called 'Organiser'. The Government is not making an inquiry into the matters connected with the paper i. e. where from they are getting money etc. These organisations should not be allowed to spread communal feelings. Those who are working against the integrity of our nation, should be punished. But in this Bill there is no provision for such action.

As far as the freedom of press is concerned, the press in this country is not free. It is under the control of monopolists. The intellectuals working in the monopolist papers, are not allowed to speak frankly, freely and fearlessly. They are removed as and when the monopolists wish to do so. They have no powers. There should have been provision to safeguard their rights. Trusts should be formed for big papers. News agencies should come under a Corporation. Provision should be made in this Bill so as to empower the Government to take any action against an organisation spreading communal feelings. So far as the problem of preventing obscenity is concerned, these communal feelings are the worst of its kind. I want more and more power be vested in Government to put a curb on these unsocial elements.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Mr. Deputy Speaker, this Bill is introduced to make amendments in the Press Council Act. The Act was the result of the recommendations made by the Press Commission. There were two important points in the recommendation. One was that the freedom of press should be maintained and the other was that the standard of papers should be revised with this end in view the Press Council was set up. It is a matter of request that this purpose could not be achieved at any rate. The Press Commission in its report had drawn our attention towards yellow journalism.

The most important thing for which I congratulate the Minister is that in this Bill Kashmir is considered an Indian territory. In the former Bill it was considered a non-Indian territory. Formerly, when any news printed in the papers of Jammu, was sent to Press Council, they used to say that it was beyond their jurisdiction. Any way it is good that in this Bill such a mistake has not been repeated.

The second important thing is that in this Bill the Press Council is empowered to prevent the mounting influence of foreign money and to make necessary inquiries into allied matters.

The Minister has admitted in both Houses that the influence of foreign money and foreign papers is mounting up. The foreign embassies use undue opportunities to influence the ideologies of this country.

In this Bill there are two drawbacks. One is that it gives only equal representation to journalists in various Indian languages compared to English journalists. When the readers of English papers are not more than 2 percent of the total population, it is a grave mistake that they have been given equal representation. News Papers in Indian languages should be given more representation than English Papers. In the amendment also it is said that the representatives must be from various Indian languages.

As far as the press freedom is concerned, it is in jeopardy from three sides. One is the Government, the other is that industrialists and that third is foreign money and their influence. The Government poses the most grave danger to press freedom saying that the papers must have social accountability. The next one is the industrial tycoons for whose improvement the Government is responsible. The Government is giving them licences, permit, economic assistance and every other facility. The Government has given them everything. The Government is responsible for the rapid progress of the so-called 75 big industrial tycoons. The big four monopolists papers are owned by them. Really, these monopolists papers are grave danger to democracy. The interest of these papers are fulfilled by this Government. They give their quota, loan, advertisements and all that. In order to please the Government these papers are playing second fiddle to the tune of the Government. They are the torch-bearers, of this Government. This is a very serious threat to the democracy, freedom and thought of this country. So far as the other papers are concerned, they are not business motivated. Their activities should be judged from different angle. But these big papers are in every sense assisted by the Government and they have been made the mouth-piece of this Government just as they have made the A. I. R.

During the Bombay session of the Congress Party, the Prime Minister had threatened the major papers. So we can imagine how far press is free in this country. Therefore I say that they cannot maintain the freedom of press by simply saying that we are willing to keep it up. If they are actually willing to maintain the freedom of press they should act according to that.

The second source of threat to our papers is from foreign countries. Large amount of foreign money is invested in papers here. Huge buildings are erected. I urge the Government to institute a probe into those matters. The papers like 'Patriot', 'Link' etc. have constructed very huge buildings. From where they are getting money ? How much advertisements they are getting from foreign embassies and out of the total papers and other periodicals published in India, about 55 per cent are owned by foreign embasies. The Russian Embassy itself is publishing 46 papers and periodicals, which have a readership of more than six lakhs copies. The American Embassy is publishing 15 periodicals which have a circulation of more than 5 lakhs copies. These two big countries are polluting the intelligentsia of this country. They invite journalists from here to their countries and give every facility to them. The influence of foreign money is mounting here. Russian periodicals are issued freely in this country. We have trade connection with Russia which is on rupee-basis. They are misusing that money deriving out of it.

It makes this money available to the political parties. Political worker and to the newspapers in order to spread their ideologies in this country. Though the Press Council has been empowered to investigate into this matter but it may take a long time. It has been agreed by the

Government that the Foreign Embassies have been trying to influence the ideologies of our people, why then such activities are not checked and prevented from doing mischiefs which have become a danger to the freedom and integration of the country.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) I would like to ask from the Hon. Minister whether there has been any investigation regarding the "Patriot"; if so, that must be put before the House.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It has been investigated that the "Patriots" gets money from outside.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : The name and the number of newspapers in which the advertisements of Russian Embassy are published must be investigated.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : Mr. Deputy Speaker, while welcoming this Bill I want to congratulate one young Minister Shri Gujral for introducing this Bill in which fundamental basis for Press has been put before us for the first time. If the meaning of the freedom of the Press is this that the struggle between political parties and various political tendencies should continue in our ideologies, then this nominated body of the Press would be useless. If we take it in this sense that under the resolutions and oaths which we took in our Constitution for making the lives of crores of people happy and prosperous, then we shall have to think over the aim of our freedom. In what directions our modes of thinking are tending ? In view of this we have not to think with a reserved mind regarding the freedom of the Press but we have to think over the resolutions taken in the Constitution. It is true that monopoly is spreading on the Press. Before freedom in this country the Press worked very sincerely. We greet the eminent journalists of that age who led a way to national awakening and freedom movement. Now if we want that hundreds of thousands people in the country may be directed for adopting new ways, we shall have to avert the tendencies of our thinking on the guidelines shown in our Constitution. If the meaning of freedom taken in this sense that every journalist or person can speak whatever he likes to speak—whether his speech be supported by the Constitution or not, then, I think, he speaks against the crores of people of the country who are being led to progress by us.

To-day there is monopoly of the industrialists on the Press. Our Press is in the hands of such industrialists who have got vested interests in that. No other industry must be allowed to run with the industry of the Press as it is already done to-day in our country. But question is this that without upgrading the living standard and status of the editors—no free ideas can be expressed through the newspapers because the writers and intellectual thinkers are very much unhappy on account of their economic condition. They can not pour down their free ideas in their writings only because of their economic—control and monopoly. And at the same time the medium and several small Indian language journalists are in very bad home-conditions. Though the medium journalists have been given a chance for nomination in the Press-Council, I want to say one thing about them. The same level has been provided to the foreign language newspapers as much as it has been provided to the news papers of Indian language. In the nomination 7 working journalists out of 13 have been provided chance but there must be representation of all the working journalist in the country by those 7 journalists. Similarly very distinguished and impartial editors who do not tend towards the monopoly and economic-control, must be taken. Though the persons like the Chief-justice and the Speaker, Lok-Sabha would be there but at the time of nomination it is to be seen that impartiality is used. Big newspapers represent only their

vested interests while in comparison the medium and working journalists represent the ideas of public much more than the big newspapers. It is high time that there must be majority of medium and working journalists in the Press-Council. They must be assisted for this purpose.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : महोदय, हमारी प्रेस की जो मूल समस्या है उसे यह प्रेस परिषद् हल नहीं कर सकेगी। सरकार को इस बात की कल्पना क्यों नहीं करनी चाहिये केन्द्र जैसी शक्ति शाली सरकार भी गत वर्षों में इसे पूरा करने में असफल हो गई है। चाहे इसे कितना ही नया रूप दिया जाये परन्तु इस पर निहित स्वार्थों तथा एकाधिकारियों पर पूर्णतया नियन्त्रण कर लिया गया है। क्या श्री गुजराल इस बात से इन्कार कर सकते हैं। जिस देश में पत्रकारिता चन्द पूंजीपतियों के हाथों में हो, वहां स्वतन्त्र प्रेस की बात करना केवल मात्र भ्रम है। आज यदि किसी के पास 50 लाख रुपया अथवा एक करोड़ रुपया हो तो वह प्रेस का स्वामी है तथा वह अच्छे से अच्छे पत्रकारों को खरीद सकता है। हमारे देश की आज यही सामाजिक स्थिति है क्योंकि वे खरीदे जाते हैं। यदि किसी को अपनी जीविका कमानी होगी तो उसे इन प्रेस स्वामियों का मोहताज होना पड़ेगा तथा गुप्त रूप से उन्हें ऐसा करना भी पड़ रहा है और हमें आये दिन यही कहा जाता है कि देश में स्वतन्त्र प्रेस है।

ऐसे हमारे पास बहुत से अनुभव हैं परन्तु सबको यहां बताना नहीं चाहता हूं। **'स्टेट्स-मैन'** के सम्पादक जो कि एक प्रतिभा सम्पन्न पत्रकार हैं, अपने स्वामी को खुश नहीं कर सकने के कारण उन्हें अपना पद त्यागना पड़ा। यह शक्तिशाली समाचार-पत्र है तथा टाटा द्वारा इसे खरीद लिया गया है एवं यह सरकार के विरुद्ध लिखता है।

हमें उस समाचार पत्र को ही नहीं लेना है। देश में सबसे बड़ा दैनिक समाचार-पत्र चाहे अंग्रेजी में हो अथवा देशी भाषा में, सभी के सभी निहित स्वार्थों एवं एकाधिकार के शिकंजे में हैं। क्या सरकार प्रेस को एकाधिकारियों के शिकंजे से मुक्त कराने के लिये कुछ करेगी ? हमें केवल प्रेस परिषद् नियुक्त करके ही इस समस्या को हल किया हुआ नहीं लेना चाहिये।

मैंने जनसंघ के प्रतिनिधि द्वारा निहित स्वार्थों के प्रेस पर नियन्त्रण की आलोचना करते सुना वे एकाधिकार की बात साधारण तौर पर कर रहे थे पर उनका निशाना बेंचारा **'पेट्रियट'** था। मैं श्री कंवर लाल गुप्त को सूचित करना चाहूंगा कि यदि उन्हें प्रेस पर से एकाधिकार को समाप्त करना है तो उनको अपना ध्यान **'पेट्रियट'** जो एक मात्र निष्पक्ष तथा एकाधिकार एवं निहित स्वार्थों के शिकंजे से परे, समाचार पत्र है, उस पर ही नहीं लगा देना चाहिये। मैं जानता हूं कि **'ओर्गेनाइजर'** द्वारा करोड़ों रुपया एकत्रित किया जा रहा है तथा इसने एक विशाल-भवन बना लिया है। उसे यह समस्त धन कहां से प्राप्त हुआ ? उसके बारे में क्या कोई जांच नहीं होनी चाहिए ? इसलिये हमें ऐसे सस्ते आरोपों पर नहीं आ जाना चाहिये क्योंकि ऐसे आरोप तो **'ओर्गेनाइजर'** पर भी लगाये जा सकते हैं। यह बात सुन्दर नहीं है।

प्रेस-सम्बन्धी मुख्य समस्या एकाधिकार की ही है। प्रेस की स्वतन्त्रता यदि किसी बात से संभव है तो वह है—स्वस्थ तथा शक्तिशाली श्रमजीवी-पत्रकार आन्दोलन। इस स्तर पर मैं

प्रेस के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कहूंगा क्योंकि यह नारा भी गलत है। श्रमजीवी-पत्रकार आन्दोलन ही प्रेस स्वामियों के हृदयों में भय उत्पन्न कर सकता है।

परन्तु मुझे कहते हुये खेद है कि श्रमजीवी आन्दोलन भी जितना भूत में शक्तिशाली था उतना वर्तमान में नहीं है। मैं एक संगठित शक्तिशाली श्रमजीवी पत्रकार आन्दोलन देखना चाहूंगा जो कि प्रेस परिषद् की देख-भाल कर सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह विधेयक पुराने अधिनियम में कुछ सुधार करने वाला है। यह जो नई प्रेस परिषद् स्थापित की जाती है उसमें सब प्रकार के पत्रों-छोटे तथा मझले पत्रकारों के प्रतिनिधित्व के लिये स्थान है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पी० टी० आई० को निगम में परिवर्तित करने के लिये कहे गये अपने शब्दों पर कायम रहेंगे।

20 मार्च के **'नेशनल हेरल्ड'** के सम्पादकीय 'समाचार-भारती' की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भारत सरकार ने इसे 1.5 लाख रुपयों का ऋण दिया है तथा कई राज्य सरकारों ने इसमें भागीदारी की है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा, जैसा हम सुन रहे हैं, जीवन बीमा निगम ने **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** को 50 करोड़ रुपयों का ऋण दिया है। क्या यह सत्य है कि देश में इस प्रकार की बात हो रही है? केवल बड़े पत्रों को ही समय 2 पर ऋण के रूप में सहायता क्यों दी जाती है? श्रमजीवी पत्रकारों को भी निगम ट्रस्ट अथवा कम्पनी में शामिल होने देना चाहिये। ऐसा करके यह अनुभव ही कर लिया जाये कि स्वतन्त्र प्रेस है कि नहीं है।

श्री क० अनिरुद्धन (चिरयन्कील) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक तथा मूल प्रेस परिषद् अधिनियम पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा उठाने तथा स्वतन्त्र प्रेस कायम रखने के लिये हैं। साथ ही एकाधिकार को समाप्त करने तथा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य है।

पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में कलकत्ता से प्रकाशित **'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड'** जो कि माननीय सदस्यों द्वारा भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च कोटि का माना जाता है, उसकी मेरे पास दो प्रतियां है। 27 मार्च के **'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड'** में "The Victims of 'Black Tuesday' her story is in the pity" शीर्षक के अन्तर्गत यह समाचार था कि एक विशेष संवाददाता शुक्ला मुखर्जी नामक 14 वर्षीया लड़की से मिले जिनको उसने बताया कि 9 दिनों के उपद्रव में जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये तथा कई घायल हो गये—उसने बहुत तकलीफ उठाई.....

पत्रकारिता पद्धति में सबसे बड़ा पत्र—वह इन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रही। इसके बाद ही कलकत्ता के लोगों ने सम्पादकों और समाचार पत्र के प्रबन्धकों से इस वक्तव्य को बदलने के लिये कहा तथा समाचार-पत्र में दूसरे ही दिन अर्थात् 28 मार्च को यह बदला हुआ वक्तव्य प्रकाशित कर दिया गया कि उस लड़की को इस सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत अनुभव

नहीं था । जिन समाचार-पत्रों को राष्ट्रीय समाचार पत्र कहा जाता है तथा जिनका स्तर इतना उच्च बताया जाता है, उनकी यह स्थिति है कि वे इस प्रकार की कपोल कल्पित कहानियां प्रकाशित करते हैं । 'स्टेट्स मैन' में भी इसी प्रकार की कपोल कल्पित कहानियां प्रकाशित हुई थीं ।

सरकार ने यह घोषणा की है कि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के उपरांत वह सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण करने जा रही है । हमें ज्ञात है कि एकाधिकार प्राप्त समाचार-पत्रों पर बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है तथा ये समाचार की नीति के विरुद्ध अनेक प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करते हैं । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय विद्यमान है किन्तु सरकारी क्षेत्र के अधिकतम उपक्रम अपने विज्ञापन इस निदेशालय के माध्यम से न देकर अन्य एजेंन्सियों के माध्यम से देते हैं । सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये ।

प्रेस कांउसिल के लिये सदस्यों को नांमाकन करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनमें बड़े समाचार-पत्रों के व्यक्तियों को मनोनीत नहीं किया जाय तथा छोटे और मध्य स्तर के समाचार-पत्रों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जायें ।

Shri Bishwanath Roy (Deoria): Sir, first of all I want to know whether any action has been taken on the points already suggested to the Press Commission.

The objectives of the present Bill and the previous Act have been stated to raise the standard of journalism and to protect the interest of the journalists. Much stress has been laid on the need of freedom to the journalists. But I am constrained to say that in the name of free thinking the news agencies have become the views agencies of Indian reaction and consequently the interests of the journalists suffer. In this context I submit certain restrictions must be put on this freedom to curb the injustice being done to the read free-thinkers of the country.

It has been mentioned that the journalists belonging to the 'Samachar Bharti' have no grouse against anyone. But I want to point out that services of a number of journalists have been terminated from the service or transferred to other places. The employees working in the office of Samachar Bharti, Lucknow, have not been paid their salaries according to the recommendation of wage board for the last three months. In the reply to a specific question it was stated in the House that out of 19248 shares, 19000 shares belonged to State Governments. The Central Government advanced a loan of Rs. 1.50 lakhs and the Government of Uttar Pradesh have agreed to sanction Rs. 1.25 lakh to this news agency. When the Government are giving so much financial assistance to Samachar Bharti, I do not understand, why Government are not entitled to see that the public money is not misused in the name of freedom of journalism. It has been stated earlier the Government have full right to intervene in the working of newspapers. The central assistance was subject to the proper arrangements of the teleprinters in Samachar Bharti but I am sorry to say that this agreement has been violated by Samachar Bharti.

As I have stated just now certain journalists have been forced to leave Samachar Bharti. My apprehension is that their services were terminated only because they are free-thinkers and their views are not agreeable to that of the directors. I suggest that in such matters the Government must intervene with a view to protect the interest of the employees working in the news agencies. To raise the standard of the journalism the representatives of well established Press Association should be included in this Advisory Council. In this matter I agree with Shri Dwivedi.

I also want to suggest that the Government should look into the matter to the effect whether the news item, pertaining to the foreign countries being broadcast from the All India Radio are received by the Samachar Bharti beforehand. May I know whether Samachar Bharti has got its branch offices in the different countries, and if not, what are the sources from which the foreign news are collected by Samachar Bharti? What to talk of foreign countries I would like to know the names of the capitals of various states of our country wherein the officers of Samachar Bharti have already been established. So far as my knowledge is concerned, there is an office in Patna but it is not functioning properly. Samachar Bharti has also established its branch office in Lucknow the employees of which have not been paid their salaries for more than three months. In this context I want to know whether under the present Bill, the Press Council (Amendment) Bill, the Government would be entitled to intervene in the workings of Samachar Bharti or not.

I do not intend to oppose the idea of giving financial assistance to such Hindi agencies but I want to reiterate that the news agencies should be provided financial assistance commensurate with their capacity of making repayment of the central loans. If it is not done there is every likelihood of going certain agencies into liquidation and in that case the public money could not be realised. Actually we also want that the news agencies should be provided all sorts of facilities, financial and other facilites, so that more and more opportunities of progress should be provided to the journalists and the standard of journalism could be raised in the country.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): Sir, the objectives of this Bill are undoubtedly commendable but, I am sure, these objectives are not going to be achieved by this Bill.

Sir, the steps which are being taken by the Government to improve upon the conditions of the Indian Press are not sufficient. This is not a comprehensive cure but it is like applying palliatives which will not do any good in this present state of affairs the Government, have done nothing so far to bring a scientific and redical change to this institute. Indian Press is not a free Press at all. No doubt the Newspapers are free from the hands of the Government but they are not free from the hands of the big business houses, from the hand of the capitalists.

Regarding the present position of the newspapers I would like to state that they are the victims of the monopoly. They are based on the profit-making concept and are run by the private entrepreneurs. In this context I want to suggest that Press should be planned like our economy. I am in favour of the partial nationalisation of the newspapers because if entire news industry is nationalised it would harm the democratic set-up of the country and the opposition parties would be deprived of their right to criticise the Government whenever they would be at a fault. My suggestion, in this respect, is that the party-based Press should be encouraged and the newspapers of the recognised political parties should be encouraged and provided with annual subsidies. At the same time the newspapers which enjoy the circulation of over 10 thousands of copies should be nationalised to remove the monopolistic approach of these newspapers. I have also introduced a Bill in this respect and also written a book on this subject.

Several points have been raised in connection with the workings of Samachar Bharti. Substantial amount has been invested by the State Government's in Samachar Bharti and it is being managed by the persons of all India status yet its condition has not been retrieved so far. It is quite strange. Therefore, certain radical changes have to be undertaken by the Government to improve the standard of the journalism. I have moved certain amendment with a view to make the legislation more effective.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): Sir, I rise to support this Bill. The Government have made several attempts to maintain the freedom of the Press. They have established the Press Council. Now they have come forward with this amendment bill with a view to curb yellow-journalism and communalism in this country. It is alleged that certain newspapers are inciting communal feelings and endangering the peace and harmony in the country. Government should take a serious view of the situation.

My two friends have made serious charges against the 'Organiser' and some another newspapers. It would be the duty of the Press Council which has been provided with enhanced powers to look into such allegations made against those newspapers otherwise it would create suspicion on the minds of other persons which is not a proper thing. These charges could be investigated through that assistance of that Press Council. Press is the basic medium of mobilizing public opinion and therefore there is a great need of freeing this from the clutches of the monopoly.

Besides, I would like to suggest that the Central Government should formulate a policy in consultation with the Press Council and the State Governments in respect to the Government advertisements. At present there is set policy regarding the distribution of the Government advertisements to various news papers. It is controlled by certain officials arbitrarily and it is as bad as the existence of monopoly in the Press. Therefore my submission is that the Government should seriously consider over this matter and see that the small and medium newspapers are encouraged by way of giving them Government advertisements.

Sir, I want to invite your kind attention towards the section 4 of this Bill wherein the provisions of nomination of 13 members have been made. My submission, in this regard is that so far as the nomination of 7 persons among the editors of the various newspapers is concerned it is all right but the nature of Journalistic approach of the rest of the working journalists who are proposed to be nominated on the Press Council should be given more clarification. There are certain working journalists who indulge themselves in Trade Union Movement. There are certain recognised Press institute such as the Press Association of India which believe in the ideal of the journalism. It has made substantial contribution to the Press and its previous record has been very commendable. They have always with-held high standards of journalism, I therefore, request that at least three representatives should be nominated from this institution.

I am sorry to mention that much before I wrote a letter to the Hon. Minister regarding the mismanagement in the news agencies like Samachar Bharti but no effective steps have been taken so far. It is the duty of the Government to see that news agencies which run with the Government assistance function properly and the journalists working in these agencies are not exploited. There is a great need to improve the standard of the journalism in the country and I hope the Government will seriously think over the problem of the Press.

****श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** (विशाखापतनम्) : उपाध्यक्ष महोदय ! मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि इसमें बहुत सी त्रुटियां रह गई हैं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की भाषा अत्यन्त दोषपूर्ण है। विधेयक की भाषा में बहुत सी व्याकरण की त्रुटियां हैं तथा इसकी अंग्रेजी अत्यन्त अशुद्ध है।

** तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि छोटे और मध्य स्तर के समाचार पत्रों को प्रेस परिषद् में उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं। परिषद् में जब 26 प्रतिनिधि रखने हैं तो समाचार पत्रों के कम से कम 13 प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिये। सरकार को इन समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये।

महोदय ! एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के बड़े समाचार पत्रों पर बड़े उद्योगपतियों का नियंत्रण है। भारत पहले बड़े समाचार पत्र, जैसे प्रगोत, महाराष्ट्र पत्रिका, स्वराज आदि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा चलाये जाते थे तथा उनका उद्देश्य महान था। वे या तो भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे या देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान देते थे। किन्तु आज की स्थिति नितांत भिन्न है। आज के समाचारपत्र बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाये जाते हैं तथा वे इसके माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार बड़े समाचार पत्रों की इस मनोवृत्ति पर नियंत्रण करे।

एक माननीय सदस्य ने जीवन बीमा निगम द्वारा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को दिये गये ऋण का उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसे बड़े समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता न दें। बड़े खेद की बात है कि आज छोटे और मध्य स्तर के समाचारपत्रों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती और इन बड़े समाचार-पत्रों को हर प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि यही प्रक्रिया जारी रखी गई तो यह आवश्यक है कि समाचारपत्रों के क्षेत्र में एकाधिकार पनपता रहेगा तथा छोटे समाचारपत्र समाप्त हो जायेंगे।

महोदय ! छोटे समाचारपत्र वैसे ही साधनविहीन हैं। इसके उपरांत उनको अखबारी कागज का कोटा भी कम दिया जाता है। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी विज्ञापन भी नहीं दिये जाते। यदि इन छोटे समाचारपत्रों के प्रति यही उपेक्षा भाव रखा गया तो वे समाप्त ही हो जायेंगे।

प्रत्येक राज्य में छोटे और मध्यम स्तर के अनेक ऐसे दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्र हैं जो सही समाचार प्रकाशित करते हैं तथा निष्पक्ष रूप से आलोचना करते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रेस परिषद् ऐसे समाचारपत्रों के साथ न्याय करे तथा उन्हें उचित मात्रा में कागज का कोटा दिलाये और सरकारी विज्ञापन भी दिलाये।

विधेयक की एक धारा में यह व्यवस्था की गई है कि मनोनीत समिति सदस्यों को मनोनीत करने के लिये एक तालिका बनायेगी। किन्तु इस धारा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया कि सदस्यों का नामांकन इसी तालिका के आधार पर किया जायेगा।

महोदय ! भारतीय समाचारपत्रों की प्रगति के लिये इस विधेयक को एक उपाय के रूप में लाया गया है अतः यह कार्य प्रशंसनीय है किन्तु यदि इसे इसी रूप में कार्यान्वित किया गया कि केवल बड़े समाचारपत्रों को सुविधाएं मिलें तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी तथा इस क्षेत्र में एकाधिकार का बोलबाला हो जायेगा।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में प्रेस कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि प्रेस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी इतना ही आवश्यक है जितना बैंक राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंक कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रतिनिधित्व।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : महोदय ! सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लाये जाने पर बधाई देता हूं। वर्ष 1954 में प्रेस परिषद् स्थापित करने का विचार बनाया गया था तथा 1966 में इसकी स्थापना हुई। प्रेस परिषद् की स्थापना कुछ मुख्य उद्देश्यों को लेकर की गई थी अत: यह नहीं माना जा सकता कि प्रेस से सम्बन्धित सभी बुराइयां इस परिषद् द्वारा समाप्त हो जायेंगी।

समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया जाता रहा है। वास्तव में हम किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या यह स्वतंत्रता सरकार मूलक है अथवा एकाधिकार मूलक है। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि उन्हें सही मत प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। देश की तथा प्रजातंत्र प्रणाली की यही मांग है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि इस विचार को सही ढंग से कार्य रूप दिया जाय। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेस परिषद् इस कारण सफलतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पायी कि उसे समाचारपत्रों की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। इसी कारण प्रेस सलाहकार समिति के विविध कठिनाइयों का पता लगाना पड़ा तथा नामांकन प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने पड़े। मेरा सुझाव है कि सभी समाचारपत्रों तथा सम्बद्ध व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करना चाहिये तथा तभी प्रेस परिषद् भी अपना कार्य सुचारुरूप से चला सकती है। पहली प्रेस परिषद् को अपना कार्य करने में इस कारण भी कठिनाई हुई कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस बात पर आपत्ति प्रकट की कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा अधिनियम की उपयुक्त व्याख्या भी नहीं की गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यह संशोधन किया गया है कि नामांकन समिति को किसी भी त्रुटि को सुधारने का अधिकार होगा। इस व्यवस्था से यह पूरी आशा है कि सभी के हितों की रक्षा हो सकेगी। सरकार ने यह उपयुक्त कदम उठाया है कि किसी भी संघ या संस्था के लिये उसमें प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित नहीं की है क्योंकि समय समय पर इन संस्थाओं के स्वरूप में अन्तर आ सकता है। अत: यह कार्य प्रेस परिषद् पर छोड़ दिया गया है कि वह समय समय पर विविध संघों और संस्थाओं के स्वरूप को देखते हुए उनके प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करे।

समाचार एजेंसी की परिभाषा भी दोषपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें तथा इस शब्दावली की उचित परिभाषा दें।

अखबारी कागज के वितरण के सम्बन्ध में सरकार की भारी आलोचना की गई है। यह अधिक उपयुक्त होगा कि सरकार प्रेस परिषद् से कागज के कोटे का पुनरीक्षण करने के लिये कहे तथा सरकार कोटा निर्धारित करते समय प्रेस परिषद् के सुझावों को ध्यान में रखे। इससे सरकार पक्षपात करने जैसे आरोप से मुक्त हो सकती है।

समाचार एजसियों के लिये सरकार कोई निगम या न्यास स्थापित करने के बारे में

बहुत पहले से आश्वासन देती आ रही है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । समाचार भारती के विषय में सरकार की बहुत आलोचना की गई है फिर भी सरकार ऐसा कोई निगम स्थापित करने के लिये दृढ़ संकल्प नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, taking advantage of the proposed measure, some people have tried to give vent to their feelings regarding Samachar Bharti. I would confine myself to apprising the House of such misgivings as have been created in regard to the working of Samachar Bharti.

It has been stated that the employees of Samachar Bharti are being exploited, that certain employees have been removed from service injustifiably, that teleprinters have been mortgaged and lastly that the Minister of Industries, in a statement made by him, had referred to irregularities in the working of Vishwa Bharati.

So far as the exploitation of the employees of the Samachar Bharti is concerned, I would like to say that the condition of service of these employees are far better now as compared with those prevalent three years ago. They have been paid their due increments, the rules of their service have been fixed and they are entitled to contribute towards their Provident Funds. I would like to submit that all these provisions and facilities were not available to the employees of the Samachar Bharti three years ago. Not only that, the pay scales of the working Journalists have been fixed in compliance with the rules laid down by the Wage Board.

Regarding the non-payment of the salaries to the employees of the office of Samachar Bharti in Lucknow, I would like to challenge the Hon. Member if he could prove that the employees could not get their salaries even for the last month.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री प्रकाश वीर शास्त्री निदेशक मण्डल के सदस्य हैं तथा इसी कारण वह समाचार भारती की वकालत कर रहे हैं । महोदय ! समाचार भारती का एक निदेशक यदि समाचार भारती का वकालत करता है तो इससे समाचार भारती तथा उसके कर्मचारियों के प्रति अन्याय होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य प्रत्यक्षरूप से समाचार भारती से सम्बद्ध हैं तो कृपया वह ऐसी बातों का उल्लेख न करें ।

Shri Prakash Vir Shastri : Emphasis must be laid on the fact that this news agency was established by Shri Lal Bahadur Shastri with the objective that it should function without having any profit-making motive, based on the section 25 of the Company Law Board. I feel encouraged to mention that this agency has been working on the lines laid down in the said section. Regarding the termination of certain employees I want to state that what has been done the purpose of that is to maintain the equilibrium between the earnings and the expenditure has been reduced to Rs. 8,000 only, while three years ago the income of this agency was Rs. 10,000 and the total expenditure on it was as much as Rs. 52,000. This agency has developed gradually and it is quite strange that the Hon. Members should make great criticism of the said agency.

So far as the question of mortgaging certain teleprinters of the said agency and thus defying the spirit of the agreement reached with the Central Government is concerned, I would

like to submit that since the proposed financial assistance was not received by the News agency it had to mortgage some of its teleprinters to Dena Bank with a view to function regularly. I do not find any injustice or irregularity in doing such needful arrangements. Actually, Sir, certain people are interested in condemning this agency and therefore well planned efforts are being made to destroy this agency. Sir, it shows nothing but a morbid attitude of such person as are interested in hunting immoderate criticism on this agency. As has been requested by me previously, I want to submit that the Hon. Minister should hold a meeting with the Board of Directors of this agency and let them know if there was any lapse on their part.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): महोदय! मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने प्रेस परिषद् विधेयक के अतिरिक्त प्रेस संस्थान के विषय में भी अधिक रुचि दिखाई है।

मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था कि प्रेस की स्वतन्त्रता अत्यंत अनिवार्य है और यह तभी हो सकता है जब जनता के प्रतिनिधि इस मामले में पर्याप्त सतर्क रहें। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि जनता के प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में केवल सामान्य जानकारी ही उपलब्ध नहीं की है अपितु उन्होंने समस्या का ब्यौरेवार अध्ययन किया है।

प्रेस के क्षेत्र में बढ़ते हुए एकाधिकार पर विश्व भर में चिन्ता व्यक्त की गई है। इंग्लैंड के एक समाचार पत्र में एकाधिकार प्राप्त प्रेस की रखैल-प्रेस के नाम से पुकारा गया है। इस संदर्भ में भी इस मनोवृत्ति को समझना आवश्यक है।

प्रेस आयोग का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात से इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार विचार विमर्श किया गया है तथा यह आवश्यक समझा गया है कि अब इस दिशा में कुछ करना है। मुझसे इस सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं कि सरकार अब क्या कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में कोई कदम स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं उठाया जाता अपितु उसके लिये जनमत संग्रह करना पड़ता है, जनता की राय लेनी होती है। प्रेस से सम्बन्धित प्रश्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है तथा इस पर विचार-विमर्श करने से यह ज्ञात हो रहा है कि जनता यह भली-भांति समझने लगी है कि प्रेस को बड़े व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य को कई ढंग से पूरा किया जा सकता है।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, मैं इस विचार के कतई विरुद्ध हूं क्योंकि प्रेस की स्वतन्त्रता का आशय है सरकार तथा पूंजीपतियों दोनों के ही प्रभाव से इसे मुक्त रखना। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कोई ऐसा संस्थान स्थापित किया जाय जो प्रेस को इन दोनों ही प्रभावों से मुक्त रखे।

प्रेस परिषद् की स्थापना तथा उसका गठन भी एक ऐसा उपाय है जिससे प्रेस को दोनों ही प्रभावों से अलग रखा जा सकता है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि कर्मचारियों और मालिकों के पारस्परिक विरोध को समाप्त करने के लिये एक न्यास की स्थापना की जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह अनिवार्य है कि उस न्यास में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो इसके लिये भी आवश्यक है कि सरकार ऐसे न्यासों की नियुक्ति के

सम्बन्ध में कुछ न करे। मैं इस स्थिति में किसी सरकारी नीति की घोषणा नहीं कर रहा हूं अपितु इस विषय पर विचार-विमर्श की सम्भावनाओं की ओर संकेत कर रहा हूं। जनता के प्रतिनिधियों की इस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी, उस पर ध्यान दिया जायेगा।

जब मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि प्रेस की स्वतन्त्रता सामाजिक स्वतन्त्रता है तो श्री पीलु मोडी ने इस पर आपत्ति की थी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में कोई ऐसी स्वतन्त्रता नहीं है जिसे समाज पर का न कहा जाय। यह कोई लाइसेंस जैसी वस्तु तो नहीं है जिसे सरकार दे दे। अतः प्रेस की स्वतन्त्रता भी समाज पर है।

संविधान में अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है तथा यही स्वतन्त्रता प्रेस पर भी लागू होती है। किन्तु क्या इस स्वतन्त्रता के अन्तर्गत प्रेस को साम्प्रदायिकता जैसी समस्या पर कुछ भी कहने का अधिकार दिया जा सकता है? प्रेस की स्वन्त्रता के सम्बन्ध में संसद् ने कई बार कानून बनाये हैं। वास्तव में जो व्यक्ति प्रेस में कार्य कर रहे हैं, समाचार पत्रों का नियंत्रण करते हैं अथवा उसके लिये लिखते हैं वे अपने कार्य के लिये समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। वे सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर, राष्ट्र के प्रति उत्तर-दायी हैं, संसद और समाज के प्रति उत्तरदायी हैं।

महोदय! इस संदर्भ में लोगों ने समाज के प्रति उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण की त्रुटि-पूर्ण ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का विचार है कि सरकार प्रेस के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहती है। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह चुनौती देता हूं कि वे ऐसी कोई भी घटना बतायें जिसमें सरकार ने किसी भी समाचारपत्र के कार्य में हस्तक्षेप किया हो। श्री कंवर लाल गुप्त जांच करने की मांग कर रहे हैं किन्तु वह एक भी ऐसा उदाहरण देने में असमर्थ हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसद में जांच कार्य को इतनी छोटी बात नहीं समझा जाता। उन्हें अपने पद के उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना चाहिये।

महोदय! कुछ माननीय सदस्यों ने समाचार एजेंसियों की कार्य प्रणाली का भी उल्लेख किया है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि सरकार ने प्रेस आयोग की सिफारिशों को सद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि समाचार एजेंसियों की स्थापना निगम के रूप में होनी चाहिये। निगम शब्द की व्याख्या भी कुछ लोगों ने दोष-पूर्ण ढंग से की है। यह भी कहा गया है कि सम्भवतः सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में निगम स्थापित करना चाहती है। वास्तव में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। वास्तव में सरकार का विचार यह है कि एक न्यास बनाया जाये जिसमें जनता के प्रसिद्ध प्रतिनिधि हों तथा श्रमजीवी पत्रकार हों तथा ऐसे व्यक्ति भी रखे जायें जिनकी प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति भारी रुचि हो। सरकार इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। हमारा विचार है कि समाचार एजेंसियां इन्हीं न्यासों के नियंत्रण में रहकर कार्य करें। मेरे विचार से समाचारपत्रों के मालिक भी इस बात का अनुभव करेंगे कि आज जनता की मांग क्या है।

जहां तक समाचार भारती का प्रश्न है, इसे अधिकतर वित्तीय सहायता राज्य सरकार से प्राप्त होती है। इसके अधिकतर शेयर राज्य सरकार ने खरीदे हैं।

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि जनरल बाडी की पिछली बैठक में समाचार भारती के शेयरधारियों ने एक सार्वजनिक न्यास स्थापित करने का निश्चय किया है। उन्होंने बदलती आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है, अन्य लोग भी इस बात का अनुसरण करेंगे।

विदेशी धन के आगमन तथा विदेशी प्रभाव के सम्बन्ध में भी चिंता व्यक्त की गई है। यह चिंता न्याय संगत भी है। मैंने पिछले वाद-विवाद में यह निवेदन किया था कि सरकार ने इस मामले की जांच करना आरम्भ कर दिया है तथा प्रेस परिषद् विधेयक में नहीं वरन् हम प्रेस परिषद् को इस समस्या की रोक-थाम के लिये अधिकार प्रदान कर रहे हैं।

इस बात की जांच कराई गई है कि देश में विभिन्न दूतावासों द्वारा अखबारी कागज का कितना आयात किया गया तथा कितने कागज का उन्होंने प्रयोग किया तथा कितने कागज को उन्होंने बेचा। इस बात की भी जांच की गई कि विभिन्न देशों के दूतावासों द्वारा किन मुद्रणालयों का प्रयोग किया गया तथा उनको कितनी धनराशि दी गई। देशी तथा विदेशी समाचार अभिकरणों के कार्य संचालन की भी जांच की गई। इस बात की भी जांच की गई कि उनको विदेशों से सहायता मिलती है अथवा नहीं। इस बात की भी जांच की गई कि पत्रकारों द्वारा विदेशों अथवा संगठनों के खर्चे पर कितनी बार विदेशों का दौरा किया गया। यह भी देखा गया कि किन्हीं समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को विदेशों से सहायता मिलती है अथवा नहीं। इस बात की भी जांच की गई कि क्या भारतीय पत्रकारों को समाचार से अथवा अपने लेखों से भारी राशि की कमाई होती है अथवा नहीं। क्या उन लोगों की कोई सूची रखी गई है जिनको बाहर से पत्रिकाओं की प्रतियां आती हैं। इस बात की भी जांच की गई कि क्या भारत में छपने वाले किसी समाचार पत्र को किसी विदेशी द्वारा बड़ी संख्या में तो नहीं खरीदा गया। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता की भी जांच की गई। सभा इस बात से सहमत होगी कि हमने बड़े पैमाने पर जांच की है। पिछले वर्ष बजट पर बोलते समय मैंने विदेशी मिशनों द्वारा भारत में प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की सूची सभा पटल पर रखी थी। इनके बारे में हमारी जनता को अवश्य जानकारी होनी चाहिये। पिछले दो वर्षों से समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक नया चैप्टर लगा दिया है जिसमें इस बारे में सारा ब्यौरा दिया जाता है।

जहां तक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का प्रश्न है, हमने छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को अधिक समर्थन देने की नीति अपनाई है। 1966-67 तथा 1968-69 के आंकड़ों से पता चलता है कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन दिये गये हैं।

कुछ सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि सरकार समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिये विज्ञापनों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपया व्यय किया जाता है और यह व्यय अनेक पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने पर किया जाता है। इसकी तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र

का बजट 30 करोड़ रुपये है। हमारा अनुमान है कि इसका 80 प्रतिशत भाग दस अथवा बारह बड़े समाचारपत्रों को ही मिलता है।

यह कहा गया है कि यदि श्रमजीवी पत्रकार सहकारी समिति स्थापित कर कोई समाचार पत्र निकाले तो क्या सरकार उनको सहायता देगी। इस अवस्था में मैं केवल यह कह सकता हूं कि सरकार सहानुभूति वाला रवैया अपनायेगी। समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने की बात भी कही गई है। मुझे आशा है कि सभा इस सम्बन्ध में हमारे प्रयासों का स्वागत करेगी। यह मामला शीघ्र ही सभा के समक्ष आयेगा। यह एक स्वतंत्र निगम होगा और यह छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को सहायता देने के लिये ही स्थापित किया जायेगा।

अखबारी कागज के मामले में देश जितनी जल्दी आत्म-निर्भर हो जाय, उतना ही अच्छा है। इसमें विभिन्न समाचारपत्रों को कागज सप्लाई करने के लिये हम इस कागज का आयात कर रहे हैं। इसकी सप्लाई भी इसी उद्देश्य से की जाती है कि छोटे समाचारपत्रों की सहायता की जा सके। छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को अखबारी कागज सप्लाई करने में हम अधिक उदारता से काम लेते हैं। परन्तु आमतौर पर सभी समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। आमतौर पर सिद्धान्त यह है कि विज्ञापनों का 40 प्रतिशत तथा समाचारों को 60 प्रतिशत स्थान दिया जाय। परन्तु आजकल विज्ञापनों को 70 प्रतिशत तथा समाचारों को 30 प्रतिशत स्थान दिया जा रहा है।

यह कहा गया है कि अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित किया जाये। मैं इस बात से सहमत हूं और आशा है कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित हो जायेगा। केरल सहित कुछ अन्य स्थानों पर कागज बनाने के तीन अथवा चार कारखाने स्थापित करने का विचार है। मैं चाहता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र वाले ऐसे कारखाने स्थापित करें परन्तु वे आगे नहीं आ रहे हैं।

श्री देवगुण ने जो आरोप लगाया था, मैं उसका पूर्णयता खण्डन करता हूं। प्रधान मंत्री, मंत्रीगण तथा संसद सदस्य संवाददाताओं से जब चाहे मिलते रहते हैं। पत्रकारों तथा मंत्रियों आदि के बीच सम्पर्क होना चाहिये। प्रधान मंत्री नीतियों के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने हेतु प्रेस वालों से मिलती हैं। मेरे विचार में यह गलत बात नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी इस बात को सिद्ध करे कि उन्होंने किसी को धमकी दी है।

जहां तक विज्ञापनों की दरों का प्रश्न है, सभी समाचारपत्रों को एक सी दरें नहीं दी जा सकतीं। विज्ञापनों से सरकार को अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिये। इस बात को ध्यान में रखा जाता है।

हमने गत वर्ष से किसी समाचारपत्र के लिये अनुमति नहीं दी है। यदि एकाधिकार को सीमित रखना है तो ऐसा करना आवश्यक है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई

है कि किस संगठन को अथवा किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जायगा। मैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहा हूं ।

इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं सभा को धन्यवाद करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। मेरा निवेदन है **'एण्ड न्यूज ए जेन्सीज' के स्थान पर** 'ऐण्ड न्यूज ऐजेन्सीज एण्ड फीचर आर्टिकिल ऐजेन्सीज' रख दिया जाये। इसी प्रकार नेपा-न्यूज एण्ड फीचर आर्टिकिल ऐजेन्सीज को भी इसमें शामिल कर लिया जाये।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इसकी परिभाषा देना आवश्यक नहीं समझता। जिनको नामांकित किया जा रहा है, वह अच्छी प्रकार समझते हैं कि न्यूज ऐजेन्सी में फीचर ऐजेन्सीज भी शामिल हैं। इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 3 and 4 were added to the Bill

खण्ड 5

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र: मैं संशोधन संख्या 14 और 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 15, 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैंने इस बारे में अध्यक्ष महोदय को लिखा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया ।

—

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : In the committee which is going to be nominated chairman of the Planning Commission may also be included.

In my second amendment I have suggested that economic experts may also be included in it. This is most essential in the modern world.

In my third amendment I have suggested that weekly, monthly publication may also be included in the definition of newspapers.

In my fourth amendment I have suggested that definition in regard to circulation of newspaper on the basis of which they are categorised as big-medium and small newspapers may also be changed. A newspaper having circulation of ten thousand copies may be put in category of big newspapers.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : खण्ड 5 में 'भारतीय भाषाओं' (इण्डियन लैंगवेजेज़) का प्रयोग किया गया है । क्या इसका अर्थ आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं से है । तब अंग्रेजी को भी भारतीय भाषा समझा जाना चाहिए क्योंकि एक राज्य ने इसको सरकारी भाषा बना रखा है । पहले भारतीय भाषाओं अर्थात अंग्रेजी के अतिरिक्त भाषाओं को संरक्षण की आवश्यकता थी और यह कहा गया था कि इनके प्रतिनिधियों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए । अब यह व्यवस्था की गई है कि छोटे, मध्यम तथा बड़े समाचारपत्रों से एक-एक प्रतिनिधि लिया जायेगा । मेरा निवेदन है कि भाषा का अन्तर किये बिना प्रत्येक समाचारपत्र से दो-दो प्रतिनिधि लिए जायें ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रत्येक ग्रुप में एक भारतीय भाषा के समाचार-पत्र का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये । प्रेस परिषद् में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों के छः प्रतिनिधि हैं । भारतीय भाषाओं के विकास के लिये छः भाषाओं को परिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये । मुझे आशा है मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे । (अन्तर्बाधाएं)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : There should be increase in the representation of the language papers. Vested interests should be given less representation and Government should least interfere in this matter. Six persons should be appointed as journalists and editors in Indian languages instead of three persons as at present. Owners of big newpapers have no connection with freedom of press. Therefore, they should have no representation on it.

I am against inclusion of Members of Parliament in it. The politics will come into it in case they will have representation. Thus it may be harmful for the Press Council and it will be difficult for it to take any independent decision.

Readers should have representation on it. They may be scientists or other members of the society. One lady representative should also be included in it.

Presentation should be given according to the circulation of the papers. Language papers have three times more circulation than the English dailies. They should have been given representation accordingly. Standard of the Press should be raised. Language Papers should be given preference in the interest of the country.

Journalists should have more representatives on the Press Association of India. I do not agree with this view that representation of the editors should be more as they have more responsibilities. Government should consider all these aspects while taking into consideration the interest of the country.

श्री लोबो प्रभु : संसद् सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में समस्त विपक्षी दल सहमत है । विधेयक में यह व्यवस्था है कि लोक सभा और राज्य सभा के प्रतिनिधियों का चयन क्रमशः अध्यक्ष और सभापति द्वारा किया जायेगा । यह सब संसदीय समितियों की परम्परा के विरुद्ध है । मंत्री महोदय भी अध्यक्ष को ये अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं । समितियों के लिये सदस्यों को चुनने का सभा का लोकतंत्रात्मक अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुण्दू के संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिये 24 घंटे पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है ।

श्री स० कुन्दू : इस बारे में कम से कम सदस्यों को सूचित करना आवश्यक है ।

श्री इ० कु० गुजराल : विधेयक का प्रारूप संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था । समिति में दोनों सदनों के सदस्य थे ।

योजना आयोग के अध्यक्ष को सलाहकार समिति का सदस्य बनाने का सुझाव दिया गया है । इस सम्बन्ध में यह बात दिमाग में रखी जानी चाहिए कि योजना आयोग सरकार का ही एक विभाग है और सरकार समिति में नामजदगी के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना नहीं चाहती ।

इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि केवल एक भाषा को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो और अन्य भाषाओं की उपेक्षा न की जाये ।

प्रेस परिषद् स्वः नियामन निकाय है । इसमें वास्तविकता के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा स्वः नियामन सम्भव नहीं ।

यह कहना गलत है कि इस समिति में संसद् सदस्यों के शामिल होने से राजनीतिक दल बन्दी आ जायेगी । अतः समिति ने संसद् सदस्यों के लिए तीन स्थानों का सुझाव दिया है ।

यह सुझाव भी दिया गया है कि समिति में लोक सभा के उन्हीं संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये जिन्हें पत्रकारिता का अनुभव हो। समिति इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उनके लिये योग्यताएं निर्धारित करना कठिन है। लेकिन उन्हें जनता के विचारों के बारे में जानकारी होनी चाहिये।

यदि सभा द्वारा नियुक्त समिति कोई निर्णय करती है तो सरकार के लिये उस पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। प्रेस परिषद् में संसद् सदस्यों को शामिल करने से प्रेस परिषद् को वास्तविकता का बोध हो सकता है क्योंकि वे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति के सदस्यों के चुनाव के बारे में मैं सब मामला अध्यक्ष और सभापति पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 2, 3, 4, 5, 6 and 7 were put and negatived

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 14 और 16 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 14 and 16 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15, 17 और 18 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 15, 17 and 18 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26, 27, 28, 30, 31, 32 और 33 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 26, 27, 28, 30, 31, 32, and 33 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill

खंड 6,7 और 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 6, 7 and 8 were added to the Bill

खंड 9

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 19 और 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 20 और 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 34,35 और 36 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यदि मंत्री महोदय किसी संशोधन को स्वीकार करते हैं तो विधेयक को फिर राज्य सभा में भेजना पड़ता है । इस खंड का अभिप्राय समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता का पुनर्विलोकन करना है । मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया है ।

विदेशी नागरिक भी हमारे देश में समाचार पत्र आरम्भ करते हैं । इस बारे में भी लगातार पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मंत्री महोदय समय की कमी के कारण संशोधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं । क्या सरकार विदेशी समाचार-पत्रों के बारे में विचार कर रही है ? भारत में प्रकाशित होने वाला कोई भी समाचार पत्र भारतीय समाचार-पत्र है, अतः 'सब समाचार-पत्र' शब्दों का प्रयोग करना उचित है 'विदेशी समाचार-पत्र' शब्द का प्रयोग करना नहीं । विदेशी समाचार-पत्र का अभिप्राय है विदेशों में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र । यह ऐसी गलती है जिसे सांविधिक ग्रंथों में स्वीकार नहीं किया जा सकता । मुझे आशा है मंत्री महोदय इस बारे में मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

धारा 12 जिसमें परिषद् के कार्य के बारे में उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण धारा है । प्रेस परिषद को वास्तव में प्रभावशाली बनाने के लिये उक्त धारा में अधिक अधिकार देने की व्यवस्था की जानी चाहिये । यदि उक्त निकाय को अधिकार नहीं दिये जाते तो यह प्रगति नहीं कर सकती । आप प्रेस परिषद को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं । यदि आप समाचार-पत्र के पढ़ने वालों से समाचार की आलोचना करते हैं तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

सरकार के पास समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने सम्बन्धी बहुत बड़ी शक्ति है । लेकिन अब शक्ति का प्रयोग मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है । प्रेस परिषद् को इस बात का निर्णय करना चाहिये कि क्या दोषी समाचार-पत्र को विज्ञापन दिये जाने चाहिये अथवा नहीं । मंत्री महोदय इस विधेयक को सफल बनाना चाहते हैं अतः भर्त्सना तथा इस प्रकार के अन्य दंडों के अतिरिक्त दोषी समाचार-पत्र को विज्ञापन प्रकाशित करने के कार्य के लिये अयोग्य करार देने का अधिकार भी प्रेस परिषद् को दिया जाना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Freedom of Press seems to be in danger in view of the conditions prevailing in this country. In view of this I welcome this Bill. It has been envisaged in this Bill that the Press Council will examine every case which is referred to them, which amounts to curtailment of the authority of the council. The Press council should be authorised to take action on their own initiative also. In addition, foreign newspapers and news agencies should also be included in it. There are 76 Embassies in our country and they are publishing 24 newspapers of their own. The circulation of these newspapers is 12.71 lakhs. Their circulation is much more than Hindi newspapers. I do not suggest any ban to be imposed

on foreign newspapers because they have every right to express their policy. But at the same time, I cannot tolerate that undesirable thoughts come to our mind directly or indirectly. They distribute their literature free. This amounts to interference in our internal affairs. The Press Council should be given powers through which they can force them to disclose the source of foreign money.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं श्री कंवर लाज गुप्त को बताना चाहूंगा कि खण्ड (च) के अनुसार प्रेस परिषद् अपने आप भी उपर्युक्त मामलों की जांच कर सकती है क्योंकि उन्हें भी शिकायतें मिलती हैं। राज्य सरकारें भी उनको ऐसे मामले भेज सकती हैं। हमने भी मंत्रालय से कहा है कि इस देश में विदेशी मिशनों के प्रकाशनों के बारे में कुछ विनियम होने चाहिए और उन देशों में हमारे प्रकाशनों के साथ भी उनका कुछ सम्बन्ध होना चाहिए। इस विधेयक को राज्य सभा ने ही पास नहीं किया बल्कि संसद सदस्यों ने इस पर काफी ध्यान दिया है, इसीलिए मैं श्री लोबो प्रभु के संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

जहां तक परिषद् की शक्तियों का सम्बन्ध है, श्री लोबो प्रभु को उस खण्ड को फिर से पढ़ना चाहिए। संसदीय समिति के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में ब्योरेवार विचार किया है। उनका विचार यह था कि प्रेस परिषद् को अपने आपको न्यायालय नहीं बना लेना चाहिए। बल्कि सद्भावना से प्रेरित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 8 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 और 21 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 19 and 21 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 और 22 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 20 and 22 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34,35 और 36 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 34, 35 and 36 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 37 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 9 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

परिषद् को वर्ष के बीच में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है । यह बिल्कुल असाधारण बात है जिसे अस्पष्ट छोड़ दिया गया है । क्या इसका अर्थ यह है कि यदि परिषद् जनवरी में अथवा जून में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय करे तो वह ऐसा कर सकती है । इसीलिये मैंने सुझाव दिया है कि वर्ष के अन्त में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री इ० कु० गुजराल : वार्षिक प्रतिवेदन तो प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु इसके अतिरिक्त परिषद् को जब भी वह उचित समझे, संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 25 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 और 15 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 14 and 15 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री इ० कु० गुजराल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि इस विधेयक में प्रेस आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को निगम का रूप दे दिया जाय ।

रूसी दूतावास तथा उनके कुछ प्रकाशनों के बारे में काफी कुछ कहा गया है । परन्तु हमें पता चला है कि भारत में अमरीका के प्रभाव में आकर एक संगठन कुछ पर्चे छाप रहा है जिनमें

आसाम और नेफा के एक भाग को भारत का अंग नहीं दिखाया गया है। इस मामले की अच्छी प्रकार जांच की जानी चाहिये। अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के धन के साथ अमरीका के प्रभाव में हमारे देश में इस प्रकार के कई संगठन कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद स्थित शान्ति सेना (पीस कोर) ने भी उसमानिया प्रिंटिंग वर्क्स, सिकन्दराबाद को इसी आशय का पर्चा छापने के लिये आदेश दिया था। इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जानी चाहिये।

ऐसे विदेशी प्रकाशनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिनमें काश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया जा रहा है।

समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिये परन्तु किसी व्यक्ति को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। यदि कोई संगठन हमारे लोकतंत्र, संविधान तथा समाजवाद लाने के प्रयत्नों को समाप्त करे तो ऐसे छापाखानों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Press is the 'fourth state' just as Legislature, Executive and Judiciary. It should also have full freedom. The Press should not be monopoly of capitalists and similarly it should be free from Government control.

I would like to point out that only 10 per cent of Urban population is benefited by the newspapers. Arrangements should be made for sending the newspapers to rural areas also. Small newspapers should be patronised and they should be sent to the villages. The deteriorating standard of newspapers should be raised. Government should intervene and improve their standard. They should also pay their attention towards the difficulties being experienced by Samachar Bharti and help them to tide over those difficulties.

श्री स० कुण्डू : मैं अंशकालिक पत्रकारों की कठिनाइयों को भलीभांति समझता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बोर्ड में अंशकालिक पत्रकार के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। पत्रकारों के दो मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के बावजूद उनकी कठिनाइयों में कोई कमी नहीं हुई है। यदि सरकार प्रेस में एकाधिकारिता को कारगर ढंग से रोकना चाहती है तो हमें श्रमजीवी पत्रकारों का एक व्यापक आन्दोलन चलाना होगा। श्रमजीवी पत्रकारों तथा समाचार-पत्र उद्योग में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों का एक सहकारी आन्दोलन भी चलाया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome this Bill but I want to point out that Press Council is not working effectively. It should not depend on Government for finances, only then it can work effectively. As far as possible it should be free from Governmental influence. The newspapers should be asked to contribute voluntarily as it is done in Sweden. There is a provision for training the journalists but no arrangements have been made for that purpose so far.

I would suggest that All India Radio should also be placed under the Press Council. I do not agree that Government have no control over it. The Finance Corporation proposed to be set up should work under the Press Council and it should give loans on their recommendation.

The Government should announce its policy with regard to the advertisement. I may also suggest that wide publicity should be given to the activities of the Press Council.

श्री लोबो प्रभु : यह एक स्वाधीन देश है। कोई व्यक्ति किसी को कोई समाचार-पत्र विशेष पढ़ने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कोई समाचार-पत्र इसलिये पढ़ता है क्योंकि वह उसे अच्छा लगता है। समाचार-पत्र के आकार के आधार पर उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये। आलोचना उस पत्र की की जानी चाहिये जो सच्ची बात को प्रकाशित न करे अथवा राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य न करे।

श्री श्रीनिवास मिश्र : इस विधेयक में दोष तथा असंगतियों के बावजूद यह कदम सही दिशा में है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि पास होने के बाद यह अधिनियम बुद्धिमत्तापूर्वक लागू किया जायेगा।

Shri Sheo Narain : The Press called fourth state in a democracy. The press provides protection to democracy. It is the duty of Government not to interfere in the working of Press. Now a days All India Radio is working in a very partial way. The Press Council will have to play a very vital role. If you want to see that democracy proves a success in this country, you will have to give freedom to the press. There will be thirteen persons nominated to this council. It will not be an auspicious number.

I want that language papers of all Indian languages should be encouraged. The English language should be eliminated.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I request that I. J. S. service should be started so that objective reporting and objective journalism could be started in this country. We should allow freedom thought in Press. We should allow foreign nationals to start newspapers in this country. In U. S. A. they allow foreigners to publish newspapers in that country.

श्री इ० कु० गुजराल : श्री बनर्जी ने एक नक्शे के बारे में जो बात कही है, मैं उस पर विचार करूंगा। हम छोटे समाचार-पत्रों की अधिकाधिक सहायता करना चाहते हैं। इसके लिये हमने पहले ही अनेक कदम उठाये हैं।

प्रेस परिषद अब अधिक कारगर ढंग से कार्य करेगी और उसके प्रभाव से सुधार होना अवश्यम्भावी है। प्रेस परिषद् के कर्मचारियों की नियुक्ति परिषद् स्वयं करती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

परिषद् के लिये धन सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाता है। श्री कंवर लाल गुप्त ने जो शिकायतें की हैं, हम उन पर ध्यान देंगे। रेडियो के प्रसारणों में किसी प्रकार का पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं किया जाता। हम स्वतन्त्र विचारों वाले पत्रकारों को अपने विचार प्रकट करने के लिये आमंत्रित करते हैं।

Shri Randhir Singh : 90 per cent time is devoted to the opposition parties in radio broadcasts. How can they complain against A. I. R.

श्री इ० कु० गुजराल : समाचारपत्र वित्त निगम का प्रस्ताव प्रेस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। प्रस्तावित विधेयक तद्नुसार ही होगा। इस बारे में चिन्ता की कोई बात नहीं है।

विज्ञापन नीति के बारे में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेशों में प्रधान मंत्री के दौरों में साथ जाने वाले पत्रकारों का चयन प्रेस एसोसिएशन की सलाह से किया जाता है। हम समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता किसी प्रकार भी कम नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motioin was adopted.

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 31 मार्च, 1970/10 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the March 31, 1970/ Chaitra,10 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 3-8-70—340